खण्ड-419, अंक-7
सोमवार, 6 श्रावण, शक संवत् 1919
(28 जुलाई, 1997 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1997)

खण्ड 419 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1997

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
सण्डीला (हरदोई) में हुए अपहरण एवं हत्या को नियम 311 के अन्तर्गत उठाने का प्रयास	1–2
प्रश्नोत्तर	3–62
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	62
अधिशासी अभियन्ता सरयू नहर प्रथम बस्ती द्वारा किये गये कथित भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना।	62–63
बहराइच के उप बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं योजना अधिकारी अनौपचारिक शिक्षा द्वारा किये गये कथित घपलों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	63–64
मैनपुरी के बेसिक शिक्षा परिषद् के सेवानिवृत्त अध्यापकों, कर्मचारियों की पेंशन, फण्ड आदि का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64
जनपद कौशाम्बी के ग्राम पहाड़पुर में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64–65
जरवल रोड चीनी मिल बहराइच में लेबरों की टूल डाउन हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65
नवसृजित जनपद गौतम बुद्ध नगर के लिए पर्याप्त संसाधन मुहैय्या कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66
जौनपुर के मड़ियाहूँ क्षेत्रान्तर्गत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध-में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66–67
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	67

विधान पुस्तकालय कार्यवाही खण्ड,
उत्तर प्रदेश

विषय	पृष्ठ संख्या
विधान सभा सत्र के दौरान जिलों में विकास कार्य सम्बन्धी बैठकें आयोजित किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	68–71
प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के नाम पर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों को तीन भागों में बांटे जाने के निर्णय विषयक औचित्य का प्रश्न	71–76
उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 33(2) का सरकार द्वारा दुरुपयोग कर सरकारी संस्थाओं में चुने गये प्रतिनिधियों को हटाये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	76–83
बाबा रामनगर लघु माध्यमिक विद्यालय नैयसारा, जनपद गाजीपुर का भवन ढहा दिये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	83–86
कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की सूचनाएं	86–118
सण्डीला (हरदोई) की घटना के सम्बन्ध में निर्दोष लोगों के विरुद्ध पुलिस का उत्पीड़न रोके जाने की मांग	118–119
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शरीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1997 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)।	120–129
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1997 जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)।	129–142
उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1997 (विधेयक पारित)	142–145
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 (पारित)	146–155

विषय	पृष्ठ संख्या
वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी)	155–196
सदन में कोरम के आभाव की सूचना	196–197
वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ((क्रमागत)	197–208
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	208–209
प्रदेश में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों की कमी से छात्रों एवं अभिभावकों को हो रही कठिनाई विषयक नियम 56 के अन्तर्गत वक्तव्य	210–214
नत्थियां	215–219

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

सोमवार, दिनांक 28 जुलाई, 1997

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला	
भइया, श्री	गोण्डा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अशफाक अहमद, श्री	बरेली
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ
* आलमबदी, श्री	आजमगढ़
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ
कुंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काशीनाथ, श्री	सुल्तानपुर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली
गोमती यादव, श्री	लखनऊ
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया	गोरखपुर
ज्ञान चन्द्र, श्री	उत्तरकाशी.
ज्ञानवती सिंह, डा०	अलीगढ़
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०	इलाहाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
पूरन सिंह, बुन्देला, श्री	ललितपुर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
बंशीधर भगत, श्री	नैनीताल
बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
भाई लाल, श्री	मिर्जापुर
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
महेन्द्र कुमार, श्री	बुलन्दशहर
मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल

* सा० सदस्य ने शपथ नहीं ग्रहण किया है।

यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़	लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
रणधीर सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	* वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
रतनजीत प्रताप नारायण कुंवर	पड़रौना	विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र, श्री	गाजीपुर	विरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
राम चन्द्र मौर्य, श्री	मिर्जापुर	विशम्भर सिंह, श्री	मथुरा
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद	विश्वनाथ, श्री	पड़रौना
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़	शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई	शिवा कान्त, श्री	प्रतापगढ़
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती	संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
राम सिंह, डा०	अलीगढ़	सुरेश चन्द्र आर्य, श्री	उधम सिंह नगर
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा	सुशीला अग्रवाल, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा	हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

* मा० सदस्य ने शपथ नहीं ग्रहण किया है।

सोमवार, दिनांक 28 जुलाई, 1997

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के ।। बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

सण्डीला (हरदोई) में हुए अपहरण एवं हत्या के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत उठाने का प्रयास

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, सण्डीला, हरदोई जल रहा है, वहां की स्थिति बड़ी विकट हो गई है।

(समाजवादी पार्टी के कुंवर रेवती रमण सिंह, डा0 अशोक बाजपेयी, श्री धर्मज्ञ मिश्र, श्री अवधेश प्रसाद तथा श्री गौरी शंकर एडवोकेट आदि विपक्षी सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर सदन में घोर व्यवधान हो गया)।

श्री अध्यक्ष-

आपकी नियम 311 में सूचना प्राप्त हुई है, मैंने उसे नियम-56 में परिवर्तित कर दिया है, अब जब क्रम संख्या-7 पर पहुंचेंगे तो उसकी ग्राह्यता पर आपको सुन लेंगे। मेरा अनुरोध है कि प्रश्नकाल को चलने दें। कार्य-स्थगन प्रस्ताव की मद जब लेंगे तो इसको भी ले लेंगे। कृपया आप लोग स्थान ग्रहण करें। जब कई माननीय सदस्य एक साथ बोलेंगे तो मुझे भी सुनाई नहीं पड़ेगा।

(इस पर समाजवादी पार्टी के श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री धर्मज्ञ मिश्र, तथा श्री गौरीशंकर एडवोकेट आदि सदन के फ्लोर पर आकर कई सदस्य अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान होता रहा)।

कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(समाजवादी पार्टी के वेल में आये हुये सभी सदस्य वहीं फर्श पर बैठ गये)।

श्री धर्मज्ञ मिश्र (फ्लोर से)-

3500 लोगों पर मुकदमा कायम किया गया है चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची हुई है। स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है। आप स्वयं चलकर देख लें।

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री धर्मेन्द्र मिश्र-

(वेल से) मान्यवर, हरदोई जिले में अत्याचार के खिलाफ आन्दोलन चलता रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री धर्मेन्द्र मिश्र-

(वेल से) मान्यवर, हरदोई जिले में जब तक अन्याय को बन्द नहीं करायेंगे तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे।

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

मुझे भी कुछ कह लेने दें।

नियम 311 में जो आपकी सूचना आई थी मैंने उसके संबंध में निवेदन किया कि, मैंने उसको नियम 56 में परिवर्तित करके कार्यसूची में क्रम संख्या-7 में जब कार्य-स्थगन का प्रस्ताव लेंगे तो पहले क्रम पर आप सबकी बात ग्राह्यता पर सुन लेंगे। इस समय मेरा अनुरोध है कि प्रश्नकाल चलने दें। आपकी 311 का अभिप्राय है कि सदन की कार्यवाही रोककर आपकी बात सुनी जाय और कार्य-स्थगन का अभिप्राय भी यही होता है।

श्री धर्मेन्द्र मिश्र-

(वेल से) कृपया मेरी बात को सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं कार्यसूची में जब क्रम संख्या-7 आयेगा तो आपकी बात को सुन लूंगा।

श्री शिव पाल सिंह यादव-

(वेल से) मान्यवर, पहले मेरी बात को सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने कह दिया है कि जब कार्य-स्थगन का क्रम संख्या-7 आयेगा तो पहले नम्बर पर आपकी बात को सुनूंगा, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लीं

(वेल में आये हुए सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर चले गये)

श्री अध्यक्ष-

बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में वर्तमान गन्ने के सर्वे तथा सट्टा नीति में हो रही किसानों की कठिनाई के निवारण हेतु नीति-निर्देश

श्री सूर्य प्रताप शाही-

******।-क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान गन्ने का सर्वे तथा सट्टा नीति से किसानों को हो रही कठिनाईयों तथा गन्ना पर्चियों पर गन्ना माफियाओं के नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए सरकार क्या नई नीति बनाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

गन्ने के सर्वे तथा सट्टा में किसानों को हो रही कठिनाइयों आदि के निवारण हेतु प्रदेश की चीनी मिलों के लिये पेराई सत्र 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के लिये गन्ने के सट्टे एवं पूर्ति के सम्बन्ध में नीति निर्देश दिनांक 7-5-97 को जारी कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गन्ने के सट्टे एवं पूर्ति के सम्बन्ध में नये नीति निर्देश जारी किये हैं। वे निर्देश क्या हैं तथा कब से प्रभावी होंगे यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, जिस दिन जारी हुए उस दिन से प्रभावी हुए हैं। जो प्रमुख बिन्दु हैं सट्टा नीति के वह इस प्रकार हैं, यह आगामी तीन वर्ष के लिए नीति घोषित की गयी है। वह वर्ष 1994-97 एवं 1996-97 की पूर्ति के आधार पर आगणित औसत मात्रा ही वर्ष 1997-98 का सट्टा होगा। राजस्व अभिलेखों से मिलान करके ही गन्ना सर्वे किया जायेगा। कृषक का गन्ना क्षेत्रफल उसके द्वारा धारित कुल कृषि योग्य भूमि (राजस्व अभिलेख के आधार पर) की 65 प्रतिशत की सीमा या वास्तविक गन्ना क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा किन्तु अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए 65 प्रतिशत की सीमा लागू नहीं होगी। किसी कृषक का सट्टा कुल गन्ना उत्पादन के 85 प्रतिशत या 3500 कु0 की सीमा से अधिक नहीं होगा। कृषकों के सर्वे एवं सट्टा सूचियों का प्रदर्शन ग्राम स्तर पर किया जायेगा। कलेण्डर 31 अगस्त तक बना दिये जायेंगे तथा कृषकों को कलेण्डर एवं पास बुक 22 सितम्बर तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे। निर्देशों के क्रियान्वयन की जांच शासन द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा जुलाई,-

अगस्त एवं सितम्बर-अक्टूबर में की जायेगी।

मान्यवर, एक नीति शासन ने बनाई थी कि अनुसूचित जाति, जन-जाति एवं लघु सीमान्त कृषकों को विशेष संरक्षण देंगे क्योंकि पूर्व की नीतियों में उनको संरक्षण नहीं मिल पा रहा है इसलिए यह नियम बनाया गया कि किसान के कुल कृषि क्षेत्र का 65 प्रतिशत ही अधिक क्षेत्र माना जायेगा चाहे जितने क्षेत्र में बोया हो, 65 प्रतिशत सीमान्त कृषकों, अनुसूचित जाति, जन-जाति के कृषकों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उनकी अधिकतम सीमा 5 एकड़ ही मानी जाती है। इस 65 प्रतिशत का 85 प्रतिशत गन्ना लिया जायेगा जिसका अधिकतम 35 सौ कु0 है। जो साढ़े 12 एकड़ के नाम पर फर्जी पर्चियां, माफिया टाइप के लोग हो गये थे जो छोटे किसानों से सस्ते पर खरीद कर ऊंचे दाम पर मिलों को दे देते थे उन छोटे किसानों को पर्ची नहीं मिल पाती थी, इस व्यवस्था को समाप्त करके उन किसानों को पर्ची मिल सके उसका भी गन्ना लिया जा सके यह इस नीति का मूल मकसद है। यह नीति 3 वर्ष के लिए है।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जो असन्तोष किसानों में था वह यह था कि वर्ष 1994-95, वर्ष 1995-96 का गलत सट्टा बना इसमें जो फर्जी इंतखाब लगाकर कार्य हुआ, उसमें माफियों का कोटा अधिक हो गया, उसका सत्यापन करा कर, उसको कैंसिल करने के लिए उस धान्धली में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? जो ट्रेड यूनियन पर्चियां सप्लाई करती हैं, उनमें व्यापक स्तर पर धांधली हुई है उसमें सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

माननीय सदस्य शाही जी ने जो वर्ष इंगित किया है उस वर्ष को सामान्य सट्टा औसत उत्पादन के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है।

वर्ष 1995-96 गन्ने के धांधली वर्ष को, औसत निर्धारण करते समय, नहीं जोड़ा गया है। यह तीन वर्ष का नहीं दो वर्ष का है 1994-95 व 1996-97। गन्ने का फिजिकल वैरीफिकेशन, वर्ष, का फिजिकल वैरीफिकेशन, हो रहा है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध कि वह इसमें सहयोग दें क्योंकि हम भी गन्ना माफियाओं और फर्जी सट्टे को समाप्त करना चाहते हैं। यह फिजिकल वैरीफिकेशन राजस्व अभिलेखों के आधार पर हो रहा है। यदि माननीय सदस्यों के यहां किसी भी प्रकार की कोई ऐसी शिकायत हो तो वह लिखकर भेज दें, मैं उसकी जांच करवाऊँगा और जो अधिकारी दोषी पाया जायेगा, उसको दण्डित भी करेंगे। इसके लिए हम केवल फील्ड अधिकारियों पर ही निर्भर नहीं हैं बल्कि शासन स्तर से भी 10-12 अधिकारी इस काम पर लगा दिये हैं जो इसे देखेंगे। कैलेण्डर ईयर समाप्त होने के बाद भी यदि कोई शिकायत कहीं पर रह

जाती है या कोई अनियमितता रह जाती है तो वह भी समय रहते संशोधित हो सके। इसलिए मान्यवर, 29 अगस्त तक का समय रखा गया है। एक नवम्बर के आस-पास से मिलें चलेंगी। अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। मेरा पुनः माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि यह नीति बिल्कुल सही ढंग से लागू हो सके, इसमें वह सहयोग दें और यदि उनके क्षेत्र में कहीं पर भी कोई अनियमितता है या शिकायत है तो उसे वह बता दें ताकि उसकी जांच हो सके और उसे ठीक भी करायेंगे साथ ही दोषी व्यक्ति को दण्डित भी करेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की मंशा ठीक है क्योंकि वह इस दिशा में गन्ना माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं। छोटे किसानों, अनुसूचित जाति, जन-जाति के किसानों व सीमान्त कृषकों की गन्ना पर्चियों को वह सुनिश्चित करना चाहते हैं। परन्तु मान्यवर, श्री शाही जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है तथा माननीय सदस्यों की जो चिन्ता है वह यह है कि गन्ना पर्चियों को गन्ना माफियाओं ने फर्जी तरह से जो पर्चियां प्राप्त की हैं और जिसमें केन यूनियन के कर्मचारी भी शामिल हैं और फिर उन्हीं के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। स्थिति फिर वही होगी गन्ना माफिया के लोग केन यूनियन के कर्मचारियों से मिलकर जमीन की फर्जी पैमाइश कराकर पर्चियां हासिल कर लेंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सर्वे का कार्य हो रहा है गन्ना विभाग के कर्मचारियों द्वारा, क्या उनके साथ राजस्व विभाग के कर्मचारियों को भी शामिल किया जायेगा। क्योंकि जब तक अन्य विभाग के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जायेगा तब तक सर्वे का काम सही ढंग से नहीं हो पायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, पहला कदम जो उठाया गया है वह यह है कि गन्ना विभाग के अधिकारी/कर्मचारी जो सर्वे का काम करते हैं, बड़े पैमाने पर एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरित किये गये हैं, केवल इसी आशंका को समाप्त करने के लिए। हमने तो कहा कि सर्वे तो उन्हीं से हो रहा है और विभाग के ही कर्मचारी करेंगे। मशीनरी तो वही है। राजस्व विभाग के पास तो इतने कर्मचारी भी नहीं हैं कि वह उनके खेतों की नपाई कर सकें। मान्यवर, जो कदम उठाये गये हैं, उससे इस बार फर्जी पर्चियां बिल्कुल समाप्त हो जायेंगी। अब की बार हम सट्टे को भी ग्रामीण स्तर पर प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि जो सट्टे में गड़बड़ी होती थी वह भी हमारे संज्ञान में आ सके। इसीलिए हम सब यह कार्य समय से पहले कर रहे हैं। मैं पुनः सदन से आग्रह करूँगा कि वह इसमें सहयोग करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने बड़े पैमाने पर लोगों को हटाया है परन्तु बस्ती जिले के केन यूनियन का सचिव तीन बार स्थानान्तरित

होने के बाद भी वहीं पर तैनात है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाल जी आप बैठ जायें। आप अलग से लिखकर दे दीजियेगा माननीय मंत्री जी को। मैं माननीय हुकुम सिंह जी को सुन रहा हूं।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जो उपाय प्रस्तावित हैं जिनका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया है, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इस वर्ष की जो स्थिति है गन्ने की, इस वर्ष रिकार्ड उत्पादन गन्ने का हुआ है और जब रिकार्ड उत्पादन होता है तो यह समस्या आ जाती है और तभी कीमतों में अंतर रहता है और इन गन्ना माफियाओं का जन्म होता है। मान्यवर, जो कम्प्यूटर प्रणाली लागू की गयी है उसका बड़ा भारी सहयोग है। जो उपायों का उल्लेख किया गया है उसके साथ-साथ अभी से यह सर्वेक्षण चालू हो जायेगा तो वह कारगर होगा। अगर अक्टूबर में सर्वे किया तो यह संभव नहीं हो पायेगा तो मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि इसका तुरन्त सर्वे हो जाये। दूसरा यह कि जो गन्ना मिलें है वह अक्टूबर के महीने में चालू हो जायें?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, आप अवगत, है और मैं आपके आग्रह पर आया हूं। 2 तारीख को इस पर चर्चा होगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि 2 तारीख को माननीय सदस्यों की जितनी प्रकार की शंकायें हैं या भ्रांतियां हैं या गड़बड़ियों के सम्बन्ध में जो शिकायतें हैं वह चर्चा के समय मुझे बता दें और अपना सुझाव भी मुझे दे दें मैं उनका सहयोग मानूंगा और जो उत्तर हैं उनको मैं दूंगा। मुझे अभी विधान परिषद् भी जाना है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं आया है। मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि अक्टूबर के महीने में सारी चीनी मिलें चालू हो जायेंगी?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, गन्ने की पेराई सम से शुरू हो जाये, जो किसानों का गन्ना है, वह पूरा पेर लिया जाये, इसके लिए जब जो मिल चलाने की क्षेत्रवार आवश्यकता होगी वह हम ले लेंगे।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ऐसे समय में जब गन्ना किसान का गन्ना पर्ची के लिए प्रारम्भिक तौर पर मिलों के भुगतान में मारा जा रहा है, गन्ने की सट्टे की लचर नीति के कारण पूरे प्रदेश का गन्ना किसान परेशान है । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो सट्टा बनाने की कार्यवाही चल रही है क्या रकबे के आधार पर माननीय मंत्री जी सट्टा नीति बनाने की स्पष्ट तैयारी करेंगे ? क्योंकि यह जो सट्टे की नीति है यह बड़ी खराब नीति है इससे प्रदेश के गन्ना किसानों को नुकसान हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष-

आपका अनुपूरक प्रश्न आ गया है । आप माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि गन्ने की लचर नीति से किसान पहले परेशान था। अब इस नयी नीति में किसानों में एक नया विश्वास जागा है और जो नीति घोषित की है उस नीति को क्रियान्वित करके देखेंगे । क्योंकि उसका क्रियान्वयन अभी हो रहा है इसलिए अभी से उसके बारे में आशंका व्यक्त करना उचित नहीं है । यह तो समय बतायेगा कि यह सत्य से परे है कि नहीं ।

राज्य में उत्पादित गन्ने की पेराई सुनिश्चित करने एवं किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान का मामला

** श्री श्याम देव राय चौधरी-

2-क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में उत्पादित गन्ने की पेराई सुनिश्चित करने एवं किसानों की बकाया गन्ना मूल्य का शत प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां , तो उसकी रूपरेखा क्या है और उसे कार्यान्वित किये जाने के क्या प्रयास किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां

कृषकों द्वारा चीनी मिलों में अनुबन्धित सम्पूर्ण गन्ने की पेराई सुनिश्चित कराये जाने तथा क्रय किये गये गन्ने के मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराने की स्पष्ट नीति निर्धारित है । पेराई सत्र वर्ष 1996-97 में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा अपने

क्षेत्र में पूर्ति योग्य उपलब्ध समस्त गन्ने की पेराई करके पेराई सत्र का समापन किया जा चुका है तथा वर्तमान सत्र के देय गन्ना मूल्य में लगभग 86 प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न सं0-2 को स्थगित करता हूं। यह 2 तारीख को आ जायेगा। चर्चा लगी है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसको नहीं लिया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अल्प सूचित तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है। 11.20 हो गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

दो तारीख को जो चर्चा निर्धारित है, उससे सम्बन्धित है, इसलिये इसको मैंने स्थगित कर दिया है। यह प्रश्न दो तारीख को आयेगा।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, बड़ी मेहनत करने के बाद प्रश्न आते हैं और जब नहीं आते हैं तो बड़ा दुख होता है। आप वहां पर सदन के माननीय सदस्यों के संरक्षण के लिये बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी जी, मैंने कहा कि गन्ना पेराई से सम्बन्धित विषय दो तारीख को है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

प्रश्नों का महत्व अलग है और चर्चा का विषय अलग है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको मैं पहली तारीख को किये दे रहा हूं। इसको शुक्रवार तक के लिये स्थगित किये दे रहा हूं। शुक्रवार को आ जायेगा।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

प्रदेश में विशिष्ट व्यक्तियों के सुरक्षा पर व्यय भार एवं सुरक्षा देने की नीति की जानकारी

* श्री रघुवर दयाल वर्मा-

1-क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन की सुरक्षा पर गत तीन वर्षों में कितने अंगरक्षक वाहन गार्ड आदि सरकारी व्यय पर लगाये गये और उन पर प्रति माह सरकार का कितना व्यय हुआ ? क्या सरकार ने विशिष्ट व्यक्तियों को ऐसी सुविधा देने के कोई नियम बनाये हैं ? यदि हां, तो वह क्या हैं ? क्या यह सही है कि प्रदेश के कतिपय कुख्यात अपराधी प्रवृति के व्यक्तियों को भी उक्त सुविधा दी गई है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

श्री बी0 आर0 वर्मा (पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री)-

प्रदेश में विशिष्ट व्यक्तियों (उन महानुभावों जिन्हें वर्गीकृत "जेड" प्लस, जेड, वाई, एक्स, एक्स-2 श्रेणी की सुरक्षा प्रदत्त है) के जीवन की सुरक्षा हेतु शासकीय व्यय पर वर्तमान (1997) में 25 वाहन तथा 398 उप निरीक्षक, 137 मुख्य आरक्षी, 908 आरक्षी शस्त्र गार्ड, पी0एस0ओ0, एस्कोर्ट, वाचर आदि के रूप में लगाये गये हैं। इन सुरक्षा कर्मियों पर प्रति माह रुपया 1,11,96,653.00 का व्यय अनुमानित है। वर्ष 1996 में विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में 29 वाहन, 376 उपनिरीक्षक 146 मुख्य आरक्षी, 834 आरक्षी लगे थे जिन पर प्रति माह रुपया 1,05,36,632.90 का व्यय अनुमानित है। वर्ष 1995 में विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में 25 वाहन, 289 उपनिरीक्षक, 121 मुख्य आरक्षी, 774 आरक्षी लगे थे जिन पर प्रति माह रुपया 90,62,566.90 का अनुमानित व्यय हुआ।

जी हां।

वर्गीकृत विशिष्ट श्रेणी के महानुभावों को उनके गम्भीर जीवन भय का विभिन्न सूत्रों से आंकलन करने के उपरान्त भारत सरकार/प्रदेश सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है।

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, आप हमारे प्रश्न के पहले भाग को देखें, उसका जो उत्तर आया है और 1997 में जो व्यय दिखाया गया है, वह अनुमानित है, 1996 में जो व्यय दिखाया गया है, वह अनुमानित है और 1995 में जो व्यय दिखाया गया है, वह भी अनुमानित है। 1995 और 1996 के वर्ष समाप्त हो गये है, तो अनुमानित व्यय दिये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, माननीय मंत्री जी को तो 1995 और 1996 के वास्तविक व्यय के आंकड़े दिये जाने चाहिये, लेकिन माननीय मंत्री जी ने सदन को गुमराह करने के लिये ऐसा उत्तर दे दिया है, तो माननीय मंत्री जी इन वर्षों के वास्तविक आंकड़े देने की कृपा करेगें कि कितना-कितना व्यय हुआ है और जो चार श्रेणियां बनाई हैं, उनमें कौन-कौन से विशिष्ट व्यक्ति आते हैं? यह जो श्रेणियां वर्गीकृत की हैं इनमें कौन-कौन व्यक्ति आते हैं और इस समय किन-किन व्यवितयों को यह सुविधा उपलब्ध हैं?

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर माननीय सदस्य से जिज्ञासा व्यक्त की है यह जो चार श्रेणियां हैं इसकी लम्बी लिस्ट हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

जेड प्लस में श्री रोमेश भंडारी, महामहिम श्री राज्यपाल सुश्री मायावती, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, श्री कल्याण सिंह, भू0पू0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0, श्री मुलायम सिंह यादव, भू0पू0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0, श्री एन0 डी0 तिवारी, भू0पू0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, श्री, एम0 रहमान, कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय श्री सैय्यद सिब्जे रजी, भू0पू0 केन्द्रीय मंत्री, श्री मुफ्ती मो0 सईद, श्री मुरली मनोहर जोशी, श्री अशोक सिंघल।

श्री अध्यक्ष-

इतना लम्बा व्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा-

मान्यवर, नाम आने दें।

जेड श्रेणी

श्री बी0 आर0 वर्मा-

श्री कांशीराम राष्ट्रीय अध्यक्ष, बसपा, मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट, श्री जितेन्द्र प्रसाद अध्यक्ष, यू0पी0सी0सी0 वर्तमान में उपाध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय

कांग्रेस, श्री मौ0 आजम खां, सांसद, श्री प्रमोद कुमार, विधायक, श्री बलराम सिंह यादव, भू0पू0 केन्द्रीय मंत्री, बी0एस0 बैंदी, भू0पू0 पुलिस महानिदेशक, जम्मू एवं कश्मीर, श्री बुआ सिंह, आई0पी0एस0, श्री विनय कटियार, सांसद, श्री बी0डी0 पाण्डेय, यू0 पी0 राज्यपाल, प्रो0 राजेन्द्र सिंह उर्फ रज्जू भैय्या, आर0एस0एस0 चीफ, श्री दिनेश सिंह, आई0ए0एस0, श्री के0सी0 पंत, भू0पू0 केन्द्रीय मंत्री, श्री एस0पी0एस0 कुवंर, अवकाश प्राप्त मेजर जनरल, श्री प्रभुदयाल कठेरिया, सांसद ।

वाई श्रेणी

श्रीमती कुमदेश भंडारी, लेडी, गवर्नर, उ0प्र0, श्री आर0 के0 चौधरी, मंत्री उ0 प्र0, श्रीमती प्रभा द्विवेदी, मंत्री, उ0प्र0, श्री लाल जी टंडन, मंत्री उ0प्र0, श्री शिवपाल सिंह यादव, विधायक, श्री जे0के0 मल्होत्रा, श्रीमती प्रभावती पासवान, श्री राम नरेश यादव, भू0पू0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0, श्री दीनानाथ भाष्कर, भू0पू0 मंत्री उ0प्र0, श्री जितेन्द्र सिंह, महाराजगंज, श्री दर्शन सिंह यादव, डा0 संजय सिंह, श्री एस0 सी0 दीक्षित, विश्व हिन्दू परिषद्, श्री सलमान खुर्शीद, श्री प्रकाश सिंह, भू0पू0 पुलिस महानिदेशक, श्री महंत ज्ञानदास, मान्यवर, लम्बी लिस्ट है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

उपलब्ध करा दें। (व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

सूची आने दें।

श्री अध्यक्ष-

काफी लम्बी सूची है, माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दें। दलों के नेताओं के पास आ जाय।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

इसमें अनुमानित व्यय दिया है मैंने अनुमानित व्यय के बारे में पूछा था वह नहीं आया। दूसरा विशेष व्यक्तियों को यह सुविधा देने का कोई नियम बनाया है तो क्या है?

क्या कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी यह सुविधा दी गयी हैं जो वी0आई0पी0 को दी जाती है और उनके खिलाफ अपराधिक मुकदमें चल रहे हैं या अपराधिक मुकदमों में वांच्छित हैं ऐसे कितने व्यक्ति हैं?

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि यह सुरक्षा किस आधार पर दी जाती है तो जो उनकी जिज्ञासा है मैं बताना चाहता हूं कि जीवन भय को देखते हुए इस संबंध में एक कमेटी बनी हुई है प्रमुख सचिव गृह इसके अध्यक्ष होते हैं इसके अतिरिक्त एडीशनल डी0जी0 सिक्योरिटी और ज्वाइंट डाइरेक्टर आई0बी0, भारत सरकार भी इस कमेटी में होते हैं। जो रिपोर्ट आई0बी0 से आती है और ए0डी0जी0 सिक्योरिटी से आती है उस सूचना के आधार पर यह समिति विचार करती है। इसकी हर 3 महीने में एक बार बैठक होती है और उसमें विचार करके निर्णय मुख्यमंत्री के पास आता है और उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

श्री पारस नाथ यादव-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जीवन के खतरे को देखते हुए सुरक्षा दी जाती है। मैंने अपने संबंध में इसी सदन में मामला उठाया था जो पूरे सदन के संज्ञान में है। मेरे ऊपर ए0के0 47 चली है और सभी अधिकारियों को भी ज्ञान होगा। मैं आग्रह करता हूं कि मेरी सुरक्षा व्यवस्था की जाय। मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो क्राइटेरिया आप बता रहे हैं क्या मैं उस क्राइटेरिया में नहीं आता हूं, मेरी सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है?

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य का प्रश्न है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सूचना मेरे पास नहीं है। अगर इसके लिये माननीय सदस्य अलग से प्रश्न पूछ लें तो जवाब देने में कोई संशय कदापि नहीं होगा।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदन में माननीय पारस नाथ जी की सुरक्षा के संबंध में पहले मामला आ चुका है जो सब को मालूम है। इनके जीवन को खतरा है। इनकी सुरक्षा व्यवस्था न किये जाने का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष-

माननीय पारसनाथ यादव जी की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में पहले प्रश्न आया था और उनकी समस्या के निराकरण के लिये कार्यवाही हो रही है। मेरी

व्यक्तिगत जानकारी में भी है, आज ही प्रातः काल मैंने जानकारी ली है माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से ली है और आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार कर लूंगा। इसके बारे में विचार हो रहा है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

यह प्रश्न प्रासंगिक है, सुरक्षा व्यवस्था संबंधी प्रश्न चल रहा है। इसके बारे में मंत्री जी से उत्तर दिलवा दें।

श्री दलबीर सिंह-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि एक्स एम0एल0ए0 और एम0पी0 के साथ जो सुरक्षा कर्मी लगे हुये हैं उनके लिये प्रेसीडेंट रूल में आरक्षी के मूल वेतन का 10 परसेंट पैसा लेने के आदेश गृह मंत्रालय द्वारा किये गये थे तो जो परसेंट चार्ज लिया जा रहा है वर्तमान सरकार उसको खत्म करेगी या नहीं?

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, जो प्रश्न था वह विशिष्ट श्रेणी जिसमें जेड-एक्स, जेड-वाई, जेड-एक्स, जेड-2 यह जो श्रेणी है इसके बारे में था।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न पर बहुत विस्तृत सूचना की आवश्यकता है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, यह श्रेणी का आधार क्या है? क्या जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया श्रीमती विजमा यादव के पति श्री जवाहर यादव जी की हत्या हो गयी। माननीय पारस नाथ जी के ऊपर हमला हुआ और माननीय शिव पाल सिंह यादव जी के आवास पर बम दागे गये। श्रीमन् आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कैटेगिरी निश्चित करने का क्या आधार है और दूसरा यह कि माननीय सदस्यों ने इस आदरणीय सदन में अपनी बातों को रखा है, इनको भी सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करेंगे?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि यह जो विभिन्न श्रेणियां है इनका वर्गीकरण किस आधार पर होता है और यह केन्द्र सरकार को अधिकार है या राज्य सरकार करती है।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

यह जो श्रेणियां बनाई गई हैं भारत सरकार द्वारा इसमें जो आधार है, जिस पर यह कमेटी विचार करती है वह है जीवन भय। यह रिपोर्ट दो जगह से आती है एक तो इन्टेलिजेंस ब्यूरो और ए0डी0जी0 सिक्योरिटी की रिपोर्ट पर कमेटी विचार करती है और फिर जो श्रेणियां बनाई गई हैं उसमें निश्चित करती है कि किस श्रेणी की दी जानी है।

श्री गौरी शंकर (एडवोकेट)-

मान्यवर, क्या मंत्री जी इस पर बतायेंगे कि एक सर्वदलीय समिति बना दी जाय जो सुरक्षा व्यवस्था की श्रेणी के बारे में विचार करे। क्या ऐसी कोई व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगे?

(व्यवधान)

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिन विशिष्ट लोगों की सुरक्षा व्यवस्था दी गई है उसमें अपराधिक चरित्र वाले कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सरकार द्वारा यह सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई है? दूसरा यह कि (× × ×)

श्री अध्यक्ष-

यह व्यक्तिगत प्रश्न है।

डा0 अशोक बाजपेयी-

कितने अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको सुरक्षा दी गई है?

श्री अध्यक्ष-

अपराधिक प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है? हम सब राजनैतिक कार्यों के निर्वहन में जेल जाते हैं।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, जिनको न्यायालय से सजा मिली हो, जिनसे समाज को खतरा हो सरकार उन्हीं को सुरक्षा दे रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

एक आखिरी सवाल माननीय वर्मा जी कर लें।

नोट :- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि (× × ×)

(× × × ×)

श्री अध्यक्ष-

यह महामहिम राज्यपाल से संबंधित है, इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। दूसरा प्रश्न नरेश चन्द्र अग्रवाल जी का है। मैं इसको स्थगित कर देता हूं क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत कठिनाई बताई है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, कई माननीय सदस्यों की इसमें रुचि है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने अपनी व्यक्तिगत कठिनाई बताई है। और कहा है इसे जगदम्बिका पाल जी पूछेंगे।

प्रदेश के सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की मांग

* 2-श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के सभी बेरोजगारों को जब तक रोजगार न मिल जाये, रु0 200/- प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उक्त योजना की क्या रूपरेखा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए बेरोजगारी भत्ता दिया जाना संभव नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल-

श्रीमन् मैंने इस सरकार से यह जानना चाहा है कि यह सरकार प्रदेश के नौजवान जो बेरोजगार हैं अगर उनको रोजगार मुहैया कराने की कोई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर पाती है तो दूसरे पदेशों की तरह बेरोजगार भत्ता देने पर विचार करेगी? इन्होंने कहा है कि जी नहीं, तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने इस प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के संबंध में, इनकी बेरोजगारी दूर करने के संबंध में क्या कोई नीति बनाई है? अगर बनाई है तो इस समय प्रदेश के बेरोजगारों की संख्या कितनी है। अगर उनको 200/- रुपया प्रतिमाह दिया जाए तो कितना व्यय भार आयेगा?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

मान्यवर, श्रम विभाग का दायित्व रोजगार देने का नहीं है बल्कि रोजगार हेतु नवयुवक और नवयुवतियों को दक्ष बनाना है।

श्री जगदम्बिका पाल-

क्या सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की कृपा करेगी? वर्तमान में सरकार रोजगार देने के संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है? मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बता दें।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, माननीय पाल साहब ने जो जानना चाहा है उसके संबंध में कहना चाहूंगा कि बेरोजगार जो हाईस्कूल हैं वह 6,29,907 हैं इण्टरमीडिएट पास हैं 4,12,845 हैं स्नातक 3,24,585 हैं और परास्नातक हैं वह 82,103 हैं मान्यवर कुल 1,18,49,394 हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह पूछ रहे हैं क्या कोई नीति है? जब कोई भी प्रश्न दो विभाग से संबंधित होता है तो वह अस्वीकृत हो जाता है माननीय श्रम मंत्री जी ने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि उनके विभाग से संबंधित नहीं है। तब मूल प्रश्न नहीं किया जा सकता है। दो विभाग से संबंधित होने के कारण श्रम विभाग के मंत्री कैसे उत्तर देंगे। आप अलग से एक प्रश्न कर लें उत्तर आ जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आपने कृपा पूर्वक बताकर ज्ञानवर्धन कर दिया। उद्योग विभाग के संबंध में, बेरोजगार के संबंध में बेरोजगारी भत्ते के संबंध में दो विभाग दिए गए हैं। बेरोजगारी भत्ते के संबंध में यह कहा गया कि विचार नहीं कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि रोजगार देने की व्यवस्था श्रम विभाग नहीं कर सकता लेकिन उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई समिति बनाने पर विचार तो सरकार कर सकती है आगे उस समिति की संस्तुतियों को लागू करने पर विचार कर सकती है। यह सरकार कल्याणकारी सरकार है तो मैं समझता हूं कि इस बात पर कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। क्या सरकार समिति बनाने पर विचार करेगी?

श्री बी0 आर0 वर्मा-

अगर बेरोजगारी भत्ता 100 रु0 दिया जायेगा तो वित्तीय भार 222 करोड़ रुपया पड़ेगा अगर 200 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा तो 444 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा इसलिए बेरोजगारी भत्ता देने की स्थिति में फिलहाल सरकार नहीं है।

श्री रामजग-

अध्यक्ष जी यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बेरोजगारी का सवाल आज उत्तर प्रदेश में एक अहम सवाल बना हुआ है। यह सरकार दलितों, पिछड़ों और कमजोर वर्ग की तथा अल्पसंख्यकों के प्रति गम्भीर है जब इतनी गम्भीर है तो पश्चिम बंगाल की सरकार, केरल की सरकार, त्रिपुरा की सरकार, कर्नाटक की सरकार और दूसरे प्रदेश की सरकारें बेरोजगारी भत्ता देती हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं बेरोजगारी भत्ता दे सकती है। इससे क्या बेरोजगारों के प्रति निश्चित तौर पर अन्याय नहीं हो रहा है?

श्री बी0 आर0 वर्मा-

यह सरकार रोजगार देने के लिए गम्भीर है परन्तु रोजगार मिलेगा किधर से असंगठित बेरोजगारी है, संगठित बेरोजगारी है जो पंजीकृत बेरोजगार हैं, जो पंजीकृत नहीं हैं इसके अलावा कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी है तो जब तक औद्योगिक विकास नहीं होगा नए उद्योग धन्धे नहीं लगेंगे तो इन लोगों को रोजगार मिलेगा कैसे। भारत सरकार की तमाम स्वरोजगार योजनाएं हैं उसके तहत लोगों को रोजगार देने की कोशिश की जा रही है। यह सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने में निश्चित रूप से गम्भीर है।

(संसदीय कार्यमंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट होकर कई सदस्य सदन के बेल में आकर, यह सरकार किसान विरोधी है यह सरकार मजदूर विरोधी है, यह सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के प्रति गम्भीर नहीं है आदि नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

श्री अध्यक्ष-

कृपया माननीय सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करें। (श्री प्रमोद कुमार एवं श्री जगदम्बिका पाल के प्रयास से सदन के फ्लोर पर आये हुए सभी सदस्य अपने अपने स्थान पर वापस चले गये)।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, यह बहुत ही अहम सवाल है और सरकार ने जो जवाब दिया है उससे माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं इसलिये आपसे मेरा आग्रह है कि इस पर आधे घण्टे की चर्चा करा लें।

श्री राम जग-

मान्यवर, यह सरकार बेरोजगारों के प्रति संवेदनशील नहीं है। इसलिये इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री राम जग ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के साथ सदन का बहिष्कार किया)।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो दलगत भावनाओं से ऊपर होते हैं। यह प्रश्न जो कि करोड़ों बेरोजगार लोगों से संबंधित प्रश्न है। आज बेरोजगारी इस प्रदेश की नहीं, देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है। सरकार की इच्छा शक्ति और नीयत महत्वपूर्ण होती है। यहां माननीय जगदम्बिका पाल जी ने बड़ा सीधा सा प्रश्न किया कि बेरोजगारी को दूर करने के लिये क्या सरकार कोई समिति गठित करेगी जो इस समस्या पर विचार करे। इस पर भी सरकार तैयार नहीं हो रही है। पूछा जा रहा है कि क्या कोई कार्य-योजना है जिससे बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है, लेकिन सरकार इस पर भी तैयार नहीं है। इस सरकार की कथनी और करनी में फर्क है, नीयत में फर्क है और बेरोजगारों को रोजगार देने की नीयत नहीं है बल्कि अपना रोजगार बनाये रखने की है। मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन त्याग करता है।

श्री प्रमोद कुमार- अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में लाखों बेरोजगार लोग हैं। यहां दो तरह के बेरोजगार हैं, एक पढ़े लिखे, दूसरे बगैर पढ़े-लिखे, जिसके लिये यह सरकार चिन्तित नहीं है, संवेदनशील नहीं है, क्या बेरोजगारी को दूर करने के लिये इस सरकार की तरफ से कोई कार्य योजना है या नहीं है?

श्री अध्यक्ष-

अभी माननीय मंत्री जी ने अपने सीमित संसाधनों का उल्लेख करते हुये अपनी असमर्थता व्यक्त की थी, इसलिये प्रश्न नहीं उठता।

(तारांकित प्रश्न संख्या-3 पुकारे जाने पर)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, बेरोजगारों के प्रति यह सरकार संवेदनशील नहीं है उन्हें रोजगार मुहैया कराने की तरफ कोई कदम नहीं उठा रही है न ही कोई कार्यक्रम है। इसलिये इसके विरोध में जनता दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

प्रदेश में आई0 एस0 आई0 की सम्भावित विध्वंसक कार्यवाही के विरुद्ध नागरिक पुलिस को समुचित निर्देश

* 3-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आई0 एस0 आई0 प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विध्वंसक कार्यवाही कों अंजाम देने का प्रयास कर रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उसको रोकने के लिये कोई उपाय कर रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बी0 आर0 वर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। ऐतिहाती तौर पर अभिसूचना तंत्र एवं नागरिक पुलिस को सतत् रूप से सतर्क रहते हुए आई0 एस0 आई0 की सम्भावित विध्वंसक कार्यवाही के प्रति निरोधात्मक कार्यवाही करने एवं उसके एजेन्टों का पता कर उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही किये जाने के लिए समय-समय पर समुचित निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरा यह प्रश्न पूरे प्रदेश की शांति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। उत्तर से यह लगता है कि कहीं न कहीं सत्यता को छिपाने की कोशिश की जा रही है। जो उत्तर दिया गया हैं उसके संबंध में मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या आई0 एस0 आई0 या अन्य आतंकवादी संगठन हैं उनके द्वारा प्रदेश में दंगा-फसाद करके शांति व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने सम्बन्धी कोई प्रयास सम्भावित है। इसके लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को सतर्क किया गया है। दूसरा सवाल यह है कि जैसा कि उत्तर में यह बताया गया है कि संभावित विध्वंसक कार्यवाही के प्रति निरोधात्मक कार्यवाही करने एवं उसके एजेन्टों का पता कर उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही किये जाने के लिए समय-समय पर समुचित निर्देश जारी किये जा चुके हैं तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में अब तक इस प्रकार के कितने एजेन्ट चिन्हित किये गये, उनके नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अध्यक्ष-

चिन्हित नामों को छोड़कर बता दें।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, अभी तक जो सूचना मिली है उसके अनुसार नेपाल से होकर उत्तर प्रदेश के थ्रू दिल्ली व अन्य जगहों पर वह संदिग्ध लोग गये हैं। इसलिए इसकी गंभीरता को देखकर कि उत्तर प्रदेश से संदिग्ध व्यक्ति गुजरे हैं, इस सूचना के आधार पर सरकार ने कुछ ऐतिहासिक कदम उठाये हैं और एक कार्य योजना बनाकर लागू किया है जिसमें नेपाल इन्डो बार्डर पर दो जोन और चार रेन्ज क्रियेट किया है जिसमें एक एडीशनल डी0 जी0 बार्डर फोर्स की पोस्ट क्रियेट किया है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया था कि आई0 एस0 आई0 के लोग अथवा अन्य संगठन के लोग प्रदेश की शांति-व्यवस्था को जो छिन्न-भिन्न कर सकते हैं के संबंध में राज्य सरकार को केन्द्रीय गृह मंत्रालय से कोई सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये हैं, इसका उत्तर मंत्री जी से दिलवा दें? दूसरा प्रश्न जो था जिसमें एजेंटों का पता करने की कार्यवाही की जानी है के संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक उत्तर प्रदेश में कितने एजेंट चिन्हित किये गये है? इसका भी आप उत्तर दिलवा दें?

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, जहां तक चिन्हित करने का सवाल है, उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति चिन्हित नहीं किया गया है जो आई0 एस0 आई0 का एजेंट हो।

मान्यवर यह संवेदनशील मामला है जो गोपनीयता से संबंध रखता है। जो सूचना मिली है वह दूसरे प्रदेश में जो लोग गिरफ्तार हुए उन्होंने बताया है, इसलिए इन्डो नेपाल बार्डर पर विशेष प्रबन्ध सरकार ने किया है।

श्री सुधाकर सिंह-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस सरकार के 3 महीने के समय में 150 हत्यायें ए0के0-47, 56 से की गयीं हैं लेकिन बरामदगी चाकू की दिखाई गई है, तो यह हत्यायें चाकू से नहीं बल्कि ए0के0-56 से की गई हैं। इसलिए ए0के0-47 और ए0के0-56 कितनी बरामद हुई हैं?

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंध नहीं रखता है।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर ने कहा था कि वहां आई0 एस0 आई0 संगठन के लोग काम कर रहे हैं। मेरी नजर में यह झूठ इल्जाम अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वाइस चांसलर लगा रहे हैं।

जैसा उन्होंने कहा है, उसके आधार पर कोई आई0एस0आई0 का एजेन्ट अलीगढ़ में पकड़ा गया, नहीं तो उन वाइस चांसलर को आप क्या सजा देंगे?

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, ऐसी कोई सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य के द्वारा दी गई सूचना का संज्ञान आप ले लीजिये।

श्री विनोद मणि-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस इन्डो-नेपाल सीमा पर अतिरिक्त फोर्स तैनात करने की बात मंत्री जी ने कही, मैं उसी से सटे महराजगंज जनपद का रहने वाला हूं। आज तक वहां उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक भी आई0 एस0 आई0 के एजेन्ट को नहीं पकड़ा, जो भी पकड़ा है वह दिल्ली की फोर्स ने। मैं जानना चहता हूं कि क्या सरकार को ऐसी जानकारी है कि वहां अभी एक-दो महीना पूर्व आई0 एस0 आई0 के लोगों ने अन्तर्राष्ट्रीय सुनौली सीमा पर एक मदरसे का शिलान्यास किया और उस कार्यक्रम में वहां की स्थानीय पुलिस तथा थानेदार इत्यादि लगे रहें, क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है?

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, मूल प्रश्न है विध्वंसक कार्यवाही को अंजाम दिये जाने से रोकने के संबंध में, इसमें किसी स्पेसिफिक घटना का उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने जिस ओर ध्यान आकर्षित कराया है, उसके अनुसार मामला आई0 एस0 आई से संबंधित है। आप इसका संज्ञान ले लीजिये और पता कराइये कि इस तरह की घटना हुई है, तद्नुसार जो भी आवश्यक कार्यवाही आपकी नीति के अनुसार हो, उसे कर लें।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, निश्चित रूप से कर लेंगे।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था वह स्पष्ट है, विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है, वह भी आपके संज्ञान में है। मान्यवर क्या हमारी कोई उपलब्धि नहीं है यह जो कुछ हो रहा है उसकी सूचना हमें दूसरे प्रदेशों से मिल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जो कृपा पूर्वक संज्ञान लिया है उसमें क्या प्रभावी कार्यवाही करेंगे और इस विषय में माननीय सदस्य को सन्तुष्ट करने का क्या प्रयास करेंगे?

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, इस विषय की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर और हमको जो जानकारी मिली पूर्ववर्ती सरकारों में कि वह हमारे यहां से होकर गये, गुजरे हैं और हम गिरफ्तार नहीं कर पायें इसी बात को ध्यान में रखकर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर एक इन्डो नेपाल बार्डर फोर्स बनाया गया है।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकारों के आधार पर उत्तर दिया गया है इनके तीन माह के आधार पर कोई सूचना नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

विषय की गोपनीयता और संवेदनशीलता दोनों महत्वपूर्ण हैं इसलिए इसको ध्यान में रखकर ही कोई बात आनी चाहिए।

(श्री विनोद मणि द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

विनोद मणि जी ने जो बात कही है मैंने उसकी ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है।

श्री जगदम्बिका पाल-

श्रीमान् माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों में आई0 एस0 आई0 के लोग एन्डो-नेपाल बार्डर से हिन्दुस्तान में आये व गिरफ्तार नहीं हो पाये, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन्डो-नेपाल बार्डर के माध्यम

से, उस रास्ते से हिन्दुस्तान में आये और उनको गिरफ्तार करने में अकर्मण्यता रही इसके लिए इन्होंने रेन्ज बनाया है जिसमें एडिशनल डायरेक्टर और डी0आई0जी0 रैंक के लोग तैनात किये गये और भारी मात्रा में पुलिस लगायी गयी उसके बाद सोनौली की घटना घटित हुई है। इन्डों-नेपाल बार्डर की पुलिस के बाद आई0एस0 आई0 के द्वारा एक मदरसे के शिलान्यास की कार्यवाही हुई इसके बाद भी सरकार को संज्ञान नहीं आया। क्या इस घटना की जांच कराकर शीघ्र कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैने माननीय मंत्री जी से कह दिया है कि संज्ञान में ले लें और जानकारी प्राप्त करें।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य की जिज्ञासा थी मैंने कोई आरोप किसी सरकार पर नहीं लगाया है। जो सूचना मिली उसको ध्यान में रखकर जो कार्य-वाही की है मैंने बताया।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, इसे गोपनीयता से जोड़ रहे हैं। हमारे यहां की अभिसूचना तंत्र जो है, उसकी सक्रियता विफल होती जाती दिखती है, घटनाएं हो जाती हैं सरकार को सूचना नहीं मिल पाती है। क्या भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को, इसकी सम्भावना को देखते हुए कोई सूचना दी गई है? अब तक इस प्रकार कितने एजेन्टों को चिन्हित किया गया है या उनको गिरफ्तार किया गया है ऐसी संख्या कितनी है?

श्री अध्यक्ष-

क्या भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार को सचेत किया गया है, क्या कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है?

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, यह जो चिन्ता है, उत्तर प्रदेश की सरकार का भारत सरकार का और जो तमाम प्रदेश हैं, उनकी सरकारों का चिन्ता का विषय है। इसमें भारत सरकार की तरफ से भी सतर्कता बढ़ती जाती है समय-समय पर आवश्यकता होती है तो उसकी जानकारी प्रदेश सरकार को दी जाती है, यदि प्रदेश सरकार के संज्ञान में आती है तो उसे भारत सरकार को बता दिया जाता है। एक भी आदमी चिन्हित नहीं किया गया है। संदिग्ध लोगों को ....

श्री श्याम देव राय चौधरी-

चिन्हित शब्द छोड़ दें कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो आई0 एस0 आई0 एजेन्ट हैं ?

श्री बाबू राम यादव-

भारत सरकार ने कोई पत्र इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार को लिखा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने कह दिया कि सूचनाओं का आदान-प्रदान होता रहता है।

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, वह तो जनरलाइज कर दिया, स्पेसिफिकली इस मामले में बताने का कष्ट करें।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, इस मामले की गोपनीयता को देखते हुए और संवेदनशीलता को देखते हुए मैंने यह बताना आवश्यक समझा कि समय-समय पर उत्तर प्रदेश सरकार को जो जानकारी मिलती है, और भारत सरकार के गृहमंत्री को गृह मंत्रालय द्वारा जो जानकारी मिलती है, उसे वह प्रदेश को उपलब्ध कराते हैं, इस प्रकार जो जानकारी समय-समय पर प्रदेश सरकार को मिलती रहती है, उसी के अनुसार वहां पर विशेष व्यवस्था की जाती है।

(सोमवार, दि0 28 जुलाई, 1997 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न)

मुजफ्फरनगर में उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों पर ढाये गये जुल्म में दोषी पाये गये पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

* 1-श्री नारायण राम दास-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 2 अक्टूबर, 1994 को मुजफ्फरनगर में उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों पर ढाये गये जुल्म में कितने पुलिस कर्मी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उन दोषी कर्मियों में से किसी को इस बीच कोई प्रोन्नति दी गयी ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

(क) प्रश्नगत घटना में कुल 55 पुलिसकर्मी प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये गये।

(ख) उक्त में से 49 के विरुद्ध सी0 बी0 आई0 के विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किये गये आरोप-पत्र के आधार पर विचारण क्रमित है तथा 13 (जिसमें आरोप-पत्र में अन्तर्ग्रस्त 7 कर्मी भी सम्मिलित हैं) के विरुद्ध विचाराधीन विभागीय, कार्यवाही सी0 बी0 आई0 के अनुरोध पर सम्प्रति स्थगित है।

(ग) प्रश्नगत सूचना एकत्र की जा रही है। सम्प्रति उपलब्ध सूचना के आधार पर श्री बुआ सिंह, तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को पुलिस महानिरीक्षक के पद पर प्रोन्नति दी गयी।

(घ) सम्बन्धित अधिकारी उपर्युक्त के विरुद्ध अभियोजन दिनांक 21-11-95 को स्वीकृत किया गया था जबकि उनकी प्रोन्नति अभियोजन स्वीकृति से पूर्व ही दिनांक 19-2-95 को स्वीकृत हुयी।

श्री नारायण राम दास-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है। क्या यह सूचना किसी समय सीमा के अन्तर्गत प्राप्त हो जायेगी और उसकी प्रति हमें मिल पायेगी। जिस अधिकारी को प्रोन्नत किया गया है, क्या इससे साफ जाहिर नहीं होता है कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लघंन हुआ है?

श्री अध्यक्ष-

संविधान का अनुच्छेद-14 इसमें कहां लागू होता है प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"-

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पर्वतीय अंचल की जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपा करके बैठ जांय। श्री पोखरियाल जी यदि आप चर्चा चाहते हैं तो लिखकर दे दें।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह जी-

मान्यवर, लगभग 4 माह का समय हो गया है इस सरकार के गठन का और दो बार विधान सभा भी बैठ चुकी है। माननीय उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है और न ही पी0 ए0 सी0 का चुनाव हो पाया है, जिसमें बहुत से कार्य लम्बित पड़े हुए हैं। पी0 ए0 सी0 में तो 1977 से आज तक के काम लम्बित है। इसलिए इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष-

यह बात मेरे संज्ञान में है। मैं इस संबंध में माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के माननीय नेताओं से एक-दो दिन में वार्ता करूंगा।

प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाल श्रमिकों के कार्य पर प्रतिबन्ध एवं सम्बन्धित प्रतिष्ठानों पर अर्थ दण्ड

* 2-श्री रघुवर दयाल वर्मा-

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि अभी हाल में सर्वोच्च न्यायालय के अभिनिर्णय द्वारा प्रदेश में 9 वर्ष से 13 वर्ष की आयु का बाल श्रमिक कठोर, कर्मशाला में तथा उच्चतम तापमान की भट्टियों पर काम करने से प्रतिबन्धित घोषित कर दिया गया है और न्यायालय ने यह भी आदेश निर्गत किये हैं कि जिस संस्थान उद्योग में ऐसे बाल श्रमिक काम करते पकड़े जायेंगे उस प्रतिष्ठान के स्वामी से सरकार 20,000 रु0 अर्थ दंड वसूल करेगी तथा राज्य सरकार 5,000 रुपये इस बाल श्रम के कल्याण के लिये राजकोष में जमा करायेगी? यदि हां, तो ऐसे कितने उद्योग हैं और उनमें श्रमिकों की संख्या क्या है? क्या फिरोजाबाद के कांच एवं चूड़ी उद्योग में ऐसे बाल श्रमिक हैं? यदि हां, तो उसकी संख्या क्या है और सरकार बाल श्रम कल्याण के लिये क्या कदम उठा रही है?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी हां।

प्रदेश में 1,35,570 खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों एवं प्रतिष्ठानों को सूचीबद्ध करके बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण करवाया गया है। सर्वेक्षण के उपरान्त 15,380 बाल श्रमिक पाए गये हैं।

जी हां।

बाल श्रमिकों के सर्वेक्षण के दौरान फिरोजाबाद के कांच चूड़ी उद्योग में 4,978 बाल श्रमिक चिन्हित हुए जिनमें से 4,537 बाल श्रमिक खतरनाक प्रकृति के कार्य में नियोजित पाये गये।

सरकार बाल श्रमिकों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु संकल्पबद्ध है। सर्वेक्षण में पाये गये बाल श्रमिकों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिलाए जाने की कार्यवाही की जा रही है एवं उसके परिवार के एक वयस्क सदस्य को रोजगार दिलाए जाने की भी कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में बाल श्रम पुनर्वास एवं कल्याण निधि की स्थापना भी की जा रही है।

नोट:- नत्थी (ग) तारांकित प्रश्न सं0-1 के पश्चात प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में शान्ति व्यवस्था हेतु गृह विभाग के पास पर्याप्त संसाधन एवं रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया

* 3-श्री मित्रसेन यादव-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पूरे प्रदेश में शान्ति व्यवस्था हेतु गृह विभाग के पास पर्याप्त संसाधन और नये तकनीकी उपकरणों का भारी अभाव है और पुलिस बल में विभिन्न पदों पर बड़े पैमाने पर रिक्तियां और प्रोन्नतियां लम्बित हैं? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

समय-समय पर पुलिस विभाग से प्राप्त प्रस्तावों के परिप्रेक्ष्य में संसाधन एवं अन्य तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं।

उपलब्ध विवरण के अनुसार पुलिस विभाग में कानिस्टेबिल 5215, हेड कानिस्टेबिल 2970, उपनिरीक्षक 1762 एवं निरीक्षक की 260 रिक्तियां है। इन रिक्तियों को यथावश्यक सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति द्वारा भरे जाने की प्रक्रिया प्रचलित है।

प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर में स्थित विलार्ड इण्डिया लिमिटेड नामक कम्पनी में अवैध रूप से ताला बन्दी

* 4-श्री नरेन्द्र सिंह भाटी-

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर में स्थित विलार्ड लिमिटेड नामक कम्पनी में पिछले करीब डेढ़ वर्ष से अवैध रूप से मालिकों ने तालाबन्दी कर रखी है जिससे क्षेत्र के 650 परिवार प्रभावित हुए हैं? क्या मंत्री जी अवैध रूप से की गयी तालाबन्दी को समाप्त कराकर कम्पनी को खुलवाने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती-

मेसर्स विलार्ड स्टोरेज बैट्रीज लि0, सिकन्दराबाद के सेवायोजकों ने दिनांक 23.2.96 से प्रतिष्ठान की तालाबंदी घोषित कर दी है। विलार्ड इम्पलाईज यूनियन, सिकन्दराबाद ने सेवायोजकों द्वारा घोषित तालाबंदी का विरोध किया और सेवायोजकों पर यह आरोप लगाया कि उन्हीं के इशारों पर श्रमिकों ने प्रतिष्ठान में तथाकथित अशान्ति पैदा की, तालाबंदी को समाप्त कराने के लिये विभागीय स्तर पर प्रयास किया गया किन्तु पक्षों के मध्य समझौता नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप प्रश्नगत तालाबंदी स्वतः संदर्भ के माध्यम से न्यायालय में संदर्भित करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रदेश के लखनऊ एवं अन्य बड़े शहरों में भारी वायु प्रदूषण एवं रोकथाम के उपाय

* 5-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ एवं प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में भारी वायु प्रदूषण फैल गया है जिससे सामान्य जीवन दूभर हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिये कोई कारगर उपाय किये हैं? यदि हां, तो वया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार वायु प्रदूषण रोकने के लिये कोई नया कानून बनाने जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बी0 आर0 वर्मा-

जी नहीं, किन्तु समस्या विद्यमान है।

जनपद लखनऊ एवं अन्य शहरों में वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 1996-97 में एक विशेष अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत 4.34 लाख वाहनों को नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण-पत्र जारी किया गया और 14000 वाहनों का चालान किया गया तथा 114 वाहनों का फिटनेस प्रमाण-पत्र/पंजीकरण निरस्त किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं,

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (जो वर्ष 1990 में लागू हुआ) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रभावी एवं पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विधि आयोग द्वारा अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रस्तावित संशोधन पर अग्रेतर कार्यवाही

* 6-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधि आयोग द्वारा अपराध प्रक्रिया संहिता के बारे में अपनी 154 वीं रिपोर्ट में कौन-कौन सी सिफारिशें की गयी हैं? क्या सरकार उससे सहमत है और उनका क्रियान्वयन हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती-

जी हां। विधि आयोग द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता के विभिन्न प्रकरणों पर संशोधन प्रस्तावित किये गये तथा भारत सरकार द्वारा उन पर राज्य सरकार के विचार मांगे गये थे। राज्य सरकार द्वारा अपनी संस्तुति भारत सरकार को भेज दी गयी है। इस संबंध में कार्यवाही अग्रसर है।

विधायकों का कार्यकाल पूर्ण न होने की दशा में कूपन सुविधा देने की मांग

* 7-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या संसदीय कार्य मंत्री भूतपूर्व विधायकों जिनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, को 15,000 रुपये का रेल ट्रेवल कूपन प्रति वर्ष देने तथा बस में एक सहवर्ती साथ ले जाने संबंधी मामलों पर सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बी0 आर0 वर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में इसे स्वीकार किया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश की अधिकांश सहकारी समितियों पर उर्वरक की उपलब्धता

* 8-श्री सूर्य प्रताप शाही-

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश की अधिकांश सहकारी समितियों पर उर्वरक उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो उसका कारण क्या है और उसके समाधान के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है?

सहकारिता मंत्री (श्री आर0 के0 चौधरी)-

प्रदेश की अधिकांश सहकारी समितियों पर उर्वरक उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में सरकारी अधिवक्ताओं के पारिश्रमिक का भुगतान

* 9-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या न्याय मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद उन्नाव में सत्र न्यायालय, दीवानी एवं राजस्व न्यायालयों में सरकार की ओर से मुकदमों की पैरवी के लिये

नियुक्त सरकारी अधिवक्ताओं को एक वर्ष से अधिक समय से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो वेतन भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

जनपद उन्नाव में नियुक्त शासकीय अधिवक्ताओं को पारिश्रमिक के रूप में वर्ष 1996-97 में रुपया 13.25 लाख का भुगतान दिनांक 31-3-1997 तक किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

* 10- श्री बाबूराम-

(राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त)

* 11- श्री जगदम्बिका पाल-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।)

प्रदेश के नगरीय सहकारी बैकों में कार्यरत कर्मचारियों हेतु स्टाफिंग पैटर्न

* 12-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1986 से पूर्व प्रदेश के नगरीय सहकारी बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों हेतु कोई स्टाफिंग पैटर्न लागू किया गया है ? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

निबंधक के परिपत्र संख्या-सी-74/स्टा0पैटर्न/नगरीय बैंक/एस0ए0 2/अधि0 दिनांक 16 नवम्बर, 1984 द्वारा नगरीय सहकारी बैंक के कर्मचारियों के संबंध में स्टाफिंग पैटर्न लागू किए जाने के निर्देश जारी किए गये हैं, जिसमें स्टाफिंग पैटर्न, कर्मचारियों की भर्ती, हेतु शैक्षिक योग्यता, वेतनमान एवं भत्ते तथा जमानत आदि के प्राविधान किये गये हैं ।

जनपद गाजियाबाद में श्री अजय माथुर व उनकी पत्नी तथा दो बच्चों की हत्या तथा अपराधियों को पकड़े जाने की मांग

* 13-श्री नवाब सिंह नागर-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 11-6-97 की सुबह सी-92 सेक्टर 40 नोयडा, जनपद गाजियाबाद में श्री अजय माथुर व उनकी पत्नी तथा दो

बच्चों की हत्या कर दी गयी ? क्या उक्त जघन्य अपराध करने वाले हत्यारों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उक्त घटना के पश्चात् नोयडा क्षेत्र में भय व आतंक का माहौल व्याप्त है ? क्या अतिरिक्त सुरक्षा के लिये पुलिस भी संसाधनों का अभाव बताती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा सुरक्षा हेतु पुलिस को अतिरिक्त संसाधान की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

दिनांक 11.7.97 को अभियुक्तगण भैयाराम पुत्र नाटू व छोटे उर्फ छोटूवा पुत्र सुखलाल निवासीगण ग्राम सीतूर, थाना माण्डा, जिला सीधी, मध्य प्रदेश तथा बाबा पुत्र नर्मदा निवासी ग्राम बरबाहा, थाना बैडन, जिला सीधी, मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है।

यह सत्य नहीं है कि यथार्थ में अज्ञात बदमाशों द्वारा की गयी इस घटना के अनावरण से स्थानीय निवासियों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। इस स्थिति को बनाये रखने के लिए क्षेत्र में सघन पेट्रोलिंग व पिकेट आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करायी गयी है।

पुलिस के पास संसाधनों का कोई अभाव नहीं है। अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने के लिये समय-समय पर समीक्षा की जाती रही है और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त संसाधन प्रदान किये जाते रहे।

प्रदेश में अपराधों को रोकने, जनता की जान-माल की सुरक्षा हेतु खरीदे गये चेतकों के प्रयोजन तथा रख-रखाव पर व्यय

* 14-श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया तथा श्री भारत सिंह रावत-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के संवेदनशील स्थानों पर अपराध को रोकने तथा जनता की जान-माल की सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये कुल कितने चेतक चार पहिया वाहन खरीदे गये ? इसका क्या उपयोग किन प्रयोजनों के लिये हो रहा है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रति चेतक के अनुरक्षण एवं पेट्रोल पर प्रति माह अलग-अलग क्या व्यय हो रहा है ?

सुश्री मायावती-

शासन द्वारा केवल जनपद लखनऊ के लिए 35 मारूति जिप्सी चेतक माडल वाहनों के क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई। तदनुसार वर्ष 1995 में उक्त 35 चेतक वाहन खरीदे गये।

इन वाहनों का उपयोग शान्ति व्यवस्था, पेट्रोलिंग ड्यूटी एवं विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था में किया जा रहा है।

प्रति चेतक वाहन के अनुरक्षण पर रु0 586/- एवं पेट्रोल पर रु0 5345/- प्रतिमाह व्यय हो रहा है।

* 15-श्री छब्बू पटेल-

(तीसरे मंडल में ता0 प्र0 सं0 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

प्रदेश की फौजदारी अदालतों में वर्तमान में लम्बित मुकदमों को यथाशीघ्र निपटाने हेतु सरकार की व्यवस्था की जानकारी

* 16-श्री सुशील शाक्य-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की फौजदारी अदालतों में वर्तमान में कितने मुकदमें लम्बित हैं तथा पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितने मुकदमों का निस्तारण हुआ? क्या सरकार मुकदमों की अधिक संख्या को देखते हुए जनता को शीघ्र न्याय दिलाने हेतु जनहित में नई अदालतें स्थापित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती-

विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है। नई अदालतें स्थापित करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाता है। तदनुसार नये न्यायालयों की स्थापना की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर 70 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों की स्थापना हेतु व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त 8 नवसृजित जनपदों में भी नये न्यायालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव-शासन के विचाराधीन है। छोटे-छोटे अपराधों का निस्तारण करने हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 74 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पदों का सृजन-कर उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रेषित कर दिया गया है।

उपरोक्त प्रस्तावानुसार अतिशीघ्र न्यायालयों की स्थापना किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

पैक्स समितियों में भ्रष्टाचार की जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग

*** 17-श्री मस्तराम-**

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पैक्स समितियों में भ्रष्टाचार की जांच की कोई रूपरेखा तय की गयी है? क्या उक्त जांच हेतु कोई समय

सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो सभी समितियों में जांच का कार्य कितनी अवधि में पुरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम, 1965 एवं नियमावली, 1968 में जांच के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है । अग्रेतर भ्रष्टाचार/अनियमितता आदि के संबंध में शिकायतें निरन्तर प्राप्त होती रहती है, जिनकी जांच तत्परता से कराकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है । जांच में विभिन्न स्तरों पर अभिलेखों का परीक्षण करना पड़ता है । अतः उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित करने का औचित्य नहीं हैं ।

दिल्ली सीमा से लगे लोनी क्षेत्र जनपद गाजियाबाद में पाकिस्तानी/बंग्लादेशी नागरिकों में छिपे कथित आई0 एस0 आई0 के विरुद्ध कार्यवाही

* 18-श्री रूप चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिल्ली सीमा से लगा लोनी क्षेत्र जनपद (गाजियाबाद) अनाधिकृत रूप से भारत में आये पाकिस्तानी व बंगलादेशी नागरिकों की गतिविधियों के कारण आई0 एस0 आई0 का अड्डा बनता जा रहा है ? वया यह सही है कि इनकी समाज विरोधी एवं देश विरोधी गतिविधियों के कारण इस क्षेत्र में अपराधों में बढ़ोत्तरी हो रही है ? क्या इसके कारण इस क्षेत्र के निवासियों में बढ़ते रोष से स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

यद्यपि संदर्भित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से आये पाकिस्तानी/बंगलादेशी नागरिकों के लुक-छिप कर रहने की बात प्रकाश में आई है तथापि उक्त व्यक्तियों की कथित आई0 एस0 आई0 गतिविधियां अभी तक प्रकाश में नहीं आयी है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

विदेशी अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी डिपोर्टेशन (उद्वासन) की कार्यवाही की जा रही है ।

किसानों को कथित हाई रेट पर आलू के सीड देकर उत्पादन कराने तथा उनसे कोल्ड स्टोरेज हेतु शुल्क लिये जाने की शिकायत

* 19-श्री सुखपाल पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सरकार ने एक हेक्टेयर का 35 बोरा आलू सीड के हिसाब से हाई रेट पर किसानों को देकर सीड उत्पादन के लिये खेती करायी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इसके लिये 1500 रु0 जमानत समय-समय पर अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल का खर्चा और सीड सर्टीफिकेशन के शुल्क आदि किसानों ने वहन किया ? क्या उक्त आलू कोल्ड स्टोरेज में रखवाने की जिम्मेदारी निर्धारित की गयी ? क्या यह सही है कि उनके सीड आलू को खरीदने की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की है जिससे पूरे प्रदेश के आलू किसानों को हानि उठानी पड़ी है ? क्या सरकार ऐसे सीड का आलू कोल्ड स्टोरेज में भण्डारण और सरकारी रेट पर उसकी खरीदारी की जिम्मेदारी लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं। शासन ने हाई रेट पर आलू बीज नहीं दिया था बल्कि विभाग द्वारा निर्धारित सामान्य दर पर आलू बीज वितरण किया गया। यह बीज किसानों को प्रमाणित बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया था। बीज प्रमाणीकरण के लिए उ0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क बीज उत्पादक को वहन करना पड़ता है।

जी नहीं।

जी हां।

हानि-लाभ का प्रश्न नहीं उठता है। इसका आंकलन बुआई के समय पर आलू बीज के भाव पर निर्भर करता है।

जी नहीं।
प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

शेर बहादुर चौहान निवासी ग्राम परसौली, थाना बल्दीराम, जनपद सुल्तानपुर की हत्या तथा उसके विरुद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी

1-श्री मित्रसेन यादव-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री शेर बहादुर चौहान निवासी ग्राम परसौली, थाना बल्दीराम, जनपद सुल्तानपुर की हत्या दिनदहाड़े मुख्य मार्ग पर

दिनांक 9-6-97 को ग्राम सहियौना, थाना इनायत नगर, फैजाबाद क्षेत्र में कर दी गयी है ? यदि हां, तो थाना इनायत नगर, फैजाबाद की पुलिस ने अंकित प्राथमिकी मु0अ0सं0 203/97 धारा 308/323 दि0 9-6-97 पर अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

दिनांक 9-6-97 को वादिनी श्रीमती चम्पादेवी पत्नी स्व0 शेर बहादुर नि0ग्रा0- परसौली, थाना वल्दीराय, जनपद सुल्तानपुर की लिखित सूचना के आधार पर मु0अ0सं0-201/97 धारा 308/323 भा0द0वि0 थाना इनायतनगर, जनपद फैजाबाद पर पंजीकृत किया गया। घायल शेर बहादुर की सदर अस्पताल, फैजाबाद में मृत्यु दिनांक 9-6-97 को हो जाने के पश्चात् पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के आधार पर धारा 304 भा0द0वि0 में दिनांक 11-6-97 को परिवर्तित किया गया।

उक्त से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या-201/97 है न कि मु0अ0सं0 203/97 है। नामजद अभियुक्त जंगली तथा रामफेर ने दिनांक 16-6-97 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। विवेचना थानाध्यक्ष कुमारगंज द्वारा की जा रही है।

जनपद फैजाबाद के थाना खण्डासा में वर्ष 1993 में हुई अपराधिक घटनाओं में दोषी हेड मुहर्रिर तथा थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

2-श्री चेतराम-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1995 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित अता0प्र0 संख्या-2 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिकायतकर्ता श्री मित्रसेन यादव, सदस्य, विधान सभा के 2 शिकायती पत्रों एवं श्री डी0 के0 यादव के शिकायती पत्र के कौन-कौन से बिन्दु थे और उन बिन्दुओं पर किस अधिकारी द्वारा जांच कराई गयी और जांच के उपरान्त दोषी पाये गये श्री उदय प्रताप सिंह के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या माननीय मंत्री जी कृत कार्यवाही का पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

सुश्री मायावती-

सूचना एकत्र की जा रही है।

महानिरीक्षक, निबन्धक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेशानुसार जनपद गोण्डा में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को बिना कारण कार्य से रोके जाने के कारणों की जानकारी

3-श्री विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू"-

क्या संस्थागत वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि महानिरीक्षक, निबन्धक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र सं0 7432/35/चार-40/ए, दिनांक 12-3-97 द्वारा

सिविल अपील संख्या 7500/95, 7501/95, 7502/95, 7503/95, 7504/95, 7505/95, 7506/95, 7507/95 एवं 7508/95 के अधीन गोण्डा जनपद में सात कर्मचारियों को दैनिक वेतन पर कार्य करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में जिन सात कर्मचारियों को दैनिक वेतन पर कोषाधिकारी, गोण्डा द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया गया था उन सभी को अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा बिना किसी कारण दिनांक 16 जून, 1997 से कार्य पर आने से रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

संसदीय वित्त मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्ता)

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम दिलावर नगर तहसील संडीला, जनपद हरदोई, के किसानों पर फर्जी ऋणों की जांच

4-श्री मस्तराम-

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 172 के उत्तर के संबंध में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत ग्राम दिलावर नगर, तह0 संडीला, जनपद हरदोई के किसानों के फर्जी ऋणों की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ? जांच का परिणाम क्या है ? क्या जांच में दिये गये ऋण फर्जी पाये गये ? यदि हां, तो क्या ऋण माफ कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो किसका-किसका कितना ऋण माफ किया गया ? किसका कितना ऋण शेष है ? क्या सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

प्रश्नगत जांच श्री रघुवर, अपर जिला सहकारी अधिकारी/प्रभारी तहसील संडीला से कराई गई।

जांच में ऋण फर्जी नहीं पाये गये, अपितु तत्कालीन सचिव द्वारा ऋण वितरण अनियमित तरीके से किया गया। यथा :-बकाया होने पर भी सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराना, स्वीकृत ऋण सीमा, से अधिक ऋण देना, सदस्यों के खाते में पुनर्लेखन कर आपत्ति जनक परिवर्तन करना एवं ऋण राहत योजना के अंतर्गत पात्र सदस्यों का ऋण माफ न करना आदि।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

भोलानाथ भारती पुत्र श्री ईश्वरदीन नि0 ग्राम मीठे गांव, थाना इनायत नगर, जिला फैजाबाद की मारपीट की रिपोर्ट तथा अभियुक्त के खिलाफ की गयी कार्यवाही की जानकारी

5-श्री मित्रसेन यादव-

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री भोलानाथ भारती पुत्र श्री ईश्वरदीन नि0 ग्रा0 मीठे गांव, थाना इनायतनगर, जिला फैजाबाद ने मारपीट की कोई प्राथमिकी मु0 अ0 सं0 183/97 धारा-1323, 504, 506 3(1)×1 एस0सी0 एक्ट दिनांक 26.5.97 को नामजद उपरोक्त थाने में दर्ज कराई है? यदि हां, तो उपरोक्त घटना का विवरण क्या है? घटना में नामजद अभियुक्तों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

सुश्री मायावती-

जी हां।

श्री भोला नाथ भारती दिनांक 25/26-5-97 को हजरत कुर्बान शाह के उर्स से करीब 3-4 बजे रात्रि को लौट रहा था कि पुल के आगे आने पर 4 व्यक्ति उन्हें अपशब्द कहते हुये मारने लगे और जान से मारने की धमकी भी दी।

घटना में नामजद मुख्य अभियुक्त ओम प्रकाश दूबे के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है जो न्यायालय में विचाराधीन है। शेष तीन अभियुक्तों का नाम पता अज्ञात होने के कारण विवेचना समाप्त कर दी गई है।

पूर्व प्रधान श्री शीतला प्रसाद निवासी ग्राम हिसामुद्दीन पुर, थाना इनायत नगर फैजाबाद पर प्राण घातक हमला तथा शिकायत के आधार पर की गई कार्यवाही

6-श्री मित्रसेन यादव-

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्व प्रधान श्री शीतला प्रसाद निवासी ग्राम हिसामुद्दीनपुर, थाना इनायत नगर, फैजाबाद को दिनांक 8.6.97 को उनके गांव के निवासी कुछ असामाजिक तत्वों ने बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया है जिसकी रिपोर्ट उपरोक्त थाने में प्रधान द्वारा उपरोक्त की लिखित रिपोर्ट के आधार पर न दर्ज कर पुलिस ने मनमानी ढंग से लिख लिया और दोषी अभियुक्तों को बचाने का कार्य किया है? क्या इसके विरूद्ध घायल श्री शीतला प्रसाद ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, फैजाबाद को दिनांक 9-6-97 को मिल कर कोई प्रार्थना पत्र दिया है? यदि हां, तो घटना की प्राथमिकी क्या है और दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है।

विलम्ब का क्या कारण है ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी नहीं।

जी हां।

श्री शीतला प्रसाद की जुबानी सूचना पर एन0 सी0 आर0 सं0 119/97 धारा 323/504 भा0 द0 वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था परन्तु जांच के पश्चात मु0 अ0 सं0 206/97 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 में तरमीम कर दिया गया है।

प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों के विरूद्ध धारा 107/116 सी0 आर0 पी0 सी0 की कार्यवाही की जा चुकी है और दोनों पक्षो को धारा 116 (3) के अन्तर्गत पाबन्द किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामदेव पाण्डेय पुत्र रामआसरे ग्राम-गोरियाबाद, थाना-जामो, सुल्तानपुर का अपने मृत लड़के के प्राप्त कंकाल की शिकायत एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

7-श्री बिन्दु लाल-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, पुलिस, महानिरीक्षक, लखनऊ जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक, फैजाबाद तथा पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री रामदेव पाण्डेय पुत्र राम आसरे, ग्राम गोरियाबाद, थाना जामो, सुल्तानपुर का दिनांक 14-9-96, 24-7-96 रजि0 तथा 6-8-96, 10-10-96, 21-3-97 का प्रार्थना पत्र जिसमें अपने लड़के का मृत कंकाल मिलने तथा स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता तथा सही तथ्यों को छिपाने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी हां।

हत्या में सम्मिलित अभियुक्त शिवदयाल पाण्डेय तथा अशोक कुमार उर्फ गोल्ला को क्रमशः दि0-15-2-97 तथा 17-2-97 को गिरफ्तार करके जेल

भेजा जा चुका है तथा आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया जा चुका है। प्रकरण माननीय न्यायालय के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के थाना गौरीगंज में अ0 सं0-76 ए0 मु0 307 दर्ज शिकायत की जांच

8-श्री शेर बहादुर-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि जनपद सुल्तानपुर के थाना गौरीगंज में अ0 सं0- 76-ए, मु0 307 सम्प्रति कई धाराओं में दर्ज हैं? यदि हां, तो इसकी जांच किस जांच एजेन्सी द्वारा हो रही है? क्या उपरोक्त मुकदमों के नामजद अभियुक्तों में से कुछ को उक्त थाने में ही धारा-151 में अप0 सं0 133/97 में 24 मार्च, 97 को बन्द किया गया था? यदि हां, तो क्या वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तारी की सूचना जांच एजेन्सी को न दिये जाने का क्या कारण है?

सुश्री मायावती-

जी हां।

थानाध्यक्ष, गौरीगंज द्वारा विवेचना की जा रही है।

मु0 अ0 सं0-135/97 में दिनांक 23-3-97 को वांछित अभियुक्तों में से एक को होली त्यौहार पर शांति भंग करने के सन्देह में गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी मु0 अ0 सं0- 133/97 में नहीं हुई थी।

मु0 अ0 सं0 76ए/97 एवं मु0अ0 सं0 135/97 की विवेचना दो भिन्न जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही थी। क्योंकि 135/97 की जांच पूर्ण नहीं हुई थी, अतः यह सूचना 76ए/97 की जांच एजेन्सी को नहीं दी गई थी।

जिला फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर, के ग्राम नगला तुला, में खुंखार डाकूदल द्वारा हमला तथा स्थानीय पुलिस के खिलाफ कार्यवाही

9-श्री रघुवर दयाल वर्मा-

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 25-5-97 को 5.00 बजे दिन में जिला फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर के ग्राम नगला तुला में खुंखार डाकू दल ने हमला किया व ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, आग लगाई और डाकू दल के गोली प्रहार में एक व्यक्ति घायल हुआ तथा तीन घरों का सब कुछ जल गया और एक युवती राजा बेटी का डाकू दल सरेआम अपहरण कर ले गये? क्या यह सही है कि राजा बेटी के पति ने थाना पर सूचना दी किन्तु पुलिस दल एक घन्टा विलम्ब से पहुंचा? क्या यह भी सही है कि दिन रहते डाकू दल का पीछा

नहीं किया गया और गांव के श्री चम्पा राम और राजा बेटी के पति ने दिनांक 24-5-97 को थाना पर दो बार सूचना दी कि गांव में डाकुओं की तरफ से हमला हो सकता है, ऐसी सूचनायें मिल रही हैं ? क्या इस सूचना पर थाना अध्यक्ष द्वारा कोई सुरक्षात्मक व्यवस्था गांव में नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्या इस लापरवाही और कर्तव्यहीनता के खिलाफ पुलिस के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

दिनांक 25-5-97 को श्री साहब सिंह, निवासी-नगलातुला, थाना-नसीरपुर, जनपद-फिरोजाबाद ने लिखित सूचना दी कि आज लगभग 6.30 बजे परसादी निषाद निवासी-इनोन, कलक्टर व राजवीर का साला पप्पू निषाद व इनके 4 अन्य साथी हथियारों से लैस होकर घर पर चढ़ आये और जान से मारने की नियत से हम लोगों पर गोलियां चलायीं जिससे सेवा राम घायल हो गया मेरे घर में आग लगा दी और हमारी पत्नी राजाबेटी को घर से उठाकर ले गये। उक्त सूचना पर मु0 अ0 सं0 48/97, धारा-147/148/307/436/366/452 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ।

घटना की सूचना थानाध्यक्ष नसीरपुर को सायं 7.15 बजे मिली। सूचना प्राप्त होने पर वह स्वयं तत्काल पुलिस दल सहित मौके पर पहुंचे।

जी नहीं।

7.15 बजे रात सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष नसीरपुर स्वयं तत्काल पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचकर कोम्बिंग तथा पिकेटिंग की। परन्तु बदमाश दस्तयाब नहीं हो सके। यह सही हैं कि दिनांक 24-5-97 को सायं 3.00 बजे चम्पाराम जो वादी श्री साहब सिंह का चाचा है ने थानाध्यक्ष नसीरपुर को इस आशय की सूचना दी थी कि वह अपने लड़के की बारात लेकर जा रहा है उसके घर किसी-को सुरक्षार्थ भेज दें। इस सूचना पर थानाध्यक्ष नसीरपुर दिनांक 24-5-97 को स्वंय पुलिस बल सहित ग्राम नगलातुला एवं अन्य गांव में गश्त हेतु गये थे परन्तु उन्होंने वहां पिकेट नहीं लगाया। अतः इस सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि यदि वहां पुलिस बल नियुक्त होता तो घटना घटित नहीं होती अथवा अभियुक्त पकड़ लिये जाते। थानाध्यक्ष की उक्त लापरवाही के लिए थानाध्यक्ष के पद से पदावनत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा संसद पर हुए प्राण घातक हमले पर आवश्यक कार्यवाही की मांग

10-श्री नेरन्द्र सिंह सिशौदिया एवं श्री बाबू राम-

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, संसद सदस्य का पत्र दिनांक 22-10-96, जोकि पुलिस महानिदेशक उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को सम्बोधित तथा जो प्राण घातक हमले की जांच एवं सुरक्षा प्रदान करने विषयक था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि थाना सोनहा, जिला बस्ती के थानाध्यक्ष द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की गयी? इस सम्बन्ध में मा0 केन्द्रीय गृह मंत्री के पत्र दिनांक 6.2.97 एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 15.1.97 पर अब तक दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

सुश्री मायावती-

सूचना एकत्र की जा रही है।

11-श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया एवं श्री बाबू राम-

(दिनांक 21.7.97 को अतारांकित प्रश्न सं0 67 द्वारा उत्तरित)

लखनऊ जिला कारागार और आदर्श कारागार में बढ़ती आबादी को देखते हुए अन्य कहीं स्थानान्तरित किये जाने की मांग

12-श्री श्याम किशोर यादव-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के जिला कारागार और आदर्श कारागार को उस क्षेत्र मे बढ़ती हुई आवादी को दृष्टि में रखते हुये सरकार किसी दूर स्थान पर स्थानान्तरित करेगी? क्या सरकार इस स्थान पर कोई मंत्री आवास, सार्वजनिक स्कूल, अस्पताल या अतिथिगृह के निर्माण पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

कारागार एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन)-

जी नहीं।

उपर्युक्त कारागारों के स्थान पर इस समय किसी अन्य निर्माण की योजना विचाराधीन नहीं है।

13-श्री अब्दुल कलाम (बस्ती)-

तीसरे शुक्र में अतारांकित प्र0 स0 14 के अंतर्गत स्थानान्तरित

जनपद आजमगढ़ में थाना फूलपुर में दर्ज अपराध के बाद गिरफ्तारी न होने के कारणों की जानकारी

14-श्री राम सेवक सिंह-

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में थाना-फूलपुर के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या 302/96 धारा 436 आई0 पी0 सी0 दिनांक 12.12.96 को रपट दर्ज है? यदि हां, तो क्या सभी मुल्जिमों की गिरफ्तारी हो गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी नहीं।

अभियुक्त भीम ने दि0 17-12-96 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया तथा राजेश एवं पिंटू की नामजदगी विवेचना के दौरान गलत पायी गई।

15-श्री रामसेवक सिंह-

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में थाना फूलपुर के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या 97ए/95 धारा-147,148,149,364,395 आई0पी0सी0 दिनांक 15.7.95 दर्ज है? क्या उक्त मुकदमें में एस0आई0एस0 द्वारा जांच करायी जा रही है? यदि हां, तो उसमें विलम्ब का क्या कारण है?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत मामले में हुई एस0आई0एस0 की जांच से आश्वस्त न होने की स्थिति में अभियोग की विवेचना थानाध्यक्ष विलरियागंज आजमगढ़ से कराई गई।

जांचोपरांत आरोप पत्र न्यायालय में 25-4-97 को भेजा जा चुका है। अतः विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता है।

थाना खण्डासा जनपद फैजाबाद में 10 जनवरी, 1997 को प्राणघातक हमले में प्रयुक्त अस्त्रों तथा नामजद आपराधियों की गिरफ्तारी न होने के कारणों की जानकारी

16-श्री मित्रसेन यादव-

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि मु0अ0सं0-6/97 थाना खण्डासा जनपद फैजाबाद में दिनांक 10 जनवरी, 97 के प्राण घातक हमले में किन-किन अस्त्रों

का प्रयोग हुआ है ? किस प्रकार की कितने लोगों को चोटें आयी हैं ? नामजद अभियुक्तों में से किन अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है ? अभियुक्तों के अपराधिक इतिहास क्या हैं ? वांछित अभियुक्तों में से कितने की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है ? उक्त गम्भीर मामले में प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के कारण क्या हैं ?

सुश्री मायावती-

मु0अ0सं0-6/97 थाना-खण्डासा जनपद फैजाबाद में राइफल, बन्दूक एवं रिवाल्वर का प्रयोग हुआ है ।

दो व्यक्तियों को गम्भीर तथा दो व्यक्तियों को साधारण चोटे आई हैं ।

नामजद 10 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया । चार अभियुक्तों की कुर्की की गई है तथा तीन अभियुक्तों के विरूद्ध ठोस सबूत न होने के कारण गिरफतार नहीं किया गया ।

निम्नलिखित अभियुक्तों के विरूद्ध विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमों की स्थिति निम्नवत् है:-

1. संजय सिंह उर्फ गुल्लू सिंह	---	21
2. संजय सिंह	---	6
3. प्रदीप कुमार सिंह	---	6
4. सुशील कुमार सिंह उर्फ पिंटू	---	2
5. मनोज कुमार सिंह	---	5
6. वीरेन्द्र सिंह	---	7
7. इन्द्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी	---	11

एक अभियुक्त संजय सिंह उर्फ गुल्लू सिंह कुर्की के बाद भी फरार चल रहा है । उनकी गिरफतारी नहीं हो सकी है । प्रभावी कार्यवाही जारी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ओम प्रकाश दूबे निवासी चिलबिला जनपद प्रतापगढ़ के यहां लूट का मामला तथा चौकी इन्चार्ज के विरूद्ध कार्यवाही की मांग

17-श्री चन्द्र नाथ सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि दिनांक 18-6-97 को श्री ओम प्रकाश दूबे निवासी चिलबिला, जनपद प्रतापगढ़ का पूरा घर सुल्तानपुर से

आये असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस चौकी इन्चार्ज, चिलबिला की उपस्थित में लूटा गया ? यदि हां, तो शासन चौकी इन्चार्ज (पुलिस), चिलबिला तथा असामाजिक तत्वों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वैज्ञानिक सहायक पद हेतु चयन प्रक्रिया

।8-श्री छब्बू पटेल-

क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में । जून, ।997 को वैज्ञानिक सहायक पद के लिये हुये साक्षात्कार में लगभग 200 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, परन्तु चयन में कार्यरत लगभग सभी वैज्ञानिक सहायक (दैनिक वेतन भोगी/संविदा) का ही चयन किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बी0 आर0 वर्मा-

जी नहीं।

इस साक्षात्कार में 307 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था जिसमें ।85 अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित हुए थे। इन पदों पर भर्ती के लिए उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण सेवा विनियमावली, ।995 के प्राविधानों के अनुरूप विधिवत गठित चयन समिति द्वारा चयन की कार्यवाही की गयी। चयन समिति द्वारा संस्तुत सूची में दैनिक वेतन भोगी/संविदा पर कार्यरत किसी भी वैज्ञानिक सहायक पदनाम के अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित नहीं था।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने की मांग

।8-क-श्री छब्बू पटेल-

क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के कुल कितने पद रिक्त हैं ? जिसमें अनारक्षित पदों की संख्या कितनी है ? उक्त पदों पर कब तक भर्ती कर दी जायेगी ?

श्री बी0 आर0 वर्मा-

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के कुल आठ पद रिक्त हैं। जिसमें वर्तमान संख्या के आधार पर अनारक्षित पदों की संख्या एक

है । उक्त पद पर कार्य की आवश्यकतानुसार यथासमय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण परिषद्, सेवा विनियमावली, 1995 में निहित प्राविधानों के अनुसार चयन की कार्यवाही की जायेगी ।

21 मार्च, 1997 से 20 जून, 1997 तक प्रदेश में बरामद अवैध हथियारों में प्राप्त देशी तमन्चों की संख्या की जानकारी

19-श्री बाबू राम यादव-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 21 मार्च, 1997 से 20 जून, 1997 तक प्रदेश में कितने अवैध हथियार अपराधियों से बरामद किये गये ? बरामद अवैध हथियारों में देशी तमंचे कितने बरामद किये गये ?

सुश्री मायावती-

प्राप्त सूचनानुसार अवैध शस्त्रों की बरामदगी के पाक्षिक आंकड़े एकत्र किये जाते हैं । दिनांक 16-3-97 से प्रारम्भ होने वाले पक्ष तथा दिनांक 15-6-97 को समाप्त होने वाले पक्ष के मध्य, प्रदेश में 9200 अवैध हथियार बरामद किये गये ।

प्रश्नगत अवधि में 7904 देशी तमन्चे बरामद किये गये ।

21 मार्च, 1997 से 20 जून, 1997 तक प्रदेश में पंजीकृत अपराधों की संख्या तथा गत वर्ष इसी अवधि में दर्ज अपराधों की तुलना

20-श्री बाबू राम यादव-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 21-3-97 से 20 जून, 1997 तक प्रदेश में कितने अपराध पंजीकृत हुए ? क्या यह संख्या गत वर्ष के इसी अवधि के अपराधों की संख्या से अधिक है ? यदि हां, तो अपराधों में अधिकता के क्या कारण है ?

सुश्री मायावती-

प्राप्त पाक्षिक रिपोर्ट के अनुसार अर्थात दिनांक 16-3-97 से 30-6-97 तक प्रदेश में भारतीय दण्ड विधान के कुल 41169 अपराध पंजीकृत हुए, जबकि इसी अवधि में वर्ष 1996 में कुल 47806 अपराध पंजीकृत हुए थे । स्पष्ट है कि वर्ष 1996 की अपेक्षा वर्ष 1997 की समान अवधि में अपराधों में कमी हुई है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

21-श्री बाबू राम यादव-

(चौथे सोम के लिए स्थगित)

जनपद एटा के विकास खण्ड कासगंज में स्थित क्रय-विक्रय समिति में वर्ष 1990 से मार्च 1996 में वर्ष वार आय का विवरण

22-श्री नेतराम सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा जनपद के विकास खण्ड कासगंज में स्थिति क्रय-विक्रय समिति के शीत गृह से वर्ष 1990 से मार्च, 1996 तक संस्था को किन-किन वर्षों में कितनी-कितनी आय हुई? यदि हानि हुई, तो हानि के अलग-अलग क्या कारण हैं? इस हानि के लिये कौन दोषी है?

श्री आर0 के0 चौधरी-

एटा जनपद के विकास खण्ड कासगंज में स्थित क्रय-विक्रय सहकारी समिति के शीतगृह से वर्ष 1990 से मार्च 1996 तक संस्था को वर्षवार निम्न आय हुई:-

वर्ष	आय (रु0 में)
89-90	7,63,033.45
90-91	1,82,892.84
91-92	1,98,049.80
92-93	18,96,015.10
93-94	14,86,421.70
94-95	23,76,710.00
95-96	19,52,565.10

वर्ष 90-91, 91-92, 93-94 एवं 95-96 में हानि हुई। इन वर्षो में आलू की आमद कम हुई, जिसके कारण शीतगृहों की क्षमता का लगभग 18% वर्ष 1990-91 में, लगभग 21% वर्ष 1991-92, में लगभग 58% वर्ष 1993-94 में एवं लगभग 58% वर्ष 1995-96 में ही आलू भण्डारण हेतु उपलब्ध हो सका।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला एटा के कासगंज कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, श्री राजाराम नागर के विरुद्ध अनियमितताओं पर कार्यवाही

23-श्री नेतराम सिंह-

क्या: सरकार कृपया बतायेगी कि एटा जिले के कासगंज कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री राजाराम नागर के विरुद्ध अनियमिततायें, भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग के गम्भीर आरोपों का प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र माह फरवरी,

1997 गृह सचिव तथा अप्रैल, 1997 में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

सुश्री मायावती-

माह फरवरी, 1997 का पत्र गृह सचिव के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। दिनांक 4-4-97 का पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा को प्राप्त हुआ है।

मामले की जांच क्षेत्राधिकारी, कासगंज एटा से करायी गयी। जांच में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री राजाराम नागर थाना कोतवाली कासगंज एटा की सम्भ्रान्त एवं गरीब लोगों से दुर्व्यवहार करने की आम शिकायत पायी गयी। अब श्री नागर का स्थानान्तरण गोरखपुर मण्डल हो चुका है और दिनांक 26-4-97 को वह जनपद से प्रस्थान कर चुके हैं। जांच में अन्य आरोपों की पुष्टि साक्ष्य के आभाव में नहीं हुई।

श्री राम औतार शाक्य सदस्य विधान सभा तथा उनके परिवार की जान-माल की सुरक्षा

24-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय। के पत्रांक ए-183/सी0एम0।/97, दिनांक 30-4-97 के साथ प्रमुख सचिव, गृह विभाग को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उसके मुख्य बिन्दु क्या हैं और अब तक उसमें क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती-

जी हां।

उसके मुख्य बिन्दु श्री राम औतार शाक्य सदस्य, विधान सभा तथा उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था तथा श्री उपदेश सिंह चौहान उर्फ खलीफा व श्री शिव राज सिंह चौहान उर्फ पी0टी0आई0 मैनपुरी के गिरोहों के लोगों के असलहों के दुरुपयोग को रोकने, लाइसेंस निरस्तीकरण तथा उनके अवैध, बिना परमिट की प्राइवेट बसों को सड़कों पर सवारियां लेने से रोकने आदि हैं।

श्री राम औतार शाक्य, सदस्य, विधान सभा की सुरक्षार्थ एक गनर तथा उनके परिवार की आवासीय सुरक्षा हेतु दो सशस्त्र आरक्षी उपलब्ध कराये गये हैं। अन्य बिन्दुओं पर जांच कराकर प्रभावी कार्यवाही हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी को निर्देश दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में स्थित विकास खण्ड मेंहनगर में राजकीय आई0 टी0 आई0 की स्थापना तथा चालू कराये जाने की मांग

25-श्री राम जग-

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ में स्थित विकास खण्ड मेंहनगर में राजकीय आई0टी0आई0 की स्थापना की गयी थी जो आजमगढ़ मुख्यालय पर चल रहा है? यदि हां, तो क्यों? मेंहनगर में राजकीय आई0टी0आई0 का भवन निर्माण कराकर कब तक चालू करा दिया जायेगा?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

शासन स्तर से विकास खण्ड, मेंहनगर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत अथवा स्थापित नहीं है। निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन द्वारा स्थानीय मांग के आधार पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आजमगढ़ के तीन व्यवसाय स्थानान्तरित करके मेंहनगर के किराये के भवन में प्रशिक्षण व्यवस्था की थी और बाद में उनके द्वारा भवन तथा बिजली की समुचित व्यवस्था न होने के कारण इन व्यवसायों को आजमगढ़ मुख्यालय के संस्थान में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

मेंहनगर में कोई राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत/स्थापित नहीं है, अतः भवन निर्माण कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

अपराध अनुसंधान शाखा, महानगर लखनऊ में निरीक्षकों के रिक्त पड़े पदों को भरे जाने का मामला

26-श्री सुशील शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि अपराध अनुसंधान शाखा महानगर, लखनऊ में निरीक्षकों के 7 पद रिक्त पड़े हैं? यदि हां, तो कब से? क्या नियमानुसार उप निरीक्षकों को प्रोन्नत कर उक्त पदों को तत्काल भरा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती-

अपराध अनुसंधान शाखा महानगर लखनऊ स्थित अंगुष्ठ चिन्ह संग्रहालय में निरीक्षक के 7 पद रिक्त हैं।

उक्त पद क्रमशः 1.7.89, 1.1.90, 16.7.90, 2.7.91, 5.11.92, 27.11.92 तथा 31.10.93 से रिक्त है।

पदों को तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर भरने की कार्यवाही प्रचलित है। नियमित प्रोन्नति हेतु कोई पात्र उपनिरीक्षक उपलब्ध नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के मुरलीपुरवा ग्राम आशापुर थाना जेठवारा के निवासी श्री रामबली पासी के घर को गिराये जाने पर रिपोर्ट दर्ज

27-श्री चन्द्रनाथ सिंह-

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि माह जून, 1997 के प्रथम सप्ताह में प्रतापगढ़ जनपद के मुरली पुरवा ग्राम आशापुर थाना जेठवारा के निवासी श्री रामबली पासी का घर सवर्ण जाति के लोगों ने गिरा दिया ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा उक्त व्यक्ति को कोई सहायता दी गयी है ? क्या इस संबंध में थाना जेठवारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो श्री रामबली पासी (अनुसूचित जाति) की रिपोर्ट न दर्ज करने के लिये थानाध्यक्ष के विरूद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी नहीं, किन्तु इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रतापगढ़ से पत्राचार किया है।

श्री रामबली द्वारा दिनांक 8.7.97 को दी गई लिखित सूचना पर थाना जेठवारा में उसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

थाना खरेला जनपद महोबा में तैनात कांस्टेबिल अश्वनी कुमार पुत्र श्री रामशंकर मिश्र की बदमाशों द्वारा की गई हत्या के बाद पत्नी को नौकरी में लेने तथा देयों का भुगतान

28-श्री विजय कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना खरेला जनपद महोबा में तैनात कान्सटेबिल अश्वनी कुमार पुत्र श्री राम शंकर मिश्र की बदमाशों द्वारा दिनांक 21-4-97 को दिन में 11.30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो क्या सभी मुल्जिमान गिरफ्तार किये गये ? क्या मृतक के आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता एवं अन्य सरकारी अनुतोष का भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार मृतक की पत्नी को योग्यता के अनुसार तत्काल सरकारी सेवा में नियुक्त किये जाने के आदेश प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

कान्सटेबिल अश्वनी कुमार मिश्रा, दिनांक 19-12-96 से थाना खरैला में नहीं अपितु पुलिस लाइन महोबा में तैनात था, उसकी हत्या दिनांक 24-4-97

को खरैला के पास स्थित शराब के ठेके पर की गयी।

जी हां।

जी हां। मृतक कान्सटेबिल की पत्नी को शासकीय आदेशों के अन्तर्गत अनुमन्य जी0पी0एफ0, ग्रेच्युटी, नकदीकरण, लिंक इन्श्योरेंस, पुलिस बेनीफिट फंड, पेंशन जैसी समस्त सुविधाओं के अंतर्गत देय धनराशि का भुगतान बजरिये बैंक ड्राफ्ट किया जा चुका है।

बीमा निदेशालय को बीमा से संबंधित प्रस्ताव भी दिनांक 8-6-97 को भेजा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

मृतक कां0 अश्वनी कुमार मिश्रा के आश्रित उनकी पत्नी श्रीमती पुष्पा मिश्रा ने कां0 (एम) के पद पर नियुक्त किये जाने हेतु पुलिस कार्यालय, महोबा में दिनांक 2-6-97 को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस मुख्यालय को दिनांक 5-6-97 को भेज दिया गया है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही उक्त मृतक के आश्रित को पुलिस मुख्यालय द्वारा सेवा में समायोजित किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री चन्द्रिका प्रसाद निवासी ग्राम बरगदिया थाना सन्दना जिला सीतापुर की भूमि का कब्जा

29-श्री सुशील शाक्य-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुंसिफ मैजिस्ट्रेट सीतापुर के निर्णय दिनांक 6.9.91 के परिपेक्ष्य में श्री चन्द्रिका प्रसाद निवासी ग्राम बरगदिया थाना सन्दना जिला सीतापुर को उसकी भूमि पर कब्जा दिलाये जाने विषयक प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड डाक से पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधिकारी, सीतापुर को दिनांक 6-12-95 को प्रेषित किये गये हैं? यदि हां, तो उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई? क्या उक्त प्रार्थना-पत्र पर परगनाधिकारी मिश्रिख ने एस0 ओ0 सन्दना को जांच कर वैधानिक कार्यवाही किये जाने के आदेश दिनांक 12.3.97 को दिये थे? यदि हां, तो उक्त के परिप्रेक्ष्य में अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों? आदेशों का पालन न किये जाने हेतु कौन दोषी है? दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती-

जी हां।

न्यायालय के निर्णय के आधार पर श्री चन्द्रिका प्रसाद को कब्जा दिलाया गया था जिस पर वे आज भी काबिज है।

जी हां।

आवेदक श्री चन्द्रिका प्रसाद ने विपक्षी नन्हकऊ द्वारा उसकी भूमि पर कब्जा करने की आशंका व्यक्त की थी। थानाध्यक्ष द्वारा विपक्षी नन्हकऊ को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया था और आवेदक श्री चन्द्रिका का कब्जा आज भी मौजूद है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद सुल्तानपुर के थाना गौरीगंज में दर्ज अपराध संख्या 76/97 में अपराधियों की गिरफ्तारी का मामला

30-श्री तेजभान सिंह-

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगी कि जनपद सुल्तानपुर के थाना गौरीगंज में दर्ज अपराध संख्या 76/97 में बाधित अभियुक्त कौन-कौन है? क्या सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गयी है? यदि नहीं, तो अभियुक्तों के विरूद्ध गिरफ्तारी पर धारा 82-83 की कोई कार्यवाही अब तक न करने के क्या कारण हैं? क्या इसकी जांच में विलम्ब कर अभियुक्तों का हित संरक्षण जांच अधिकारी द्वारा किया जा रहा है? यदि हां, तो जांच अधिकारी के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती-

जनपद सुल्तानपुर के थाना गौरीगंज में दर्ज अपराध सं0-76/97 में सर्वश्री राकेश सिंह, उमेश सिंह, राम मूर्ति सिंह परिहार, कर्ण कुमार मिश्रा वांछित अभियुक्त हैं।

अभियुक्त उमेश सिंह व राम मूर्ति सिंह परिहार को गिरफतार कर जेल भेजा गया तथा राकेश सिंह एवं कर्ण कुमार मिश्रा ने न्यायालय में आत्मसर्मण किया।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

थाना कोतवाली मैनपुरी के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर हुई आगजनी व लूटपाट की घटना की रिपोर्ट एवं गिरफ्तारी

31-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि थाना कोतवाली मैनपुरी के अन्तर्गत नवीन मण्डी, पुरानी सब्जी मण्डी व कटरा में स्थित मकान की आगजनी व लूटपाट की हुई घटना स्वरूप पंजीकृत अपराध संख्या 397ए/97, 397बी/97, 397सी0/97, 397डी0/97, 397ई/97, 397एफ/97, 397जी/97, एवं 399/97 में कितने अभियुक्तगण पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुये और कितने अदालत में हाजिर हुये और कितने अभी गिरफ्तार होने शेष हैं? क्या सरकार वांछित अपराधियों के विरूद्ध धारा 82/83 की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती-

मु0अ0सं0 397ए/97 में 8 अभियुक्तों में से 3 गिरफतार हुए और 5 हाजिर हुए मु0 अ0 सं0 397 बी/97 में 13 अभियुक्तों में से 3 गिरफतार हुए, 6 हाजिर हुए, 3 की हाईकोर्ट के आदेश से गिरफतारी स्थगित है तथा 1 (एक) झूठा पाया गया। मु0अ0 सं0397 सी/97 13 अभियुक्तों में से 3 गिरफ्तार हुए, 6 हाजिर हुए, 3 की हाईकोर्ट के आदेश से गिरफतारी स्थगित है तथा (एक) झूंठा पाया गया। मु0अ0 सं0397 डी/97 अज्ञात पंजीकृत हुआ था। (खारिज किया गया) मु0आ0 सं0397ई/97 में 13 अभियुक्तों में से 3 गिरफतार हुए 6 हाजिर हुए, 3 की हाईकोर्ट के आदेश से गिरफतारी स्थगित है तथा 1 (एक) झूंठा पाया गया मु0अ0 सं 397एफ/97 में 13 अभियुक्तों में से 3 गिरफतार हुए, 6 हाजिर हुए, 3 की हाईकोट के आदेश से गिरफ्तारी स्थगित है तथा 1 (एक) झूंठा पाया गया। मु0आ0 सं0 397जी/97 में 13 अभियुक्तों में से 3 गिरफतार हुए 6 हाजिर हुए, 3 की हाईकोर्ट के आदेश से गिरफतारी स्थगित है तथा 1 (एक) झूंठा पाया गया। मु0अ0 सं0 399/97 अज्ञात पंजीकृत हुआ था। अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

शेष 3 अभियुक्तों ने अपनी गिरफतारी न किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। अतः धारा 82.83 की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

32-श्री राम औतार शाक्य-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

33-श्री नन्द राम-

(तीसरे मंगल में अता0प्र0सं0 181 के अंतर्गत स्थानान्तरित)

34-श्री शिवशंकर सिंह-

(चौथे मंगल में अता0प्र0सं0 181 के अंतर्गत स्थानान्तरित)

खादी ग्रामोद्योग विभाग से कथित रूप में फर्जी पंजीकरण कराकर उ0प्र0 वन निगम से लकड़ी लेने तथा करोड़ों रुपये के घपले का मामला

35-श्री बिन्दू लाल-

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 24 या 25 अप्रैल, 97 को मंत्री जी को लिखित शिकायती-पत्र दिया था कि कुछ लोग खादी ग्रामोद्योग विभाग से फर्जी पंजीकरण कराकर उ0प्र0 वन निगम से लकड़ी लेते हैं जिस पर 3 "ख" फार्म जमा करके करोड़ों रुपये की व्यापार कर की चोरी की जा रही है? यदि हां, तो क्या उस की जांच करायी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राधेश्याम गुप्ता-

जी हां।

आयुक्त, व्यापार कर के माध्यम से इस प्रकरण की जांच करायी गयी। जांच में यह पाया गया कि बलरामपुर जनपद में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रमाणित ऐसी कोई संस्था नहीं है जो टिम्बर की वन निगम से खरीद करती हो तथा बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर रियायती दर का लाभ प्राप्त कर रही हो। जनपद बलरामपुर में ऐसी कोई सहकारी समिति भी व्यापार कर विभाग में पंजीकृत नहीं है। जिसे व्यापार कर अधिनियम की धारा-4 (बी) के अन्तर्गत निर्माण में अंतर्ग्रस्त कच्चे माल (टिम्बर) की खरीद हेतु प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा रियायती दर पर टिम्बर खरीद की सुविधा प्रदान की गयी हो। प्रश्न नहीं उठता।

36-श्री अम्बरीष कुमार-

(दूसरे मंगल में अता0प्र0सं0177 के अंतर्गत स्थानान्तरित)

श्री अर्जुन चमार पुत्र श्री लहूरी, ग्राम बैजापुर, थाना कोतवाली देहात, सुल्तानपुर के उत्पीड़न की शिकायत तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

37-श्री मित्रसेन यादव-

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री अर्जुन चमार पुत्र श्री लहूरी ग्राम बैजापुर, थाना कोतवाली देहात, सुल्तानपुर ने कोई अपने उत्पीड़न संबंधी गम्भीर शिकायती-पत्र दिनांक 4-6-97 को जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को अपने ही गांव के निवासी लाइसेंसधारी श्री अशोक चौबे एवं सुरेन्द्र चौबे के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराकर जांच कार्यवाही हेतु दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की

गयी है ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

प्रकरण में जांच आख्या 26-6-97 को जिलाधिकारी को पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर द्वारा प्रेषित की गयी है। वर्तमान में दोनों पक्ष आपस में सुलह कर लिये हैं तथा श्री अर्जुन चमार ने अपने शिकायती पत्र पर कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में तहरीर शपथपत्र के साथ दिया है।

श्री सुरेन्द्र प्रताप यादव, ग्राम बैजापुर, थाना कोतवाली देहात, जिला सुल्तानपुर की शिकायत पर जांच

38-श्री मित्रसेन यादव-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सुरेन्द्र प्रताप यादव, ग्राम बैजापुर थाना कोतवाली देहात, जिला सुल्तानपुर ने कोई गम्भीर शिकायती पत्र दिनांक 4-6-97 को जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को उसी गांव के निवासी लाइसेंसधारी अशोक चौबे आदि के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराकर यथोचित कार्यवाही हेतु दिया था ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र के मुख्य बिन्दु क्या है ? अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

आवेदक व प्रतिवादी के बीच कुछ कहा सुनी हुई थी, आवेदक के प्रार्थना पत्र की जांच की गयी तो मामला असत्य पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रामेश्वर, निवासी ग्राम मानपुर, थाना अतरौली, जिला हरदोई का मामला न्यायालय के विचाराधीन

39-श्री चन्द्रनाथ सिंह-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सम्बोधित श्री रामेश्वर, निवासी ग्राम मानपुर, थाना अतरौली, जिला हरदोई के शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-3-1997 पर पुलिस अधीक्षक, हरदोई को शिकायत प्रकोष्ठ से जांच कराने के आदेश प्रदान किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या जांच में पाये गये तथ्यों पर अभियोग दर्ज करके अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां

उक्त प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी द्वारा पूर्व में दिये गए प्रार्थना पत्र दिनांक 17.2.97 की जांच से आरोप निराधार पाये गये और वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में विवादित मकान के संबंध में दीवानी न्यायालय में वाद विचाराधीन है। वाद न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण पुलिस की कोई कार्यवाही न्यायोचित नहीं है। अतः मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में ठेकेदारी के बहाने नारकोटिक्स तस्करी में लिप्त शातिर अपराधी पर कड़ी नजर रखने की शासन से मांग

40-श्री हरिनारायन तथा श्री विनय कुमार पाण्डेय उर्फ "बिन्नू"-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0एस0आई0 एजेन्ट अब्दुल हन्नान पुत्र शमसेर जोकि वर्तमान में जनपद बहराइच में ठेकेदारी के बहाने नारकोटिक्स तस्करी में लिप्त शातिर अपराधी निवासी ग्राम पंचायत मदरापाली भरथराय, थाना रामपुर कारखाना, जनपद देवरिया के थाना-रामपुर कारखाना में हिस्ट्रीशीट संख्या क्या थी? उसकी हिस्ट्रीशीट बन्द करने का औचित्य क्या है? उसकी अवैध गतिविधियों की जांच कराकर उसकी हिस्ट्रीशीट पुनः खोल कर उसकी अवैध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिये शासन क्या व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती-

सूचना एकत्र की जा रही है।

41-श्री जय प्रकाश निषाद-

[दि0 21-7-97 को अता0 प्र0 सं0 67 द्वारा उत्तरित]

जनपद आजमगढ़, थाना-तहबरपुर, ग्राम-जमालपुर काजीगाटा सं0 276 अनुसूचित जाति की आबादी पर कथित अवैध कब्जा

42-श्री विश्वनाथ-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़, थाना-तहबरपुर ग्राम-जमालपुर काजी गाटा सं0 276 रकबा 100 कड़ी अनुसूचित जाति आबादी से अवैध कब्जा को हटाने के लिये ए0डी0एम0 (प्रशासक) का आदेश दिनांक 9-12-94 एवं बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी का आदेश दिनांक 14-12-94 थानाध्यक्ष तहबरपुर को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या कब्जा हटवाया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद जनपद के लोनी एवं शहीद नगर कस्बों में बंगलादेशी व्यक्तियों का निवास तथा अन्य आरोप निराधार

43-श्री रूप चौधरी--

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि गाजियाबाद जनपद के लोनी एवं शहीद नगर कस्बों में हजारों बंगलादेशी अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि दिल्ली पुलिस की गुप्तचर शाखा ने गत वर्षों में इस इलाके से अवैध असलहा व नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया था? यदि हां, तो सरकार अवैध रूप से रह रहे इन लोगों को इस क्षेत्र से हटाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती--

हां। जनपद गाजियाबाद के थाना लोनी व शहीद नगर क्षेत्र में बंगलादेशियों का रहना ज्ञात हुआ है।

दिल्ली पुलिस की गुप्तचर शाखा द्वारा जनपद के लोनी एवं शहीद नगर क्षेत्र में अवैध असलहा व नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में किसी बंगलादेः को गिरफ्तार किया जाना ज्ञात नहीं हुआ है।

जनपद में अवैध रूप से निवास कर रहे बंगलादेशियों के संबंध में उच्चवासित नियमों के अन्तर्गत इनको अदवासित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद गाजियाबाद की स्थानीय अभिसूचना पुलिस द्वारा विदेशी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करके अवैध रूप से रहने वाले 754 बंगलादेशियों को अब तक वापस किया जा चुका है तथा 34 को विदेशी अधिनियम में जेल भेजा जा चुका है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

खेकड़ा विधान सभा क्षेत्र मेरठ के दिल्ली के सीमावर्ती कस्बों लोनी, पसौड़ा व शहीद नगर में कथित अवैध बूचड़ खाना

44-श्री रूप चौधरी--

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खेकड़ा विधान सभा क्षेत्र मेरठ के दिल्ली के सीमावर्ती कस्बों लोनी, पसौंड़ा व शहीद नगर में चल रहे अवैध

बूचड़खानों से प्रदूषण फैल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अवैध धन्धे को रोकने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बी0 आर0 वर्मा- -

जी नहीं ।

मेरठ व दिल्ली सीमा पर स्थित लोनी, पसौडा तथा शहीद नगर में कोई बूचड़खाना स्थापित नहीं है परन्तु पसौडा, शहीद नगर एवं लोनी में मीट की दुकानें पायी गयी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर में नवनिर्वाचित प्रधान श्री रामप्रकाश यादव पुत्र श्री राम कुमार यादव की हत्या तथा दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही की जानकारी

45-श्री मित्रसेन यादव- -

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 30.6.95 को ग्राम धर्मगतपुर मजरे प्राणगौरा, थाना जामों, जनपद सुल्तानपुर में नवनिर्वाचित प्रधान श्री राम प्रकाश यादव पुत्र श्री राम कुमार यादव की आम सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी ? क्या इसकी प्राथमिकी थाना जामो में नामजद मृतक के भाई श्री राम उजागिर द्वारा मु0अ0सं0 155/95 धारा 147/148/149/302 में अंकित करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि दो वर्ष बीत जाने के बाद भी इस मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है और वादी के परिवार एवं प्रत्यक्ष साक्षियों के जान-माल का खतरा बना हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले की गम्भीरता तथा कार्यवाही की शिथिलता को देखते हुये सरकार कोई समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती- -

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रकरण में सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा प्रेषित जांच आख्या शासन स्तर पर परीक्षणाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र उतरौला, जिला गोण्डा में उत्तर प्रदेश सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लि0 (पैक्स फेड) द्वारा वर्ष 1995-96 में स्वीकृत धन तथा व्यय

46-श्री उबैदुर्रहमान--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला, जनपद गोण्डा में उ0 प्र0 सहकारी विधायन एवं शीत गृह संघ लि0 (पैक्स फेड) द्वारा वर्ष 1995-96 व 1996-97 में किन-किन मार्गों के लिये धन स्वीकृत किया गया और कितना धन व्यय हुआ? क्या निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है?

श्री आर0 के0 चौधरी--

विधान सभा क्षेत्र उतरौला, जनपद गोण्डा में उत्तर प्रदेश सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लि0 (पैक्स फेड) द्वारा वर्ष 1995-96 में 22 एवं वर्ष 1996-97 में 02 मार्गों के लिए कुल 99.298 लाख रुपया स्वीकृत किया गया। जिसके विरुद्ध 70.078 लाख रुपया व्यय हुआ। मार्गवार आवंटित धनराशि एवं व्यय की सूची संलग्न है।

10 मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 12 मार्गों का कार्य प्रगति पर है तथा शेष 02 का कार्यभूमि विवाद के कारण लम्बित है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 215 पर)

जनपद गोण्डा, कोतवाली उतरौला में बनजारी बाग निवासी खलील पुत्र श्री रमजान की पुलिस कर्मियों द्वारा हत्या की शिकायत तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

47-श्री उवैदुर्रहमान--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि गोण्डा जनपद के अन्तर्गत कोतवाली उतरौला में बनजारी बाग निवासी 20 वर्षीय खलील पुत्र श्री रमजान की हत्या पुलिस कर्मियों द्वारा माह फरवरी, 1997 में कर दी गयी थी? क्या हत्या का अभियोग पंजीकृत हुआ है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुयी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती--

रमजान द्वारा दी गई सूचना दिनांक 24-2-97 के आधार पर थाना कोतवाली उतरौला के आरक्षी दयाशंकर के विरुद्ध मु0अ0 संख्या-52/97 धारा 302/201 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया परन्तु विवेचना से जुर्म धारा 304/201 भा0द0वि0 का होना पाया गया।

हत्या का अभियोग पंजीकृत हुआ था परन्तु विवेचना से जुर्म धारा 304/20। भा0द0वि0 का होना पाया गया।

अभियुक्त दयाशंकर सिंह ने 1-3-97 को न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया। अभियुक्त की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है तथा विवेचना आरोप पत्र सं0-24, दिनांक 2-4-97 द्वारा समाप्त की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम नगवा उर्फ नवापुरा, तहसील मुहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर के सखरज पुत्र निमादी द्वारा चकरोड पर अवैध निर्माण की शिकायत तथा अतिक्रमण हटाने की मांग

48-श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम प्रधान देवराज सिंह यादव, ग्राम नगवा उर्फ नवापुरा, तहसील मुहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर का कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र, जो उप जिलाधिकारी, मुहम्मदाबाद द्वारा आदेशित है, थानाध्यक्ष नोनहरा को दिनांक 20-4-97 एवं चौकी इंचार्ज कठवा को दिनांक 25-4-97 को प्राप्त हुआ? क्या उक्त पत्र में ग्राम के सखरज पुत्र निमादी द्वारा चकरोड पर अवैध निर्माण को रोकने हेतु आदेश दिया गया है? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर थानाध्यक्ष एवं चौकी इन्चार्ज द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार ऐसे थानाध्यक्ष एवं चौकी इन्चार्ज के खिलाफ कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती--

श्री देवराज सिंह यादव, ग्राम प्रधान ग्राम-नगवा उर्फ नवापुरा, तहसील मुहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर का शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 20.4.97 को उपजिलाधिकारी, मुहम्मदाबाद का प्राप्त हुआ।

जी हां।

थानाध्यक्ष नोनहरा द्वारा राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में चकरोड पर से अतिक्रमण हटवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद हरदोई के सण्डीला कस्बे में पुलिस की नियमित रात्रि गश्त

49-श्री तेजभान सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस विभाग में शहरी क्षेत्रों में रात्रि का गश्त समाप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो जनपद हरदोई के सण्डीला कस्बे में रात्रि गश्त क्यों नहीं किया जाता । कस्बे में स्थापित पुलिस चौकी पर कार्यरत 20 पुलिस कर्मियों से क्या कार्य लिया जाता है ? पुलिस चौकी स्थापित करने का उद्देश्य क्या था ? क्या यह सही है कि रात्रि गश्त न होने से अपराधों में बढ़ोत्तरी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार नियमित रात्रि गश्त सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

जनपद हरदोई के सण्डीला कस्बे में रात्रि गश्त नियमित रूप से किया जाता है ।

पुलिस चौकी पर कार्यरत पुलिस कर्मियों से रात्रि गश्त तथा पिकेट ड्यूटी कराई जाती है ।

कस्बा सण्डीला में अपराध तथा अपराधियों पर नियंत्रण रखना तथा जनता को सुविधा प्रदान करना ।

जी नहीं, वरन गश्त नियमित होने से अपराधों में कमी आयी है ।

कस्बा सण्डीला में गश्त नियमित रूप से की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

साधन सहकारी समिति लि0 बरनाहल, पूर्वी विकास खण्ड बरनाहल, जिला मैनपुरी में श्री हाकिम सिंह यादव वरिष्ठ आंकिक एवं श्री सौदान सिंह यादव को वेतन न दिये जाने के कारणों की जानकारी

50-श्री लाल सिंह वर्मा-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति लि0 बरनाहल, पूर्वी विकास खण्ड बरनाहल, जिला मैनपुरी में श्री हाकिम सिंह यादव वरिष्ठ आंकिक को बिना कारण जनवरी, 1996 से आज तक उच्चाधिकारियों की संस्तुति के बावजूद भी वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? क्या सरकार संबंधित कर्मी को वेतन दिलाने एवं दोषी लोगों के विरुद्ध

कार्यवाही करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री आर0 के0 चौधरी-

जी हां।

सेवाएं विवादित होना।

सम्प्रति कोई नहीं।

प्रकरण में जांच के उपरान्त निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

जांच आख्या पर निर्णय होने तक।

प्रश्न नहीं उठता।

51-श्री लाल सिंह वर्मा-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति लि0 बरनाहल, पूर्वी विकास खण्ड बरनाहल, जनपद मैनपुरी में कार्यरत श्री सौदान सिंह यादव को जून, 1988 से फरवरी, 1995 तक उच्चाधिकारियों की संस्तुतियों के बावजूद वेतन नहीं दिया गया है? यदि हां, तो उक्त व्यक्ति को वेतन नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं? क्या उनका वेतन का भुगतान किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री आर0 के0 चौधरी-

जी हां।

श्री यादव की सेवायें विवादित होना।

प्रकरण की जांच के निष्कर्ष पर वेतन भुगतान संबंधी अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

भदोही जनपद में हुई हत्या तथा हत्याभियुक्तों की गिरफ्तारी के पूर्ण विवरण की जानकारी

52-श्री रंगनाथ मिश्र-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भदोही जनपद में पिछले 6 माह में कितने लोगों की हत्या हुई? उनके नाम और पते क्या हैं? क्या हत्याभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है? यदि नहीं, तो क्यों? पिछले 6 माह में डकैती या चोरी की कितनी घटनायें हुईं तथा कितने मामलों में अभियुक्त गिरफ्तार हुये? क्या उपरोक्त समय में उक्त जनपद में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी? यदि

हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती-

जनपद भदोही में दिनांक 1-1-97 से दिनांक 30-6-97 तक कुल 19 लोगों की हत्या हुई, जिनके नाम व पतों की सूची संलग्न है।

उक्त हत्या से संबंधित अपराधों में नामित एवं प्रकाश में आये कुल 42 अभियुक्तों में से 21 की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गयी तथा शेष 21 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया।

दिनांक 1-1-97 से दिनांक 30-6-97 तक डकैती की कुल 3 व चोरी की 73 घटनाएं घटी, जिनमें 3 डकैती की घटना के 12 अभियुक्तों में से 2 की तथा 73 चोरी की घटना के 69 अभियुक्तों में से 41 की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा शेष फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी बाकी है।

जी नहीं। विगत 3 वर्ष के तुलनात्मक आपराधिक आकड़ों के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित अवधि में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 218 पर।)

नियम 301 की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 28 जुलाई, 1997 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 34 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गईं:-

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गयीं।)

(श्री दीप लाल भारती का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।)

अधिशासी अभियन्ता सरयू नहर खण्ड प्रथम बस्ती द्वारा किये गये कथित भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखपाल पाण्डेय-

(महोदय, एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति चाहता हूं। श्री मथुरा प्रसाद अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता, सरज नहर खण्ड प्रथम, बस्ती के द्वारा करोड़ों रूपयों का भ्रष्टाचार, सरकारी धन का गबन करने के कारण 24/4/97 को मैनें एक शिकायती पत्र 35 बिन्दुओं का सिंचाई मंत्री, प्रमुख सचिव

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

को देकर जांच की मांग किया था जिस पर 29-4-97 को प्रमुख सचिव ने मुख्य अभियन्ता श्री के0के0 सहानन को तीन सप्ताह में जांच कर आख्या शासन को सीधे भेजने का निर्देश दिया था। श्री सहानन ने 26/6/97 को जांच करने गये जांच में मिट्टी का ढुलाई का फर्जी भुगतान का प्रकरण पाया। अधिशासी अभियन्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 1994-95, 1995-96 में कारटेज का फर्जी अनुबन्ध करके 55 रु0 से 65 रु0 प्रति घनमीटर की दर से भुगतान किया जब कि उन्हीं नहरों के अधूरे कार्यों को चालू वित्तीय वर्ष 1996-97 में 20 रू0 प्रति घनमीटर की दर से भुगतान हुआ। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, जिला पंचायत बस्ती ने भी 20.9.96 को शिकायत किया था। अधीक्षण अभियन्ता सरयू बस्ती ने जांच में पूर्ण रूप से अधिशासी अभियन्ता को दोषी पाया तथा कारटेज की मिट्टी के अनुबंध में वारोएरिया प्लान न होने के लिये अधिशासी अभियन्ता को जिम्मेदार ठहराया। करोड़ों रूपये का मामला शासन में विचाराधीन है परन्तु धन एवं राजनैतिक संरक्षण के कारण जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं हो रही है।

अतः आपके माध्यम से सदन से मांग करता हूं कि करोड़ों रूपये के गबन में अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध कार्यवाही करने की तुरन्त मांग करता हूं।]

(श्रीमती कृष्णा राज का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थीं।)

बहराइच के उप बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं योजनाधिकारी अनौपचारिक शिक्षा द्वारा किये गये कथित घपलों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 वकार अहमद शाह-

[जनपद बहराइच के उप बेसिक शिक्षाधिकारी द्वारा जुलाई, 1995 से जून, 1997 तक बजट में आवंटित धनराशि के विरुद्ध मनमाने ढंग से पी0 एल0 ए0 में जमा धनराशि का दुरुपयोग किया है। क्रय की गयी सामग्री की भी सही आपूर्ति नहीं हुई और न ही सही सत्यापन कराया गया।

इसी प्रकार जनपद बहराइच के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में वर्ष 1995-96 में 95 लाख रूपये की सामग्री बजट में आवंटित धनराशि के विरूद्ध क्रय की गयी है। जनपद में क्रय समिति का अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है और बिना उसकी अध्यक्षता में बैठक करके परियोजनाधिकारी, अनौपचारिक शिक्षा ने रुपये 95 लाख की सामग्री का सत्यापन स्वंय ही कर लिया।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये उक्त मामलों में प्रभावी जांच की मांग करता हूं।।

मैंनपुरी के बेसिक शिक्षा परिषद् के सेवानिवृत्त अध्यापकों/कर्मचारियों की पेंशन फण्ड आदि का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम औतार शाक्य-

।।मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अध्यापकों व कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, सामान्य भविष्य निधि राशिकरण के भुगतान किये जाने की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। प्रदेश में ऐसे हजारों सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी हैं जो वर्ष 1995, 96, 1997 में सेवानिवृत्त हो गये हैं जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको भुगतान न करने में उनमें भारी निराशा है। वे सामूहिक रूप से सरकार के विरूद्ध आन्दोलन भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं जिला मैनपुरी में शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, भोगांव व जूनियर हाईस्कूल मौजेपुर ब्लाक सुल्तानगंज से सेवानिवृत्त हुये श्री किशन चन्द्र के उक्त भुगतान न किये जाने की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इतना ही नहीं जनपद मैनपुरी में सैकड़ों, प्रदेश में हजारों प्रकरण हैं जिनका भुगतान नहीं किया जा रहा है।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय पर सरकार से उक्त भुगतान अतिशीघ्र कराने व दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।।

जनपद कौशाम्बी के ग्राम पहाड़पुर में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

।माo अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 301 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ग्राम पहाड़पुर, पोस्ट-साखा, तहसील सिराथू, जनपद कौशाम्बी में केवल दो घरों के अतिरिक्त किसी भी घर में बिजली का प्रकाश नहीं है। आज जबकि प्रदेश में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है वहीं उक्त ग्राम में विद्युत के अभाव में न तो जनजीवन ही सामान्य है और न ही लघु उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। अल्पसंख्यकों, हरिजनों एवं पिछड़े वर्ग की समस्याओं की उपेक्षा हो रही है।

नोट :- ।। यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि ग्राम पहाड़पुर पोस्ट साखा तहसील सिराथू जनपद कौशम्बी में विद्युतीकरण की व्यवस्था अतिशीघ्र की जाय।।

जरवल रोड चीनी मिल बहराइच में लेबरों की टूल डाउन हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विनय कुमार पाण्डेय-

।महोदय, श्री आर0 डी0 भारती, पी0 सी0 एस0 शुरू में चीनी निगम के अन्तर्गत बुलंदशहर यूनिट में थे वहां से इनका स्थानान्तरण जरवल रोड चीनी मिल जनपद बहराइच में हुआ। कुछ समय उपरान्त इनकी कारगुजारियों के कारण इनका तबादला अपर आयुक्त (न्यायिक) गढ़वाल मण्डल में किया गया परन्तु ऐन केन प्रकारेण जरवल रोड चीनी मिल की इकाई में जमे रहे तथा अपने को तबादले से बचाते रहे। वर्तमान में लगभग 400 कैजुअल लेबर हैं। 15, 20 सालों से इनके नियमितीकरण का मामला अधर में लटका है श्री भारती लखनऊ में बैठकर विगत दिनों 9 नियुक्तियाँ करने के आदेश पारित कर दिये। जब यह बात स्थानीय मजदूरों को ज्ञात हुई तो उन्होंने विशेष नाराजगी दिखाई इस समय वहां पर टूल डाउन हड़ताल चल रही है। नियमतः बाहरी जिलों से बुलाकर लेबर की भरती नहीं की जाती है जब कि स्थानीय लेबर काफी मात्रा में उपलब्ध हैं। विनियमितीकरण के मामले को लेकर सम्बन्धित अधिकारियों में विभागीय अधिकारियों की एक कमेटी बनाकर नई नियुक्तियाँ करने का निर्णय लिया है। मगर श्री भारती उस निर्णय को धत्ता बता रहे हैं तथा मनमानी करते चले जा रहे हैं। कैजुअल लेबर जो इतने दिनों से कार्यरत हैं उसकी नौकरी की अवधि सीमा समाप्त हो रही है।

माननीय अध्यक्ष जी इस टूल डाउन हड़ताल से लगभग 2 लाख किसानों के परिवार के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है।

अतः आपसे आग्रह है कि सरकार को निर्देशित कर जांच करायें।।

श्री अध्यक्ष-

निम्नांकित दो सूचनायें मैं प्रतीक्षा सूची से ले रहा हूं।

नोट :- ।। यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नव सृजित जनपद गौतम बुद्धनगर के लिये पर्याप्त संसाधन मुहैय्या कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नवाब सिंह नागर-

।जनपद गौतमबुद्धनगर नया जिला घोषित किया है जिसमें आधा हिस्सा जनपद गाजियाबाद व आधा हिस्सा बुलन्दशहर जनपद का लिया गया है। अब नया जिला बनने के बाद जनता को प्रशासनिक कार्यों के लिये भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुलन्दशहर व गाजियाबाद के प्रशासनिक अधिकारी यह कहकर जनता के कार्यों को नहीं देख रहे हैं कि अब नये जिले से ही कार्य होंगे, तथा जिला गौतमबुद्धनगर के अधिकारियों के पास न बैठने के लिये भवन है और न कोई साधन है, न ही पर्याप्त कर्मचारी हैं जिससे क्षेत्र के विकास कार्य व अन्य सभी कार्य ठप्प पड़े हैं जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी असंतोष व रोष व्याप्त है।

अत: मैं लोक महत्व के अविलम्बनीय एवं निश्चित मत के विषय पर नियम 30। के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।।

जौनपुर में मड़ियाहूं क्षेत्रान्तर्गत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 30। के अन्तर्गत सूचना

*श्री पारस नाथ यादव-

।महोदय, जनहित एवं आवश्यक समस्या की तरफ आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराते हुये निवेदन है कि जनपद जौनपुर का विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। क्षेत्र का हृदय स्थल मडियाहूं एक टाउन एरिया है। जिसकी आबादी लगभग 35 से 40 हजार की है। जौनपुर एवं भदोही के मध्य का एक महत्वपूर्ण स्थल है कस्बे में बिजली का बहुत बड़ा अभाव रहता है। इसका कारण कस्बा एवं ग्रामीण फीडर एक साथ चलाया जाता है। जिससे आये दिन बिजली खराब रहती है इतना ही नहीं सायंकाल बिजली कस्बे में बिल्कुल नहीं रहती है। जिसके कारण व्यापारी बुनकर तथा उपभोक्ता को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। मड़ियाहूं तहसील मुख्यालय में है।

अत: सरकार से मांग की जाती है कि मड़ियाहूं कस्बे का फीडर ग्रामीण फीडर से अलग किया जाये। तथा पीक आवर 6 बजे शाम से ।। बजे रात तक नियमित बिजली दिया जाये। साथ ही साथ मड़ियाहूं क्षेत्र की बिजली सुनिश्चित करने के लिये एक बिजली का बड़ा सब स्टेशन तत्काल लगाया जाये।।

श्री अध्यक्ष-

जिन मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई वह इस प्रकार हैं-

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम विशुन आजाद, श्री गंगा बक्श सिंह, श्री अमरमणि, श्री सरदार सिंह, श्री के0 सी0 सिंह बाबा, श्री भारत सिंह रावत, श्री पीटर फैंथम, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री प्रभूनारायण सिंह यादव, श्री मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री हरीशचन्द्र 'हरीश जी', श्री विनोद मणि, श्री राकेश सोनकर, श्री लाल जी वर्मा, श्री तेजभान सिंह, श्री ओम प्रकाश, श्री कैलाश नाथ यादव, श्री विक्रमाजीत मौर्य, डा0 रमेश पोखरियाल निशंक, श्री मुन्ना चौहान, डा0 राम बाबू हरित, श्री धर्मज्ञ मिश्र, श्री चन्द्र नाथ सिंह, श्री मित्रसेन यादव व श्री सुरेश कुमार खन्ना।

(समय 2 बजकर 25 मिनट)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम 300 की सूचनाएं ले रहा हूं।

* श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आज छठे दिन में भी मेरी सूचना नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना शलाका में नहीं आ पा रही है।

नियम 300 की सूचनाएं लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि बजट पर सामान्य चर्चा चल रही है और अभी माननीय नेता विपक्ष का भाषण जारी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि नियम-300 की जो मैं सूचनाएं लूंगा उसमें एक-एक दो-दो सदस्यों को सुनूंगा। मेरी यह आकांक्षा है कि सामान्य बजट पर जो चर्चा हो उसमें अधिक से अधिक सदस्य भाग ले सकें इसलिए नियम 300 और इसके बाद क्रम संख्या-7 पर जो कार्य स्थगन की सूचनाएं ली जायेंगी उसमें सदस्य बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें। इससे चर्चा में बहुत से माननीय सदस्यों को अवसर मिलेगा और जो नये सदस्य आये हैं उनको भी बोलने का अवसर मिलेगा। मेरी यह इच्छा है कि मैं आज सदन को देर तक चलाऊं ताकि सबको अवसर मिल सके। पहली सूचना श्री रमेश पोखरियाल जी की है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा सत्र के दौरान जिलों में विकास कार्य सम्बन्धी बैठकें आयोजित किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

मान्यवर, अध्यक्ष जी, जब सदन चलता है तो बार-बार यह प्रश्न आता है कि जिलों में विधान सभा सत्र के दौरान कोई महत्वपूर्ण बैठक न की जाये जिसमें सीधे-सीधे विधान सभा सदस्य की सहभागिता हो। मान्यवर, जिलों में उस शासनादेश के खिलाफ लगातार कार्यवाही हो रही है और उसका अनुपालन कड़ाई से नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, मैं चमोली जिले की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। 26 तारीख को वहां पर डी0 आर0 डी0 ए0 की बैठक ली गयी। मान्यवर, शनिवार और इतवार अवकाश रहता है। 25 तारीख को रात्रि की ट्रेन से हम चलें तो दूसरे दिन प्रातः 8.00 बजे हरिद्वार पहुंचते हैं उसके बाद 10 घंटे में हम गोपेश्वर पहुंचते हैं तो शाम को 6.30 बजे तक हम वहां पहुंच पाते हैं और तब तक वह बैठक समाप्त हो गई होती है। मान्यवर, ऐसी बैठकें की जा रही है और इसमें माननीय सदस्यों की सहभागिता से वंचित रखा जा रहा है और उसका सीधा असर क्षेत्र के विकास पर पड़ रहा है। मान्यवर, विगत सत्र में और पिछले विधान सभा सत्र में भी यह बात आयी थी और अध्यक्ष पीठ से इस सम्बन्ध में निर्देश भी दिये गये थे। मैं आपके माध्यम से पुरजोर मांग करता हूं कि 26 तारीख की जो बैठक है उसकी कार्यवाही को निरस्त किया जाय और 2 तारीख की जो बैठक परिवहन गोपेश्वर और पौड़ी गढ़वाल में रखी गयी है उसको भी निरस्त किया जाय। मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि शासनादेशों का कड़ाई से पालन किया जाय और जो लोग इन शासनादेशों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ सुनिश्चित कार्यवाही की जाय।

श्री पारस नाथ यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य ने जन-प्रतिनिधियों की उपेक्षा और जन-प्रतिनिधियों के खिलाफ मनमाने तरीके के प्रशासनिक रवैये के बारे में आपको बताया। मान्यवर, इसी प्रकार से अब उन्हें अपमानित करने का काम यह प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। मान्यवर, हमारे जिले जौनपुर में 25 तारीख को डी0एफ0ओ0 वनराज अधिकारी के माध्यम से वन महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया। जिनमें जन-प्रतिनिधियों को मुख्य अतिथि बनाया गया है और नोटिस दी गयी है जो कार्यक्रम लगाया गया है, जो वृक्षारोपण किया जायेगा, उसमें मुख्य अतिथि जन-प्रतिनिधि होंगे। 25 तारीख को सूचना जारी की गयी है। अभी तक तो जन-प्रतिनिधियों की उपेक्षा की जाती रही है, लेकिन अब उनको अपमानित किया जा रहा है। जब वह नोटिस उस क्षेत्र में जायेगी, तो उसको देखकर वहां के लोग, बच्चे और औरतें जन-प्रतिनिधि से मिलने आयेगी और वहां पर उनको नहीं पायेगी और वह अपनी समस्या को अपने जन-प्रतिनिधि से नहीं कह पायेंगे, तो इससे जन

प्रतिनिधियों की छवि गिरती है और मतदाताओं के बीच में गलत संदेश जाता है। तो मान्यवर, इसको नियम 300 में स्वीकार कर लें और इस पर चर्चा करा दें और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करा दें।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)-

मान्यवर, जहां पर भी ऐसी समितियां हैं, जिनमें माननीय सदस्य, विधायक होने के नाते सदस्य हैं, इसके सम्बन्ध में कड़े निर्देश जारी किये जा चुके हैं और अगर उन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, तो यह सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार उसको करेगी और इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेगी। माननीय सदस्य ने जिस बैठक का जिक्र किया है, उसके बारे में दिखलवा लिया जायेगा और जो भी सरकार के स्तर से होगा, सारी कार्यवाही करवा दी जायेगी।

श्री पारस नाथ यादव-

25 तारीख की जो बैठक है, उसके बारे में आप क्या करेंगे।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

जो बैठक है, वह हर हालत में निरस्त होनी चाहिये और उस बैठक की कार्यवाही निरस्त होनी चाहिये।

* डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, सिंचाई विभाग की बैठक होती है, सिंचाई सलाहकार समिति की बैठक होती है, जिसमें सांसद और विधायकों की भी सहभागिता होती है। 12 अगस्त को अगली बैठक निश्चित है और उस दिन सदन चल रहा होगा और यह शासनादेश है कि जब सदन चल रहा हो तो जिले में कोई बैठक नहीं होगी, जिसमें माननीय सदस्य उसके सदस्य हों और दूसरा शासनादेश है कि सिंचाई सलाहकार समिति की बैठक हर मंगलवार को होगी, तो इस शासनादेश में संशोधन करना होगा, जब सदन चल रहा हो। तब बैठक नहीं होगी।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मैं इसको दिखलवा दूंगा।

* कुंवर रेवती रमण सिंह-

माननीय मंत्री जी कहते है कि कड़े निर्देश दिये गये हैं। इसको मान रहे हैं। माननीय पारस नाथ जी का स्पष्ट सवाल है कि उनके मामले में क्या कार्यवाही करेंगे, स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी कहें कि कार्यवाही करेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

जो वन महोत्सव है, उसके बारे में ऐसा शासनादेश नहीं है और अगर माननीय सदस्य उपलब्ध रहते हैं, तो उनको प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य से परामर्श करके तिथि निर्धारित की जाये। माननीय सदस्य सदन में हैं और विधान सभा का सत्र चल रहा है, इसके दौरान जिलों में कोई बैठक आयोजित न की जाये। इसके बारे में शासन के कई बार निर्देश गये हैं।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

वन महोत्सव या दूसरे महोत्सवों के बारे में जिनमें माननीय सदस्यों की कोई समिति नहीं है। उनके बारे में सरकार के कोई निर्देश नहीं गये हैं।

(व्यवधान)

श्री पारसनाथ यादव-

जैसा जौनपुर का प्रकरण मैंने बताया उसको भी देख लें।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जैसा माननीय सदस्यों ने कहा डी0आर0डी0ए0 की जो मीटिंग हो गयी है उसकी कार्यवाही निरस्त करा दें, जिसमें माननीय सदस्य नहीं जा पाये हैं और उन अधिकारियों को दण्डित किया जाय चार बार से मैं यहां आ रहा हूं हर बार यह बात आती है और कहा जाता है कड़ाई से कार्यवाही होगी, निदेशों का अनुपालन कराया जाएगा। लेकिन अभी तक परिणाम कोई नहीं आया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

सब लोग बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा।

श्री रघुबर दयाल वर्मा-

दो तारीख को हमारे यहां बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बैठक रखी है जिसमें विद्यालय बंटने वाले हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कह दिया है कि बैठक जरूर होगी। यह टाली नहीं जा सकती। जब यहां सदन चल रहा है तो हम उसमें कैसे जायेंगे। कड़ाई से निर्देशों का पालन होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों की भावना समझ में आ गई है।

(व्यवधान)

(श्री गौरीशंकर एडवोकेट के खड़े होने पर) बात दोहराने से कोई फायदा नहीं।

* श्री बाबूराम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी आप माननीय सदस्यों के अधिकारों के रक्षक हैं। माननीय सदस्य उत्तराखंड ने एक प्रश्न उठाया और उसी प्रकार का माननीय सदस्य पारसनाथ जी और माननीय वर्मा, जी ने भी प्रश्न उठाया। मेरी प्रार्थना है माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को निर्देश दें और उनका ज्ञानवर्धन भी कराएं। उन्होंने यहां पर इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया है। जब यहां सदन चल रहा हो तो जिलों में बैठक नहीं होगी। हर चीज में लीपा-पोती हो रही है। एक कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे है।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, हमारे यहां भी देवरिया में 26 तारीख को बैठक हुई है और कानपुर देहात में भी डी0आर0डी0ए0 की बैठक होने वाली है तो इस तरह की सभी बैठकों को निरस्त करा देना चाहिए।

श्री वी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, जबसे सदन शुरू हुआ है और जब तक सदन चल रहा है इस बीच में अगर कोई बैठक हुई है तो वह निरस्त करा दी जायेगी और आगे भी यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी बैठक जिसमें माननीय सदस्य, विधायकगण सदस्य होते हैं, उसकी बैठक जब तक हाउस चलता है तब तक कोई बैठक नहीं होगी। (मेजों की थपथपाहट)।

प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के नाम पर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों को तीन भागों में बांटे जाने का निर्णय विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना जो एक ही विषय पर है 3 अलग-अलग दलों के माननीय सदस्यों द्वारा आयी है। पहले माननीय प्रभात कुमार माननीय राम नरेश यादव, माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल और माननीय जगदम्बिका पाल की है। इसी विषय पर माननीय समर पाल सिंह, माननीय सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की सूचना है और इसी विषय पर माननीय गौरी शंकर एडवोकेट, माननीय मित्रसेन यादव, माननीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

पारसनाथ यादव और माननीय सीताराम निषाद जी की सूचना है । माननीय सदस्यों की यह सूचना प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में है । यह ऐसा विषय है जिस पर बजट की सामान्य चर्चा में आप इस पर उल्लेख कर सकते हैं । चूंकि 3 विभिन्न राजनीतिक दलों के माननीय सदस्यों द्वारा यह सूचना आयी है इसलिये मैं एक-एक माननीय सदस्य को 2-2 मिनट सुन रहा हूं ।

श्री मित्रसेन यादव-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जो सूचनायें नियम 300 के अंतर्गत प्राप्त होती हैं उनको आप ग्राह्यता के आधार पर लेते हैं या उसमें शलाका होती है।

श्री अध्यक्ष-

जितनी सूचनायें आज प्राप्त हुई हैं, सबको ले रहा हूं ।

श्री मित्रसेन यादव-

मान्यवर, मेरी सूचना का महत्व न हो तो आप तीसरे नंबर पर रखिये । लेकिन मेरी सूचना का महत्व ज्यादा है, हर बार आप मेरी सूचना तीसरे चौथे नंबर पर लेते हैं । इसलिए मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष-

आमतौर पर जिस क्रम में सूचना प्राप्त होती है उस क्रम से लेता हूं, यह तो कोई व्यवस्था की बात नहीं है ।

* श्री जगदम्बिका पाल -

मान्यवर, यह जो औचित्य का प्रश्न हमारे दल ने और अन्य दलों के माननीय सदस्यों ने रखा है यह अपने आप में महत्वपूर्ण है । विगत दिनों इसी सदन में उत्तराखंड राज्य अलग से बनाने के संबंध में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था और वह अग्रेतर कार्यवाही के लिये केन्द्र सरकार को भेजा गया था लेकिन अभी तक उत्तराखंड राज्य का गठन नहीं हुआ है । एक तरफ उत्तराखंड राज्य का गठन नहीं हुआ है दूसरी तरफ प्रदेश के मैदानी हिस्से को 3 हिस्सों में बांटने की सिफारिश प्रशासनिक सुधार विभाग ने किया है और मंत्रिपरिषद् को अपना प्रस्ताव भेज दिया है ?

श्री अध्यक्ष-

ऐसा प्रस्ताव कहां हुआ है ?

श्री जगदम्बिका पाल-

यह तो संसदीय कार्य-मंत्री जी बतायेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुभवी और वरिष्ठ सदस्य हैं इसलिये मैं आपसे जानकारी चाहता हूं कि सदन को लाभान्वित करें कि इससे संविधान के किस अनुच्छेद या प्रक्रिया नियमावली के किस नियम जिससे इस सदन की कार्यवाही संचालित होती है और यह नियम 300 (2) की शर्तों को कैसे पूरा करता है, यह बता दें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आप सुन लें आप सहमत हो जायेंगे।

उस प्रस्ताव में न केवल कुछ जनपदों को शामिल करके प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी या न्याय, राजस्व या बोर्ड आफ रेवेन्यू के अधिकारी भेजे जायेंगे। मान्यवर, नियमावली के नियम-300 में स्पष्ट दिया है कि अगर किसी कार्य से सदन का कार्य विनियमित होता है तो उसे सदन में आना चाहिए। मान्यवर, काउन्सिल के गठन किये जाने का प्रस्ताव है। उस काउन्सिल में इस माननीय सदन के सदस्य होंगे। अभी प्रदेश में एक सदन है एक काउन्सिल है और हम सब उसके सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष-

कहां है यह योजना? कहां ऐसी नीति आ गई? कहां शासन की ऐसी घोषणा है जिसके आधार पर यह काउन्सिल का गठन हो रहा है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, सरकार तीन मुख्यालयों फैजाबाद, गाजियाबाद और एक स्थान पर काउन्सिल का गठन करने जा रही है बिना इस सदन के संज्ञान के सिर्फ प्रशासनिक सुधार के प्रस्ताव पर जो उन्होंने मंत्रि परिषद् को भेजा है।

श्री बी0 आर0 वर्मा (पर्यावरण एवं संसदीय कार्यमंत्री)-

ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। माननीय सदस्य अधिकृत रूप से कह रहे हैं। मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर न विचार हो रहा है और न प्रदेश को तीन हिस्सों में बांटने का कोई इरादा है। मान्यवर, मैं बताना चाह रहा था ताकि सदन का समय इस पर नष्ट न हो।

* श्री समरपाल सिंह-

श्रीमन् मेरी बात भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

जब शासन की ओर से स्पष्ट घोषणा हो गई है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, न विचार हो रहा है। जब ऐसी कोई घोषणा होगी उस समय उठाइयेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री समर पाल सिंह -

श्रीमन्, एक बहुत लम्बे समय से पश्चिम क्षेत्र के लोग पश्चिमी प्रदेश की मांग अनेक वर्षों से करते चले आ रहे हैं। पूर्वान्चल के लोग और बुन्देलखण्ड के लोग भी अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। मान्यवर, केवल प्रशासनिक सुधार के प्रस्ताव पर प्रदेश को तीन हिस्सों में बांटने की बात हो रही है।

(व्यवधान)

तो श्रीमन् मैं कह रहा था कि इतने लम्बे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकील 10 वर्षों से लगातार हड़ताल कर रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित कर दी जाय तो मान्यवर, यह प्रदेश को क्या तीन हिस्सों में बांटने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष -

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नही है न ही उस पर विचार हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री जय नारायण तिवारी -

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, प्रश्नगत प्रश्न माननीय पाल जी द्वारा लाया गया और उसी प्रश्न पर और सदस्य अपनी बात कह रहे हैं। जबकि माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव नहीं बनाया है न ही सरकार के विचाराधीन है तो फिर इसमें सदन का बहुमूल्य समय क्यों नष्ट किया जा रहा है ? इसको बार-बार क्यों सुन रहे हैं ? इस पर व्यवस्था देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष -

जो विषय उठाया है वह आपकी सूचना में नहीं है।

*श्री प्रमोद कुमार -

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर दिया, मजबूरी में छिपा गए हैं। यह विचारधारा चल रही है और प्रदेश के अन्दर उत्तरांचल, पूर्वांचल और पश्चिमी प्रदेश की अलग मांग चल रही है आपने कहा कि प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जब कभी भी ऐसा प्रस्ताव आयेगा वह सबसे पहले सदन को विश्वास में लेकर लाएंगे मुझे पूरा विश्वास है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसा प्रस्ताव आज नहीं विचाराधीन है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप सदन के समाप्त होने पर तुरन्त यह प्रस्ताव लायेंगे... तो मेरा कहना है कि ऐसा प्रस्ताव सदन को विश्वास में लेकर किया जाए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

विश्वास में लिए बगैर लायेंगे तो विधान सभा की गरिमा कम करने के लिए, विधान सभा की शक्ति कम करने के लिए होगा।

श्री गौरीशंकर (एडवोकेट)-

क्या ऐसा मामला विचाराधीन चल रहा है ?

श्री अध्यक्ष-

यह विषय समाप्त करें।

श्री गौरी शंकर (एडवोकेट)-

इससे पूरे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पर असर पड़ेगा, तो आगे क्या ऐसा प्रस्ताव यह लायेंगे अगर लायेंगे तो क्या सदन को विश्वास में लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

जो सूचना आज जिस रूप में है उसी रूप में उससे सम्बद्ध है जो आज सूचना है इसका निस्तारण करें।

श्री मित्रसेन यादव-

मान्यवर, मेरे औचित्य के प्रश्न में इसलिए बल है आपकी कार्यसंचालन नियमावली को देखें हैं प्रदेश तीन हिस्सों में बांटा जायेगा प्रशासनिक व्यवस्था दूसरी बना लेंगे। मंत्री जी कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर यह नहीं कर रहे हैं तो मा0 तिवारी जी ने प्रश्न किया है। पुनर्गठन हो रहा है पुनर्गठन होता है तो पुनर्गठन आयोग की संस्तुति होती है तो संस्तुति उत्तर प्रदेश को बांटने के लिए अभी किसी आयोग ने नहीं की है इनको केन्द्र से संस्तुति मिल गई इस तरह की साजिश कर रहे हैं। राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

बस, बात आ गई खत्म करें।

श्री मित्रसेन यादव-

प्रदेश बांटने की यह सरकार साजिश कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

आप निर्देश देने का अवसर देते नहीं है।

सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी आप बैठिये। आपके दल की बात समरपाल सिंह जी ने कह दी है।

श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव-

आपने कहा था कि एक-एक मिनट सबको देंगे?

श्री अध्यक्ष-

जब संसदीय कार्य मंत्री की घोषणा नहीं हुई थी। इसलिए परिवर्तन होते रहते हैं। जिस समय सूचना ली उस समय एक विचार था संसदीय कार्य मंत्री की सूचना के बाद विचार बदल सकते हैं।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

प्रशासनिक व्यवस्था म सुधार के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है वह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है। उसको अग्राह्य घोषित करते हैं जहां तक प्रमोद कुमार जी के आश्वासन का प्रश्न है उसमें संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है शासन के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है इसलिए इस विषय पर निर्देश देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर, मैं और श्री समरपाल सिंह अलग-अलग दल से सम्बन्ध रखते हैं इसलिए मुझे भी सुनने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

चूंकि आपने अपनी सूचना श्री समरपाल सिंह जी के साथ दी थी व इस विषय पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का स्पष्टीकरण आ चुका है इसलिए अब आप कृपा करके बैठ जाएं।

तीसरी सूचना श्री राम नक्षत्र जी की है।

(माननीय सदस्य के उपस्थित न होने पर)

अगली सूचना श्री चन्द्रपाल सिंह यादव, डा0 अशोक वाजपेई व श्री शिवपाल सिंह की है।

उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 33(2) का सरकार द्वारा दुरुपयोग कर सरकारी संस्थानों में चुने गये प्रतिनिधियों को हटाये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव-

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने उत्तर प्रदेश सहकारिता

अधिनियम 24 मार्च, 1966 को बनाया था। इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य यह था कि प्रदेश में जो सहकारी संस्थायें हैं उन संस्थाओं में ज्यादा से ज्यादा जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उन संस्थाओं के मालिक हों, और जो प्रदेश की गरीब जनता है उसका स्तर ऊँचा उठाने के लिए, प्रदेश के विकास के लिए सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सरकार काम कराए। लेकिन यह जो विधान सभा ने उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम बनाया था, आज उत्तर प्रदेश की इस सरकार के द्वारा इस अधिनियम की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सहकारिता अधिनियम में एक संशोधन किया गया था उस समय इस पूरे सदन ने चिन्ता व्यक्त की थी। ।× × ×।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार जो लोकतांत्रिक सरकार है जो सहकारी संस्थाओं में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर फर्जी आरोप लगाकर उत्तर प्रदेश सहकारिता अधिनियम 1965 की धारा 35 (2) का लगातार दुरुपयोग कर रही है और यह जनता की चुनी हुई सरकार जनता के लोगों को ही खाने का काम कर रही है। जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है उसी प्रकार यह सरकार कार्य कर रही है। इस बात का इतिहास गवाह है कि जब-जब इन संस्थाओं में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि रहे हैं उस समय इसकी स्थिति काफी अच्छी रही है और उन्होंने इसकी मजबूती के लिए काम किया है। लेकिन पिछले दिनों जिस दिन यह सरकार बनी है उस दिन से सहकारिता मंत्री जी के द्वारा लगातार जो प्रबन्ध निदेशक नियुक्ति किया है। मेरे पास इस बात की जानकारी है। धारा 30 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की सरकार एक सरकारी अधिकारी को शीर्ष सहकारी संस्था के रूप में प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त करेगी। उस प्रबन्ध निदेशक को निष्पक्ष रूप से कार्य करने नहीं दिया जा रहा हैं उनके ऊपर लगातार दबाव दिया जा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगाना चाहता हूं और मेरे पास प्रमाण हैं मैं प्रमाण दे सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री, उत्तर प्रदेश के सहकारिता सचिव और नियुक्त किए गए प्रबन्ध निदेशक सारे लोगों ने मिलकर सहकारी समितियों में करोड़ो रूपये का गोलमाल किया है एक षडयंत्र किया है, हमारे पास प्रूफ हैं। 28 मई, 1997 को सहकारिता सचिव का एक पत्र आता है। इत्तेफाक से मैं उस समय उत्तर प्रदेश सहकारी संघ का चेयरमैन था, जनता ने मुझे चुना था।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण है इसलिये सुन लें। 28 मई, 1997 को सहकारिता सचिव द्वारा एक पत्र भेजा जाता है और उस पत्र के माध्यम से जो

नोट:-।×××। यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

पी0सी0एफ0 में भ्रष्ट और बेईमान अधिकारी थे जिनको हमने किसी जिम्मेदार पद पर न रखने के आदेश कर दिये थे, उन 6 अधिकारियों को, माननीय मंत्री और सचिव सहकारिता का आदेश जाता है इन सबको अमुक-अमुक स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाए । जो जिले के अधिकारी थे, उनको भ्रष्टाचार के कारण जिले से हटाने के लिए आदेश कर दिये थे, सहकारिता सचिव द्वारा उन्हीं आदेशों के तहत उसी मण्डल का अधिकारी बना दिया गया । जब मैंने देखा कि अनाधिकृत रूप से मेरे अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है तो मैंने उस आदेश को निरस्त कर दिया, इसके पश्चात् वहां के प्रबन्ध निदेशक को लिखते हैं कि शासनादेश का अनुपालन नहीं हो पा रहा है । ऐसी स्थिति में अधिनियमावली के धारा 30 (क) के अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक को स्पष्ट किया गया है कि यह सभापति और प्रबन्ध समिति के अन्दर काम करेगा । जो निर्णय प्रबन्ध समिति लेगी उसके अनुसार काम करेगा । प्रबन्ध समिति या चेयरमैन लिखकर देता है कि बैठक बुलायी जाये । भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत काम हो रहे हैं, हम बैठकर विचार करेंगे, सरकार के इशारे पर प्रबन्ध निदेशक बैठक नहीं बुलाता है ।

इसी तरह से जब गोल-माल होते हैं तो लोग माननीय उच्च न्यायालय में गये माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश भी पारित कर दिया लेकिन सरकार के इशारे पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने वाला कोई नहीं है, न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं । इस प्रदेश के माननीय सहकारिता मंत्री जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके साथ 7 गाड़ियां लगी हुई हैं, पी0सी0एफ0, यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन और लैण्ड डेवलपमेंट बैंक की गाड़िया हैं, एक गाड़ी में 16 हजार रुपये का प्रतिमाह का खर्चा आ रहा है । इस तरह से करोड़ो रुपये की फिजूलखर्ची है । यह जो खर्च हो रहा है यह गरीबों की खून-पसीने की गाढ़ी कमाई है, उन्होंने यह सोचा था कि सहकारिता आन्दोलन मजबूत होगा, सहकारिता मजबूत होगी लेकिन यह सरकार अधिनियम और कानूनों की धज्जियां उड़ाकर सहकारिता आन्दोलन को समाप्त करने जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव-

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । समय-समय पर इन तमाम भ्रष्टाचार और गोलमाल के खिलाफ मुख्य सचिव और सरकार को पत्र लिखा है उसमें बड़े स्पष्ट आरोप हैं और ये आरोप बड़ी जिम्मेदारी के साथ लगाये गये हैं क्योंकि मैं उस संस्था का चेयरमैन था । मान्यवर, 5-6 बिन्दु हैं उन बिन्दुओं की जांच करायी जाये । जो प्रबन्ध निदेशक हैं, उनकी सम्पत्ति की जांच करायी जाये,

एक-एक करोड़ रुपये के मकान बने हैं। आश्चर्य की बात है कि एक अधिकारी ऐसे हैं जो जब माननीय सहकारिता मंत्री जी परिवहन मंत्री थे तब वह परिवहन विभाग में काम किया करते थे, जब मंत्री जी स्वास्थ्य विभाग का काम देख रहे थे तब स्वास्थ्य में काम करते थे और जब से सहकारिता विभाग के मंत्री हैं तो पी0सी0एफ0 के संयुक्त प्रबन्ध निदेशक बने हुये हैं। मान्यवर, [× × ×]

श्री अध्यक्ष-

यह नहीं लिखा जायेगा।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव-

इसलिये मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में सहकारिता आन्दोलन समाप्त न हो जाये, भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाये। मान्यवर, अंत में मैं यही कहूंगा कि मैंने जो आरोप लगाये हैं उनकी जांच करायी जाये।

इन परिस्थितियों में मैं चाहता हूं कि सहकारिता आंदोलन को बचाने के लिए भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच करायी जाये। मान्यवर, इस संबंध में जो अधिनियम बना है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि मेरी सूचना को नियम 300 के अन्तर्गत स्वीकार करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य के तर्क सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि नियम 300 के अन्तर्गत आपकी सूचना नहीं आती है, इसलिए मैं आपकी सूचना को अग्राह्य करता हूं।

(व्यवधान)

श्री शिव पाल सिंह यादव-

मान्यवर, मेरे यहां भी ऐसा हो रहा है इसलिए मुझे भी सहकारिता विभाग के संबंध में कुछ कहने की अनुमति देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री शिव पाल सिंह यादव-

मान्यवर, यह सहकारिता विभाग में, जबसे यह कोआपरेटिव अधिनियम लागू किये गये हैं तो इसमें जनता के चुने हुए लोगों ने जब-जब काम किया तब-तब ईमानदारी से काम हुआ, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी रही। लेकिन

नोट:- [×××] यह अंश भी अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जब-जब सहकारिता विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था रही तब-तब गबन, अपहरण और बेईमानी हुई। मान्यवर, 1980 से पहले इस सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार नहीं था किंतु उसके बाद जैसे ही प्रशासनिक व्यवस्था शुरू हुई गबन और भ्रष्टाचार बढ़ा। मान्यवर, यह करोड़ो जनता का सवाल है इसलिए मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि जब से इस प्रदेश में ब0स0पा0 और भा0ज0पा0 के गठबंधन से सरकार बनी है जिसमें सहकारिता विभाग के गुड़िया श्री आर0 के0 चौधरी जो इस विभाग के मंत्री हैं उन्होंने खुले आम इस विभाग को लूटना शुरू कर दिया है।

मान्यवर, निबंधक, सहकारिता समिति का पत्र सहकारिता मंत्री के आवास, 6 कालिदास मार्ग, पर टेलीफोन लगाने के लिए भेजा जाता है। टेलीफोन व अन्य सारी सुविधाएं मंत्री जी को उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक से उपलब्ध करायी जायं मंत्री जी के लिए ए0सी0 गाड़ी उपलब्ध करायी जाती है। जिस पर एक महीने में 16,389 रु0 पेट्रोल का खर्च आता है। इस प्रकार सहकारिता मंत्री के पास 7 गाड़ियां सहकारिता विभाग की लगी हुई हैं जिन पर 600 लीटर पेट्रोल हर दिन खर्च होता है तो इस विभाग का कैसे उद्धार होगा? मान्यवर, जिस विभाग का मंत्री 600 लीटर पेट्रोल प्रतिदिन पीता हो उस विभाग का क्या होगा? मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जिले बनाने और मेले लगाने का काम हो रहा है। जिससे सारे विकास कार्य अवरुद्ध हैं। सहकारिता विभाग के मंत्री श्रावस्ती में मेले में जाते हैं और वहां चार दिन रुकते हैं और वहां सहकारिता अधिकारियों को बुलाकर उनसे चार दिन के खाने-पीने में जो 80 हजार रुपया खर्च होता है वह उनसे जबरदस्ती लेते हैं। इसी प्रकार कानपुर, इटावा, गोण्डा, फैजाबाद, बहराइच में धन लूटा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

यह सब बातें जब विभागीय चर्चा हो तो उस समय कहें। इसलिए अब आप समाप्त करें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मेरा आपसे अनुरोध है कि (× × ×) पर रोक लगायें।

श्री अध्यक्ष-

चूंकि उनको व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का मौका नहीं है, इसलिये मैं इस अंश को निकाल दूंगा। वैसे भी यह नियम 300 की सूचना के बाहर की बात है। आपने दो मिनट की जगह 5 मिनट ले लिये, अब समाप्त करें।

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, सहकारिता विभाग की स्थिति बहुत खराब हो गई है, मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि सारे प्रकरण की आप जांच करा लीजिये। मैं सहकारिता विभाग से काफी दिनों से जुड़ा हूं इस ।×××। सहकारिता मंत्री का 3 महीने का कार्यकाल की जांच करा लें और मैं 10 सालों से इससे जुड़ा हूं, उसको देख लें, आज इस विभाग में पूरे प्रदेश में अफरा-तफरी का माहौल है। जब सहकारिता विभाग में चुनाव हुए थे, तब इसको आप जैसे महानुभाव का संरक्षण मिला था, उसके बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बचाया, लेकिन इस सरकार द्वारा अदालत के आदेशों की भी अवहेलना हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

इसके आगे कुछ नहीं लिखा जायेगा, शिवपाल जी समाप्त करें, आप अनावश्यक अपनी शक्ति क्यों नष्ट कर रहे हैं।

(बीच में टोकाटोकी किये जाने पर)

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि नियमों से कार्यवाही चलने दें। जब किसी सदस्य की व्यक्तिगत बात आ जाती है तो मैं भी थोड़ी छूट दे देता हूं।

* श्री बालचन्द मिश्र-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, नियम 300 के अन्दर जो कुछ बोला गया है, क्या वह आता है?

श्री अध्यक्ष-

मिश्र जी आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि नियम 300 में इस प्रकार की बातें नहीं आनी चाहिये।

(श्री बी0 आर0 वर्मा) संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री-

मान्यवर, जहां तक नियम 300 का सवाल है, उसमें किसी भी तरह से रंचमात्र भी यह नहीं आता।

श्री अध्यक्ष-

मैंने पहले ही व्यवस्था दे दी है कि यह उसमें नहीं आता।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, जो आरोप सरकार पर लगाये गये हैं या सरकार के मंत्री पर लगाये गये हैं, उसके संबंध में नियमावली के नियम 289 को देखने की कृपा करें, उसमें माननीय सदस्यों को बोलते समय किन-किन नियमों का पालन करना है, के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:-।× ×। यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बारे में बताया गया है। इसी प्रकार नियम 289 (क) में यह व्यवस्था दी गई है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाने के संबंध में प्रक्रिया क्या होगी।

मान्यवर, आरोप के बारे में एक प्रक्रिया है।

श्री अध्यक्ष-

वह मैं निकाल दूंगा।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव-

मान्यवर, इसकी जांच करा लें।

(व्यवधान)

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, आरोप के बारे में एक प्रक्रिया दी गयी है उस प्रक्रिया से कोई आरोप लगाना है तो मान्यवर लगा सकते हैं। इस प्रकार के आरोप जो लगाये गये हैं, वह निराधार हैं। इन आरोपों का मैं घोर प्रतिवाद करता हूं और खण्डन करता हूं, जिस प्रकरण के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है यह जो सहकारी संस्थाए हैं उसमें वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था है उस में अगर व्यवस्था की जगह कुव्यवस्था हो जायेगी तो निश्चित तौर पर उस संस्था के हित में कार्यवाई करनी पड़ेगी। मैं बताना चाहता हूं कि निबन्धक द्वारा जांच के दौरान जो चीजे संज्ञान में आयी हैं उसमें ऐसी अनेक गम्भीर अनियमितताएं हैं जैसे फेडरेशन की सामान्य निकाय एवं निबन्धक की स्वीकृति प्राप्त किये बिना 4 गाड़ियां क्रय करना, सेवा मण्डल चयन/अनुमोदन के बिना कर्मचारियों को नियुक्त/पदोन्नत करना, 6 माह से अनधिक अवधि हेतु पदोन्नत किये गये कर्मचारियों को सेवा मण्डल के अनुमोदन के बिना उक्त अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् ही पदोन्नत पदों पर बनाये रखना।

निबन्धक द्वारा स्वीकृत पदों/वेतनमानों से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त रखना, उच्च वेतनमान स्वीकृत कर बनाये रखना, आरक्षित वर्ग के कोटे को पूरा करने हेतु वांछित प्रयास न करना, सामान्य आडिट आपत्तियों का समय से परिपालन न करना, देनदारों से वसूली की प्रभावी कार्रवाही न करना, अशोद्ध ऋण का सही आंकलन न करके अशोद्ध ऋणों को सम्पत्तियों में दर्शित कर फेडरेशन की सही आर्थिक स्थिति न दर्शाना, कोल हैण्डलिंग एजेन्ट की नियुक्ति में अनियमितताएं बरतना, फेडरेशन में भारी संकलित हानि होने एवं नेटवर्थ ऋणात्मक होने के बावजूद कर्मचारियों को बोनस के साथ-साथ एक्सग्रेशिया का अनियमित रूप से भुगतान कर फेडरेशन को क्षति पहुंचाना आदि है।

मान्यवर, इस तरह की गम्भीर चीजें होंगी जिनको जांच में पाया जायेगा तो संस्था के हित में निश्चित तौर पर यह आवश्यक हो जायेगा, इसलिए ऐसी कार्यवाई की गयी है। मान्यवर, 15 दिन का समय दिया गया है सारे आरोपों का

जवाब देने के लिए, माननीय सदस्य को जवाब देना चाहिए गुण दोष के आधार पर इसका फैसला किया जायेगा। मान्यवर, यह नियम 300 में नहीं आता है इसलिए इसको अग्राहय करने का कष्ट करें।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव-

मान्यवर, आपने दोनों तरफ की बातें सुन ली हैं मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच करा लें और जो भी दोषी पाया जाए उसको सीधा जेल भेजा जाएगा इस तरह का आश्वासन यहां पर हो जाए क्योंकि जो आरोप बताये गये हैं वह पूरी तरह से झूठे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चन्द्र पाल सिंह जी, माननीय शिव पाल सिंह यादव जी, और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी-

मान्यवर, यह जांच कराने के लिए तैयार नहीं हैं नहीं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता इसके विरोध में हम लोग सदन का बहिर्गमन करते हैं।

श्री मित्रसेन यादव-

मान्यवर, इस सरकार द्वारा जांच न कराये जाने के विरोध में मैं भी सदन का त्याग करता हूं।

(श्री अवधेश प्रसाद का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

अवधेश प्रसाद जी अनुपस्थित हैं मैं अगली सूचना ले रहा हूं।

बाबा राम नगर लघु माध्यमिक विद्यालय, नैसारा, जनपद गाजीपुर का भवन ढहा दिए जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

* श्री ओम प्रकाश-(गाजीपुर)

मान्यवर, बाबा राम नगर लघु माध्यमिक विद्यालय, नैसारा, जनपद गाजीपुर लगभग 10 वर्षों से लगातार चल रहा था मान्यता प्राप्त है। सात पक्के कमरे व 7 कमरे खपरैल स्तर के थे।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण (मंत्री श्री बी0 आर0 वर्मा)-

मान्यवर, यह नियम 300 में नहीं आता है।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)-

जिला प्रशासन द्वारा सरकार के इशारे पर इसे ढहा दिया गया। कोर्ट का स्टे आर्डर भी है, अम्बेडकर मूर्ति लगाने के लिए इसे ढहाया गया।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप कहें तो इस घटना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दें।

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)-

जब से श्रीमन यह सरकार आयी है तब से इस तरह की बातें हो रही हैं। (× × ×) जिला प्रशासन ने इसमें नियमों को ताक पर रख दिया क्षेत्र में लोगों में असन्तोष व्याप्त है।

श्री सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, यह नियम 300 में ये बातें कहां आती हैं?

श्री अध्यक्ष-

केवल ग्राह्यता पर बोले।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)-

मान्यवर, लगातार 10 वर्ष से विद्यालय उस जमीन पर चल रहा था। 400 विद्यार्थी नियमित शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। प्रबन्ध समिति के लोग जेल में हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह 300 में नहीं आती।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)-

मान्यवर, इसमें न्यायालय का आदेश है, 23-7-97 को दिया गया है। पूरी की पूरी इमारत को ध्वस्त करके एक सरकारी पार्टी की मंशा पर वहां पर ताण्डव किया जा रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:- (× × ×) यह अंश का अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, यह नियम 300 में कहां आती है ?

श्री अध्यक्ष-

यह नियम 300 में नहीं आती है ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)-

।× × × ×।

श्री अध्यक्ष-

यह सब नहीं लिखा जायेगा, सूचना के बाहर की बात है ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)-

न्यायालय के आदेश की इसमें धज्जियां उड़ाई गयी हैं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह नियम 300 में नहीं आती है उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश का उल्लंघन हुआ है कृपया इसका परीक्षण करवा लीजिए ।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, जो न्यायालय का आदेश है वह इस सरकार के लिए शिरोधार्य है । जंगल राज में जो कुछ भी होता रहा है, अब कानून का राज्य है, कानून से सब काम चलेगा गैरकानूनी काम सरकार में होने नहीं पायेगा । जो आरोप लगाये हैं वह निराधार हैं ।

* श्री कैलाश यादव-

मान्यवर, बुलडोजर लगाकर गिरा दिया गया ।

श्री अध्यक्ष-

मैने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है । श्री ओम प्रकाश जी को इस पर सुन भी लिया है । आप नियम 300 को खोल कर पढ़ लीजिए और बताइए कि किस शर्त के अधीन यह आता है ।

नोट:- ।× × × ×। यह अंश श्री अध्यक्ष के अदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण मसला है इस पर एक-एक मिनट सुन लें।

(समय 3 बजकर 25 मिनट)

श्री अध्यक्ष-

यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है।

(व्यवधान)

यदि किसी दूसरे सुसंगत नियमों में कह सकते हैं तो कहें उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन यह नियम-300 के अंतर्गत नहीं आती है। आप लोग कृपया बैठ जायें। मद संख्या-3, 4, 5, 6 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या 7 ले रहा हूं।

कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की सूचनायें

आज दिनांक 28-7-97 को नियम-3।। में प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया है। इस प्रकार नियम-56 के अंतर्गत कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाऐं चयनित की गयीं। प्रथम-5 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है:- पहली सूचना श्री धनीराम वर्मा, डा0 अशोक बाजपेई, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री ओम प्रकाश व डा0 वकार अहमद शाह की हरदोई जिले की संडीला कोतवाली अन्तर्गत एक व्यक्ति को अपहृत कर हत्या किये जाने तथा विरोध स्वरूप प्रदर्शन कर रहें नागरिकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इसी सम्बन्ध में एक और सूचना डा0 अशोक बाजपेई, श्री अम्बिका चौधरी, डा0 वकार अहमद शाह और गौरी शंकर एडवोकेट की भी प्राप्त हुई है। आठ माननीय सदस्यों के दो सूचनाओं पर हस्ताक्षर हुए हैं। मैं किन्हीं दो तीन माननीय सदस्यों को इसमें सुन लूंगा।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना क्रम संख्या-5 पर लगी हुई है। आप कृपया बैठ जायें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैंने भी नियम-3।। के अंतर्गत एक सूचना दी थी। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में लाटरी पुनः चालू हो जाने से प्रदेश का जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाल जी, आपकी सूचना क्रम संख्या-9 पर है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यह अति महत्वपूर्ण सूचना है। आज पुनः प्रदेश में लाटरी प्रचलित हो गयी है। और एक सूचना तो आपके विशेषाधिकार में रहती है।

श्री अध्यक्ष-

मैने उसे क्रम संख्या-। पर ले लिया है। लाटरी की समस्या तात्कालिक नहीं है। अविलम्बनीय होना अलग चीज है और महत्वपूर्ण होना अलग है। यह जो सूचना मैंने ली है यह तात्कालिक है और अभी दो तीन दिन पहले ही यह घटना घटी है। अतः आप बैठ जायें। क्रम संख्या-9 पर आपकी सूचना है। माननीय सदस्यों से मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि वह संक्षेप में अपनी बात कहें जिससे अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

* डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, यह अति महत्वपूर्ण सूचना है। आज पूरा सण्डीला का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। 20 तारीख को शाम 8.00 बजे सईद अहमद नामक नवयुवक जिसकी आयु 20 या 22 साल की रही होगी उसको दुकान से बुलाकर ले जाया गया। जब वह 20 तारीख को घर वापस नहीं लौटा तो उसके घर वालों ने पुलिस को सूचना दी कि सईद अहमद को बज्मी नामक युवक ले गया है। लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी। 21 तारीख तक परिवार के लोगों ने निरन्तर दबाव बनाये रखा लेकिन पुलिस वालों ने उनकी बात नहीं सुनी। जब 22 तारीख को सण्डीला के और लोगों ने इसकी रपट दर्ज करानी चाही तो भी उसकी रपट दर्ज नहीं की गयी।तब 23 तारीख को समाजवादी पार्टी के महासचिव भाई अजीज हसन को बुलाकर लाया गया और उन्होंने थाने में जाकर कोतवाल से कहा कि तीन दिन हो गये हैं उस नौजवान का अपहरण हुए और आप लोगों ने अभी तक अपहरण का मुकदमा दर्ज नहीं किया है। मान्यवर, अपहरण होने के बाद से उनके घर दो बार फोन आया कि दो लाख रूपया लाकर हमें दे दो तो तुम्हारा लड़का मिल जायेगा। जब दोबारा फिर फोन आया जो कि सईद के ड्राइवर ने उठाया उसने कहा कि हमको सईद के पिताजी से बात

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

कराओ। उसने कहा कि मैं बोल रहा हूं। उधर से आवाज आई कि मैं आपकी आवाज को पहचान रहा हूं तुम ड्राईवर बोल रहे हो तो उसने भी कहा कि तुम बज़्मी बोल रहे हो। सईद को वापस कर दो और उसकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ मत करो। इसके बाद सईद की हत्या कर दी गई और तीन दिन तक पुलिस ने रिपोर्ट तक नहीं लिखी और लाश को खोजने तक का काम पुलिस ने नहीं किया लोग लगातार कोतवाली जाते रहे और जिला प्रशासन पर दबाव बनाये रहे तब जाकर 23 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया गया वह भी जी0डी0 में बैक डेट दिखाकर। नागरिकों द्वारा लगातार दबाव बनाये रखे जाने के कारण पुलिस ने कहा कि हरदोई ढाबा के आस-पास एक किलोमीटर के बीच देखो, सूचना मिल जायेगी। जब उस इलाके में खोजने का काम किया तो एक तालाब में उसकी लाश सड़ी-गली अवस्था में मिली। क्योंकि लाश को तीन दिन हो गए थे। 24 तारीख को लाश मिली। परिणामस्वरूप यह स्वाभाविक था कि लोगों में रोष व्याप्त हो गया क्योंकि एक तो पहले पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी और लाश क्षत-विक्षत अवस्था में मिली। कमीज, बनियान के आधार पर लाश की शिनाख्त हो पायी जब 15 हजार की भीड़ लाश को ले जा रही थी तो पुलिस के निकम्मेपन को देखते हुए आक्रोषित जनता ने थोड़ा पथराव किया क्योंकि 4 दिन पहले दिन दहाड़े नवयुवक का अपहरण हुआ और पुलिस उदासीन बनी रही। वहां के प्रशासन ने अपनी अक्षमता को छिपाने के लिये जनता के ऊपर लाठी चार्ज किया, कई लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये और कई लोगों को गम्भीर चोटें आयी। मान्यवर, जनता ने आक्रोशवश जो पथराव किया वह किसी पार्टी का काम नहीं था क्योंकि इस घटना से पूरा नगर उत्तेजित था परन्तु आज तक इस घटना में पुलिस ने अभियुक्तों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। प्रयास तो यह किया गया कि इसे साम्प्रदायिक मोड़ दे दिया जाय। मैं वहां के लोगों की इस सूझबूझ के लिए बधाई दूंगा कि उन्होनें संयम से काम लिया और प्रशासन के षडयंत्र को सफल नहीं होने दिया जब सरकार के पास इसका कोई ठीक जवाब नहीं रहा तो अपनी अक्षमता व झूठ को छिपाने के लिये तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों के विरूद्ध झूठे मुकदमें दर्ज कर दिये गये।

आज भी इस घटना को लेकर सारे सण्डीले नगर मे आक्रोष व्याप्त है। लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और गम्भीर आरोपों में लोगों को फंसाया गया है सेवन क्रिमनल ऐक्ट तक लोगों के विरूद्ध लगाये गये हैं और 15 लोगों को जेल में ठूंस दिया गया और समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर एन0 एस0 ए0 लगाये जाने का काम यह सरकार कर रही है। यह सब सत्ताधारी दल के इशारें पर व बहुजन समाज पार्टी के इशारे पर हो रहा है। मुख्य अभियुक्त बज़्मी जो लेकर उसे गया था, उसे आज तक पकड़ने का काम नहीं किया गया उस नवजवान को 3-4 लोगों ने मारा। आज भी संडीला नगर इस घटना से आक्रोषित है, किसी भी समय कोई और घटना घट सकती है तथा समाजवादी

पार्टी के लोगों को मोहरा बनाकर उनके खिलाफ कार्यवाही करने की साजिश यह सरकार कर रही है। इसलिए मान्यवर, मेरी मांग है कि इस गम्भीर घटना के ऊपर आप आज शेष सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायें। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो बेगुनाह लोगों को बन्दी बनाया गया है, उनको छोड़ा जाये। मान्यवर, मेरी दूसरी मांग है कि जो दोषी अधिकारी हैं, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये, जिससे सण्डीला नगर में जो रोष व्याप्त है, वह समाप्त हो सके।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, यह घटना सण्डीला कस्बे में हुई है, मुन्ने मियां वहां के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। 20 तारीख को उनके लड़के सईद अहमद का अपहरण कर लिया गया और यह अपहरण एक दूसरे गांव के रहने वाले बज़्मी ने किया। इसकी सूचना वहां की पुलिस को दी जाती है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है और जब रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती है, तो 22 तारीख को सन्डीला के लोग थाने का घेराव करते हैं और जब घेराव किया जाता है, तब रिपोर्ट लिखी जाती है। 23 तारीख को सईद अहमद की हत्या कर दी जाती है और लाश को पड़ोस में एक तालाब के किनारे फेंक दिया जाता है। एक दरोगा रात को जाता है और मुन्ने मियां से कहता है कि सन्डीला से 2-3 किलोमीटर के दायरे में आपका लड़का मिल जायेगा ओर जब सुबह उसके परिवार के लोग जाते हैं तो वहां पर उसकी लाश मिलती है लाश खराब हो जाती है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हत्या हुई है वह पुलिस की लापरवाही से हुई है और इसमें सरकार का सुनियोजित षडयंत्र रहा है। इस हत्या के होने के बाद भी अपराधी को बचाया जा रहा है और जब घटना की सूचना पूरे क्षेत्र में फैल जाती है, तो लोगों में रोष उत्पन्न हो जाता है और 15-20 हजार लोग वहां पर आ जाते हैं। मान्यवर, आक्रोश में कुछ भी हो सकता है और 24 तारीख को एडीशनल एस0पी0, इन्सपेक्टर और वहां के सी0ओ0 जनता पर लाठी चार्ज करते हैं और 80-90 लोग घायल हो जाते हैं और समाजवादी पार्टी के लोगों के विरुद्ध कई-कई मुकदमें दर्ज कर दिये गये।

इस समय 1.30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सूर्यप्रताप शाही पीठासीन हुए।

अजीज हुसेन जो समाजवादी पार्टी के नेता है, उन पर एन0 एस0 ए0 लगाया जाता है, जबकि वह मौके पर नहीं था। मान्यवर, इस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। यह सारी बातें सरकार के संज्ञान में हैं पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोगों की हत्याओं का सिलसिला आज भी जारी है। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि सारी कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करा दें और दोषी लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, समाजवादी पार्टी के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और यह सब शासन के इशारे पर हो रहा है। समाजवादी पार्टी के लोगों पर लाठी और डन्डे बरसाये जा रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है और महिलाओं की बेइज्जती की जा रही है। एक जवान लड़का मारा गया और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी।

मान्यवर, वहां के विधायक के इशारे पर समाजवादी पार्टी के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, हजारों लोगों को गिरफतार किया गया है, अल्पसंख्यकों के घरों में घुस कर पुलिस बेधड़क हो कर महिलाओं को बेइज्जत कर रही है, बच्चों को पीटा जा रहा है। यह बड़े दुख की बात है कि पुलिस सरकार के इशारे पर अनुशासनहीन होकर काम कर रही है। हर क्षेत्र में जो सरकार चाहती है वह उनसे करवा रही है। एक जवान लड़के को मार डाला और जब इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तो स्वाभाविक है लोगों में आक्रोश पैदा हुआ और लोगों ने थाने को घेरा जब लाश मिली तो उसमें संवेदना प्रकट करने लोग जाते हैं उनके साथ पुलिस ने बुरी तरह से सलूक किया, पुलिस ने नंगा नाच वहां पर किया, लोगों को बुरी तरह से पीटा गया खासकर समाजवादी पार्टी के लोगों की बुरी तरह से पिटाई की गयी। इस मामले की जांच जरूरी है और आज मैं चाहूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पर सदन का सारा कार्य रोक कर चर्चा कराई जाये, बहस का मौका दें ताकि हम अपनी बात यहां पर रख सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर बल देता हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, नियम 56 में जो यह प्रश्न उठाया गया है यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है और बहुत ही संवेदनशील विषय है जिसे मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं। इस पर सभी माननीय सदस्यों ने बल दिया है। इसकी संवेदनशीलता स्वयं स्पष्ट है कैसे एक नौजवान का अपहरण हुआ। यह मेरे क्षेत्र से लगे हुये रहीमाबाद सण्डीला जो मलिहाबाद के बार्डर से लगा हुआ है इस लिये मेरी भी जानकारी में कुछ तथ्य हैं जिन्हें मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं जो तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी में आये हैं तथा माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं उनके आधार पर तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सईद अहमद का अपहरण होने के दो दिन तक एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी गयी, सईद अहमद के पिता मुन्ने अहमद ने यह मामला पुलिस के संज्ञान में लाया लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। जब दो-दो दिन तक एफ0 आई0

आर0 न लिखी जाय तो आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं जिस व्यक्ति ने यह कार्य किया है उनके हाथ कितने लम्बे होंगे। दो दिन बाद एफ0 आई0 आर0 होने के बाद भी पुलिस सक्रिय नहीं होती है और हाथ पर हाथ रख कर बैठी रहती है। तो उससे ऐसा लगता है कि षडयन्त्रकारियों से पुलिस मिली हुई है। 23 तारीख को शायद हत्या की गई और 24 तारीख को ढाबे के पास लाश पड़ी हुई मिली।

श्री अधिष्ठाता-

सारे तथ्य आ गये हैं अब उनकी पुनरावृत्ति हो रही है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर एक नौजवान की हत्या हो जाए और उस पर पुलिस कोई कार्यवाही न करे तो जनजीवन में स्वाभाविक है कि उत्तेजना और प्रदर्शन होंगे। एफ0 आई0 आर0 न लिखे जाने पर वहां भी स्वाभविक रूप से उत्तेजना पैदा हुई। बजाय सहानुभूति के लोगों को पीटा गया। (व्यवधान) अपराधियों को पकड़ने के बजाय एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं को जेलों में बन्द कर दिया गया। वहां के एम0 एल0 ए0 प्रत्याशी अजीज हसन को रासूका में बन्द करने की कार्यवाही हो रही है। चार-पांच लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमें दर्ज किए गए हैं, लोगों को घरों से पकड़कर पीटा जा रहा है। और जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है उससे उत्तेजना पैदा हो रही है। मैं अधिष्ठाता पीठ से संरक्षण चाहता हूं। यह नियम-56 का अत्यंत लोकमहत्व का अविलम्बनीय तात्कालिक घटना से संबंधित है। अतः सदन की पूरी कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जल्दी कार्यवाही की जाये।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)-

मान्यवर सईद अहमद की हत्या जिस तरह से हुई और सरकार की तरफ से जो कार्यवाही हुई है वह अत्यंत अफसोसजनक है यह सरकार जब से आई अपने को पारदर्शी कहती है, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा, सबको न्याय मिलेगा कहती है। तो इस घटना से यह मालूम हो जाएगा कि कैसे दूध का दूध और पानी का पानी होता है।

अधिष्ठाता महोदय, सईद अहमद का अपहरण होता है और सईद अहमद जिस परिवार के हैं वह जिम्मेदार लोग हैं और उनका अपना वजूद है। जब परिवार के लोग थाने जाते हैं अपहरण की रिपोर्ट लिखाने तो एफ0 आई0 आर0

नहीं लिखी जाती है इससे इस मामले की गंभीरता समझ में आती है दो दिन बाद जब वहां की जनता प्रदर्शन करती है तो अजीज हसन जो हमारे समाजवादी दल के पदाधिकारी हैं वह कोतवाली जाते हैं और कहते हैं कि सईद अहमद को खोजा जाये और मुलजिम तलाशे जायं तो उस पर कार्यवाही नहीं होती है। जब सईद अहमद की लाश मिलती है तो वहां की जनता में रोष पैदा होता है और कार्यवाही के लिये प्रशासन पर दबाव डालने के लिये जब समाजवादी पार्टी के लोग जो अपनी गुहार कर रहे होते हैं उन पर लाठीं चार्ज किया जाता है गोली चलायी जाती है।

लोकतांत्रिक पद्धति में अनशन और प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है लेकिन जो लोग प्रदर्शन कर रहे होते हैं उन पर लाठी चार्ज और गोली चलायी जाती है और उसके बावजूद यह कहा जा रहा है कि यह सरकार पारदर्शी है और कानून तथा व्यवस्था की रक्षक है। यह जो कृत्य हुआ है यह नादिरशाही की याद दिलाता है। जबसे यह हुकूमत आयी है, कहती है अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति के लोगों की रक्षा न करके एक जाति विशेष के लोगों के लिये यह हुकूमत आयी है। इसकी मंशा है कि 6 महीने रहना है लूट सको तो लूट लो। इस सरकार का कानून से कोई लेना देना नहीं है। जबसे यह सरकार आयी है अल्पसंख्यक भयभीत हैं और साम्प्रदायिक शक्तियाँ फलफूल रही हैं और पूरा प्रदेश भयाक्रांत है। आज 15 करोड़ प्रदेश की जनता की कोई सुरक्षा नहीं है। यह एक अत्यंत गंभीर मामला है इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आभारी हूं, जितनी चर्चा यहां पर आयी है उससे 2 बातें उभर कर आयीं हैं। लगता है कि असली दोषियों को दंडित करने की मंशा नहीं है। सबसे पहले तो कार्यवाही होनी चाहिये उन पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ जो थाने पर तैनात हैं और जिन्होंने एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी, एफ0 आई0 आर0 न लिखना स्वयं अपराध है जिन्होंने एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। यह प्रश्न किसी दल विशेष का नहीं है जो लोग जांच की मांग कर रहे थे उनके खिलाफ झूठे मुकदमें दर्ज करना निरंकुशता का प्रतीक है। जिस समय अपहरण हुआ था यदि उसकी एफ0 आई0 आर0 लिखी जाती और पुलिस सक्रिय हो जाती तो एक निर्दोष की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन अपहरण होने के बाद एफ0 आई0 आर0 जो नहीं लिखी गयी है उनके खिलाफ आज तक क्या कार्यवाही हुयी है उसको क्या माननीय मंत्री जी सदन में बताने की कृपा करेंगे। ऐसा लगता है कि पुलिस अपराधियों से मिली है और हत्या की साजिश में शामिल है इसलिये पुलिस के खिलाफ मुकदमें दर्ज किये जायें और जनता के खिलाफ जो झूठे मुकदमें कायम हुये हैं उनको वापस लिया जाय।

श्री धर्मज्ञ मिश्र-

मान्यवर, यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। वहां पर 3500 लोगों के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 लिखी गयी है। झूठे मुकदमों में लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है। इस पर तत्काल कार्यवाही करें। वहां के डी0 एम0, एस0 पी0 और पुलिस के जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं वहां पर नहीं पहुँचे जिससे यह घटना घटित हुयी और हजारों हजार आदमी वहां पर मारा मारा घूम रहा है। पुलिस उनके खिलाफ कार्यवाही कर रही है। किसी को पूजा स्थल पर नहीं जाने देते, मस्जिद पर नमाज पढ़ने के लिये नहीं जाने देते। मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

इस पर चर्चा नहीं हो रही है। ग्राह्यता पर आप लोगों के सारे तथ्य आ गये हैं। आप लोगों ने इतने विस्तार से बताया है कि चर्चा का ही माहौल बना लिया। श्री राम जग जी, आप कोई नया तथ्य लाना चाहते हो तो कहें। वैसे माननीय सदस्यों ने सारे तथ्य कह दिये हैं। नया तथ्य हो तो कहें। पुनरावृत्ति न करें।

* श्री राम जग-

अधिष्ठाता महोदय, सईद अहमद के बारे में जैसा चर्चा के दौरान कुछ सवाल उभरकर आये हैं। पहली बात यह कि अपहरण हुआ और अपहरण की सूचना दर्ज नहीं हुई। पुलिस अगर सक्रिय होती तो जान बचाई जा सकती थी। उसके बाद बार-बार लोगों ने प्रयास किया लेकिन एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं हुई। एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं होना इस बात का सबूत है कि पुलिस हत्यारों से मिली हुई है और हत्यारों से मिलकर हत्या कराई। निर्दोष लोगों को पुलिस द्वारा परेशान किया गया। पुलिस थानेदार, एस0 एस0 पी0 और जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है जिससे पता चलता है कि यह सरकार अल्प संख्यकों, निर्दोष व्यक्तियों तथा उत्तर प्रदेश की जनता के जान-माल की रक्षा के लिये कतई गम्भीर नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रमोद कुमार जी उधर बैठे हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता-

यह कुछ दिनों में उधर ही आकर बैठने वाले हैं।

(व्यवधान)

इतने गम्भीर विषय को आप लोगों ने रखा और उस की ग्राह्यता पर मैंने कई माननीय सदस्यों को सुन लिया है अब माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दीजिये।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)-

मान्यवर, जहां तक एफ0 आई0 आर0 का सवाल है। मुन्ने अंसारी

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आपने इतने गम्भीर विषय को उठाया। तथ्यों के बारे में सरकार के पक्ष को नहीं सुनना चाहेंगे?

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, अपराध संख्या 143/97 जो है मुन्ने खां अंसारी मृतक के पिता हैं। उनकी लिखित तहरीर पर एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

किस तारीख को की गई।

श्री अधिष्ठाता-

पूरी बात तो सुन लें मंत्री जी की। उसके बाद जो कहना हो कहें।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

भारतीय दंड संहिता 365 के तहत यह 22 तारीख को दर्ज हुई है और उसमें जिनकी गिरफ्तारी का सवाल है, जो नामजद किये गये थे एफ0 आई0 आर0 में उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। मृतक की मोटर साइकिल बरामद की जा चुकी है। जहां तक कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का सवाल है वह कोई भी होगा

यह सरकार किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं देगी। हुआ क्या है, माननीय सदस्य 20 की बात कह रहे हैं। 20 के बाद 24 को जो वहां पर तांडव नृत्य किया है वह यह सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस के काम में दखलअंदाजी की, पुलिस के ऊपर पथराव किया।

(सदस्य इसे सरकार की गलतबयानी कहते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये)

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए।)

* श्री धर्मज्ञ मिश्रा-

हरदोई में धांधली कर रहे हैं। ऐसे नहीं चल पाएगा।

(घोर व्यवधान)

(कई सदस्य नारे लगाने लगे पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी)।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(श्री धर्मज्ञ मिश्रा एवं अन्य माननीय सदस्य-झूठे मुकदमें वापस लो। पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी)।

श्री धर्मज्ञ मिश्रा-

तीन हजार पांच सौ के खिलाफ कैसे मुकदमें हो गए जो लोग घर में लेटे थे उनको पकड-पकड़ कर बन्द कर दिया गया। जिस समय आन्दोलन हो रहा था उस समय क्यों नहीं पकड़ा?

(घोर व्यवधान)

(सदस्य सदन के फ्लोर पर नारे लगा रहे थे झूठे मुकदमें वापस लो, पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी)।

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता-

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह कृपया अपने-अपने आसन पर जायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री धर्मज्ञ मिश्रा-

।× × × × ×।

श्री अधिष्ठाता-

कुछ लिखा नहीं जाएगा। सदस्यगण अपने-अपने आसन पर जाएं। मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् श्री अधिष्ठाता ने 2 बजे सदन की कार्यवाही 2 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट तक बढ़ाये जाने का निर्देश दिया है। 2 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री सूर्य प्रताप शाही के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग बैठ जायें और डा0 अशोक बाजपेयी जी आप अपनी बात कहें।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, इतने गंभीर मसले को कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में सदन में लाने का काम किया गया। मान्यवर, आज सण्डीला में जनजीवन तबाह हो गया। संसदीय कार्यमंत्री जी ने उत्तर में कहा कि 22 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया गया। मान्यवर, 22 तारीख को सण्डीला में घटना घटित होती है, घटना के 10 कदम पर वहां कोतवाली है, दिनांक 20, 21, और 22 को एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी जाती है बल्कि 23 तारीख को थाने में हमारी/पार्टी के लोगों ने दबाव डाला तब एफ0 आई0 आर0 लिखी गई।

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी ने बताया है कि 22 तारीख को एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, 20 तारीख को घटना हुई और 22 तारीख तक एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी गई तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ मंत्री जी कोई कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं? इसीलिए वहां की जनता 24 तारीख को प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ पुलिस में एन0 एस0 ए0 की कार्यवाही किया तो यह उचित कार्यवाही नहीं है।

नोट :- ।× × ×। यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, आप उत्तर प्रदेश सरकार के गृहमंत्री रह चुके हैं इसलिए पुलिस की कार्यवाही से वाकिफ होंगे। मान्यवर, 22 तारीख को जी0 डी0 खुली रखी गई और 23 तारीख को जब वहां जन आंदोलन बढ़ा तो बैक डेट में एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गई। मान्यवर 24 तारीख को जब उस नौजवान की लाश मिल जाती है जिसे देखने के लिए वहां लोग गये। मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि वहां तोड़-फोड़ और शान्ति व्यवस्था भंग करने का काम जनता ने किया इसलिए पुलिस ने कार्यवाही किया। मान्यवर, लाश देखने के लिए जन आक्रोश था जिससे कोतवाली के सामने छुट-पुट घटनायें हुई। लेकिन चार दिनों तक एफ0 आई0 आर0 न लिखे जाने के कारण ही उस नौजवान की हत्या हुई।

मान्यवर, मेरी मांग है कि वहां निरपराध लोगों को जो जेलों में बंद किया गया है उन्हें छोड़ा जाय। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाय अन्यथा हम जन सेवकों का काम करना मुश्किल हो जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, 20 तारीख को अपहरण किया गया है और 22 तारीख तक एफ0 आई आर0 दर्ज नहीं की गई है तो सरकार ने पुलिस के खिलाफ क्या कार्यवाही किया? (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश-

मान्यवर, श्री अजीज हसन के खिलाफ यह सरकार रासुका लगाने के लिए बचनबद्ध है जो ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग बैठ जायें और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुन लें।

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, मैं केवल तीन बिन्दुओं पर माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं। दिनांक 20 को घटना हुई, बाजपेई जी के अनुसार 22 तारीख को एफ0 आई0 आर0 लिखी गई, यह रिपोर्ट लिखने में विलम्ब क्यों हुआ, दूसरी बात जो समय से न लिखने वाले लोग थे, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही हुई है। रोज यह सरकार कहती है कि संवेदनशील सरकार है, पारदर्शी सरकार है, अगर ऐसा है तो 20 तारीख की घटना की एफ0 आई0 आर0 उसी दिन क्यों नहीं लिखी गई। तीसरी बात, मान्यवर, प्रजातांत्रिक प्रणाली में आप भी सहमत होंगें, सब लोग जानते हैं कि जब जनता की बात नहीं सुनी जाती है तो आन्दोलन ही एक रास्ता होता है, जब रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो जनाक्रोश भड़का और तब सरकार के निर्देश पर निरीह लोगों के ऊपर मुकदमा क्यों कायम किया जा रहा है, उन मुकदमों को वापस लिया जाय, इसी के साथ मैं अपनी बात पर बल देता हूं।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, 20 तारीख की जिस घटना का उल्लेख किया गया है, उसमें जो अभियुक्त हैं और जो मृतक है, जिन अभियुक्तों ने किडनैप किया, उन दोनों का मिलना-जुलना था, अभियुक्त ढाबे पर खीर खिलाने के बहाने से उसको बुलाकर ले गये। इसकी रिपोर्ट 20 तारीख को होनी चाहिये थी, ऐसा कहा गया। जैसे ही यह सूचना मिली, सरकार द्वारा इसको पूरी गम्भीरता से लिया गया, इसमें तुरन्त दो बिन्दुओं पर ए0डी0एम0 तथा एडीशनल एस0पी0 को जांच के लिये लगाया गया, पहला बिन्दु कि एफ0आई0आर0 में देरी क्यों की गई तथा दूसरा पुलिस को जिस तत्परता से कार्यवाही करनी चाहिये थी, वह पुलिस ने किया अथवा नहीं। उनसे इस बिन्दुओं पर आख्या देने को कहा गया है, ताकि दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके।

दूसरा जो माननीय सदस्यों की जिज्ञासा है, उसके संबंध में कहना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन इस गठबंधन की सरकार के रहते प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ने वाली नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मंत्री जी का जवाब देख लें। यह सवाल नियम 56 में निश्चित जानकारी के तहत लोक महत्व का और तात्कालिक घटना पर उठाया गया है। माननीय मंत्री जी के जवाब से स्पष्ट हो गया कि 20 तारीख की घटना की 22 तारीख को एफ0 आई0 आर0 लिखी गई। मान्यवर, आप देखें कि यह तीसरी घटना है, इस प्रदेश में, पीठासीन महोदय, मैं आपका ध्यान इसलिये आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, बबराला की घटना घटी, गीडा की घटना घटी और तीसरी ये संडीला की घटना घटी। गलती किसी ने की जिसकी सजा जनता को दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी का नाम ले लिया, यह ठीक नहीं है। जिन लोगों ने एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी। आज 27 तारीख तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। पहले जांच करवा लें जब एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी गयी तो यह तो दण्डनीय अपराध है, संज्ञेय अपराध है। अब आप ए0 डी0 एम0 से किस बात की जांच करवा रहे हैं तीन अभियुक्त के खिलाफ एफ0आई0आर0 हुई थी और उनमें से अभी तक केवल एक को गिरफ्तार किया गया दो को गिरफ्तार नहीं किया गया है। दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही न करके जनता को प्रताड़ित करने का काम हो रहा है। 500 लोगों के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव अजीज खां का साजिश में फसाने की मंशा इस सरकार की है। हम चाहते हैं कि जो बिन्दु मैंने उठाये हैं उस पर सरकार स्पष्टीकरण दें।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, दोनों दोस्त रहे हैं वह उसको मोटरसाइकिल से खीर खिलाने के लिए ले गया था (व्यवधान)

मान्यवर, इसके बावजूद इस संवेदनशील सरकार ने कदम उठायें हैं इसको देखा जायेगा कि वह रपट कराने के लिए कब गये इसमें जो भी पुलिस अधिकारी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री ओम प्रकाश-

मान्यवर, 20 की घटना है और 22 तारीख तक एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी गयी।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, कानून व्यवस्था को बनाये रखने की जिम्मेदारी सरकार की है यहां पुलिस के आठ-आठ कार्मियों को चोट पहुंची है वहां के प्रभारी निरीक्षक जो हैं उनके पसली की हड्डियां तोड़ दी गयी क्या यही लोक तंत्र है यह अधिकार कानून के निगाह में किसी का नहीं है।

(व्यवधान)

मान्यवर, जिन अजीज खान का नाम लिया गया उनका दर्द यह है कि वह चुनाव लड़े थे और चुनाव लड़ने में वह हार गये थे और वहां से बहुजन समाज पार्टी का विधायक जीत गया था इसीलिए वहां पर ला एण्ड आर्डर बिगाड़ने की कोशिश हो रही है इस लिए कि प्रदेश सरकार की बदनामी हो और इस लिये यह सारा षडयंत्र वहां पर रचा गया लोगों को उकसा करके। मान्यवर, 20तारीख की घटना है उस दिन कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, 21 तारीख को कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, 22 तारीख को कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, 23 तारीख को जाकर के लोगों को उकसा करके कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का यह घृणित कार्य किया गया।

मान्यवर, इस समय वहां कोई तनाव नहीं है, दिक्कत नहीं है, कानून व्यवस्था व्यवस्थित है। वहां पर लाख कोई कोशिश कर लें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की हम कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की नहीं बिगड़ने देंगे यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मान्यवर, इसे यहां राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है जबकि मृतक के पिता से स्थानीय विधायक के अच्छे सम्बन्ध हैं। मान्यवर, इन्हें लाश की राजनीति नहीं करनी चाहिए जो हत्या हुई है उसके प्रति हम भी संवेदनशील हैं जैसे ही मालूम हुआ 302 और 201 के अन्तर्गत उसको परिवर्तित कर दिया गया है, उसको गिरफ्तार किया गया

है यह सब करने में पुलिस तत्परता से लगी हुई है। इस तरह से नियम 300 में नहीं आता और जो आरोप हैं वे सब निराधार हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने आपको भी सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को भी सुना अब मैं अपनी व्यवस्था दूंगा।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने गलत बयानी की है मैं जानना चाहता हूं कि क्या घटना के समय एजाज हसन जी संडीला में थे या नहीं थे? अगर नहीं थे तो दोषी बनाने का क्या कारण? आज जिन लोगों के विरूद्ध पुलिस प्रताड़ना की कार्रवाई कर रही है उन्हें जेलों में बन्द कर रही है लोगों को ढूढ़-ढूढ़ कर अभियुक्त बनाया जा रहा है ये घटना तात्कालिक थी वहां आक्रोश उसकी लाश को देखकर था कहीं कोई सुनियोजित घटना नहीं थीं। माननीय मंत्री जी उसे राजनीतिक रूप देना चाहते हैं। पुलिस की अकर्मण्यता को छिपाना चाहते हैं। इतनी गंभीर घटना पर जो जवाब माननीय मंत्री जी दे रहे हैं वह गंभीर नहीं है। पूरे संडीला में इतना बड़ा आक्रोश है मैं चाहूंगा कि मेरे इन प्रश्नों को उत्तर माननीय मंत्री जी से दिलवा दें?

श्री अधिष्ठाता-

तीनों तथ्य हैं, जो विचार व्यक्त किये हैं, उन तथ्यों को सम्मिलित करते हुये माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक वक्तव्य सरकार की ओर से दिला देंगें। सूचना अस्वीकार की जाती है।

डा0 अशोक बाजपेयी-

जो जेलों में बन्द हैं उन्हें छोड़ा जाये जो उत्पीड़न की कार्यवाही है सरकार उसको रोके।

श्री अधिष्ठाता-

अगली सूचना कुँवर रेवती रमण सिंह व अन्य की प्रदेश के पूर्वांचल में कतिपय जनपदों में पानी न बरसने से उत्पन्न सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में है।

कुँवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, अमरीका के मौसम विभाग के वैज्ञानिक लोगों ने जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये भविष्य वाणी की थी कि गरम हवायें मेक्सिकों में नहीं बनी हैं इस लिए भारत वर्ष में वर्षा बहुत कम होगी और सूखा पड़ेगा। लेकिन भारत के वैज्ञानिको ने यह कहा कि गरम हवाएं नहीं बनी मेक्सिकों के समुद्र में लेकिन पानी पूरा बरसेगा।

मान्यवर, जून में वर्षा नहीं हुई, जुलाई में थोड़ी बहुत वर्षा हुई है। नतीजा यह हुआ है कि पूरे पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड में लगभग 25-30 जिलों में सूखे की स्थिति पैदा हो गयी है। कहीं तो अधिक अतिवृष्टि हुई है, पूर्वांचल के सभी जिलों में और बुन्देल खण्ड में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। बहुत से जिलों में धान की रोपाई नहीं हुई है। प्रदेश में किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, नहर बन्द हैं, अधिकांश नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुँच रहा है, रजबाह बन्द है। पूरी खरीफ की फसल चौपट होने की आशंका है। प्रदेश के करोड़ो किसानों के जीवन मरण का प्रश्न है सरकार को चिन्ता नहीं है। सरकार द्वारा कोई त्वरित कार्यवाही नहीं की गई है। इनके पास दूसरे कामों के कारण किसानों के लिए समय नहीं है। इसमें तुरन्त चर्चा करायी जाय किसानों को 16 घन्टे बिजली दे। इलाहाबाद में सूखा है नहरे पूरी बन्द हैं। नहरें और ट्यूबवेल लगातार चलायें जाये जिससे की खरीफ की फसल बचाई जा सके यही मेरा निवेदन है।

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, कुँवर रेवती रमण सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसी भी नहर में टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। पानी की बहुत कमी वहां पर है। इसका कारण यह है कि नहरों की सफाई नहीं हुई जिस कारण नहरों की जो क्षमता है, उस हिसाब से पानी नहीं पहुंच रहा है। आज पूरे पश्चिमी उत्तरी प्रदेश में पानी की बहुत आवश्यकता है सिंचाई के लिए परन्तु बिजली की आपूर्ति एक-दो घण्टे हो रही है और ट्रांसफारमर फुंके पड़े हुए है। आज वहां का किसान बिजली के दफ्तर के चक्कर काट रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि नहरों की सफाई की जाय, नहरों में पूरी क्षमता के साथ पानी छोड़ा जाय और जो ट्रांसफारमर खराब पड़े हुए हैं, उन्हें एक सप्ताह के अन्दर बदल दिया जाय और ग्रामीण क्षेत्र में 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाय।

(डा0 अशोक बाजपेयी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय बाजपेयी जी नियम-56 में एक सदस्य की एक ही सूचना ली जाती है। मैंने श्री जगदम्बिका पाल जी को बुलवा लिया है, उनके बहुमूल्य सुझाव आप सुनें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने जो प्रस्ताव यहां पर रखा है,

उसकी ग्राह्यता के बारे में आपने मुझे भी बोलने का मौका दिया, इसके लिए आभारी हूं। जैसा कि श्री रेवती रमण सिंह जी ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बुन्देलखण्ड में आज कई जगह सूखा की स्थिति व्याप्त है, जिससे किसानों के समक्ष गम्भीर संकट पैदा हो गया है। यहीं पर मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, पडरौना, गोरखपुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोण्डा, बहराइच में भयंकर बाढ़ की स्थिति है। आज ही बाराबंकी के चिरूराघुर बांध के टूट जाने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बस्ती के हरैया तहसील के धुसवां बांध की वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे वहां की जनता के समक्ष गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। इसलिए मान्यवर, आप इसकी ग्राह्यता को स्वीकार कर लें और बाढ़ तथा सूखे जैसे अति गम्भीर विषय पर चर्चा करवा दें ताकि सारे माननीय सदस्यों के इस पर सुझाव आ जायें।

* श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश की विद्युत स्थिति चरमरा गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो 2-3 घण्टे की विद्युत आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। आज किसान अपने फसल की सिंचाई के लिए परेशान है। मेरे क्षेत्र गोण्डा जनपद के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में जो पुराने तार लगे पड़े थे, उन्हें बदला नहीं गया है। थोड़ी सी हवा चलने मात्र से ही वे जल जाते हैं और टूट जाते हैं, जिसके कारण वहां पर विद्युत की आपूर्ति चरमरा गई है। बिजली को ठीक करने वाले आपके जो अधिकारी/कर्मचारी रहते हैं, वे दफ्तरों में रहते ही नहीं हैं और न समय से बिजली को ठीक करते हैं। जिससे किसान बहुत परेशान है। किसान परेशान रहता है। वहाँ पर विद्युत की सप्लाई ठीक से नहीं होती है। किसान जो सब स्टेशन पर कम्प्लेन्ट बुक होती है उसमें भी नोट करता है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। मैंने श्री रघुबर दयाल वर्मा जी को पुकार लिया है।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मैं आपसे मांग करता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि 15 घंटे विद्युत की सप्लाई होनी चाहिए ताकि ठीक प्रकार से सिंचाई हो सके और किसानो को लाभ हो सके। मैं इसमें दो घण्टे की चर्चा की मांग करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, मै आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर

नोट:-* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, आज माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने जिस ओर इंगित किया है सरकार को, वह अति महत्वपूर्ण विषय है । उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें सूखे की स्थिति पैदा हो गयी है । मान्यवर सामान्यतः इस जिलें में जो वर्षा का रिकार्ड है उसमें बहुत कम वर्षा हुई है । जो फसले यहां पर बो दी गयी है उसके लिए पानी नहीं है जिससे सिंचाई नहीं हो पा रही है । यहां पर नहरें में टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है मेरी आपसे मांग है कि इसकी व्यवस्था कराने का कष्ट करें । विद्युत सप्लाई यहां पर ठीक है उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें ताकि नलकूप चल सकें । विद्युत आपूर्ति 12 घंटे सुनिश्चित कराने का कष्ट करें और जिलाधिकारियों को सूखे से निपटने के लिए आगाह करें और उनसे कहें कि इस सूखे से निपटने के लिए वह युद्धस्तर पर कार्य करें ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र-

(× × × ×)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, आप बैठ जायें । हर किसी को बोलने की मैंने इजाजत नहीं दी है । यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, जून के महीने में इन जनपदों में 97.1 मि0 मीटर वर्षा अर्थात् 76.1 प्रतिशत वर्षा हुई है । इसी तरह से 26 जुलाई तक जो 247.0 मि0मीटर वर्षा होनी चाहिए उसके सापेक्ष 186.7 मिलीमीटर वर्षा हुई है अर्थात 75.6 प्रतिशत वर्षा हुई । यह सही है कि जितनी वर्षा होनी चाहिए उससे कम अर्थात 75 से 76 प्रतिशत वर्षा हुई है, परन्तु यह कहना कि किसी जनपद में बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई यह गलत है मान्यवर, जहां तक सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही कराने का मामला है तो सिंचाई विभाग का साढ़े पांच करोड़ रुपया और ऊर्जा विभाग 35 करोड़ रुपया वर्ष 1997-98 में राहत निधि से आवंटित हो चुका है । प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी को इस समस्या से निपटने के लिए, चाहे बाढ़ की समस्या हो या सूखे की समस्या हो, 12 लाख रुपया उपलब्ध करा दिया गया है और यह भी निर्देश दिये गये हैं कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो कोषागार नियम-27 से धन आहरित करके आवश्यक व्यवस्था करें । सभी जिलाधिकारियों की तत्परता से कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं और जैसा कहा है कि सरकार इसके बारे में सचेष्ठ है और कार्यवाही की जा रही है । मान्यवर इसलिए यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसको आग्राह्य करने की कृपा करें।

नोटः-(× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, सवाल क्या किया जाता है और माननीय मंत्री जी उत्तर क्या देते हैं। सवाल यह है कि नहरों के टेल तक पानी नही पहुंचता है और इसके उत्तर में माननीय मंत्री जी कहते हैं कि 75% पानी बर्षा है, 12 लाख रुपया दिया गया है, तो आप देखें सवाल क्या है और उनका उत्तर क्या है ?

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, बिजली के बारे में आवश्यक कार्यवाही की गई है और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि 10 घण्टे बिजली दी जाय, हर क्षेत्र में बिजली दी जाय।

श्री ओम प्रकाश-

माननीय मंत्री जी ने कहा कि 10 घण्टे बिजली दी जा रही है, क्या 10 घण्टे बिजली से नहर के टेल तक पानी पहुंच जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री ओम प्रकाश-

आप इस पर चर्चा करा दें।

श्री अधिष्ठाता-

नियमों के अन्तर्गत आप दे दें, तो विचार कर लिया जायेगा।

(श्री विनोद मणि का नाम पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, व्यवस्था के माध्यम से इस सदन में जब कोई सूचना देता है, तो इस सदन की गरिमा और इतिहास रहा है कि सदस्य की बातों पर विश्वास किया जाता है, लेकिन सरकार की आदत हो गयी है कि सच्चाई को छिपाती है। मान्यवर, एक अत्यंत खेदजनक और दुखद मामले की ओर सरकार की लापरवाही

और अक्षमता की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आपको स्मरण होगा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी स्मरण होगा कि नियम 300 के अन्तर्गत प्रश्न उठाये जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आप कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री प्रमोद कुमार-

जी हां, आप सुन तो लें।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी कोई लिखित सूचना विशेषाधिकार की नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार-

मौखिक भी दिया जा सकता है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, माननीय प्रमोद कुमार जी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। विशेषाधिकार का सवाल नियमावली के नियम 63 में उठाया जा सकता है। व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

पहले मेरी बात सुन लें, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

आप तो विशेषाधिकार की बात कह रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस सदन के प्रति मंत्रि मण्डल का उत्तरदायित्व है। मैं अपेक्षा करता हूं कि इस मंत्रि मण्डल के सदस्य ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ यहां उत्तर देंगे। प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के तीन भागों में बांटने की बात प्रशासनिक सुधार विभाग ने की है।

श्री अधिष्ठाता

यह व्यवस्था का प्रश्न कहां से हो गया।

श्री प्रमोद कुमार-

यह बहुत गंभीर प्रश्न है जिस पर मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। यहां पर जो जवाब सरकारी अधिकारियों ने दिया होगा वह माननीय मंत्री जी ने पढ़ दिया। इस प्रदेश को तीन भागों में प्रशासनिक दृष्टि से बांटने की बात प्रशासनिक सुधार विभाग ने कही है। आपके पास यह रिपोर्ट होगी उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक दृष्टि से तीन भागों में बांटने की बात कही है। इसी तरह से राजस्व परिषद् को भी तीन भागों में बांटने की बात कहा है, और उसकी तीन बैंच बनाने की बात कही है (व्यवधान) मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, क्या विशेषाधिकार का प्रश्न बिना आपके संज्ञान में लाये उठाया जा सकता है। (व्यवधान) आपकी पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन 79 से 84 के पृष्ठ 211 पर जो व्यवस्था दी है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें पीठ से उन्होने कहा है और व्यवस्था दी है कि प्रशासनिक मामलों में औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। भविष्य में माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें।

जहां तक सवाल उ0प्र0 के बंटवारे की बात है इस पर पूरा सदन अवगत है प्रदेश का बंटवारा या नये प्रदेश बनाने का विषय केन्द्र सरकार का है उत्तर प्रदेश ने इस तरह से बंटवारे के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं किया है। हां उत्तराखण्ड के बारे में इस सदन ने एक प्रस्ताव पास करके केन्द्र को भेजा है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, बिना समझे-बूझे जवाब दे रहे हैं। प्रदेश के बंटवारे की बात नहीं हो रही है प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण की बात मैं कह रहा हूं।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

यह औचित्य के प्रश्न में नहीं उठाया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री समर पाल सिंह-

प्रशासनिक आधार पर तीन भागों में बांटने की बात हो रही है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री समर पाल सिंह-

(× × × × × ×)

श्री अधिष्ठाता-

यह नहीं लिखा जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

(× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

यह नहीं लिखा जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आदर करता हूं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं मूल दस्तावेज पढ़ रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

पढ़ने की अनुमति नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार-

क्यों नहीं देंगे, (× × ×) शोर।

यह प्रश्न हमारे अधिकारों का है। आप हमारे अधिकारों को छीन लेंगे क्या? हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं (× × ×) आप मेरी बात सुनें। आप धैर्य पूर्वक मेरी बात सुन लें। मैं उन सदस्यों में से नहीं हूं जो गलत सूचना दूं। मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूँगा कि कृपापूर्वक हमारे अधिकारों की रक्षा करें और पीठ के सम्मान की रक्षा करें।

श्री अधिष्ठाता-

आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रमोद कुमार-

कृपया मेरी बात सुन लें, उसके बाद अपनी व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता-

मै आपसे विनती कर रहा हूं।

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

इस समय कार्य-स्थगन के प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। इस समय जो विषय चल रहा है यदि उस विषय के संबंध में कोई व्यवस्था का प्रश्न आप रखना चाहते हैं तो उसकी अनुमति मैं दे रहा हूं किंतु जिस मद के बारे में अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था पहले ही दे रखी है और उसके आगे हम चले गये हैं उस मद पर विचार करने की अनुमति मैं नहीं दे रहा हूं। दूसरी मद ली जा चुकी है। कार्य-स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा चल रही है। मैंने माननीय विनोद मणि को बुलाया था। कार्य-स्थगन प्रस्ताव के संबंध में यदि व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहते हैं तो उस पर अनुमति दे सकता हूं अन्य बिंदु पर कोई अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, नियमावली का नियम 63 देखने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

वह विशेषाधिकार से संबंधित है।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं पढ़ना चाहता हूं और आप बोलना चाहते हैं। आप बोल लें। जब पीठ की गरिमा आप नहीं देख रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं। आपने त्रिपाठी जी को पुकारा तब मैंने कहा। मान्यवर, मैं दो बिन्दुओं के बीच आया हूं। रेवती रमण सिंह जी का अग्राह्य कर दिया। उसके बाद त्रिपाठी जी बोलने के लिये खड़े हुए। मैंने आपसे अनुरोध किया और उसकी सहमति होने के बाद मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी व्यवस्था को सुनने की अनुमति दी है लेकिन आप नियम 63 जो कि विशेषाधिकार से संबंधित है उसे बता रहे हैं। जिससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप कार्य-स्थगन, सूखे या फिर जो विनोद मणि जी की सूचना है उस पर कुछ कहते तो कोई बात थी।

नोट:- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, नियमावली का नियम 63 पढ़ लें। मैं सम्पूर्ण सदन के सामने पढ़े दे रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

उसके पढ़ने की अनुमति नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार-

आप पढ़ने की अनुमति नहीं दे रहे हैं ठीक है मैं नहीं पढ़ता लेकिन आप अनुमति न देने की वजह तो बता दें।

(व्यवधान)

* श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, जब इनको बोलना होता है तो उस समय यह -पीठ की भी अवहेलना कर देते हैं। इस समय विशेषाधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता है। आपने श्री विनोद मणि जी को बुला लिया है लेकिन यह प्रमोद कुमार जी की और इनके लोगों की आदत यह हो गई है कि नया सदस्य आता है बोलना चाहता है यह उसको दबा देते हैं और खुद बोलने लगते हैं। अभी विनोद मणि जी को आपने अनुमति दे दी फिर भी यह बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, नियम 63 में देखें इसमें लिखा है कि परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो, तो मान्यवर, माननीय मंत्री जी का जवाब सदन के सामने ही आया है। माननीय मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया है। मैं लिखित रूप से इसकी सूचना आपको दे दूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, दे दीजियेगा।

(व्यवधान)

श्री विनोद मणि-

मान्यवर, जंगल में रहने वाले टांगिया किसान कहलाते हैं। आज हम आजादी की स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहें हैं। आजादी के इन 50 वर्षों में इसी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

।श्री विनोद मणि।

प्रदेश के नागरिक जिनकी संख्या पूर्वांचल में 3 लाख से ज्यादा है उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती इसके पीछे कारण है कि टांगिया किसानों को दोयम दर्जे की नागरिकता मिली हुई है। मैं सदन के संज्ञान और सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के जो भी जंगल आज दिखाई दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की सम्पत्ति वन के रूप में दिखाई दे रहे हैं, यह इन्ही टांगियां किसानों के पूर्वजों द्वारा लगाये पेड़ हैं, इन्हीं की पैदा की हुई सम्पत्ति है। आज इन टांगियां किसानों को कोई सुविधा जैसे सिंचाई, राशन की दुकान, सीलिंग बंजर भूमि पट्टे पर नहीं दी जाती। यहां तक कि इनको मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है। मान्यवर, हम अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं और माननीय मंत्री जी को बताना चाहते हैं कि पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर गई थी। मैंने उनको लिखकर दिया था।

यह पूर्वांचल का ही नहीं इस समय पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है। मैं बताना चाहता हूं 10 से 15 किलोमीटर की दूरी में, 50-50 किलोमीटर के घने जंगलों में घर बनाकर, झोपड़ी नहीं घर बनाकर यह टांगियां किसान रहते हैं लेकिन इन किसानों को रेवेन्यू विलेज की मान्यता किसी सरकार ने नहीं दी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी पचास बार कहते हैं कि मेरी सरकार अत्यन्त संवेदनशील है, पारदर्शी है, दलितों की सरकार है मैं बताना चाहता हूं, मेरा जो सवाल है यह दलितों से जुड़ा सवाल है 80 फीसदी आबादी दलितों और पिछड़ों की है। जंगलों के बीच सवर्ण लोग नहीं रहते हैं दलित और पिछड़े वर्ग के लोग ही रहते हैं। यह सरकार झूठ बोलती है यह गरीबों की सरकार नहीं है यह पिछड़ों और दलितों की सरकार नहीं है मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता चाहता हूं कि सुदूर जंगल में रहने वाले इन टांगिया किसानों के बच्चों को पढ़ने की कोई सरकारी व्यवस्था होगी।

श्री अधिष्ठाष्ता-

अविलम्बनीयता पर बोले।

श्री विनोद मणि-

मुझे एक मिनट का समय और दे दें।

मैं एक बात यह भी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पूर्व राज्यपाल माननीय बोरा जी ने एक शासनादेश जारी किया था जिसमें गोरखपुर महाराजगंज, गोण्डा देवरिया के जंगलों के बीच में रहने वाले टांगिया किसानों को स्थायी रूप से बसाने के लिए एक कमेटी बनाई थी यह ग्राह्यता है मेरे प्रश्न की, और उस कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वह वन विभाग के कन्जरवेटर होंगे और उसके मेम्बर जिले के जिलाधिकारी विकास कार्य कराते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अपने विषय पर आएं चर्चा नहीं हो रही है।

श्री विनोद मणि-

मान्यवर, आज तक तीन साल बीत जाने के बाद भी उनको बसाने का कोई प्रस्ताव इस शासनादेश के तहत शासन के पास नहीं आया। मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान एक बार फिर इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। यह सरकार संवेदन शील है यह मजलूमों, दलितों और पिछड़ों की सरकार है ऐसा सदैव संसदीय कार्य मंत्री जी इस सदन में खड़े होकर कहते हैं। मेरा निवेदन है कि इन टांगिया किसानों को रेवेन्यू बिलैज की मान्यता देने की कृपा करें और उत्तर प्रदेश सरकार की सारी सुविधायें उपलब्ध करायें। यह लोक महत्व का सवाल है मैं मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा करायें।

श्री अधिष्ठाता-

श्री अमर मणि जी आप खड़े हो गए आप बैठ जाएं ऐसी मान्यता न डालें।

श्री अमर मणि-

मान्यवर, 3।। में मेरी भी सूचना है यह क्रमांक नौ पर है यह भी टांगिया किसानों से संबंधित है इस मामलें में मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूं।

जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया पूर्वांचल के जंगलों में लाखों लाख ऐसे बन टांगियां मजदूर रह रहे हैं जो कई पुश्तों से रह रहे हैं। वह जंगलों को काटने, जंगलों को लगाने का काम करते रहे हैं, आजादी से पहले यह लोग रह रहे हैं। वहां की आबादी ज्यादातर पिछड़ों दलितों की है। वह जंगलों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं वह लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश की कोई भी लाभकारी योजना का लाभ नहीं मिलता। चाहे वह स्वत: रोजगार योजना हो, आई0 आर0 डी0 पी0 हो यहां तक स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं भी उनको नहीं मिल पातीं। उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है लाखों बालकों को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी सूचना पर नियम 5। के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है। आज सामान्य, बजट पर चर्चा होनी है कई संकल्प हैं इसलिए अब सदन का समय बरबाद न करें।

श्री अमर मणि-

मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न है सारे लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं उनके गांवों को रेवेन्यू विलेज घोषित किए जाएं उनको वोट देने का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार है मिलना चाहिए।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत जो माननीय सदस्य ने समस्या उठाई है वह वन भूमि पर जो कुछ दिनों से रह रहे हैं जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि वन भूमि पर रहने वाले लोगों के बारे में इन्होंने बात कही है तो जो वन भूमि पर उसमें वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधान लागू होते हैं, और उसके तहत जब तक कि इसको शिथिल करके और इस जमीन को जोड़ा न जाए तब तक कोई गांव राजस्व गांव नहीं बनाए जा सकते, न ही बसाए जा सकते हैं इसलिए इसमें वन संरक्षण अधिनियम लागू है इसी के तहत यह लोग जो वहां रह रहे हैं उनके बारे में सरकार की चिन्ता है और ऐसे लोगों को उसमें कैसे विस्थापित किया जाएगा इस पर सरकार जांच पड़ताल कराकर कोई हल निकालेगी जैसा कि अभी विनोद मणि जी ने बताया कि यह कोई आज की समस्या नहीं है। कई सरकारों को इस बीच काम करने का मौका मिला है। इसके सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुये सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री विनोद मणि-

वन अधिनियम कब आया और यह जंगलों के बीच उसके पहले रह रहे हैं या वन अधिनियम के आने के बाद रह रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी ने अभी बताया है कि इस पर सरकार कार्यवाही करेगी। इस पर परीक्षण करना है।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से नियम 56 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सूचना दी है। उत्तर प्रदेश में कई जिले हैं जिनमें जून और जुलाई के महीने में प्राईवेट हैण्डपम्प और कुंए पानी देना बन्द कर दिये हैं और पीने के पानी की विकट समस्या खड़ी हो गयी है यहां तक कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें नदियों से पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह मेरा सवाल किसी दल या पार्टी से संबंधित नहीं है, यह सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। यह जनहित और लोक महत्व का सवाल सारे प्रदेश के लोगों से जुड़ा हुआ है। आप इस बात से सहमत होंगे कि चूंकि वाटर लेबिल नीचे चला गया है और

सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में ऐसी कोई कार्य योजना नहीं बनायी है जिससे वहां के रहने वाले लोगों को पानी पीने की सुविधा उपलब्ध हो। मैं आपका ध्यान मैंनपुरी के भौगांव कस्बे की ओर दिलाना चाहता हूं। काली नदी के किनारे-किनारे के कुंए पानी देना बंद कर दिये हैं जिस कारण से यहां के लोगों को काली नदी का पानी पीना पड़ रहा है।

मान्यवर, जो हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था है वह भी गलत व्यवस्था है, जो 250 आबादी के आधार पर हैण्डपम्प लगाया जाता है उसका आधार 1981 का है जबकि 1981 से 1987 के बीच आबादी काफी बढ़ गयी है और वह मानक गलत हो गये हैं। इसके साथ ही जल निगम के द्वारा जो हैण्डपम्प लगाये जाते हैं। वहां तो वह कुछ मेन्टीनेंस की व्यवस्था करते हैं जबकि एग्रो द्वारा या मण्डी परिषद् द्वारा जो लगाये जाते हैं, यदि वह खराब हो जाता है तो उसके ठीक करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

शाक्य जी अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री राम औतार शाक्य-

(× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

लिखा नहीं जायेगा, अब आप समाप्त करें।

श्री राम औतार शाक्य-

(× × ×)

श्री समर पाल सिंह-

(× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

इस पर आपकी सूचना नहीं है इसलिए अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, शाक्य जी ने जो नोटिस दी है, उसे पढ़ देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रान्त है जिसमें कई करोड़ लोग निवास करते हैं। इसी जून, जुलाई, 1997 के महीने में प्रदेश के कई जनपद में वाटर लेबिल नीचे चला

नोट :- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

गया है जिससे प्राईवेट हैण्ड पम्प कुएं पानी देना बंद कर दिया है जिससे पीने के पानी का अभूतपूर्व संकट आ गया है। मान्यवर, यह किस जनपद के बारे में है, माननीय सदस्य मैनपुरी जनपद के बारे में बोल रहे थे। जबकि नोटिस में पूरे प्रदेश में कुछ जनपद ऐसे हैं, किस पर सूचना दें? स्थिति स्पष्ट नहीं है?

श्री अधिष्ठाता-

प्रदेश में जून और जुलाई महीने में किसी जनपद के भीतर जल स्तर नीचे आया जिस जनपद की माननीय सदस्य की सूचना थी उस संदर्भ में कोई सूचना हो तो माननीय सदस्य को अवगत करा दें।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, जनपद मैनपुरी के बारे में इनकी नोटिस में नहीं लिखा था तो जब उसके बारे में पता नहीं है तो क्या उत्तर दें। यदि माननीय सदस्य स्पेसिफिक जानकारी दे देते कि अमुक-अमुक जिले हैं वहां संकट पैदा हो गया है, तो उसका परीक्षण कराकर उनको संतुष्ट कर देते। जनपद मैनपुरी के संबंध में भाषण दिया जिसका नोटिस में उल्लेख नहीं था। यदि नोटिस में लिख देते तो हम उसके बारे में हम जानकारी करके माननीय सदस्य को संतुष्ट कर देते।

जहां तक हैण्डपम्प लगाने का सवाल है तो जो नियम हैं उनके तहत वह लगाये जा रहे हैं और कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। इसलिए न तो इसकी तात्कालिकता है और न आज ही इस संबंध में सुनने की जरूरत है, इसलिए यह नियम-56 में नहीं आता है, इसलिए इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अवधेश प्रसाद-

हरदोई जनपद के सण्डीला में जो ताण्डव नृत्य हुआ इसकी चर्चा यहां हुई।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं नियम 56 पर सुन रहा हूं और आपकी सूचना फैजाबाद में मसौधा चीनी मिल के संबंध में है तो आप इसकी ग्राह्यता पर अपनी बात कहें। चूंकि आपकी 31। की जो सूचना थी उसे माननीय अध्यक्ष महोदय निरस्त करके जा चुके हैं।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, फैजाबाद में स्थित के0 एम0 शुगर मिल, मसौधा परिक्षेत्र में अल्कोहल की फैक्ट्री से फैलने वाले पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मेरी सूचना है। मान्यवर, यह शुगर मिल हमारे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ती है और उससे इतना गंदा, विषैला पानी वहां का हो गया है कि पूरे क्षेत्र में इस पानी को पीने से

दर्जनों जानवर मर गये हैं और 14 वर्षीय मो0 आजम नाम का बालक मर गया। अल्कोहल फैक्ट्री से फैलने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण पानी विषैला हो गया है। जिससे धान और गन्ना सूख रहा है। इसके अलावा वहां पचासों गांवों में महामारी फैलने की आशंका है। इसलिए यह लोक महत्व का प्रश्न है। इस प्रश्न को आपके संज्ञान में तथा सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं। मान्यवर, मसौधा मिल के अन्दर जो कुंआ है, उसकी विषैली गैस से जिस नवयुवक की मौत हुई, उसको 5 लाख का हर्जाना सरकार दे। साथ ही साथ जिन किसानों की फसल सूख गई है, धान सूख गया है, गन्ना सूख गया है, जानवर मर रहे हैं, उसकी मौके पर तत्काल जांच कराकर सभी किसानों को मुआवजा दिया जाय। मान्यवर, यदि इस मामले में लापरवाही की गई तो वहां महामारी फैल जायेगी और यह महामारी पूरे फैजाबाद में फैल सकती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर चर्चा की मांग करता हूं। मान्यवर, इसी तरह मेरे क्षेत्र में कल दुखीराम की हत्या हुई।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी दो सूचनायें एक ही नियम के अन्तर्गत हैं। नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचना आपने दी थी, उसे अध्यक्ष जी पहले ही अग्राहय कर चुके हैं। नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचना थी, उस पर मैंने आपको सुना है, अब आप संसदीय कार्य मंत्री को सुनें वह सरकार का पक्ष रख रहे हैं।

(श्री अवधेश प्रसाद द्वारा पुनः बोलने का प्रयास करने पर)

आप तो मंत्री भी रह चुके हैं। आप जैसे वरिष्ठ सदस्य यदि नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो उचित नहीं होगा। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप बैठ जायें।

(श्री शिवपाल सिंह यादव तथा कुछ अन्य सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

(इसके बाद श्री शिवपाल सिंह यादव अपनी सीट के ऊपर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे।)

माननीय सदस्य जी, पहले आप नीचे उतरकर बात करें, यह आपको शोभा नहीं देता। माननीय कुंवर साहब, यह जो आपके बगल में हो रहा है, यह शोभाजनक नहीं है। क्या यह नियमों के अन्तर्गत है?

(अवधेश प्रसाद के पुनः खड़े होने पर)

अवधेश प्रसाद जी, आप तो बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

पहले संसदीय कार्य मंत्री की बात आ जाने दीजिये।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, एक गम्भीर प्रकरण माननीय अवधेश प्रसाद जी जैसे वरिष्ठ सदस्य ने उठाया है। मेरी दिली चाहत थी कि जो गम्भीर प्रकरण उन्होंने उठाया है, उसे गम्भीरता से सदन लेता, परन्तु जिस तरह से यहां देखने को मिल रहा है,

उससे खुद स्पष्ट होता है कि वह खुद इसे कितनी गम्भीरता से लिये हैं। मान्यवर, के0 एम0 शुगर मिल के बारे में माननीय अवधेश प्रसाद जी ने जिक्र किया है। उसमें 30 के0एल0 औद्योगिक अल्कोहल बनता है और 10 के0एल0 पावर अल्कोहल प्रतिदिन बनता है। इसमें जो उत्प्रवाह है, उस पर माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है, वह हमारी भी चिन्ता है। मान्यवर, जो नार्म्स हैं, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, 1974 के अनुसार, उसकी जांच कराई गई है, उसके अनुसार इसको खरा नहीं पाया गया है। इसकी जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सहमति दी जाती है, वह सहमति रद्द कर दी गई है और उन्हें निर्देशित कर दिया गया है कि यदि निर्धारित मानक तक नहीं कर पाये तो मैं बड़े ही स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि मैं पुनः इसकी जांच कराऊंगा और अगर इनका जो मानक है, बी0एच0पी0ओ0डी0, सी0 ओ0डी0, यदि वह निर्धारित मानक तक नहीं आया तो इस फैक्ट्री को हम बन्द कराने की घोषणा कर रहे हैं कोई भी फैक्टरी हो जो मानक है प्रदूषण का, उसको करना होगा उसके लिए सख्त से सख्त जो कार्रवाई है अधिनियम के तहत क्लोजिंग की वह करेंगे उसके लिए प्रक्रिया है शो काज नोटिस की वह कार्रवाई कराने में भी सरकार हिचकेगी नहीं, कार्रवाई करायी जायेगी।

श्री अवेधश प्रसाद-

मान्यवर, यह मामला तात्कालिक है मैं कल गया था गांव-गांव में गंदा पानी भरा है गैस निकल रही है, बदबू आ रही है मैं जानना चाहता हूं कि तत्काल किसी अधिकारी को भेजकर इसको दिखवायेंगे।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, कल ही अधिकारी जायेगा और कल मैं इस कार्रवाई से आपको अवगत करा दूंगा।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, मोहम्मद आजाद जो मरा है वह 14 साल का नवयुवक है, विषैले पानी से वह मरा है क्या उसको मुआवजा देने की कृपा करेंगे?

श्री बी0 आर0 वर्मा-

माननीय अवधेश जी आप जैसे वरिष्ठ सदस्य ऐसा करेंगे तो नये लोग भी आपका अनुसरण करेंगे। आपने जो नोटिस दिया है उसमें कही उसका जिक्र नहीं है मैंने पूरा पढ़ लिया है मैं इसकी संवेदनशीलता को समझ कर ही मैंने यह घोषणा की है कि कल मैं किसी अधिकारी को भेजूंगा चूंकि आपने कह दिया इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं चूंकि यह मेरा विभाग है मैं पर्यावरण मंत्री हूं और इसके बारे में गहराई से जानता हूं।

श्री ओम प्रकाश-

आप इसी विभाग में ज्यादा संवेदनशील हैं और किसी विभाग में उतने संवेदनशील नहीं है।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

यह संवेदनशील सरकार है यह बचाना नहीं चाहती।

श्री अधिष्ठाता-

नियम 56 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनाएं शलाका से प्राप्त हुई थी उसमें एक से लेकर 5 तक को मैंने सुना।

पहली सूचना श्री धनीराम वर्मा, डा0 अशोक बाजपेयी, शिव पाल सिंह यादव, श्री ओम प्रकाश, डा0 वकार अहमद शाह की हरदोई जिले की संडीला कोतवाली अन्तर्गत एक व्यक्ति की अपहृत कर हत्या किये जाने तथा विरोध स्वरूप प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा उसी विषय पर डा0 अशोक बाजपेयी श्री अम्बिका चौधरी, डा0 वकार अहमद शाह, गौरी शंकर, एडवोकेट की है को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया जाता है परन्तु यह नियम 56 में नहीं आती इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं। दूसरी सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री गौरी शंकर एडवोकेट और डा0 अशोक बाजपेयी की प्रदेश के पूर्वान्चल में कतिपय जनपदों में पानी न बरसने से उत्पन्न सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में है यह नियम 56 में नहीं आती इसलिए अग्राह्य है। तीसरी सूचना श्री विनोद मणि की है प्रदेश के पूर्वांचल में जंगलों में रह रहे नर्सरी किसानों के ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा किये जाने के सम्बन्ध में, यह नियम 56 में नहीं आती इसलिए अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्री राम औतार शास्त्री की प्रदेश में भू-गर्भ जल स्तर के नीचे गिरने से

उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसे भी अग्राहय करता हूं। अगली सूचना श्री अवधेश प्रसाद की जनपद फैजाबाद स्थिति के0एस0शुगर मिल, मसौधा परिक्षेत्र में अल्कोहल की फैक्ट्री से फैलने वाले पर्यावरण प्रदूषण के उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसे भी नियम 56 में अग्राहय करता हूं अगली सूचना श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना व अन्य की जनपद मेरठ में नहरों की समुचित सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसे नियम 56 के अन्तर्गत अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्री अम्बरीश कुमार व अन्य की श्रावण मास में हरिद्वार में कावंरियों की भारी संख्या में आमद से प्रभावित हो रहे यातायात से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में इसे भी शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अग्राह्य करता हूं।

सण्डीला (हरदोई) की घटना के सम्बन्ध में निर्दोष लोगों के विरुद्ध पुलिस का उत्पीड़न रोके जाने की मांग

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह सुनिश्चित करा लें कि निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाय।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)-

मान्यवर, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होगी जो निरपराध होंगे उनके विरुद्ध सवाल ही नहीं है। आपने वक्तव्य के लिए कहा है।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या आठ पर माननीय श्री अमर मणि बोलने के लिए खड़े हैं। कृपया आप लोग बैठ जायें।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, बहुत संवेदन शील मामला है जब तक जांच न हो जाय, लोगों के विरुद्ध उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं होगी, यह आश्वासन कृपया मंत्री जी से दिला दें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि निरपराध लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। मैंने जो व्यवस्था दी है उसको उन्होंने शिरोधार्य किया है लेकिन अपराधियों को बख्शा नहीं जायेगा उन्होंने कहा है। उनकी सदाश्यता स्पष्ट है कि जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही जी जायेगी जो निरपराध हैं उनको तंग नहीं किया जायेगा।

(इसी मध्य श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री उदय राज यादव, डा0 वकार अहमद, श्री धर्मेज्ञ मिश्र आदि अनेक समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर में आ गये और नारे लगाने लगे" गुण्डागर्दी की सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी", हत्यारों की यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी।)

श्री अधिष्ठाता-

मैंने इसको वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है। कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जायें।

मैं सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 55 मिनट पर 4 बजकर 5 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 4 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठांता श्री सूर्य प्रताप शाही के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, मैंने पहले भी निवेदन किया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई भी निरपराध व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जायेगी।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, निर्दोष नागरिकों के खिलाफ उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाय, यही आश्वासन मैं चाहता था।

* श्री विक्रमाजीत मौर्य-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम-56 के अन्तर्गत पांच सूचनाओं को ग्राह्यता के लिए सुना जाता है और पांच पर ध्यान आकर्षित किया जाता है परन्तु पांच ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर अभी आपकी ओर से कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, इसलिए इस पर व्यवस्था देने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले भी इस पर व्यवस्था दे चुके हैं। सूचना 6, 7, 8 व 9 पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है। इसमें अब कोई व्यवस्था का सवाल ही नहीं उठता।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1997

श्री अमर मणि-

मान्यवर, यह सदन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण, (संशोधन) अध्यादेश, 1997 का अननुमोदन करता है।

अभी तो मान्यवर, मुझे संकल्प पर बोलने दें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय श्री त्रिपाठी जी, मद संख्या-9 पर भी जो विषय है, उसमें और मद संख्या-8 की मद समान हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी भी विधेयक को रख लें। फिर आप अपनी बात कहियेगा।

श्री हरीकिशन (महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1997 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, भारत सरकार ने इसमें व्यवस्था लगायी है कि विकलांगों के लिए कम से कम तीन प्रतिशत का आरक्षण सरकारी सेवाओं में किया जाय। उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1993 में इस राज्य सरकार द्वारा विकलांगों के लिए दो प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी अब उत्तर प्रदेश सरकार ने .....

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, पहले अमर मणि जी को अपना संशोधन रख लेने दें।

श्री हरीकिशन-

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में बता देता हूं। पहले इसमें दो प्रतिशत आरक्षण था अब तीन प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त विकलांगों को तीन भागों में कर दिया है क्योंकि इनकी इस तरह की मांग थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्रमशः दो

प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत का आरक्षण पूर्व की भांति दिया जायेगा। प्रस्तावित विधेयक के लिए अध्यादेश 9 जुलाई, 1997 को प्रख्यापित कर दिया गया है। प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से धारा 2,3, 4 एवं 5 में संशोधन किया जा रहा हे। यह उन पदो पर लागू होगा जिसकी चयन प्रक्रिया अभी लागू नहीं हुई है।

श्री अमर मणि-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1997 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जो यह विधेयक यहां पर लाये हैं उसमें उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का मजाक उड़ाया है। जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता संग्राम में किसी एक व्यक्ति या एक समाज, एक जाति या एक धर्म की लड़ाई नहीं, हिन्दुस्तान की जंगे आजादी की लड़ाई थी। हिन्दुस्तान की जंगे आजादी में अमर शहीदों ने पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ा था। हमने समय-समय पर उनका आदर किया था उनको भारत में कुछ सुविधाएं प्रदान की थी। अब यह सरकार उन्हें सुविधा प्रदान करने के संदर्भ में एक प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव लायी है वह भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए नहीं शारीरिक रूप से विकलांगों और भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों और अन्य लोगों के लिए। मान्यवर, एक शेर कहना चाहता हूं, "शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा।" मान्यवर, जब हिन्दुस्तान की जंगे आजादी के लिए हमारे अमर शहीद लड़ रहे थे तो उन्होंने यही सपना देखा था कि एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर भारत की स्थापना हो। उन्होंने यही लक्ष्य सामने रखकर भारत माता के हाथों को बेड़ियों से छुड़ाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। मान्यवर, माननीय मंत्री जी का बिल है आप उसमें देखें उसमें मूल अधिनियम की धारा-3 (ग) है उपधारा (3) में शब्द "पिछड़े वर्ग" के स्थान पर शब्द "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग की" रख दिये जायेंगे। यह लिखा है इसका उद्देश्य आप देख लें। इसका उद्देश्य यह है कि जिससे अधिकार सरकार को प्राप्त हो जाये और जब उचित समझें तो नौकरी दें। मान्यवर, आज आरक्षण की बात है, 50 प्रतिशत आरक्षण हो गया है। पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आधार पर आरक्षण दिया गया है, लेकिन जिन्होंने हमें अवसर दिया है कि हम इस सदन में बैठकर नियम और कानून बनायें, उनके आश्रितों को केवल दो प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है और जब आपकी कृपा हो, तब उनको आरक्षण मिलेगा।

मान्यवर, मुझे अनुरोध करना है कि आज आरक्षण की बात जब चली है, तो आडवानी जी जब अविश्वास के प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जाति को आधार न मानकर आय को आधार माना जाये जैसा कि पहले मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देवें। दलितों और पिछड़ों को आरक्षण देने की आवश्यकता है, उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की आवश्यकता है और मुलायम सिंह ने 27 प्रतिशत का आरक्षण पिछड़े वर्ग को दे दिया, इनके पहले भी कांग्रेस ने इनको आरक्षण दिया था। मान्यवर, हमें यह भी विचार करना होगा कि जो लोग आर्थिक रूप से विपन्न हैं और किसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी आरक्षण देना चाहिये, वह चाहे जिस जाति के हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे ठाकुर हों और चाहे जिस किसी जाति के हों, अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उनको आरक्षण दिया जाना चाहिये। आज ऐसे बहुत से उच्च जाति के लोग हैं, जिनको दो टाइम का भोजन नहीं मिल पाता है, दो टाइम रोटी नहीं मिल पाती है, यही कारण है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

मान्यवर, मैं आग्रह करुँगा कि इस विधेयक को लाने की अभी कोई आवश्यकता नहीं थी, जो कि आप अध्यादेश के रूप में ले आये और उसके बाद विधेयक के रूप में ले आये। मान्यवर, इस पर पूरी तरह से विचार हो जाना चाहिये। आरक्षण के बारे में तमाम लड़ाइयां हुई हैं। अगर आपको आरक्षण देना है, तो इस बारे में पुर्नविचार हो जाना चाहिये, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वह चाहे जिस जाति के हों, अगर वह आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो उनको भी आरक्षण मिलना चाहिये। ताकि वह भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

मान्यवर, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों को हथेली पर रखकर न्यौछावर कर दिया, ऐसे लोगों के सम्मान में जो पिछली सरकार थी, उसने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आरक्षण को खत्म कर दिया था, यह बड़ा दुर्भाग्य और दुखदाई विषय रहा प्रदेश के भविष्य के लिये और उन लोगों के लिये भी जो देश के लिये पूर्णरूप से समर्पित रहे उसी को ध्यान में रखकर इस लोकप्रिय सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, विकलागों और भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण देना सुनिश्चित किया है, मैं इसके माध्यम से सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

श्री अमर मणि-

मूल रूप से यह प्रस्ताव इस सरकार का नहीं है इसमें मात्र यह संशोधन कर रहे हैं यह 1993 का विधेयक है जिस पर यह संशोधन लाये हैं। आपकी जानकारी में रहे कि यह अध्यादेश पहले भी आ चुका है।

श्री हरी किशन-

मान्यवर, इसमें विशेषकर अमर मणि जी से मैं कहना चाहूंगा कि यह विधेयक जो आज प्रस्तुत हुआ है इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण को अधिक या कम करने की बात नहीं है। यह विधेयक जो प्रस्तुत हो रहा है वह जो हमारे विकलांग हैं उनको अभी तक केवल 2 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त था जिसे बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया है यह विधेयक शुद्ध मानवता के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें हर्ष होना चाहिये कि उ0प्र0 शासन ने विकलांगों के लिये अपना उत्तरदायित्व समझ कर उनका आरक्षण 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत किया है। जैसा पूर्व में मैंने कहा यह व्यवस्था भारत में भी है उसमें भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गयी है। इस संदर्भ में स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो दृष्टिहीन व्यक्ति थे उन्होंने मांग की थी कि यदि विकलांगों की श्रेणी और उनकी श्रेणी एक ही रहेगी और आरक्षण 2 प्रतिशत होगा तो उनको जो दृष्टिहीन हैं, वो सबसे अधिक उत्तेजित रहेंगे उनको इसकी अधिक आवश्यकता है इस भारत सरकार ने भी 3 प्रतिशत किया है और उसी आधार उत्तर प्रदेश शासन ने भी आरक्षण 2 प्रतिशत से तीन प्रतिशत करने का प्राविधान किया है। इसलिए इसमें कोई विलम्ब करने या इसे टालने की कोई आवश्यकता नहीं है। विशुद्ध मानवीयता के आधार पर यह विधेयक लाया गया है मैं आशा करता हूं कि इसे आपको सबके मत से पास करना चाहिए। इस कारण आप अपना संशोधन वापस लेने का कष्ट करें।

श्री अमर मणि-

मान्यवर, जो बात यहां पर रखी गई है 2 प्रतिशत या 3 प्रतिशत की बात कही गई है इस पर सम्पूर्ण रूप से विचार होना चाहिए अगर संशोधन आ ही रहा है तो हर पहलू पर विचार कर लें। अगर आप चाहें तो एक महीने का समय प्रवर समिति का न रखकर 15 दिन का कर लें। सभी दलों के सदस्यों की समिति बना दें। जो अपनी रिपोर्ट 15 दिन में दे दें। । प्रतिशत या 2 प्रतिशत जो भी चाहे प्रवर समिति तय कर ले। यहां 27 प्रतिशत, 33 प्रतिशत तक का आरक्षण रखा है 2 प्रतिशत या एक प्रतिशत आरक्षण ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है।

(समय 4 बजकर 25 मिनट)

हम यह चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी इस पर व्यापकता से विचार करें। आपने लिखा है कि सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 2 प्रतिशत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिये, । प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिये, दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, श्रवण ह्रास, चलन क्रिया संबंधी निशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात वालों के लिये ।-। प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। महात्मा गांधी ने कहा

था, मानव सेवा, दलितों, विकलांगों, स्त्रियों, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की सेवा अपना धर्म मानकर करनी चाहिये। यह सरकार दलितों, पिछड़ों की हामी है। आज जगह-जगह पर मूर्तियां लगवा रही है अभी कल ही शाहू जी महराज का कानपुर में मेला सरकार ने आयोजित कराया है तो जहां वह दलितों और पिछड़ों का सम्मान बढ़ाना चाहती है वहीं पर जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और जिन्होंने आपको उस पीठ पर और मुझे यहां खड़े होकर संबोधन करने का अवसर दिया है और मंत्री जी को मंत्री पद प्रदान किया है ऐसे लोगों के आश्रितों को अधिक से अधिक आरक्षण देना चाहिये इसलिये मैं आग्रह करुँगा कि इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

आप संशोधन को वापस ले रहे हैं?

श्री अमर मणि-

मान्यवर, वापस लेने का सवाल ही नहीं है। दृष्टिहीनों के लिये एक प्रतिशत रखा है लेकिन 1/4 या 1/6 भाग ही उनके हिस्से में आयेगा।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1997 का अननुमोदन करता है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1997 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, की इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण (संशोधन) विधेयक 1997 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

खण्ड 2 से खण्ड 6, खण्ड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण संशोधन) विधेयक, 1997

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का संशोधन करने के लिए।

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण), (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायेगा।

(2) यह 9 जुलाई, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1993 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, --

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

"(क) "दृष्टिहीनता" ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करता है जहां कोई व्यक्ति निम्नलिखित दशाओं में से किसी से ग्रसित हो, अर्थात् :-

(एक) दृष्टिगोचरता का पूर्ण अभाव; या

(दो) सुधारक लेंसो के साथ बेहतर आंख में 6/60 या 20/200 (सेनालिन) से अनधिक दृष्टि की तीक्ष्णता; या ;

(तीन) जिसकी दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण के कक्षान्तरित होना या अधिक खराब होना;

(कक) "प्रमस्तिष्क अंगघात" का तात्पर्य विकास की प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन या शैशव काल में होने वाले मस्तिष्क के तिरस्कार या क्षति से पारिणामिक असामान्य प्रेरक नियंत्रण स्थिति के लक्षणों से युक्त व्यक्ति की अविकासशील दशाओं के समूह में है ।"

(ख) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :--

"(घघ) "श्रवण ह्रास " का तात्पर्य संवाद सम्बन्धी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में साठ डेसीबल या अधिक की हानि से है;

(घघघ) "चलन क्रिया सम्बन्धी नि:शक्तता" का तात्पर्य हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की ऐसी नि:शक्तता से है जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निर्बन्धन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क अंगघात हो;

(घघघघ) "कम दृष्टि" ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करती है जहां ऐसा कोई व्यक्ति उपचार या मानक उपवर्धनीय सुधार के पश्चात् भी दृष्टि सम्बन्धी कृत्य के ह्रास से ग्रसित हो किन्तु वह समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता हो या उपयोग करने में सम्भाव्य रूप से समर्थ हो;"

(ग) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्: --

"(ङ) "शारीरिक रूप से विकलांग" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित से ग्रसित हो :--

(एक) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि;

(दो) श्रवण ह्रास ;

(तीन) चयन क्रिया सम्बन्धी नि:शक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात ।"

(घ) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(च) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उस समय अधिनियम में समनुदेशित किये गये हैं।"

3-मूल अधिनिमय की धारा 3 में,- धारा 3 का संशोधन

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी अर्थात् :-

"(1) सीधी भर्ती के प्रक्रम पर निम्नलिखित आरक्षण होगा :-

(एक) लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का दो प्रतिशत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए और रिक्तियों का एक प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए ;

(दो) ऐसी लोक सेवाओं और पदों में जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, अभिज्ञात करे, रिक्तियों का एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से ग्रसित व्यक्ति के लिए :-

(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि;

(ख) श्रवण ह्रास;

(ग) चलन क्रिया सम्बन्धी नि:शक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी।

(ग) उपधारा (3) में, शब्द "पिछड़े वर्ग" के स्थान पर शब्द "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की" रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (4) निकाल दी जायेगा।

(ङ) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

(5) जहां उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है, तो उसे आगामी भर्ती के लिए अग्रनीत किया जायेगा।"

धारा 4 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2), निकाल दी जायेगी ।

धारा 5 का प्रतिस्थापन

5--मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

"अपवाद 5--(।) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, ।997 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जैसे वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए वहां चयन प्रक्रिया आरम्भ की गयी समझी जायेगी, जहां सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन की जाने वाली भर्ती,--

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर की जानी हो और वहां यथास्थिति लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो गया हो; या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, दोनों के आधार पर की जानी हो और वहां लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो गयी हो ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, ।974 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे ।"

निरसन और अपवाद

6--(।) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश ।997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या 8 सन् ।997

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (।) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के प्राविधान सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 6, खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरीकिशन-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1997 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1997 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1997

श्री अमर मणि-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1997 का अननुमोदन करता है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यों की इच्छा है कि विधेयक भी साथ-साथ प्रस्तुत कर दिया जाय ताकि समय की बचत हो सके।

श्री अमर मणि-

मान्यवर, इस तरह से गलत परम्परा मत डालिये। कुछ तो बोल लेने दीजिये। मैंने सकंल्प प्रस्तुत किया है। मान्यवर, जिस दिन से सदन चल रहा है। रोजाना संकल्प प्रस्तुत हो रहे हैं और उस पर जो भी सदस्य बोलना चाहता है उसको समय दिया जाता है। तानाशाही का यह जो जीता-जागता कृषि मंडी से संबंधित संकल्प है उस पर मैं कुछ विचार रखना चाहता हूं। मैं कोई दुकानदारी नहीं करना चाहता। जनता ने चुनकर भेजा है। अपने विचार रखना चाहता हूं चाहे 2 बजे या 4 बजे तक सदन चले।

* श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, सामान्य बजट पर भी चर्चा होनी है। मणि जी ने संकल्प प्रस्तुत किया है। मंत्री जी द्वारा विधेयक जो इसी से संबंधित है, वह प्रस्तुत करा दीजिये। उसके बाद मणि जी संशोधन भी रख देंगे और फिर मंत्री जी का जवाब भी आ जायेगा। उसी बात को बार-बार दोहराने से क्या फायदा? उससे मैं समझता हूं कि समय अधिक लगेगा।

श्री अमर मणि-

ठीक है मान्यवर, रखवा लें।

श्री अधिष्ठाता-

मणि जी बहुत समझदार हैं।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1997, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्री अमर मणि-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1997 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। मान्यवर, जनतंत्र और जनतांत्रिक कार्यों का संरक्षण आपके..

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मणि जी बोल रहे हैं बीच में कौन सा व्यवस्था का सवाल आ गया?

(श्री राम औतार शाक्य के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

शाक्य जी आप बैठ जाएं।

श्री अमर मणि-

मैं कह रहा था गांव पंचायत से लेकर साधन सहाकरी समितियों पर जगह-जगह पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत हमने चुनाव की व्यवस्था कर रखी है। चाहे वह ग्राम सभा हो चाहे वह साधन सहकारी समितियां रही हों चाहे मंडी समितियां रही हों।

श्री राम औतार शाक्य-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठें।

श्री अमर मणि-

इस संशोधन के माध्यम से सरकार की मंशा स्पष्ट हो रही है यह सरकार चाहती है जैसे क्षेत्रीय विकास मंत्री हैं इनके पास छोटा सा विभाग है। क्षेत्रीय विकास जैसा विभाग देकर इनको लालीपाप सरकार ने देने का काम किया है। क्षेत्रीय स्तर पर यह चाहते हैं अपने छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं को वहां का सदस्य नियुक्त कर दिया जाए। मंडी परिषद् का सदस्य नियुक्त कर दिया जाए। इन्होंने उनको भी लालीपाप दे दिया ताकि वह इनका गुणगान करें। मंडी परिषद् काम कर रही थी इस बीच यह संशोधन लाया गया है। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन

मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1997 आगे मूल अधिनियम कहा गया है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मणि जी सभी माननीय सदस्यों के पास प्रारूप है।

श्री अमर मणि-

बहुत से सदस्यों के पास नहीं है बहुत से सदस्यों ने संशोधन पढ़ने का प्रयास नहीं किया है।

यह व्यवस्था की गई है दस सदस्यों का निर्वाचन, मनोनयन सरकार द्वारा होगा इसमें यह अधिकार भी प्रदत्त होंगे कि वह जब चाहेंगे हटा देंगे जब चाहेंगे पीठासीन कर देंगे। इस तरह की व्यवस्था की गई है। जनतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ऐसा प्रयास किया गया है। भाजपा और बसपा के छंटे हुए कार्यकर्ता हैं अभी हमारे तमाम मित्र बैठे हैं इसमें किसी को गन्ना प्रजनन का चैयरमैन किसी को अंडा विकास का चेयरमैन किसी को भूमि विकास का चेयरमैन इस तरह से बांट दिया है।

(हंसी)

हमारे अति वरिष्ठ सदस्य मारकण्डेय चन्द्र जी हैं जो लगभग 70 साल के हैं उनको खेल कूद मंत्री बना दिया गया है।

(हंसी)

उनको खेल कूद मंत्री बनाकर इस सरकार ने उनका और गोरखपुर दोनों का मजाक उड़ाया है। इस अवस्था में उनको खेलकूद मंत्री बनाया गया है। किसी नौजवान को जो खिलाड़ी रहा हो और चुनाव जीतकर आया हो उसको खेलकूद का प्रभार देना था। मारकण्डेय चन्द्र जी का सहकारिता के क्षेत्र में भी पर्याप्त अनुभव रहा है हमने उनको विभिन्न क्षेत्रों में काम करते देखा है। इसी तरह से यह सरकार इस विधेयक के माध्यम से उत्तर प्रदेश में हजारों हजार लोगों को रोजी-रोटी की व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है। यह भाजपा-बसपा के लोग अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए उनको लालीपाप देने के लिए यह संशोधन लाने का काम सरकार ने किया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री अमर मणि-

सरकार जनतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ कर रही है । जनतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखते हुए मंडी परिषद् के आप चुनाव करवा दें जिसे हम सहर्ष स्वीकार करेंगे ।

श्री सीताराम निषाद-

मैं कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 का अननुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है चुनाव नहीं कराना चाहती है क्योंकि अपने आदमियों को वहां बैठाने के लिए, उनका मनोनयन करने के लिए यह विधेयक लाया गया है । कृषि उत्पादन मण्डी समिति एक महत्वपूर्ण विभाग है । सारे प्रदेश से करोड़ों रुपये की जो आमदनी होती है उससे प्रदेश में सड़कों का निर्माण किया जाता है, इण्डिया मार्क-टू हैण्ड पम्प लगवाए जाते हैं, गांवों में रोजगार की व्यवस्था की जाती है । यदि इसमें जनता के चुने हुए लोग होंगे, किसानों के बीच के लोग होंगे तो वहां बैठकर प्रस्ताव करेंगे कि कौन पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कहां सड़कों की आवश्यकता है जिससे कृषि उत्पादन मण्डियों से किसानों को उसके उत्पादन का सही लाभकारी मूल्य मिल सके । तो इसमें अगर किसानों के बीच के लोग होंगे तो निर्णय लेने में किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी निर्णय सही ढंग से होंगे लेकिन यह यदि अधिकारियों के हाथ में और सरकार द्वारा मनोनीत लोगों के हाथ में होगा तो उसमें न्याय नहीं होगा मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति में जो अभियंत्रण विभाग है वह सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसमें गुणवत्ता नहीं हे, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की आवश्यकता है । जो सड़कों का निर्माण हो रहा है उसमे गुणवत्ता नहीं है, जो इण्डिया मार्क-टू हैण्ड पम्प लगवाए जा रहे हैं, उसमें अनुरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, इसकी गुणवत्ता भी नहीं है । जो हैण्ड पम्प लगते हैं, वह काम नहीं करते हैं, उसमें धन का दुरुपयोग हो रहा है । जो सड़कें बन रही हैं, वह साल भर में टूट जा रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की सही व्यवस्था न होने पर अनाज मण्डी तक पहुंचाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और जिससे उनको वाजिब दाम भी नहीं मिल पाते । इन्हीं शब्दों के साथ मैं संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, इस पर माननीय सदस्यों की जो उत्सुकता नजर आ रही है सम्भवतः मेरे द्वारा स्थिति स्पष्ट कर देने के बाद कुछ भी कहना माननीय

सदस्यगण मुनासिब नहीं समझेंगे और सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित करायेंगे। यह 1964 में अधिनियम बना, 1964 से 1997 तक जितने भी माननीय सदस्य चाहे पक्ष में बैठे हों या विपक्ष में बैठे हैं सबको सरकार में रहने का मौका मिला है, सबकी सरकारें बनी हैं परन्तु आज तक किसी ने चुनाव नहीं कराया। पहले 7 सदस्यीय कमेटी थी फिर 1983 में 11 सदस्यीय कमेटी कर दी गयी। जो नामीनेशन हुआ 1980 में तो कुल 144 कमेटियां नामिनेटेड हो पायी थीं शेष जिलाधिकारी ही देखते थे। 1983 में 11 सदस्यीय किया गया। 1993 में 230 गठित हुईं शेष जिलाधिकारी ही देखते थे, 1993 तक चली फिर भंग कर दिया गया और जिलाधिकारियों को अधिकार दे दिये गये।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि आज यह विधेयक क्यों लाना पड़ रहा है क्योंकि 15-1-96 को यह व्यवस्था समाप्त हो गयी है जो कार्यकाल बढ़ाया गया था वह 15-1-96 तक था 15 जनवरी, 96 से 31-12-96 तक अध्यादेश के लिए और अध्यादेश से कानून बनाने के लिए यह भारत सरकार को भेजा गया क्योंकि उस समय राष्ट्रपति शासन प्रदेश में लागू था। यह अध्यादेश नहीं बन पाया इसलिए इसको लाना पड़ा है। हमने फैसला लिया है और कार्यवाही की है हम इसको 31-12-98 तक बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि जो चुनाव कराना है उसमें 18 महीने लगेंगे और चार चरणों में होगा इसलिए 15-1-96 से 31-12-98 तक इसको बढ़ाना चाहते हैं। जहां तक माननीय सदस्यों की शंकायें हैं कि यह बी0जे0पी0 या बी0एस0पी0 के लोगों को नामीनेटेड कर देंगे ऐसा सरकार का कोई इरादा नहीं है। सरकार इसको जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में सौंपना चाहती है। हमारा प्रजातंत्र में विश्वास है इसके लिए हमने कार्यवाही की है और यह तय कर लिया है कि इसका चुनाव जो राज्य निर्वाचन आयोग है, जो पंचायतों का चुनाव कराता है वही इसका चुनाव करायेगा। इसके गठन में दिक्कत क्या है? इलैक्ट्रोल कालेज गठित करना है वह न्याय पंचायत से गठित होना है, अब चूंकि न्याय पंचायत के चुनाव हो गये हैं। जैसे ही यह सरकार आयी है राज्य निर्वाचन आयोग को अधिकृत कर दिया है उनके चुनाव कराने के लिए। मतदाता सूची या इलेक्ट्रोल कालेज कितना बड़ा होगा इन सब में समय लगेगा। इसीलिए हम 15-1-96 से 31-12-98 तक समय बढ़ाने के लिए यह विधेयक लाये हैं। माननीय सदस्यों को इसमें संशय नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें किसी को नामीनेट नहीं कर रहे हैं। चूंकि इसमें डिस्क्शन का कोई मैटर नहीं है इसलिए इसको सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए।

श्री मुन्ना चौहान-

श्रीमन् इस संशोधन प्रस्ताव के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी ने जो भी व्यवस्थायें इस संशोधन विधेयक के द्वारा किया है उसकी सीधी मंशा यह है कि चुने हुए प्रतिनिधि किसानों का स्वंय का प्रतिनिधि, मण्डी समिति में न बैठे और जो विपणन किसानों की उपज का है इसका लाभ वह बिचौलियों के हाथों में चला जाय, किसानों की मेहनत की कमाई से सत्ता में बैठे लोगों को लाभ पहुचानें के लिए किया गया, सिर्फ इसी उद्देश्य से इस विधेयक की व्यवस्था की गई है। यदि सरकार में कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो अच्छा होता और सरकार उसी के अनुरूप विधेयक इस सदन में लाती। मान्यवर, सरकार का कार्यकाल केवल डेढ़ महीना शेष है और इस सदन के सामने इस बात के लिए विधेयक ला रहे हैं कि अट्ठारह महीनों में मण्डी समिति के चुनाव करा देंगे। जबकि इनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि डेढ़ महीने में चुनाव करा देंगे। इसलिए मान्यवर सभी जानते हैं कि इस सरकार का कार्यकाल केवल डेढ़ महीने रह गया है तो यह बसपा और भाजपा के लोगों के आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए यह संशोधन विधेयक लाये हैं इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, अभी माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे थे तो पता नहीं वह क्यों सरकार के हर एक नेक कामों में उनको गलती दिखाई देती है। टेढ़े रास्ते से जाना उनको अच्छा लगता है। मान्यवर, मंत्री जी सीधी बात कह रहे हैं कि 18 महीनों में चुनाव कराकर मंडी समितियों को हम व्यवस्थित कर देंगे जिससे किसानों और व्यापारियों का हित होगा। मान्यवर आप देखें तो यह सरकार कितनी सचेत है। मान्यवर, यदि राष्ट्रपति महोदय इसकी मंजूरी न दें जिससे सरकार के सामने मजबूरी हो गयी है कि वह इसका कार्यकाल बढ़ाये बिना नहीं चल सकती है इसलिए 31 दिसम्बर, 1998 तक का समय बढ़ाने के लिए कह रहे हैं और इसके बीच में कोई चुनी हुई बाडी आ जायेगी और मान्यवर सरकार की नेक नियती देखें कि वह इन समितियों के चुनाव निर्वाचन आयोग के माध्यम से कराने के लिए कह रही है। इस प्रकार यह सरकार कितनी पारदर्शी है और कितने स्वच्छता के साथ अपने निर्णय को यहां सदन को अवगत करा रही है। इस सरकार ने जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था का इनको आदर करना चाहिये और जो माननीय अमर मणि जी संशोधन का प्रस्ताव लाये हैं,उसे निश्चित रूप से वापस ले लेना चाहिये, यह तो पुराने जनवादी रहे हैं। सरकार ने निश्चित रूप से पूर्ण नेक कदम उठाया है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सिर्फ दो बातें रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 18 महीने में चुनाव करायेंगे। मान्यवर, जो इस गठबंधन की सरकार में समझौता हुआ है, वह एक साल के लिए हुआ है और अगर दोनों के समय को जोड़ लिया जाय तो सवा महीना इनका और 6 महीना बी0जे0पी0 का बचता है, इस प्रकार न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। न यह 18 महीने रहेंगे और न चुनाव हो पायेंगे। मान्यवर, मंडी समितियों का करोड़ों रुपये का फन्ड है, यह भी नियम है कि जिस मण्डी की जितनी आय होगी, उसका उतना ही खर्चा होना चाहिये, आज यह हो नहीं पा रहा है। मान्यवर, यह करोड़ों रुपया इधर-उधर खर्चा किया जा रहा है। जिन मण्डियों का यह पैसा है, इसे वहां नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि इन मण्डियों में जन प्रतिनिधि तो हैं नहीं, इसलिए मान्यवर, मैं संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं और निवेदन करता हूं कि इसे प्रवर समिति को सौंपने का काम किया जाये।

श्री केशो मेहरा-

मान्यवर, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा इस सम्मानित सदन में बड़े ही स्पष्ट रूप से कहे जाने के बाद, कि हम एक भी मनोनयन नही करेंगे और इसका कार्यकाल केवल 31 दिसम्बर, 1998 तक ही बढ़ाया जा रहा है, कोई भी शंका करने का कोई आधार नहीं रह जाता है, इसलिये इसे सर्वसम्मति से पारित करना चाहिये, इतना ही मुझे निवेदन करना है।

* श्री वीरेन्द्र सिंह (वाराणसी)-

मान्यवर, मैं केवल इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूं कि यह सरकार कितनी पारदर्शी है। सिर्फ एक लाइन में अपनी बात कह कर बात समाप्त करुंगा। माननीय कृषि मंत्री इन मण्डी समितियों में अपने आदमियों को नियुक्त करना चाहते हैं, इसके लिये यह विधेयक लाया गया है। मान्यवर, मैंने अपने यहां बी0डी0सी0 को हटाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से 4 बार आदेश करवा दिया लेकिन उसके बावजूद कृषि मंत्री ने उस आदेश को हटा दिया और अपने सरीखे अध्यक्ष बनाना चाहते हैं ताकि हर जगह अपनी मनमानी कर सकें। यही इनकी पारदर्शिता है, इसलिये मैं इसे प्रवर समिति को भेजने की बात पर बल देता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी, इस सदन में जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसमें जो लिखा हुआ है उसे न पढ़कर इधर-उधर की चर्चा करके इस सदन का कीमती समय निकालने का काम किया जा रहा है। टू दि प्वाईन्ट बहस हो जाये तो अच्छा रहे। इस विधेयक में साफ है कि चुनाव होंगे और चुनाव से सपा भी घबरा रही है और चुनाव से कांग्रेस के माननीय सदस्य भी घबरा रहे हैं। निर्वाचन हो जाए केवल निर्वाचन के लिए निर्णय किया गया है, निर्वाचन मण्डल का विधिवत संकलन हो जाए इसमें कौन-कौन लोग वोट डालेंगे, मतदाता सूची बन जाए इसके लिए समय चाह रहे हैं।

मान्यवर, मण्डी हाउस बना है इसमें कितना पैसा लगा दिया गया है पानी की तरह पैसा बहाया गया यह पैसा सड़कों में लग सकता था इसलिए पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लें।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, जितने माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं उन सभी ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसका समर्थन ही किया है। इसमें एक ही चीज थी शंका जाहिर की गयी है चूंकि जो माननीय सदस्य उपलब्ध हैं उनके दल को यह मौका मिल चुका है। 64 से लेकर कोई ऐसा नहीं बचा है जिसको मौका न मिला हो। यह जो माननीय मणि जी हैं इनको तो कई बार मौका मिला है इनको शंका है अपने कृत्यों को देखकर कि हम नहीं करा पाये तो दूसरे भी नहीं करा पायेंगे। मैं इस शंका का निराकरण करता हूं। मान्यवर, हम चुनाव आज करा देते अगर आज कराना सम्भव होता चार स्टेजज में चुनाव कराना सम्भव होगा अभी उसका इलैक्टोरल कालेज बनेगा मतदाता सूची बनेगी, आपत्तियां आयेंगी और उन आपत्तियों का निराकरण होगा।

* श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं आपका एग्रीमेन्ट एक साल का है।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य को जनता ने पांच साल के लिए चुनकर भेजा है, इतनी जल्दी निराश नहीं होना चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जहां तक एक आशंका और जाहिर की गयी है कि सरकार की मंशा नामिनेट करने की है मैं स्पष्ट तौर पर इसका समाधान कर रहा हूं कि सरकार की मंशा ऐसी नहीं है कि वह अपने कार्यकर्ताओं को नामिनेट करना चाहती है । सरकार की चुनाव कराने की मंशा है और सरकार प्रजातंत्र में लोकतंत्र में आस्था रखती है और इसे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के हाथ में सौंपना चाहती है । इसमें 18 माह का समय लगेगा इसलिए 31 दिसम्बर, 98 तक का समय बढ़ा रहे हैं ताकि इसे इस बीच में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में सौंप दिया जाय । सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, मैं समझता हूं कि उनका पूर्णरूपेण समाधान हो गया होगा । इसलिए चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस ले लें और इस विधेयक को पारित करें ।

श्री अमर मणि-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की योग्यता में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है । उन्होंने जिस होशियारी से और जिस चालाकी से बात को रखा है, इसमें विधेयक में तदर्थ समिति का उल्लेख है ।

आप कह दें कि कोई न कोई सरकार रहेगी, अभी आप ने 4 साल की और बात कही हम भी चाहते हैं कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे कोई भी लोकतांत्रिक सरकार यहां पर बनी रहे । हम लोग 5 साल विधायक रहना चाहते हैं । लेकिन जो आपके और इसके बीच समझौता है वह 21 सितम्बर को खत्म हो रहा है । आपने इसमें 18 महीनें की अनुज्ञा मांगी है । उत्तर प्रदेश सरकार जिसको नामित करेगी वह पूरी मण्डी समिति का संचालन करेगा ।

श्री अधिष्ठाता-

अभी सामान्य बजट पर चर्चा होगी और दो विधेयक शेष हैं । आप अपने संकल्प को वापस ले रहे हैं ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

बिहार में भी कांग्रेस के लोग सत्ता पक्ष की तरफ जुड़ गये हैं । यहां भी जुड़ना चाहें तो आयें 5 साल तक चलता रहेगा ।

श्री अमर मणि-

मान्यवर, संशोधन विधेयक कि नीयत बिल्कुल स्पष्ट है । आप चाहें तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं नामाकंन की तिथि घोषित कर सकते हैं । हम लोग

चुनाव जीत कर आये हैं। चुनाव से घबड़ाते नहीं हैं। आज ये भवन के अन्दर लड़ाई है, कल सड़कों पर होगी। काला विधेयक जो है उसको वापस लेने का काम सरकार करे। इसे सरकार एक प्रवर समिति के जिम्मे कर दे जो एक महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे।

श्री जयनारायण तिवारी-

मान्यवर, आज सबेरे से और परसों जब सदन स्थगित हुआ था, माननीय अध्यक्ष जी ने यह चिन्ता व्यक्त की थी कि बजट पर सामान्य चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाय। आज प्रातःकाल से वह इस दिशा में प्रयासरत भी थे, माननीय संसदीय कार्यमंत्री भी प्रयासरत हैं और आप भी प्रयासरत हैं परन्तु ऐसा लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वालों ने आपस में यह साजिश कर ली है कि माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को न होने दिया जाय जब मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल का ही भाषण नहीं हो पायेगा तो जो हमारे तमाम और माननीय सदस्य हैं, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को सामान्य चर्चा के माध्यम से यहां पर रखना चाहते हैं, वह अपनी बात नहीं रख पायेंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जो मदें हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी निस्तारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1997 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति अल्पकालिक व्यवस्था (संशोधन) विधेयक 1997 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

समिति अल्पकालिक व्यवस्था (संशोधन) विधेयक 1997, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

खण्ड 2 से खण्ड 4 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1997

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायेगा।

(2) यह 15 जनवरी, 1996 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन वैधीकरण

2-उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 की, उपधारा (1) में, शब्द "दो वर्ष की अवधि या उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन निर्वाचित मण्डी समिति का संगठन होने तक के लिए" के स्थान पर अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 1998 तक या उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन निर्वाचित मण्डी समिति के गठन होने तक" रख दिये जायेंगे।

3-शंकाओं के निराकरण के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि मण्डी समिति, उसके सभापति और उप सभापति के अधिकार, कृत्य और कर्तव्य, जो दिनांक 15 जनवरी, 1996 के ठीक पूर्व मूल अधिनियम की धारा 2 के

अधीन जिला मजिस्ट्रेट में निहित थे, तब तक जिला मजिस्ट्रेट में विधिमान्यतः निरन्तर निहित समझे जायेंगे जब तक कि उपर्युक्त धारा के अधीन तदर्थ समिति का नामांकन या उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 13 के अधीन किसी निर्वाचित मण्डी समिति का गठन न हो जाय और दिनांक 15 जनवरी, 1996 को या उसके पश्चात् किसी भी समय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त अधिकारों के प्रयोग, कृत्यों के सम्पादन और कर्तव्यों के पालन में कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

निरसन और अपवाद

4-(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 1997

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1997, जैसा

कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1997, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् (संशोधन) विधेयक)

ग्राम्य विकास एवं प्रान्तीय विकास दल मन्त्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1977 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास परिषद् का जो गठन हुआ था, इसकी पूरी मन्शा यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास से लेकर तमाम विकास के कार्यों को किया जाय, इसके लिए इसमें एक समिति बनायी गई थी। तमाम माननीय सदस्य आये दिन कहते हैं कि ब्यूरोक्रेशी हावी है, इसलिए मान्यवर, जनता के एक प्रतिनिधि को इसमें नामित कर दिया जाय तो पूरी समिति का स्वरूप ठीक हो जाता है। अब मान्यवर, जहां सचिव ग्राम्य विकास इसके अध्यक्ष होते थे, अब वहां पर जनप्रतिनिधि को अध्यक्ष बनवा दिया गया है।

इसमें मैं समझता हूं कि जितने सदस्य हैं उसमें एक जनता का आदमी हो जाय तो इसमें माननीय मणि जी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री अमरमणि-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1997 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)।

मान्यवर, इसका अध्ययन कर लें। जिस प्रकार से शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में छत्रपति शब्द रह गया था और उसे जोड़ने के लिए एक छोटा सा विधेयक लाया गया था तो उसी प्रकार से शासन द्वारा केवल एक व्यक्ति को नामित करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। मान्यवर, वह व्यक्ति बसपा या भाजपा का ही होगा जिसे मंत्रिमण्डल में जगह नहीं मिली होगी। तो यह रेवड़ी

बांटने के लिए सरकार विधेयक लायी है । मान्यवर, जिसे अध्यक्ष पद दिया जायेगा वह स्टेट मिनिस्टर रैंक का होगा और लाल बत्ती उसके पास होगी इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि या तो बसपा का या फिर भाजपा का पुख्ता कार्यकर्ता होगा जिसे मंत्रिमण्डल में जगह नहीं दी गयी है और सिर्फ संतुष्ट करने के लिए उसे ग्रामीण आवास का चेयरमैन बनाया जा रहा है । मान्यवर, हमारे एक देवरिया के मित्र थे सिंह साहब उनका अखबार में नाम आया कि वह चेयरमैन हो गये तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो किसी संस्था के चेयरमैन हो गये हो तो उन्होंने कहा कि हां मैं गन्ना बीज का चेयरमैन हो गया हूं । एक दूसरे तुलसीपुर के मित्र थे उनका भी इसी तरह से नाम आया तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहां पर चेयरमैन हो गये हो तो उन्होंने कहा कि मैं कुक्कुट पालन का चेयरमैन हो गया हूं ।

तो माननीय मंत्री जी केवल एक पद अध्यक्ष का सृजित करना चाहते हैं और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को उसमें रखना चाहते हैं । उसे लाल बत्ती मिल जाय । मान्यवर, अगर देना ही चाहते हैं तो हमारे शिव प्रताप शुक्ला जी हैं उनको ही बना दें उन्हें लाल बत्ती की गाड़ी मिल जायेगी और हमारे जिले में भी एक लाल बत्ती हो जायेगी कभी-कभार हम भी उनसे लाल बत्ती वाली गाड़ी ले लेंगे और बैठ जायेगें । तो मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार से रेवड़ी बांटने का काम यह न करें । हम चाहते हैं कि ग्रामीण आवास परिषद् का गठन किया जाय और सुनियोजित तरीके से उसके सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाय और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव किये जाये और अध्यक्ष चुना जाय । अगर अध्यक्ष चुना हुआ व्यक्ति रहेगा तो ग्रामीण अंचलों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास करेगा और उसका ग्रामीण अंचल से सरोकार रहेगा । तो इस प्रकार से रेवड़ी बांटने का काम न किया जाय और उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न किया जाय और सदन का बेसकीमती समय बरबाद न करें ।

श्री अधिष्ठाता-

यह अध्यादेश नहीं, विधेयक है ।

श्री अमरमणि-

एक प्रवर समिति बने जो निर्धारित करे कि ग्रामीण आवास संघ का कार्यक्षेत्र क्या होगा । केवल लाल बत्ती देने या एक व्यक्ति को सन्तुष्ट करने के लिए अगर यह व्यवस्था की जा रही है, तो उचित नहीं है । इसलिए मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं ।

श्री सुखदेव राजभर-

मैं मणि जी से निवेदन करूंगा कि जो संशोधन वह लाये हैं, उसको वह वापस ले लेंगे। मान्यवर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो शंकाएं उन्होंने व्यक्त की हैं, उनको निकाल दें कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज द्वारा पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए या उनको संतुष्ट करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि एक अधिनियम बना हुआ है और उस अधिनियम के अन्तर्गत एक कमेटी है और उसका अपना जुरिस्डक्शन है। सचिव उसके अध्यक्ष अभी तक थे। उनके स्थान पर अब जनता का एक व्यक्ति नामित किया जाएगा, जो अध्यक्ष होगा। उस ऐक्ट में प्रतिबंध है कि सभी का जुरिस्डक्शन क्या-क्या है। मान्यवर इस विधेयक के द्वारा लोकतांत्रिक ढांचा बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें जो शंकायें की जा रही हैं वह निराधार हैं और उचित नहीं हैं। मैं मणि जी से कहूंगा कि अपनी शंकायें निकालें और अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता-

श्री अमर मणि जी क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री अमर मणि-

मान्यवर मंत्री जी ने कहा कि सहयोग चाहते हैं, लेकिन मैं एम0 एल0 ए0 रह गया और आप मंत्री हो गये मंत्री जी ने कहा कि यह प्रस्ताव लेने का औचित्य नहीं है, तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर वह यह व्यवस्था करें कि अध्यक्ष के पद पर प्रतिपक्ष का सदस्य अध्यक्ष होगा, चाहे वह कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, तो मैं इस प्रस्ताव को वापिस ले लूंगा नहीं तो बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् (संशोधन) विधेयक 1997 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1997

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1983 की धारा 4 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983 की धारा 4 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(क) एक व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष नाम निर्दिष्ट किया जायेगा; .. .. अध्यक्ष"

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् (संशोधन) विधेयक 1997 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

(समय 5 बजकर 25 मिनट)

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997

* आवास एवं नगर विकास राज्य मंत्री (डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय।

श्री अमर मणि-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, हमारे नगर विकास मंत्री जी ने जो यह संशोधन रखा है यह काफी बुद्धिमत्तापूर्वक और काफी सोच विचार कर रखा है। आज की परिस्थितियों में यह आवश्यक था यह 1975 का मूल अधिनियम है उसके बाद इसमें कोई संशोधन नहीं हुये। उक्त अधिनियम के अधीन कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ में जल संस्थान और झांसी, मढ़वाल और कुमायूं मण्डलों में क्षेत्रीय जल संस्थान गठित किये गये थे। आज जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और जब यह विधेयक लाया गया था उस समय जिन शहरों की आबादी 5 हजार, ढाई हजार या दो हजार थी आज उनकी आबादी लाखों लाख हो गयी है। गोरखपुर में उस समय नगर पालिका थी आज नगर महापालिका हो गयी है। इसी तरह से तमाम महानगरों की आबादी और शहरीकरण जिस तरह से हो गया है उसमें इस विधेयक की बहुत आवश्यकता है। इस बढ़ी हुई आबादी के कारण आज जलभराव की भीषण समस्या हो गई है। आप विधान सभा के आस पास ही देख लें थोड़ी सी बरसात में भी कितना जलभराव हो जाता है। यहां पर दो एक दिन से जरूर नालियों की सफाई हो रही है अन्यथा सभी जगह पर नालियां पट चुकी हैं। अभी आपने देखा होगा पटना में लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री थे सारा पटना पानी से भर गया था। और वहां का सारा जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था।

हमारे यहां इस तरह के संशोधन की बहुत आवश्यकता थी लेकिन उन्होंने इस विधेयक में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि किन शहरों को इसके आधीन लिया जाएगा। यह मेरी मांग है कि इसको केवल चन्द जनपदों तक सीमित न रखकर इसका विस्तारीकरण किया जाय जहां पर अभी तक सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री अमरमणि-

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन रखा है उसमें आबादी निर्धारित कर दें कि इतनी आबादी तक के शहरों में इसका गठन किया जाएगा। वहां जल निकास और पेयजल की व्यवस्था की जायेगी। यही मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि विस्तार से इसकी व्याख्या हो जाये और इस पर विचार हो जाये क्योंकि एक तरह से यह अधूरा है ताकि इसको पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जा सके।

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

मान्यवर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय त्रिपाठी जी को।

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर मेरा संशोधन है इसको भी सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

पहले माननीय मंत्री जी अपना पक्ष रख लें, उसके बाद बोलें।

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

मान्यवर माननीय त्रिपाठी जी ने इस विधेयक की आवश्यकता पर बल स्वयं दे दिया। उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि किन-किन शहरों में इसकी व्यवस्था की गई है। तो जिन पांच नगर निगमों में जल संस्थान आते हैं उनको नगर निगमों में लेने की बात की है। शेष अन्य नगर महापालिका में जैसे मेरठ, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद आदि सबमें, यह नगर निगम के अन्तर्गत हैं।

इसकी व्यवस्था जन प्रतिनिधियों के हाथ में पहली बार देने जा रहे हैं। एक लम्बे अर्से से जो विसंगति चली आ रही थी उसको दूर किया जायगा और जन-प्रतिनिधियों के हाथ में व्यवस्था दी जा रही है। इन पांचों जल संस्थानों में एकरूपता लायी जा रही है और दोहरी कर व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। गृह कर और जल कर के संबंध में जो दोहरी व्यवस्था थी उसको जनहित में और जन प्रतिनिधियों के नियंत्रण में किया गया है। जिस चीज पर बहुत दिनों से बल

दिया जा रहा था उस संबंध में यह संशोधन लाया गया है नगर निगम में नगरीय जलकल व्यवस्था के संबंध में एकरूपता के साथ कार्य होगा। मैं आग्रह करूंगा कि सर्वसम्मति से इस संशोधन को पारित करें।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह संशोधन विधेयक लाने के उद्देश्यों के संबंध में जो व्याख्यात्मक टिप्पणी दी है उसमें मात्र एक कठिनाई जल कर वसूलने की होती है यह कहा है लेकिन उसके पीछे कोई आधार या तर्क नहीं दिया है कि जल संस्थान और जल निगम के एकीकरण के बाद नगरीय जलापूर्ति व्यवस्था कैसे अच्छी हो जायेगी और गुणात्मक सुधार कैसे हो सकेगा। पहले 2 बिंदुओं पर वसूली होती थी अब एक बिंदु पर वसूली का काम होगा। इसके पूर्व में इस तरह का प्रस्ताव लाया गया वर्ष 1987 में और सरकार ने विचार करके उसको निरस्त कर दिया था। जल संस्थान के गठन होने के बाद व्यवस्था अच्छी हुयी है। जिस समय लखनऊ में जल संस्थान का गठन नहीं हुआ था उस समय पानी की लाइनें 400 कि0मी0 थीं आज 1450 कि0मी0 लंबी लाइनें हैं। इसी तरह से उस समय सीवर की लाइनें 150 कि0मी0 लंबी थीं, और जल संस्थान के गठन के बाद यह 550 कि0मी0 हो गयी हैं। जब जल संस्थान नहीं थी तब 40 नलकूप थे और जल संस्थान के गठन के बाद 160 जलकूप हो गये हैं। इसी तरह से पहले जोनल पंपिंग स्टेशन था और जल संस्थान के गठन के बाद 10 हो गये हैं। इसी तरह से जलापूर्ति पहले 192 एम0 एल0 डी0 होती थी जल संस्थान के गठन के बाद 302 एम0 एल0 डी0 हो रही है।

जल संस्थान के गठन के पहले राजस्व 85 लाख रुपये का मिलता था, जल संस्थान के गठन के बाद 1250 लाख रुपये का राजस्व आता है। अकेले लखनऊ के यह आंकड़े हैं इसी तरह से 5 महानगरों में जल संस्थान के गठन के बाद व्यवस्था में गुणात्मक सुधार आया है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 173 (2) में व्यवस्था दी गयी है। अभी तक नगर निगम 25 प्रतिशत और जल संस्थान 18 प्रतिशत कर लगाने के लिये सक्षम थे अब जब जल संस्थान समाप्त कर दिये जायेगें तो 18 परसेंट की हानि नगर निगम को उठानी पड़ेगी इससे जो व्यवस्था में सुधार होना चाहिये वह नहीं हो सकेगा। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। मान्यवर, जो इनका नगर निगम है उसकी स्थिति यह है कि वहां पानी पर टैक्स लगाने के लिये प्रस्ताव पारित होना था पर वह पारित नहीं हो सका है और बहुत बड़ी क्षति होने जा रही है। मान्यवर, महापालिका अधिनियम की धारा 140 में स्पष्ट प्राविधान है 15 मार्च के बाद अगले वित्तीय

वर्ष के लिये अधिनियम की धारा 17। (1) के अन्तर्गत करों की दरें सुनिश्चित की जायेगी लेकिन अभी तक दरें सुनिश्चित नहीं की गयी हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। आपकी बात आ गयी।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, मैं कोई भाषण नहीं कर रहा हूं मैं वस्तुस्थिति बता रहा हूं।

मान्यवर, जो वस्तुस्थिति है आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। एक मिनट का समय और दें दें। मान्यवर वर्ष 97-98 के लिये मार्च, 97 से नगर निगम द्वारा जल कर और सीवर की दरें नहीं निर्धारित की गई हैं जिसके कारण 97-98 में जो टैक्स मिलना चाहिए था वह नहीं मिलेगा। इसके बाद स्थिति यह है कि जल संस्थान समाप्त कर दिया जायेगा। मान्यवर, स्थिति बड़ी दयनीय हो जायेगी। मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि छोटा सा संशोधन। मान्यवर, यह छोटा सा संधोधन नहीं बड़ा अधिनियम ला रहे हैं। जल संस्थान जो पिछले 20-22 सालों से चला आ रहा है नई व्यवस्था लागू करके उसे समाप्त करने जा रहे हैं। लखनऊ और महानगरों की स्थिति बड़ी खराब है। 1989 में जब 304 गैलन पानी मिलता था अब वह 280 रह गया है। जल संस्थान बन्द करने के बाद पता नहीं क्या होगा जब कि अभी पांश कालोनियों में पानी की बड़ी समस्या है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय वह विचार करके अपनी जो रिपोर्ट देगी उससे हम सब सहमत होंगे।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक के पक्ष में बोलने का आपने अवसर दिया, मैं आभारी हूं। मान्यवर, अभी तक जो विसंगतियां चली आ रही थीं उनको दूर किया जाना चाहिए। जो नगर निगम के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको अधिकतम अवसर मिलना चाहिए। जल वितरण में जो दुर्व्यवस्था थी, टैक्स वसूली में जो दुर्व्यवस्था थी, उस दोहरी व्यवस्था को खत्म करने का अधिकार मिलेगा। अभी तक हम देखते आये हैं कि जो सीवर व्यवस्था रही है उसका टैक्स जल संस्थान वसूल करता रहा है लेकिन सीवर की सफाई का कार्य नगर निगम करता है इसलिये यह महसूस किया गया कि यह दोहरी व्यवस्था ठीक नहीं है इसे एक ही संस्था के सुपुर्द कर देना चाहिए। मैं समझता हूं कि देर से ही सही पर यह जो विधेयक लाया गया है वह उचित है।

इससे नगर निगम के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में अधिकार होगा। दोहरी कर वसूली को व्यवस्था से मुक्ति मिल जायेगी। मैं इस संशोधन विधेयक पर बल देता हूं।

श्री मुन्ना चौहान-

श्रीमन् यह जो बिल पेश हुआ है इसके अन्दर जो विसंगतियां दूर करने का प्रयास किया गया है उसके लिये हम सहमत हैं और बधाई देना चाहते हैं लेकिन श्रीमन् इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर कोई प्रयास इस बात के लिये नहीं किया गया कि आज जिस तरीके से केवाल टाउन्स के अन्दर जल संस्थान को समाप्त करके नगर निगम में मिलाने का काम किया गया है। झांसी, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडलों पर जो क्षेत्रीय जल संस्थान हैं वहां पर इम्प्रेसन बन रहा है कि यह जल संस्थान खत्म होने जा रहा है इसलिये वह अपने कार्यों के प्रति उदासीनता बरत रहे हैं। इस बिल के माध्यम से एक माकूल व्यवस्था की जानी चाहिए थी कि इन जल संस्थानों को नगर निगम में विलीन करते हुए इसमें कार्यरत कर्मचारियों की उचित व्यवस्था की जायेगी। नगर निगम में जाने के बाद उसकी स्थिति क्या होगी।

माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में गढ़वाल मंडल के अन्दर गढ़वाल जल संस्थान द्वारा जो वाटर टैक्स के चार्जेज थे वह एक मरतबें में इन वन स्ट्रोक आफ ए पेन 7, 8, 10 गुना बढ़ा दिये गये इससे वहां ऐसी स्थिति बन गई कि वहां का कन्ज्यूमर उस पैसे को देने की स्थिति में नहीं हैं। उमकी रिकवरी सर्टीफिकेट जारी हो गये हैं और वह भुगतान नहीं कर पा रहे हैं श्रीमन् मैं याद दिलाना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने गढ़वाल क्षेत्र के भ्रमण के दौरान इस बात के आदेश दिये थे कि जल कर की बढ़ी हुई दरें वापस की जाय। बढ़ाना है तो उसे सीमित दायरे के अंदर बढ़ाया जाय। मुझे खेद है इस बात का कि इस अधिनियम के अंदर कोई व्यवस्था नहीं की गई।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाएं।

श्री मुन्ना चौहान-

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैं

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान पर्वतीय क्षेत्र की विषमताओं की तरफ दिलाना चाहता हूं मान्यवर, जिस तरह से आज जल संस्थानों का विघटन किया गया है इसी तरह से गढ़वाल व कुमाऊं के जल संस्थानों व जल निगम का विघटन करने की आवश्यकता है पर्वतीय क्षेत्र की विषम स्थिति है आज वहां जल निगम संस्थान के माध्यम से योजना सैकेड़ों बन रही हैं और योजना बनाकर सैकड़ों हजारों की तादाद में जल संस्थानों को दी जा रही हैं किन्तु 10 वर्ष में जल संस्थान का जो स्टाफ था वह वही हैं जबकि दस वर्षों में कार्य में बेतहासा वृद्धि हुई है। मैं मांग करता हूं कि भविष्य में कुमायूं गढ़वाल जल संस्थान का विघटन कर जल निगम संस्थानों के स्थान पर जल परिषद् का गठन किया जाना आवश्यक है ताकि वहां के पेय जल की समस्याओं का निपटारा हो सके। इसी के साथ मैं मंत्री जी द्वारा रखे गऐ संशोधन विधयेक का समर्थन करता हूं।

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

अधिष्ठाता जी, अभी बाजपेयी जी और चौहान जी ने कुछ बिन्दु उठाए हैं। मैं उसके बारे में माननीय सदस्यगण को बताना चाहता हूं कि जल संस्थान का गठन का औचित्य 1975 में था वह औचित्य ही अपने आप में इन पांच महानगरों में बेहतर पेयजल व्यवस्था देना, बेहतर सीवर व्यवस्था देना था। इसमें गठन किया गया। इसमें आपने कहा कि 1987 पर विचार किया गया। कई बार विचार किया गया। पहली बार यह पारित करने की स्थिति में है। यह विचार पहले कई बार स्थगित किया गया हमने कहीं न कहीं निहित चीजें प्रभावित की और पहली बार हमारी सरकार ने जनप्रतिनिधियों के नियंत्रण में विधेयक को लाकर जो आम जनता की बात रखेंगे, जनप्रतिनिधियों को लाने का साहस किया है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

चौधरी जी ने और निशंक जी ने समर्थन किया। मान्यवर कुमाऊं, झांसी, गढ़वाल, मंडल ने तीन जगह के जो जल संस्थान हैं इसमें यह नगरीय व्यवस्था की है, पेयजल को मेन्टेन करते हैं। यह जो पांव नगरीय जल संस्थान हैं उनकी व्यवस्था को इसमें नगर निगमों के अन्तर्गत किया गया है। कर्मचारियों के सम्बंध में जो चिन्ता व्यक्त की गई है उसके सम्बंध में कहना चाहता हूं कि जो भी कर्मचारी जलसंस्थान की सेवा में हैं प्रत्येक कर्मचारी को स्थानीय निकाय की सेवा में लिया जाएगा कर्मचारियों की सेवा पर किसी प्रकार का कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। यह जो कुमायूं, गढ़वाल और झांसी में अत्यधिक जल कर के बारे में बात कही गई है इसके सम्बंध में मैं कहना

चाहता हूं कि 7 जून, 1997 को हमारी सरकार ने जनता को सस्ते मूल्य पर पेय-जल उपलब्ध कराने के लिए बढ़े हुए जल करों को शासनादेश द्वारा स्थगित कर दिया है। इस नाते जनता को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जो हमारे निशंक जी ने पहाड़ी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध करने की बात कही है हमारी सरकार उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए वहां पर बेहतर पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि पहली बार प्रदेश में एक अच्छा कदम उठाया गया है। जनता के हित को दृष्टि में रखते हुए जल संस्थान को स्थानीय निकाय में मिलाने के लिए विधेयक लाया गया है तथा जल व्यवस्था व सीवर व्यवस्था को एक ही संस्था को सुपुर्द कर दिया जाएगा इन्हीं कारणों से यह संशोधन लाया गया है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इसे सर्वसम्मति से पास होने दें।

श्री अधिष्ठाता-

क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस ले रहे हैं

श्री अमर मणि-

मंत्री जी ने अपनी कुशाग्रता से बहुत सी बातें रखी हैं हमारी भी बातें इस सम्बन्ध में आई हैं मंत्री जी की बातों से लगा कि इसकी आज ही बड़ी आवश्यकता है और इसे आज ही पास हो जाना चाहिए। हमारे नौतनवां में जो नगरपालिका है वहां पर पेय जल की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से तमाम नगरपालिकाएं प्रदेश में हैं छोटी-छोटी टाउन एरिया हैं जहां पर पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है अगर आपको कुछ करना है तो आपको उनका विस्तारीकरण करना चाहिए अगर आप कृत संकल्प है कि हर व्यक्ति को पेयजल उपलब्ध करायेंगे तो आपको इसका विस्तारीकरण करना चाहिए। आप अपनी योजना का विस्तार प्रदेश के सभी नगरपालिका, टाउन एरिया में करें जिससे सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। इसी के साथ मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं प्रश्न रख रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल संम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997

उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 43 सन् 1975 में नई धारा 100-क का बढ़ाया जाना

2-उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 100 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:-

जल संस्थान का विघटन और उसके परिणाम

"100-क (1) इस अधिनियम का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, वहां वह, इस अधिनियम के अधीन गठित किसी जल संस्थान का विघटन अधिसूचना द्वारा, ऐसे दिनांक से जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, कर सकती है।

(2) किसी जल संस्थान की उपधारा (1) के अधीन विघटन किये जाने के दिनांक की ओर से--

(क) जल संस्थान में निहित समस्त सम्पत्ति और आस्तियां और उसके द्वारा वसूली योग्य समस्त देय ऐसे स्थानीय निकाय द्वारा जिसने ऐसे जल संस्थान के गठन के ठीक पूर्व स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग किया हो, जिसे आगे स्थानीय निकाय कहा गया है, में निहित होंगे और उसके द्वारा वसूल किये जा सकेंगे,

(ख) जल संस्थान के समस्त अधिकार, दायित्व और आभार, चाहे वे जल संस्थान से संबंधित किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुए हों, स्थानीय निकाय के अधिकार, दायित्व और आभार होंगे;

(ग) ऐसे सभी वाद और विधिक कार्यवाहियां जो किसी जल संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित की गयी हों या जो ऐसे निहित और अन्तरण न होने की दशा में संस्थित की जाती, स्थानीय निकाय द्वारा या उसके विरुद्ध यथास्थित जारी रखी जा सकती है या संस्थित की जा सकती है;

(घ) अधिनियम की धारा 33 में उल्लिखित ऐसे सभी वर्तमान जल और सीवर व्यवस्था संबंधी सेवायें, अधिकार, दायित्व और आभार जो किसी जल संस्थान में निहित हों या उसके हों, स्थानीय निकाय में निहित होंगे और उसको अन्तरित हो जायेंगे और धारा 33 के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित स्थानीय निकाय को इस प्रकार अन्तरित होने या उसमें निहित होने पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे जल संस्थान को अन्तरित या निहित होने पर लागू हुए थे,

(ङ0) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम की धारा 27 के अधीन नियुक्त या अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन जल संस्थान की सेवा में आमेलित प्रत्येक कर्मचारी स्थानीय निकाय का कर्मचारी हो जायगा और धारा 38 के उपबन्ध स्थानीय निकाय की सेवा में, उसके अन्तरण के संबंध में, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे स्थानीय निकाय से जल संस्थान में अन्तरण के संबंध में लागू हुए थे,

(च) ऐसे कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश पालिका जलकल और जल संस्थान अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1986 द्वारा नियंत्रित होते हों या जल संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहे हों, अपनी मूल सेवा के सदस्य बने रहेंगे और उक्त सेवा में प्रत्यावर्तित होंगे;

(छ) धारा 100 में निर्दिष्ट अधिनियमितियां "उसी प्रकार प्रभावी बनी रहेंगी जिस प्रकार वे जल संस्थान के गठन के पूर्व लागू थी।"

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(इस समय 5 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी)

---

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)-

श्रीमन्, पिछले दिन शिक्षा पर अपने विचार रख रहा था और बहुत सी बातें और सुझाव सदन के समक्ष प्रस्तुत किये थे। ज्यादा न कह कर शिक्षा के सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी शिक्षा के विकास की ओर विशेष ध्यान देने के लिए विशेष कार्यक्रम घोषित करें। शिक्षा ही किसी देश और प्रदेश को आगे ले जाने वाली एक सबसे बड़ी कड़ी है। उच्च शिक्षा के लिए मैं राय देना चाहूंगा। श्रीमन्, बहुत से क्षेत्रों में डिग्री कालेज नहीं हैं, प्रतिबंध बहुत कड़े हैं मान्यता के लिये, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर में डिग्री कालेज की स्थापना कम हो सकी है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां पर प्राइवेट सेक्टर में डिग्री कालेजेज कम हैं वहां राजकीय डिग्री कालेज खोलने के लिए प्रयास किये जायें और खोले जायं और साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में जो देहाती क्षेत्र से सम्बन्धित हैं उसमें मान्यता की शर्तों को शिथिल किया जाये। अगर मान्यता की शर्तों को शिथिल किया जायेगा तो शायद बहुत से प्राईवेट सेक्टरों में भी डिग्री कालेजेज खोलने के लिए प्रयास करेंगे।

माध्यमिक शिक्षा के लिए मैं बहुत अधिक कोई बात न कह कर इतना ही कहना चाहूंगा कि जो विद्यालयों की मान्यता वित्त विहीन हुई है उनको

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सवित्त वाले विद्यालय घोषित कर दिये जायं और तीसरी बात यह कहूंगा कि सरकार द्वारा जिन कक्षाओं को शुल्क मुक्त किया गया है उनका रिम्बरसमेंट विद्यालयों को किया जाये। अभी पीछे बहुत से लोग रिटायर हो चुके हैं। हमारे जनपद के बृजमोहन सिंह सहित कई लोग जो बुजुर्ग हो गये हैं, जिनको पेन्शन पहले थोड़ी मिलती थी उनका जो देय बाकी है, उसका भुगतान शिक्षा विभाग द्वारा करवा दिया जाये। आगे यही कह कर कि जो हुआ सो हुआ पाठ्य-पुस्तकों की कीमत दो गुनी हुई पता नहीं कैसे? केवल नीला पन्ना लगाकर वही पाठ्य-पुस्तक घोषित कर दिया गया, लोगों के संरक्षकों, गार्जियनों पर बहुत दबाब पड़ा।

मैं आपको सही सूचना देता हूं कि बहुत से लड़के विद्यालयों में न जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं इसलिए इसकी ओर ध्यान देना चाहिए।

आगे अब मैं स्वास्थ्य विभाग के संबंध में कहना चाहता हूं। इस विभाग में स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर बजट कम कर दिया गया है। होम्योपैथिक में बजट 1.22 की कटौती की गयी है। एलोपैथी बजट में केवल 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है किन्तु आयुर्वेदिक में ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है। हम चाहते हैं कि होम्योपैथी और एलोपैथी में बजट को बढ़ाया जाना चाहिए।

श्रीमन्, आज द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 5-6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है वह उन्हें मिलना चाहिए।

अस्पतालों में जो भी दवाईयां भेजी जाय। वह सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दवाईयों पर लेबल तो अच्छी कम्पनी का लगा है किंतु दवाईयां नकली भरी हुई हैं। इसलिए आप यह कर दें कि दवाईयां सहीं हों और उसकी मात्रा भी थोड़ी बढ़ाई जाय अन्यथा देहात के लोगों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। देहाती क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य केन्द्र हैं वहां दवाईयों की मात्रा बढ़ाई जाये जिससे ज्यादा लाभ लोगों को मिल सके।

आगे अब मैं नगर विकास के संबंध में कहना चाहता हूं कि बहुत से स्थानों पर 5-6 महीनों से सफाई कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। इसलिए उन्हें वेतन दिलाया जाय।

नगर विकास के अन्तर्गत जितने शहर, नगरपालिकायें, कबाल टाउन्स और नगर निगमों में पानी, बिजली और सीवर की सुचारू व्यवस्था की जानी चाहिए।

मान्यवर, स्वच्छता के नाम पर आज जो अभियान चलाया जा रहा है जैसे कि लखीमपुर में पुराने मकान जो सड़क के किनारे 2-3 मंजिलें बने हैं, उनको गिराया जा रहा है और सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। मेरा कहना है कि सड़क के किनारे जो पहले से 2-3 मंज़िल मकान बने हैं उनको न गिराया जाय क्योंकि उनके टूटने से बहुत से लोगों की दुकानें टूटती हैं जिससे उनके सामने रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो जाती है और वे विस्थापित हो जाते हैं जिससे जनता में आक्रोश बढ़ता है।

अब मैं ग्राम्य विकास और पंचायत राज व्यवस्था के संबंध में कहना चाहता हूं। ग्राम्य विकास को 189 करोड़ रुपया राष्ट्रपति शासन में केन्द्र सरकार ने जो यहां का बजट स्वीकृत किया था वह फिजूलखर्ची में लगाया जा रहा है जो नहीं करना चाहिए और ग्राम्य विकास का पूरा बजट ग्रामों के विकास में लगाया जाना चाहिए जिससे ग्रामों का विकास हो सके।

पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में आप बार-बार कह रही हैं कि हम पंचायती राज को और प्रोग्रेसिव बनायेंगे। पंचायती राज के बारे में कहना चाहता हूं कि बजट तो न के बराबर बढ़ाया है, इस 6-7 परसेन्ट के बजट में पंचायती राज कैसे सुदृढ़ हो सकता है। अधिकार तो आप देना चाहती हैं, लेकिन अधिकारों का वह करेंगे क्या। जब तक पैसा नहीं होगा, तब तक अधिकारों का बढ़ाया जाना बेमानी है। पंचायती राज का तो हाल यह है कि आज पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ब्लाकों में मीटिंगों में अधिकारी जाना प्रसन्द नहीं करते। अगर कहा भी जाता है तो वह कहते हैं कि वहां क्या रखा है, मैं आपके पास एक ब्लाक की सूची भिजवा रहा हूं, यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है कि अधिकारी और जो संबंधित कर्मचारी हैं, उनको तो वहां जाना चाहिए अगर वह नहीं जाते हैं तो फिर व्यवस्था क्या करेंगे।

इसके साथ ही साथ मण्डी परिषद् में तमाम धांधलियां हो रही हैं, तमाम लोगों को अनावश्यक रूप से हटाया जाता है, शिकायत की जाती है कि उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है तो उल्टे शिकायत करने वाले को दण्डित किया जाता है, इस संबंध में भी एक शिकायत आपके पास भिजवा रहा हूं, कृपया इसमें उचित कार्यवाही करवाने का कष्ट करें। श्रीमन्, मैं माननीया मुख्यमंत्री ज़ी को एक राय देना चाहता हूं कि वन विभाग की ओर से बहुत से वृक्ष लगाये जाते हैं, यह अच्छी बात है इससे पर्यावरण सुदृढ़ होता है। सड़को के किनारे जहां अच्छी जमीन हो, वहां फलदार पौधों को लगाया जाय तो लोगों को इससे फायदा होगा, यह पौधे काफी बड़े भी होते हैं और काफी दिनों तक चलते हैं। जहां जमीन अच्छी न हो, वहां बबूल आदि जो चाहें वह लगाया जा सकता है। इस प्रकार काफी समय तक लोगों को इसका लाभ मिलता रहेगा।

श्रीमन्, पर्यटन विभाग के बारे में भी कहना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावनायें हैं। अगर पर्यटन स्थलों का विकास किया जाय, उसमें विशेष रुचि ली जाय तो निश्चित रूप से विदेशी पर्यटक और अन्य प्रदेशों के पर्यटक ज्यादा संख्या में यहां आयेंगे, इससे हमें विदेशी मुद्रा के साथ-साथ अन्य प्रदेशों में आने वाले पर्यटकों से भी आय प्राप्त होगी, ऐसा मेरा मानना है।

इसके साथ ही साथ आपने वित्तीय प्रबन्ध कुछ किये हैं। ठीक है और वित्तीय प्रबन्ध आप करें, लेकिन रिवाल्वर, पिस्टल के लिए आपने दो हजार की फीस बढ़ा दी है। रिवाल्वर के लिये एक हजार रायफल के लिये एक हजार और उसके बाद 500 रुपया बढ़ा दिया गया। इसी प्रकार दुनाली कारतूस के लिये एक हजार रुपया बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर आपको 1700 करोड़ मिलेगा। मान्यवर, बहुत से हथियार जानवरों से रक्षा के लिये तथा जहां डकैतियां पड़ती हैं, से सुरक्षा के लिये लोग लेते हैं और वहां लाइसेन्स दिये भी जाते हैं तो ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से पैसा जुटा पाते हैं, बड़ी मुश्किल से कर्ज लेकर वह बन्दूक खरीदते हैं और उनको भी जब रिन्यूवल के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा तो मैं समझता हूं कि बहुत से लोग शायद लाइसेंस वापस भी कर दें क्योंकि इतनी सारी व्यवस्था गरीब लोगों के पास नहीं होती। कभी-कभी नदियों के किनारे डकैतों से बचने के लिए लोग लाइसेंस ले लेते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें छूट दी जाए तो उचित होगा। आगे यह कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में जो 64 निगम हैं उसमें से 14 बिल्कुल बेकार हैं। पता नहीं क्या बात है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कहीं कोई एक गाड़ी मोटर खरीद लेता है तो उससे वह लाभ कमाकर कई गाड़ियां खरीद लेता है लेकिन पता नहीं कि क्या बात है कि बस निगम भारी घाटे में जा रहा है। 14 निगम जो घाटे में हैं उनके लिए तो मैं कोई सुझाव नहीं देता हूं लेकिन 50 निगम जो हैं वह सब मिलकर मुनाफे में हैं और लाभांश भी करीब पौने तीन करोड़ सरकार को देते हैं, इन 50 निगमों का विशेष प्रबन्ध करना चाहिए। अगर यह निगम समाप्त किये जायेंगे तो दो लाख के लगभग कर्मचारी जो इसमें काम कर रहे हैं वह कहां जायेंगे, कहां एडजेस्टमेन्ट होगा यह दिखवा लें। हम राय देंगे कि उसमें विशेष व्यवस्था करके अच्छे अधिकारियों को बैठाकर उन निगमों का संचालन किया जाए और अधिकारियों को जल्दी-जल्दी न बदलकर दो-तीन साल बैठाकर देख लिया जाए अगर वह अच्छा काम करते हैं तो उनको रहने दिया जाये। जो निगम हैं उन पर अनावश्क भार पड़ रहा है दूसरे विभाग के अधिकारी निगमों के कर्मचारियों को चाहे वह तृतीय श्रेणी के हों या चतुर्थ के हजारों की संख्या में अपने घरों पर तैनात किए हुए हैं और वेतन निगमों से दिया जाता है।

मान्यवर, प्रमोद जी पता नहीं मुख्यमंत्री से क्या सांकेतिक बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है।

श्री सुखपाल पाण्डेय-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है माननीय नेता विरोधी दल तीन दिन से बोल रहे हैं।

(हंसी)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, नेता सदन को देखकर मैंने मुस्कराकर कोई बात कही, ये तो समदर्शी हैं इनकी नजर कहां-कहां रहती है ये खुद नहीं समझ पाते हैं।

मान्यवर, चार दिन की यह व्यवस्था थी ऐसी स्थिति कर दें ताकि जो नये सदस्य हैं वह बोल सकें।

श्री अध्यक्ष-

श्री प्रमोद कुमार जी; आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि माननीय नेता विरोधी पक्ष संकेत की भाषा को अच्छी तरह समझते हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं खुद भी मान्यवर, यही बात बोल रहा था। नेता विरोधी दल में एक खास बात थी कि वे गागर में सागर भर दिया करते थे परन्तु अभी तक यह सागर में गागर भर रहे थे। मैं चाहता हूं कि शीघ्र ही गागर में सागर भरें तो उचित होगा।

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, बहुत बड़ा नुकसान हमारी प्रदेश सरकार को है सोमानी ट्रैक्टर कम्पनी ने कई वर्ष पहले समझौता किया था प्रतापगढ़ में वह समझौता करीब 6 करोड़ रुपये में हुआ डेढ़ करोड़ रुपये की 4 किश्त तय हुई एक किश्त देकर वे चुपचाप बैठ गये हैं। सरकारी पैसा है उसको वसूला जाय वह विकास के काम आयेगा। प्रदेश के लोगों की गाढ़ी कमाई का जो पैसा विभिन्न स्रोतों से आया है उसका सदुपयोग किया जाय और ऐसा सदुपयोग हो कि सारे प्रदेश की खुशहाली बढ़े यह मैं कहना चाहता हूं ऐसा न हो कि चंद लोगों की जेबों में पैसा चला जाय कुछ विशेष लोगों को ही उसका लाभ पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए।

हमारी नेता सदन सब लोगों को 10-20 रुपये छापने की मशीन न दें, अगर 50, 100, 500 रुपये की मशीन दे देंगी तो नहीं आयेंगे। बंधुआ मजदूर बनाये रखिये। 50, 100, 500 की मशीन अपने पास ही रखिये।

श्री अध्यक्ष-

बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय नेता विरोधी दल। अब मैं माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी को बुला रहा हूं।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, बधाई के पात्र तो माननीय प्रमोद कुमार जी हैं उनकी सलाह को माननीय नेता प्रतिपक्ष ने मान लिया।

श्री प्रमोद कुमार-

कभी-कभी मेरी सलाह माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आप भी मान लिया करें। लगता है हरीश जी आप तैयार नहीं हैं।

श्री हरीश चन्द्र "हरीश जी"-

यह जो बजट है इस पर तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। जिनको बाहर का बोलना है उनको तैयारी जरूर करनी पड़ती है। मैंने माननीय नेता सदन को सुना जो कुछ बजट में था उन्होंने कहा मैंने माननीय नेता विरोधी दल को सुना बजट के बाहर की बहुत कुछ बातें उन्होंने कह डाली, बजट के बारे में बोलते तो ज्यादा अच्छा होता। जो कुछ राष्ट्रपति शासन में नहीं हुआ, इस अवधि में जो गलतियां हुई हैं उन बातों पर ज्यादा प्रकाश डाला, अच्छा है वह सत्ता के ध्यान में आ गये। और इन चीजों को ठीक करना होगा। मान्यवर, हम लोगों के लिए कितना समय निर्धारित है

श्री अध्यक्ष-

15 मिनट में यदि समाप्त कर सकें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री हरीश चन्द्र "हरीश जी"-

मान्यवर, मैं इस बजट के मूल मुद्दे पर ही कुछ बोलना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा है यह बात बहुत बार कही जाती हैं। एक लम्बा काल बीत गया, इसका विकास नहीं हो सका इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर कुछ बोलूंगा परन्तु प्रदेश पिछड़ा है इसको हम सब स्वीकार करते हैं। जब हम यह सुनते हैं कि 43 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं

तो सर शर्म से झुक जाता है । बिहार और उड़ीसा को छोड़कर उत्तर प्रदेश प्रदेशों की सूची में आखिरी नम्बर पर आता है । मैंने एक आंकड़ा देखा, जब देश आजाद हुआ और देश की बागडोर कांग्रेस के हाथ में आयी तो उस समय प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा थी । परन्तु आज हम कहां पहुंच गये हैं इस समय वार्षिक राष्ट्रीय आय प्रदेश की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा है । इस समय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 932। रुपये है जबकि प्रदेश की वार्षिक राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 5983 रुपये है, ठीक आधी हो गई है ।

इसलिए मान्यवर, जब मैंने इस बजट को पढ़ा तो एक ही बात ध्यान में आयी कि जो ये 43 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे है, उन्हें यदि ऊपर उठा दिया जाय तो यही वास्तविक रूप से प्रदेश का विकास होगा । यदि 43 परसेन्ट लोगों को नजरन्दाज किया गया तो कुछ भी कर डालिये, प्रदेश का विकास नहीं हो पायेगा और देश की आय भी नहीं बढ़ पायेगी । कुछ काम बजट में ऐसे निर्धारित किये गये हैं, उसके अनुसार 43 प्रतिशत लोगों के पास जो पूंजी है, उसका अच्छा उपयोग किया जा सकता है । आज उनके पास पढ़ाई नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है, उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है और न ही उनके पास पैसा है, यदि उनके पास है तो उनका श्रम है । इसलिए उस श्रम के उपयोग के लिए जो प्रबन्ध इस बजट में किये गये हैं उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में एक सराहनीय कार्य है । जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, इन्दिरा रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, इन सब चीजों पर 1924 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, जिससे इन गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को रोजगार मिल सके और उनका विकास हो सके । गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं, उनमें अधिकांशतः अनुसूचित जाति के लोग हैं, इनके विकास के लिए अलग से 1527 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । इसी तरह से बेसिक मिनिमम सर्विसेस के नाम पर जो 1573 करोड़ का धन आवंटित किया गया है, वह भी इसलिए किया गया है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का विकास हो सके और उनकी उन्नति हो सके । यही इस बजट का केन्द्र बिन्दु है । यह सरकार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के उत्थान की दिशा में प्रयासरत है । इसलिए विपक्ष को भी ऐसी ही आलोचना करनी चाहिये कि जिससे सत्ता समझे और सम्भले । मान्यवर, सभी दल तो हार खा गये । शासन करने का बारी-बारी सबको मौका मिल गया । और मान्यवर, मेरे कांग्रेस के मित्र बुरा नहीं मानेंगे, कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा उन्हें मौका मिला था । चार दशकों तक उनके हाथ में सत्ता की बागडोर थी । उनको स्थिर सरकार मिली थी और एक अच्छा वातावरण

मिला था। अगर इसमें प्रदेश का उत्थान नहीं हो पाया तो मैं समझता हूं कि दूसरे को काम करने का मौका मिला है उसमें आप अपना सहयोग दें और आशा करता हूं कि आप अपना सहयोग देंगे। यदि पहले वाले कुछ नहीं कर सके तो जो कर रहे हैं उनको तो करने दीजिये। मान्यवर, यह जो 43 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे हैं इनमें एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अनुसूचित जाति के हैं। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए और एक करोड़ आठ लाख बच्चों की छात्रवृत्ति देने का प्राविधान इस बजट में किया गया है जो विगत वर्षों की तुलना में दो गुनी कर दी गई है मैं समझता हूं कि उनका वर्तमान ही नहीं भविष्य भी बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। यह एक सराहनीय कार्य है और इसमें हम आपका सहयोग भी चाहते हैं।

मान्यवर, बजट में विकास की दर 7 प्रतिशत रखी गयी है पहले यह 2.7 प्रतिशत थी आठवीं पंचवर्षीय योजना में 7 प्रतिशत घोषित हुई तो कुछ लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि 7 प्रतिशत कैसे पूरी हो सकती है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि इच्छा शक्ति, श्रम मेहनत हमें करनी होगी, और लोगों का सहयोग भी हमें मिलना चाहिए। कृषि क्षेत्र की उन्नत के सिंचाई बहुत बड़ा साधन है। मान्यवर, बजट में सिंचाई में 1.35 लाख हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था की गयी है और 9 लाख हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाने का प्रबन्ध इस बजट में किया गया है। यह हमारे कृषि क्षेत्र में उन्नति का कारण बनेगा। इसके अतिरिक्त साग-सब्जी फल का उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, गन्ना आदि का मूल्य उन्हें शीघ्र प्राप्त हो सके इसके लिए बजट में अभिनव योजना लाई गयी है। विद्युत 10 घंटे तक देने की बात कही गयी है इसमें कठिनाई है परन्तु 28 हजार 650 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य इस घोषणा को पूरा करेगा। अगर 10 घंटे विद्युत आपूर्ति होती रही तो हम कृषि के क्षेत्र में भी उन्नति कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मान्यवर, शिक्षा की बात कही गयी है। कुछ अखबारों ने लिखा है कि 275 करोड़ रुपया जो शिक्षा के क्षेत्र में देने का निर्धारित किया गया है उससे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेष परिवर्तन होगा। गांवों में और शहरों में बिजली, बढ़ई, मिस्त्री, प्लम्बर, टाईपिस्ट, स्किल्ड लेबर की तलाश हम लोग करते हैं तो इस निमित्त 14 विद्यालय आई0टी0आई0 के खोलने की बात कही गयी है तो इससे स्किल्ड लेबर की जो कमी है वह कुछ हद तक दूर होगी परन्तु सभी ब्लाकों पर आई0टी0आई0 विद्यालय खोले जायें। तो इसके साथ ही साथ सड़कों के विस्तार पर 735 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। सड़कें विकास की वाहक होती हैं उत्तरांचल, बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल पर 937 करोड़ इनकी उन्नति और विकास के लिए निर्धारित किया गया है।

(समय 6 बजकर 25 मिनट)

लेकिन यह सारी बातें धरी रह जायेगी, अगर एक बात की व्यवस्था न की गयी। अगर प्रदेश में शांति नहीं रहेगी, तो कौन अपनी पूंजी यहां पर लगायेगा, कौन अपना उद्योग लगायेगा? लोग शाम को दुबक जायेंगे अपने घरों में और अंधेरे में निकलेंगे नहीं, अगर निकलते हैं तो जान जायेगी। पिछले दिनों जो दुर्दशा हुई, उसमें परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। अगर 40 साल में बिगाड़ा गया है, तो 4 महीने में ठीक करने की कठिनाई को आप समझ रहे होंगे। इसमें कोई केवल विरोधपक्ष में नहीं रहा है। सदन में जो बैठे हैं, वह बारी-बारी सत्ता में आ चुके हैं, वह इस कठिनाई को समझ चुके हैं। इस कारण राजनैतिक क्षेत्र से अगर अपराधियों को अलग नहीं किया जाता है, तो कभी भी प्रदेश की प्रगति और उसका उत्थान नहीं हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजनीति दोहरी मार करती है। यह राम का राज्य ला सकती है और रावण का नरक भी बना सकती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शांत रहें, शाक्य जी शांत रहें।

श्री हरीश चन्द्र "हरीश जी"-

आपकी बातों को सुनने का मैंने प्रयत्न किया, जो कुछ कहना चाहें कह लें। मैं समझता हूं कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि आप छटपटा जायें। सबकों सुनने की कोशिश करनी चाहिये। मान्यवर, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। अगर राजनीति में रहेंगे और गलत लोगों के साथ रहेंगे, तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यह राजनीति एक छुरी है। भले के हाथ में रहेगी तो अच्छा काम करेगी और बुरे के हाथ में रहेगी तो बुरा कार्य करेगी, जिस प्रकार से छुरा जब अच्छे के हाथ में जाता है तो आलू, सेब काटता है और जब वही छुरा गुण्डा के हाथ में जाता है तो गला काटता है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में शांति स्थापित करना चाहती हैं, जिससे यहां पर उद्योग लगें। लोग पूंजी लगावें। अगर शासन ने इस ओर कदम उठाया तो, हल्ला मच गया कि हमारे दल के लोग पकड़े जा रहे हैं। कहना चाहता हूं राजनीति से अपराधिक तत्वों को बाहर करना होगा। अगर राजनीति में अपराधी तत्व रहेंगे तो परिणाम क्या होगा, न हम बन पायेंगे, न आप बन पायेंगे और न प्रदेश बन पायेगा? इसलिये इस पर बहुत गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। मान्यवर, मैं एक निवेदन और करुंगा, पूरी तरह से

शांति व्यवस्था संतोषजनक नहीं है, यह मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन प्रयास उस दिशा में है। काफी संख्या में लोग जेलों में गये उन पर अपराधिक धारायें लगी हैं प्रदेश से बाहर भी लोग भाग गये हैं चैम्बर आफ कामर्स, भारतीय उद्योग संघ से माननीय मुख्य मंत्री जी की वार्ता हो रही है, वह पूंजी निवेश करना चाहते हैं और उद्योग लगाना चाहते हैं। आप यह बात करने को तैयार नहीं थे।

आज इस स्थिति में परिवर्तन आया है तब उद्योग संघ और चैम्बर्स आफ कामर्स के अधिकारी आकर बात कर रहे हैं कि वह उद्योग यहां लगाना चाहते हैं।

पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित किया जायेगा जिससे औद्योगिक क्षेत्र में उन्नति होगी, इसी के साथ कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना श्रन का सही उपयोग करने से प्रदेश का पिछड़ापन दूर होगा। इसलिये कृषि क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में विकास करने की बात कही गई है ताकि प्रदेश तरक्की कर सके।

अभी बात आई 7 प्रतिशत विकास दर की तो उसे पूरा करने के लिये संसाधन कहां से लाये जायेंगे। मैं समझता हूं कि उन बड़े कांग्रेसी नेताओं ने जिनको हमने जब हम छोटे थे सुना है वह कहा करते थे कि इस प्रदेश में उर्वरा मांटी है, जल का भारी भण्डार है, अकूत खनिज पदार्थ है उसे आगे बढ़ने से कौन रोकेगा। मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं अपने मित्रों से इस बड़े प्रदेश में राम खेले हैं, कृष्ण खेले हैं, यहां क्या नहीं है? मैं फिर उस बात को दोहराता हूं यहां उर्वरा मांटी है, अपार जल भण्डार है, अकूत खनिज पदार्थ हैं। वन सम्पदा और अपराजेय शक्ति है। इस प्रदेश की वन संपदा से हम गरीबी मिटा सकते हैं। इसके अलावा नजूल की जमीन को फ्री होल्ड कर आय के श्रोत बढ़ेंगे, बेकार पड़ी सम्पत्ति के विक्रय से आय बढ़ा सकते हैं। मा0 विधायक श्री धनराज जी बात कह रहे थे उनसे मेरी बात हुई उन्होंने बस्ती की बात कही। पी0डब्लू0डी0 की सड़कों के किनारे जितने वृक्ष 50, 60 साल से ऊपर के हैं हम तय कर लें कि उन 50, 60 वर्ष से ऊपर के वृक्षों को काट कर उनके स्थान पर नये वृक्ष लगायें तो उससे भी आय बढ़ेगी।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, हरीश जी बहुत पुराने सदस्य हैं, वह मंत्री भी रहे हैं उनसे मैं यह उम्मीद नहीं करता था कि वह यहां पर अपने भाषण में वह बात कहेंगे कि जितने पेड़ हैं वह काट दिये जायें। (व्यवधान) इससे पर्यावरण बिगड़ जायेगा। अगर 40, 50 वर्ष के सब वृक्ष कट जायेंगे तो इस प्रदेश का पर्यावरण संतुलन

बिगड़ जायेगा (व्यवधान) आप तो पहाड़ के रहने वाले हैं आप जानते हैं, गढ़वाल में पेड़ नहीं रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपका भाषण बजट पर होगा, सामान्य चर्चा में आप भाग लेंगे उस समय आपको कहने का मौका मिलेगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

पेड़ काटने की बात कृपया न कहें क्योंकि वह पुराने सदस्य हैं इसलिये उनका यह कहना उचित नही होगा।

श्री हरिशचन्द्र "हरीश" जी-

शायद सुनने में कठिनाई हुई मैंने कहा 50 60 से ऊपर के जो वृक्ष हो गये हैं, सब की बात मैंने नहीं कही, यह मेरा सुझाव है (व्यवधान)

व्यय बचत आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको लागू करने का बजट में उल्लेख है। तो व्यय बचत आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको लागू किया जायेगा राष्ट्रीय बचत से भी हमारी आय बढ़ सकती है। इसके अलावा केन्द्रीय करों से भी विभाज्य अंश के रुपये हमें आय प्राप्त होती है। केन्द्रीय करों का जो अविभाज्य अंश है वह उत्तर प्रदेश को कम मिलता है। यह मामला मा0 कल्याण सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने उठाया था। 7 मदें ऐसी हैं जिन पर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से अपनी आय बढ़ाने के संबंध में बात कर सकती है और दबाव डाल सकती है। आय बढ़ाने के लिये अभी मैंने कई सुझाव दिये हैं मैं समझता हूं कि उन पर विचार किया जाय। माननीय विरोधी दल के नेता ने एक बात कही कि विकास के लिये जो 7 प्रतिशत संशाधन जुटाने हैं वह जुटाना संभव नहीं होगा। मैं निवेदन करुंगा इस संबंध में मेरा अध्ययन है। मैं इस संबंध में कुछ बातें कह रहा हूं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों सहित पूंजी निवेश कम से कम 27 प्रतिशत हो, प्रदेश की बचत दर 25 प्रतिशत हो और श्रम का पूरा उपयोग हो तो 7 प्रतिशत विकास दर प्राप्त की जा सकती है। जब तक प्रदेश में यह सफल नहीं होगा तब तक गरीबी और पिछड़ापन दूर नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि वर्तमान सरकार ने जितने साहसिक कदम इस बजट में उठाये हैं उनको पूरा करने में न केवल सत्तापक्ष बल्कि विपक्ष को भी पूरा सहायोग लिया जायेगा और हम मिल-जुलकर कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 43 प्रतिशत लोग जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं उनका उत्थान हो और उनको आगे बढ़ाया जाय।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति या इन वर्गों के लोगों को जो ऊपर उठाने की बात की जा रही है उसमें हमें यह मानकर चलना चाहिये कि इन्हीं के श्रम की बदौलत हमारा प्रान्त बना है और प्रान्त बनेगा और उन्हीं की उन्नति से इस प्रान्त की उन्नति होगी इसलिये अगर प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में हमारे 10 गांव अम्बेदकर गांव घोषित हुए हैं तो इसी के बहाने उनका विकास होने दीजिये। हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लोग कभी-कभी मुझसे कहते हैं कि हमारे गांव को अम्बेदकर गांव घोषित करा दीजिये इसी के नाम पर हमारे गांव का विकास हो जायेगा। इसको आप सकारात्मक ढंग से लें। यदि किसी के नाम से कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मान्यवर, इतिहास अपने को दोहराता है उस दिन पंडित लोकपति त्रिपाठी जी ने सदन में कहा था कि शाहू जी महराज शिवाजी महराज के ग्रांड सन थे। वह राजाराम के लड़के थे। जब शिवाजी महराज का राज्याभिषेक होना था तो महाराष्ट्र के ब्राह्म्णों ने कहा कि यह क्षत्रिय नहीं हैं इसलिये इनका राज्याभिषेक नहीं हो सकता है। तब उन्होंने वाराणसी के पंडितों से पुछवाया, बनारस के पंडितों ने लिखकर भेजा कि देश पर राज्य करने की पात्रता जिसमें होगी उसका राज्याभिषेक हो सकता है। इसके बाद बनारस के 5 पंडित राज्याभिषेक कराने गये महाराज शिवाजी का पुनः वाराणसी के एक पंडित लोकपति त्रिपाठी ने इस सदन में स्पष्ट किया कि शाहू जी महराज क्षत्रपति शिवाजी के पौत्र थे। महाराज शिवाजी ने जिन्होंने देश के लिये बहुत कुछ किया अगर उन्हीं के वंशज में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने लोगों में चेतना पैदा की, शिक्षा का प्रसार किया, गरीबों का उत्थान किया तो उनके विचारों को सम्पूर्ण देश में उसका राष्ट्रीय रूप धारण कराया जाय तो अनुचित बात नहीं है। हमने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, श्री जयप्रकाश नारायण जी, श्री महात्मा गांधी जी को आदर दिया है।

तो अगर हम कोई विकास का कार्य करते हैं चाहे वह अम्बेदकर के नाम से हो या चाहे दीनदयाल के नाम से हो या जयप्रकाश नारायण के नाम से हो या महात्मा गांधी के नाम से हो यदि उस कार्य से प्रदेश की गरीबी और प्रदेश का पिछड़ापन दूर हो और प्रति व्यक्ति आय बढ़े तो उस नाम से कार्य किये जाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसी दृष्टि से मैंने अपनी बात कही है बजट में जहां कहीं आवश्यकता हो सुझावों को शामिल करने में संकोच नहीं होना चाहिये। प्रदेश बड़ा है, एक प्रबल इच्छा शक्ति के साथ, एक संकल्पबद्धता के साथ प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये हम सब प्रयास करें इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हुआ इस बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, समय बहुत कम है और ज्यादा से ज्यादा सदस्य बोलना चाहते हैं। मैं अपने विचार नहीं रख रहा हूं मेरे दल से और लोग बोल लेंगे। उनको समय दे दिया जाय।

* श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, मैं हमारे नेता विरोधी दल द्वारा कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आज आजादी के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। कल इस सदन के 60 साल पहले जो बैठक हुई उसके बारे में एक प्रोग्राम, फंगशन करने जा रहे हैं। इस बीच काफी बजट पेश हुए होंगे और पास हुए होंगे लेकिन यह अनोखा बजट है। इस बजट की कितनी अवधि है यह समझ में नहीं आ रहा है। बजट एक-एक साल के लिये होता है। 21 सितम्बर के बाद कितने दिन रह जायेंगे इसके अन्दर जो कुछ लिखा गया है वह दूसरे पक्ष वाले मानेंगे कि नहीं। 21 सितम्बर के बाद जिनकी सत्ता आनी है उनके लिये दो ही सूरतें हैं कि अगर वह डेढ़ महीने बाद सत्ता लेंगे तो इस बात का वायदा करेंगे कि अक्षर व अक्षर बकायदा जो जैसा बजट है उसमें कोई फेर बदल नहीं करेंगे, कोई प्रोग्राम नहीं बदलेंगे, उसको इसी तरह से मानेंगे दूसरा पक्ष यह है कि या तो वह मायावती जी को समर्थन दे देंगे और वह पूरे एक साल तक इस सदन की नेता रहेंगी। हमको भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन दो सूरतों में ही इस बजट का कोई उपयोग बनता है। इस बजट में सबसे पहली बात कही गई है शांति व्यवस्था की।

मान्यवर, कहां-कहां से शुरुआत की जाय। आगरे की, मथुरा की, या खुद कहें कि लखनऊ की बात की जाय। चाहे बबराला की बात की जाय। और भी जगहें हैं। आपने खुद देखा लखनऊ में 5-6 सौ साल पुरानी एक व्यवस्था थी जिसमें मुसलमानों का एक त्योहार ईद-ए-मिलाद जिसमें जलसा निकलता था। पूरी दुनिया में निकाला जाता है। हिन्दुस्तान में भी 7-8 सौ साल से निकाला जाता था। उसमें रोक लगा दी जहां शांति व्यवस्था अच्छी चल रही थी उसे शिया-सुन्नी के झगड़े का रूप दे दिया गया। जबकि आपसे कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकी आपने कानून व्यवस्था बिगाड़ दी स्थिति यह हो गयी है कि आपको खुद कर्फ्यू लगाना पड़ा सदन चलने से कुछ दिन पहले ही कर्फ्यू लग गया। मथुरा में कर्फ्यू लगा आगरा में कर्फ्यू लगा। शांति व्यवस्था जितनी बिगड़ी, उतनी बिगड़ी। मान्यवर, यहां यह जिक्र बहुत है कि हमने 45 दिन का प्रोग्राम चलाकर सारे गुण्डों को बन्द कर दिया। जरूर बन्द किया आपने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का इतना दुरुपयोग किया है। इसका हवाला देकर छोटे-मोटे

मुकदमे वालों को भी एन0एस0ए0 में बन्द करा दिया। आप उसकी सूची निकालकर देख लें उसमें साठ प्रतिशत ऐसे लोग होंगे जिन्हें एन0एस0ए0 के अन्तर्गत नहीं होना चाहिए था लेकिन आपने उन्हें एन0एस0ए0 के तहत बन्द करवा दिया। एस0सी0,एस0टी0 कानून की बात बहुत बार इस सदन में और इस सदन के बाहर भी हुई है। बहुत अच्छी बात है कि इनके लिये कानून बने। हमेशा दलितों की रक्षा होनी चाहिए उसकी तकलीफों को दूर करना चाहिए। मगर हर वह कानून, किसी एक व्यक्ति के कहने पर दूसरे को मुजरिम ठहरा दे उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत से मामले हैं जिसके अन्दर लोग बन्द हो गए। उनका न तो मतलब था, न वह उसमें थे एक आदमी ने दूसरे का नाम ले लिया तो जेल में बन्द हो गए। उनकी जमानत नहीं हो रही है। यह तो रही कानून व्यवस्था की बात। अब इसके बाद मान्यवर, सिंचाई का जिक्र है वेस्टेन एरिया के अन्दर काफी हिस्से में जमुना से सिंचाई होती है ज़हां पानी नदी में कम है वहां के आस-पास के क्षेत्रों में सिंचाई कैसे होगी यह नहीं दिया है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बंटवारे के विवाद को खत्म करने का कोई ज़िक्र नहीं है। ताजीवाला डैम के ऊपर पहले माननीय मुख्य मंत्री जी से बात हुई थी। इसमें था कि हरियाणा से बात की जाएगी इतना पानी जमुना में नहीं है जिससे पूरे क्षेत्र की सिंचाई हो सके। इसका कोई जिक्र बजट में नहीं है। टेल तक पानी पहुंचाने की बात कही गई थी।

मान्यवर, सभी माननीय सदस्य बैठे हैं यह खुद ही बता दें कितनी जगह टेल पर पानी पहुंचा है। कहीं भी टेल तक पानी नहीं पहुंचा है। जो नलकूप हैं हर जिले के अन्दर 20-25 खराब पड़े हैं। एक दो हफ्ते से नहीं महीनों से खराब पड़े हैं उनको ठीक करवाने का कोई तरीका नहीं है किसान कहते हैं एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से, दौड़ते हैं, तो वह कहते हैं कि शासन से निर्देश आयेंगे तभी ठीक होगा तो किसान पहले विधायक को पकड़े और विधायक मंत्री को पकड़े तब जाकर काम हो। तो इसके लिए भी बजट में कोई जिक्र नहीं है। जहां तक कृषि की बात है उसके बारे में भी मजाक बजट के अन्दर हुआ है। यह सरकार दलितों की है यह उसके रहनुमा हैं लेकिन कुछ नहीं कहा गया है। जो छोटे काश्तकार हैं कृषि के नाम पर पूरे चेप्टर में गन्ना सिंचाई, आलू, गेहूं मिलाकर खत्म कर दिया है। आलू के बारे में घोषणा की, कि आलू को खराब नहीं होने देंगे। हम आलू खरीदेंगे। सैकड़ों रुपये का आलू इस प्रदेश में खराब हुआ है। सरकार की कोई एजेन्सी नहीं है जिसने आलू की खरीद की हो। सैकड़ों हजारों रुपये का आलू किसानों का खराब हो गया। गन्ने के बारे में

मान्यवर, बजट में कुछ नहीं कहा गया है। किसान रोजमर्रा के कार्यक्रम को लड़की की शादी है घर बनवाना है उसी से धन जोड़ता है। मान्यवर, गन्ने का 407 करोड़ रुपया बकाया है।

आप बजट दे रहे हैं पांच-सात दिन पहले, इस सरकार को सोचना चाहिए था कि इसको कैसे पेश किया जायेगा। इस बजट के अन्दर गन्ने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इनको बताना चाहिए था इसको किस तरह से दिलवायेंगे। कोई तारीख निश्चित की होती। मंत्री जी ने कह दिया दो दिन पहले वक्तव्य में कि हम दिलवा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं। हम कलेण्डर बंटवा देंगे, इस फसल में जो 400 करोड़ रुपया बाकी है वह कैसे दिया जाए इसका उल्लेख नहीं है? बजट के अन्दर कोई जिक्र नहीं है। राष्ट्रपति शासन के दौरान यह दिक्कत आई थी कि गन्ने की क्या कीमत रखी जाए। कोआपरेटिव वाले 76 रुपये दे रहे थे वह दिया जाये या जो मिल मालिकों ने रेट निर्धारित किये थे, उसको दिया जाये यह विवाद काफी दिनों तक चलता रहा। अभी तक पैसा नहीं मिला है। होना यह चाहिए था कि इसके अन्दर इसमें बाकायदा लेख होना चाहिए था कि सरकार इसकी पालिसी निर्धारित कर रही है और फिर इसमें बाकायदा कानून बना रही है और सरकार यह तय करेगी कि एक रेट पूरे प्रदेश में गन्ने का होगा इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है।

आप एक साल के लिए बजट बना रहे हैं या दो-दो, तीन-तीन महीनों वाला बजट बना रहे हैं। इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। गेहूं के बारे में उसके उत्थान के बारे में किसानों को बीज खाद देने के बारे में जिससे गेहूं का उत्पादन बढ़े उसका क्या रेट होगा इसके बारे में तथा किसानों को क्या-क्या सुविधाएं देंगे इसका कोई जिक्र नहीं है। बिजली का बड़ा भारी संकट है और जब सरकार यह कहती है कि यह संकट उसका बनाया हुआ नहीं है और यह पिछली सरकारों के समय का संकट है तो कौन सी पिछली सरकार की बात हो रही है इसके पहले आप सरकार में थे उसके पूर्व आपके सहयोगी पूर्व सरकारों के सहयोगी थी तो आप कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? 1979 के बाद किसी न किसी रूप में आपका सरकार में सहयोग रहा है अगर यह बिजली पैदा नहीं हो रही है तो यह आपकी पहले की गलती है बिजली की समस्या इतनी है कि सरकार ने घोषणा की है कि 10 घंटे बिजली देंगे हमने 14-16 घंटे तक बिजली दी थी। यहां पर इतने विधायक बैठे हुए हैं हम सब लोगों को अपने-अपने क्षेत्रों में जाना है कोई भी विधायक हो चाहे वह इस पक्ष का हो या उस पक्ष का यह नहीं कह सकता है कि मेरे क्षेत्र में बिजली की स्थिति शानदार है तथा वहां पर बिजली आ रही है इस पूरे बजट में इनर्जी और बिजली पर 4-6 लाइनें हैं। विद्युत् परिषद्

आज बिकने के कगार पर खड़ा हुआ है। आप उसके चेयरमैन को 3-3 महीने में बदल देते हैं तो चेयरमैनों को बदलने से बिजली पैदा नहीं होगी अगर उससे बिजली पैदा हो तो आप रोज उसको बदल दें।

ट्रांसफारमर जहां पर जल गए हैं वहां पर 4-4, 6-6 महीने हो गये हैं लेकिन उनको बदला नहीं गया है। यह प्रदेश किसानों का प्रदेश है यहां पर हम जो लोग बैठे हैं उसमें से 90 प्रतिशत लोग किसान हैं अगर बिजली नहीं मिलेगी तो कृषि कार्य हेतु सिंचाई की व्यवस्था कैसे होगी। हम उद्योगों की बात कर रहे हैं मेरी निश्चित जानकारी है कि नोयडा में एक भी नया उद्योग नहीं लग रहा है वहां पर अब हालत यह हो गयी है कि वहां पर जमीनें बिक रही हैं उद्योग लगाने वाला कोई नहीं है और लोग अमरीका जा रहे हैं कि वहां से लोग उद्योग लगाने आयेंगे आप सिंगापुर जा रहे हैं लेकिन इससे उद्योग लगने वाले नहीं हैं। कानून व्यवस्था के रूप में एक मुद्दा ले लिया। सवाल यह है कि जब बिजली होगी नहीं तो चल नहीं पायेगा। नोयडा के अन्दर आपने प्राईवेटाइज भी कर दिया इसके बावजूद बिजली उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं चल पायी। दिल्ली और लोनी के बीच में एक सिटी बनाया उसका 4 साल में कई बार उद्घाटन हुआ है उसमें केवल एक उद्योग लगा है। सारी चीजों पर गौर करें तो बजट में कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है। बहुत जिक्र किया गया कि हमने कब्जे दिलवाये हैं। जिनको 10-15 साल पहले पट्टे हुए थे उनको कब्जे दिलवाये लेकिन आपने यह भी किया है कि जिनकी जमीनें उन कानूनों के अन्तर्गत नहीं आती थी आपने उन पर भी कब्जे दिलवा दिये। दलितों को जमीनें मिलनी चाहिए, अगर उनकी जमीनें हैं तो?

मान्यवर, एक बात पर गौर कर लें मै0 वेस्टर्न यू0पी0 के बारे में निश्चित रूप से कहता हूं कि वे लोग जिनको जमीनें मिली हैं उनकी संख्या 3-4 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है जो अपनी जमीनों पर काश्त कर रहे हैं चाहें तो माननीय विधायकगण बैठे हैं आप उनसे पूछ लें। तीन-तीन बीघों पर आप ट्रैक्टर चलवाना चाहते हैं, कहां से आयेगा ट्रैक्टर, डीजल कहां से आयेगा, कब्जे दिलवा दिये तो यह वादा करते कि उन्हें पैसा भी दो। 10 बीघा जमीन उपलब्ध करवाओ उन जमीनों को बेचकर उनकी माली हालत ठीक करो। मान्यवर, वे जमीनें या तो बेकार हो चुकी हैं या ऊसर हो चुकी हैं। मैं इसी के साथ जो कटौती का प्रस्ताव नेता विरोधी दल ने रखा है उसका समर्थन करता हूं और इस गवर्नमेन्ट से चाहता हूं कि यह तय कर लें कि कितने दिन तक सरकार चलनी है, यह बजट दो महीने का है या ढाई महीने का?

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्मानित सदन में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह बजट 6 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक के घाटे का बजट है। हमारी दृष्टि में बजट को लुभावना व आकर्षक बनाने के लिए तमाम शब्द जाल किये गये हैं। बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नौंवी पंचवर्षीय योजना में इस सूबे की विकास दर की 7 फीसदी तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी इस बात से अवगत हैं कि जो गुजरा हुआ पांच साला योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस सूबे की जो विकास दर अनुमानित किया गया था वह 2.9 फीसदी है। 2.9 फीसदी विकास दर की नौंवी पंचवर्षीय योजना में 7 फीसदी तक पहुंचाने का मजबूत संकल्प भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबन्धन की इस सरकार ने जो लिया है। वह बगैर अतिरिक्त संसाधनों के प्रबन्ध किये कैसे प्राप्त किया जा सकता है?

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इतनी लंबी छलांग इस प्रदेश के अंदर सरकार तब अर्जित कर सकती है जब आज की तारीख में कृषि उद्योग जिस हालत में है यदि उनमें बढ़ोत्तरी 300 गुना हो जाय तो नवीं पंचवर्षीय योजना में 7 प्रतिशत विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सबसे निराशाजनक बात यह है कि सरकार ने ऊंची छलांग का संकल्प तो लिया लेकिन वहां सात प्रतिशत विकास दर को प्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण बजट में कहीं से भी अतिरिक्त संसाधनों के जुगाड़ करने का कोई जिक्र नहीं किया है।

मान्यवर, आप जानते हैं कि भाजपा और बसपा के गठबंधन की यह सरकार है और समझौते के मुताबिक आगे भाजपा की सरकार आने वाली है। तो 6000 करोड़ रुपये से ज्यादा का जो घाटे का बजट है, इसका वजन आने वाली भाजपा की सरकार पर पड़ने वाला है। शायद वर्तमान सरकार को भाजपा के अपने आध्यात्मिक बल का भरोसा है कि वह बिना अतिरिक्त संसाधन के जुगाड़ के ही 7 प्रतिशत विकास दर को प्राप्त कर लेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि यह काम दैवी आशीर्वाद से ही सम्भव हो सकता है क्योंकि इस बजट में तो उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संसाधन जुटाने का कोई प्राविधान ही नहीं किया गया है।

मान्यवर, सरकार ने एक और संकल्प लिया है कि वर्तमान वर्ष को वह शिक्षा वर्ष के रूप में सरकार मना रही है। आज की तारीख में 3000 प्राथमिक शिक्षक निलम्बित किये जा चुके हैं और दो हजार शिक्षकों को निलम्बन के लिए

कारण बताओं नोटिस दी गई है। इस तरह आप देखें तो सरकार संकल्प ले रही है कि हम सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करायेंगे जब कि दुखद स्थिति यह है कि इस समय प्रदेश में 3000 प्राथमिक शिक्षक निलम्बित हैं तथा 2000 प्राथमिक शिक्षकों को नोटिस दिया जा चुका है।

मान्यवर, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज बाजार में पाठ्य पुस्तकों का अभाव है और जो पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं वह घटिया कागजों पर छपी हैं तथा उन्हें ऊंचे दामों पर बाजार में बेचा जा रहा है। इस प्रकार यह सदन सोच सकता है कि इस बिगड़ी व्यवस्था से इस वर्ष को सरकार शिक्षा वर्ष कैसे मना सकती है और छात्रों को कैसी शिक्षा देने की सरकार तैयारी कर रही है?

मान्यवर, इस बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने विद्युत् उत्पादन में वृद्धि की बात की है। आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी विद्युत् की मांग है उसके अनुसार उत्पादन बहुत कम है जिसे पूरा करने के लिए सरकार निजी पूंजी क्षेत्रों को बुला कर उत्पादन बढ़ाने की उम्मीद कर रही है। लेकिन सम्पूर्ण बजट में इस संबंध में सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि किस सीमा तक निजी पूंजीनिवेश को अनुमति देंगे और वर्तमान मांग के अनुसार कैसे विद्युत् उत्पादन बढ़ायेंगे?

मान्यवर, मा0 नेता किसान कामगार पार्टी ने गल्ला किसानों की समस्या का जिक्र किया है पिछले गन्ना पेराई सत्र का 432 करोड़ रुपया गल्ला मूल्य प्रदेश की 117 चीनी मिलों पर बकाया है। आज उत्तर प्रदेश में विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो चीनी मिलें हैं उनमें अधिकतर मिलें निगम की हैं उन पर आज 80 करोड़ रुपए से ज्यादा पिछले पेराई सत्र का बाकी है। लेकिन यह सरकार अपने बजट भाषण में आज एक बार भी इस आश्वासन को नहीं दोहरा रही है कि पिछले पेराई सत्र में जो गन्ना किसानों का मूल्य मिलों पर बाकी है उसे दिलायेगी। मान्यवर, किसान की आर्थिक दशा बड़ी खराब हो गयी है, इसलिये नकदी फसल से जो कि गन्ना है उससे ही वह अपनी आर्थिक मांग पूरी करता है। गांव का किसान ऋणों की अदायगी न कर पाने पर पकड़ कर हवालातों में बंद किया जाता है। लेकिन आज किसानों का पैसा मिलों के ऊपर बाकी है। तो प्रदेश सरकार मिल मालिकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी कि 30 जून तक मिलों से भुगतान करा देंगे। मान्यवर, आज तक इस सरकार ने किसी भी मिल मालिक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किया। मान्यवर, जो सरकारी क्षेत्र की मिलें हैं, उन पर 80 करोड़ रुपया बकाया है, उसके भुगतान की व्यवस्था

सुनिश्चित नहीं की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा और विकट सवाल आज इस सूबे के सामने खड़ा है, वह है बेरोजगारी का। आज इस सम्मानित सदन में एक प्रश्न के जवाब में संबंधित मंत्री जी ने जवाब दिया था, बेरोजगारों और बेकारों को काम देने के सवाल पर आज इस प्रदेश की 1.4 करोड़ जनसंख्या के लिये जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें 5 सदस्यों पर एक परिवार की परिभाषा मान लें तो 1.4 करोड़ की जनसंख्या पर 2 करोड़ 80 लाख परिवार हुये और इस प्रदेश के सरकारी विभागों की सूचना के आधार पर नहीं मोटे तौर पर कहना चाहता हूं कि हर परिवार के पीछे कम से कम एक व्यक्ति बेरोजगार अवश्य होगा, इस प्रकार 2 करोड़ 80 लाख परिवारों के पीछे बेरोजगारों की तादाद 2 करोड़ 80 लाख होती है, ये हाथ आज रोटी-रोजी की तलाश में भटक रहे हैं। इन बेरोजगार हाथों को काम देने का कोई इन्तजाम इस बजट भाषण में नहीं किया गया है।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि आज बेरोजगारों की व्याख्या और परिभाषा पुनः होनी चाहिये। यह हमारी अपनी समझदारी है। रोजगार उन कार्यों को समझा जाय, जिन कार्यों से एक परिवार को न्यूनतम शालीन जीवन जीने के लिए 5000 रुपया आय प्राप्त हो। आय और रोजगार की बात जब हम करते हैं तो इस परिभाषा के अनुसार सर्वेक्षण करायें तो हमारे प्रदेश में वर्तमान में 5 हजार रुपये की न्यूनतम आय से कम आय वाले परिवारों के प्रत्येक वयस्क स्त्री-पुरुष को बेरोजगार कहना चाहिये या उन्हें अल्प रोजगार माना जाय, तभी बेरोजगारी के आयाम सही तरीके से स्पष्ट हो सकते हैं। आज इतनी बड़ी बेकारी इस प्रदेश में है, उसे दूर करने के लिये एक भी उपाय इस बजट भाषण में नहीं किया गया है।

मान्यवर, बजट भाषण में निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने का ढ़िढोरा पीटा गया है। मैं इस संबंध में एक आकंड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन् 1995 तक इस प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की संख्या 19 लाख 30 हजार थी और निजी क्षेत्र में रोजगार की संख्या 4 लाख 75 हजार थी, इससे स्पष्ट है कि सूबे के अन्दर बेरोजगारी खत्म करने के सवाल पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिये, जिसका इस बजट में अभाव है। मान्यवर, यह कहा गया कि निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। मान्यवर, रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि निजी क्षेत्र के पेट में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह इतनी बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध करा पाये।

मान्यवर, यह भी कहा गया कि विद्युत् उत्पादन में सरकार को निजी क्षेत्रों पर बहुत भरोसा है, इसी प्रकार उद्योगों के क्षेत्र में भी निजी पूंजी निवेश पर इन्हें बड़ा भरोसा है किन्तु बेरोजगारी दूर करने की दिशा में निजी क्षेत्रों में कोई सहयोग नहीं मिल सकता है क्योंकि यह जो अतीत हमारा गुजरा है यह स्पष्ट प्रमाण है कि निजी क्षेत्रों के जरिये आज बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने वाला है लोगों को। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे अहम सवाल है इस बजट भाषण में इस सरकार ने बार-बार कहा है सूबे के अन्दर विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलन और गैर बराबरी को खत्म करने का संकल्प यह सरकार ले रही है। क्षेत्रीय विषमता को दूर करने का संकल्प लेने वाली वह सरकार क्षेत्रीय विषमता को कैसे दूर करेगी?

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां 6 करोड़ की आबादी है और 25 जनपद हैं वहां सरकार ने विशेष कृपा किया केवल 22 करोड़ रुपया पूर्वान्चल विकास निगम को देकर। मैं उत्तरांचल की बात कर रहा हूं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं मात्र 8-9 जनपदों से बनने वाला यह उत्तरांचल जहां केवल 59 लाख की आबादी है परिव्यय निर्धारित किया है 677 करोड़ तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां 6 करोड़ की आबादी है वहीं मात्र 92 करोड़ रुपया ही दिया गया है मान्यवर, जो क्षेत्रीय विषमता और गैरबराबरी को दूर करने की बात कर रहे हैं तथा इसका संकल्प भी ले रहे हैं वह अपने बजट भाषण में इतने बड़े भूभाग के साथ इतनी नाइन्साफी कर रहे हैं। मैं सम्मानित सदन में बैठे हुये मा0 सदस्यों से कहना चाहता हूं कि सोवियत गणराज्य जैसा राष्ट्र जिसका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था वहां इस क्षेत्रीय विषमता के चलते और सत्ता के केन्द्रीकरण के चलते उतना ताकतवर राष्ट्र रातोरात विघटित हो गया यह एक मिसाल है जो क्षेत्रीय विषमता के चलते हुआ। अगर पूर्वांचल के साथ उपेक्षा का भाव बढ़ता गया और वित्तीय वितरण में नाइन्साफी और बेइमानी बढ़ती गयी तो आगे आने वाले दिनों में स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

मान्यवर, एक दो बातें मैं और अर्ज करना चाहता हूं। मैं 6 जनवरी, 1997 की बात कहना चाहता हूं उस दिन नियोजन विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों और जनपदों को प्रदेश के औसत विकास तक पहुंचाने के बारे में एक बैठक किया जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी सेक्टरर्स का राज्य के वर्तमान विकास मानक तक पहुंचाने हेतु 10 वर्षीय टाइम फ्रेम में एक कार्य योजना तैयार की गयी वह प्रदेश सरकार के पास है और आज उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। मान्यवर, हमने विगत दिनों सदन में एक चर्चा के दौरान आपका ध्यान आकृष्ट किया था कि वर्ष

1980 में जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आदरणीय चौ0 चरण सिंह जी बैठे थे उस समय रिजर्व बैंक ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और ग्रामीण बैंकों के लिए यह दिशा निर्देश दिया था कि पिछड़े जिलों और पिछड़े सूबों की तरक्की के लिए तथा क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिये जमा धनराशि का 60 फीसदी पैसा वहीं लगाये, एडवांस करें यह निर्देश रिजर्व बैंक का था।

लेकिन सन् 1980 से लेकर अब तक इस सूबे के साथ नाइंसाफी हो रही है।

इन सार्वजनिक बैंकों का प्रदेश में मुद्रण अनुपात 36 प्रतिशत है तथा पूर्वी उ0प्र0 में 20 से 30 प्रतिशत है। ज्यादातर बैंकों के मुख्यालय मुम्बई में हैं जमाधन मानक के अनुसार प्रदेश में न लगाकर तमाम पैसा वहां वापस कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में 36 प्रतिशत अग्रिम कर रहे हैं, जबकि मुम्बई में इनका साख जमा अनुपात 80 प्रतिशत है तामिलनाडु में 100 फीसदी है। हमारे देवरिया जनपद में 8 राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें हैं। दिसम्बर 96 तक केवल 10 महीने में जो जनता की गाढ़ी कमाई का धन जो विभिन्न खातों में जमा हुआ वह था 522 करोड़ रु0 और वहां एडवांस किया केवल 97 करोड़ रु0 शेष 400 करोड़ रु0 मुम्बई मुख्यालय वापस चला गया। 1990 में एक वाच कमेटी गठित हुई थी जिसकी संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार द्वारा एक कोर ग्रुप गठित किया गया जिसने 96-97 में 3411 करोड़ रुपया सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अग्रिम किए जाने के लिये लक्ष्य निर्धारित किया किन्तु बैंकों ने इस लक्ष्य की निर्धारित मानक टैक्स के विरुद्ध प्रदेश में जो 60 जमा अनुपात 36 प्रतिशत हैं, वह भी निरन्तर डिटोरियेट होता जा रहा है। वाच कमेटी और कोर ग्रुप की संस्तुतियों पर राज्य सरकार किंकर्तव्यविमूढ़ बनी हुई हैं। मान्यवर, यह किसान को गर्त में ले जाने वाला, मजदूरों को पीछे करने वाला, दिशाहीन बजट है, मैं इस बजट भाषण का विरोध करता हूं और आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने मुझे समय दिया

श्री अध्यक्ष-

रामजग जी अस्वस्थ हैं वह केवल अपना भाषण करेंगे।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, बजट की सामान्य चर्चा में अपने विचार व्यक्त करने के लिये जो आपने अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इस बजट को कई पहलुओं से देखना है इतनी विशाल आबादी का यह प्रदेश है, अगर यह हम देखें कि हिन्दुस्तान में एक कि0 मी0 में कितनी आबादी है तो उ0 प्र0 उसमें सबसे आगे है, जन्म दर कितनी है तो भारतवर्ष में सभी प्रदेशों में उ0 प्र0 नम्बर एक पर है। नगरीय आबादी कितनी है वह 22 प्रतिशत है, उसमें मलिन बस्तियों में आबादी क्या है वह आती है 19 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे 43 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं उसमें क्या गरीबी की स्थिति है वह देखें तो 73 प्रतिशत वह लोग हैं जिनके पास एक हेक्टेयर से कम जमीन है यानि कि ढाई एकड़ जमीन 3-1/8 एकड़ जमीन मानक है, उससे नीचे 73 प्रतिशत लोग हैं। बजट में आमदनी में जो इजाफे की बात है, दो ही साधन हैं-खेती और उद्योग।

खेती इस प्रदेश में सबसे बड़ी उपेक्षा का शिकार रही है। उत्तर प्रदेश की पांच पंचवर्षीय योजनाओं में खेती पर बजट का केवल 40 प्रतिशत भाग लगा और जैसे-जैसे खेती आगे बढ़ती गई, वैसे-वैसे खेती पर लगने वाला पैसा भी घटता चला गया तथा छठी व सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह 30 प्रतिशत रह गया, 8 वीं पंचवर्षीय योजना में यह केवल 20 प्रतिशत रह गया, 9 वीं योजना में इसका क्या स्वरूप है, वह बजट में नहीं दिखायी दे रहा है। हमने अभी राज्यपाल जी से बातचीत की और पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री देवगौड़ा जी जब उत्तर प्रदेश आये थे तो उनसे बात चीत की, कि 1989 से लेकर आज तक प्रदेश में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगा। मालूम हुआ कि बड़े उद्योग इसलिए नहीं लगे कि यहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। सबसे बड़ा कारण तो यह रहा कि यहां पर अपहरण उद्योग विगत वर्षों में बढ़ा जिसे वर्तमान राज्यपाल महोदय ने भी स्वीकार किया। जिस कारण आज भी यहां लोग खेती पर निर्भर हैं और खेती पर बजट घटता जा रहा है 15 साल से आमदनी की दृष्टि से 3.24 हो गया है और आबादी की दृष्टि से 2.11 रहा यह तो औसत है। इसी से घोर गरीबी हमारे प्रदेश की झलकती है अब वर्तमान सरकार इसके लिए क्या कर रही है, इसको देखना होगा। इन परिस्थितियों में तो इस बजट में कुछ मिठास और कुछ खटास भरी पड़ी हुई हैं। इस प्रदेश को क्या मिलने वाला है, इसे गहराई से देखना होगा।

मान्यवर, एक बड़ी लम्बी चर्चा इस सदन में हो रही है, जिसे सुनकर मुझे बहुत कष्ट हुआ है। मान्यवर, हिन्दुस्तान के इतिहास के स्वर्णिम बालू में कुछ सोने के कण रह गये, जिनकी खोज नहीं हो पायी। अब किसी विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रख दिया गया तो उस पर सदन में चर्चा हो रही है और जातिविाद की बात कही जाती है। यदि इतिहास की खोज होती है और उसमें कुछ नयी चीज आती है तो उससे हम सब लोग लाभान्वित होते हैं, इसमें दर्द की क्या बात है। मानीनय अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान की राजनीति में जिन तबकों की उपेक्षा हुई और उन तबकों से सही मायने में हीरे नहीं चुने गये, यदि आज की

तारीख में वे चुने जाते हैं तो इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिये। यह परिवर्तन का युग है। मा0 हरीश चन्द्र हरीश जी ने तो कुछ कम कहा। जब छत्रपति शिवाजी जैसे व्यक्ति ने जिसने हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी, बनारस के लोगों ने पैर के अंगूठे से उनका तिलक किया गया तो इस उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

मान्यवर, मैने खेती और उद्योग का जिक्र किया। आज खेती से प्रदेश का भला होने वाला नहीं है क्यों कि खेती की उपेक्षा होती रही है। आज सबसे बड़ा संकट है प्रदेश में पानी और भूगर्भजल निरन्तर घटता जा रहा है।

(समय 7 बजकर 25 मिनट)

निरन्तर तेजी के साथ मैंने प्रश्न भी किया था पिछले दिनों में और उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है कि साढ़े तेरह फीट पानी नीचे चुवान से चला गया है। हमारे काश्तकारों ने सर्वे किया और हमको बताया कि चुवान से नलकूप 35 फीट नीचे ले जाना पड़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक गम्भीर समस्या है और इस समस्या को सुलझाना होगा। हम भूगर्भ टेक्नोलोजी तक कैसे पहुंचे? श्रीमन् जो भू-गर्भ की स्थिति है उस स्थिति के लिए विश्व बैंक पोषित योजना के तहत विश्व बैंक इस काम के लिए उत्तर प्रदेश में 10 अरब अमरीकी डालर खर्च करना चाहता है। इस सम्बन्ध में एक पत्र भी आया है जो माता प्रसाद जी के नाम से सम्बोधित है। उसको मुख्य सचिव के सामने रखंना चाहिए। यह जो 29-8-95 की चिट्ठी है मैं निवेदन करूंगा कि वह सदन के सामने आये और यह कितनी बड़ी योजना है उसकी क्या रूप रेखा है यह दस्तावेज प्रस्तुत किया जाये तो उत्तर प्रदेश में भू-गर्भ जल को बढ़ाने का काम हो सकता है। इसके बाद ताज ट्रेपेणियम यूफेश जोन के बारे में देखना है। ताज महल से 72 किलोमीटर के रेडियस पर कोई उद्योग न लगाया जाय। ईट भट्ठों वालों ने इस मसले को लेकर एक रिट दायर की और उसमें यह फैसला आया कि जो नेशनल मानमेंडस हैं उसके 20 किलोमीटर के दायरे में कोई उद्योग नहीं लगेंगे। कोई ईट-भट्ठे नहीं होंगे। इसी तरह से फिरोजाबाद में भी हुआ। आगरा में लोहे का उद्योग घट रहा है।

फिरोजाबाद में गैस के आवंटन पर अनियमितता हो रही है, आगरा में गैस के आवंटन में अनियमितता हो रही है तो इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस बजट में इसकी कोई चर्चा नहीं की गयी है। मान्यवर, आज खेती के बजट को बढ़ाना चाहिए उसकी उपेक्षा हानिकारक सिद्ध हो सकती है। खेती के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले इस पर कोई चर्चा इसमें नहीं की गयी है। मान्यवर, आज पानी का संकट इस प्रदेश और हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा बढ़ा है। आज प्रदेश में कुएं सूखे पड़े हैं, पानी नहरों में नही हैं, नलकूप बोरिंग करके खड़े हुए हैं उनमें सिंचाई के लिए

पानी नहीं है। सिंचाई का बजट कम होता जा रहा है हर पंचवर्षीय योजना में यह कम हो रहा है और इस समय तो यह घटते-घटते 6 प्रतिशत रह गया है जबकि पहले यह 17 प्रतिशत था।

यह बहुत बड़ा संकट है। आप भी इसी स्थिति में रहें हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों को मालूम है कि खेती का बजट घट गया।

(व्यवधान)

आप को सुनने की हिम्मत रखनी चाहिये जो गलतियां हुई हैं, उनको सुनने के लिये आप को तैयार रहना चाहिये। मान्यवर, बेरोजगारों को रोजगार देने की आवश्यकता है, इसके लिये इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया। (इस समय 7 बजकर 29 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)। जितनी अल्प बचत की जायेगी, उसके सापेक्ष में उसको विकास के लिये रुपया दिया जायेगा। जितना रुपया अल्प बचत के माध्यम से एकत्र किया जायेगा, उतना ही रुपया उसको विकास के लिये मिलेगा। आपकी विकास की नीति ठीक नहीं थी। कुल बचत का पैसा उत्तर प्रदेश को 30 प्रतिशत मिला और उसमें से केवल 22 प्रतिशत पैसा केवल देहातों को मिला, उनके विकास के लिये। मुलायम सिंह यादव के समय में यह 22 प्रतिशत था और कल्याण सिंह के जमाने में भी यह 22 प्रतिशत था और आज भी अल्प बचत का पैसा वही है।

(व्यवधान)

आपको क्या परेशानी है। हम अल्प बचत का पैसा बैंक में जमा करते हैं, लेकिन वह पैसा हमकों विकास के लिये नहीं मिलता है। 69 प्रतिशत पैसा - कहां जा रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि वह पैसा बम्बई जा रहा है, दिल्ली जा रहा है और गुजरात जा रहा है और हमें 36 प्रतिशत मिल रहा है, 39 प्रतिशत मिल रहा है और 37 प्रतिशत मिल रहा है। मान्यवर, यह दर्दनाक स्थिति है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सदन का सर्वसम्मत मत हो जाये कि जिस जिले की जितनी बचत होगी, उस जिले को विकास के लिये उतनी रकम दी जायेगी। फिरोजाबाद ने 1996 में अल्प बचत करके दिया, वह रकम रक्षा मंत्री को भेट की गयी और वह बचत का रूपया 36 करोड़ 60 लाख रुपया - था, लेकिन फिरोजाबाद को जिला प्लान में क्या मिला, मान्यवर केवल 5 करोड़ मिला। तो यही हमारी दिक्कत है। तो मैं कहना चाहता हूं जितना पैसा जिस जिले से एकत्र हो उस अनुपात में उस जिले को विकास के लिये पैसा मिले, इस प्रकार की नीति बनानी चाहिये। यह लड़ाई हमें केन्द्र सरकार से लड़नी होगी। श्री बाबू राम यादव के हंसने पर बाबू राम जी हंसते क्यों हैं?

श्री बाबूराम यादव-

मैं माननीय वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि मेरी समझ में यह नहीं आता है कि वह नर हैं या नारी हैं। इस पक्ष के हैं या उस पक्ष के हैं। वह इस बजट का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, वह बता दें, हमारा ज्ञान वर्धन हो जाये, वह हमारे बड़े भाई हैं। हमारे बड़े भाई हैं, योग्य और विद्वान व्यक्ति हैं। इस बजट की समालोचना कर रहें है कृपया वह बतायें कि वह समर्थन कर रहे हैं या विरोध।

श्री सुखपाल पाण्डेय-

उन्होंने कहा कि वह नर हैं या नारी समझ नहीं पाये यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। वह कैसे कह रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

जब बड़ा भाई कहा है तो नर तो आपने उनको मान ही लिया है।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय वर्मा जी न पक्ष में है और न विपक्ष में बल्कि वह निष्पक्ष हैं एक बात और कहना चाहता हूं बाबूराम जी ने कहा नर हैं या नारी दोनों में उनको अन्तर मालूम नहीं है तो बाबू राम जी और वर्मा जी एक ही दल में रहे हैं। उनको अच्छी तरह से मालूम होगा। लेकिन अगर भूल गयें हैं तो दोनों लोग सदन से ज़ब जायें तो मालूम हों जायेगा। बाहर जाकर देख लें।

श्री अधिष्ठाता-

आपको रेफ्री बना दिया जाय।

श्री रघुबर दयाल वर्मा-

श्रीमन् जो समय इस विवाद में गया है उसे सुरक्षित कर दें। इस बजट को क्षीर और नीर के विवेक से देखना चाहिए। जब नीर क्षीर के विवेक से देखेंगे तो निश्चित रूप से निष्पक्ष बात कहेंगे। प्रदेश के विकास के लिए बात करना किसी की चिलम भरना नहीं है। जो लोग चिलम भरते आये हैं उन्हें निष्पक्ष रहने की आदत नहीं है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि आज तक हमारे प्रदेश की गरीब जनता नहीं जानती कि लाइफ इंश्योरेन्स में जितना प्रीमियम का पैसा जमा होता है वह विकास के लिए खर्चे किया जाता है। यह बात बहुत से माननीय सदस्य भी नहीं जानते हैं। जितना प्रदेश में लाइफ इंश्योरेन्स कम्पनी को प्रीमियम के रूप में जमा होता है वह पूरा का पूरा हमारे प्रदेश के विकास के लिए मिलता है। मेरी मांग है कि यह पैसा हमें मिलना चाहिए। इससे हमारा बजट का घाटा काफी पूरा हो जाएगा। यह पैसा अभी तक बड़े-बड़े शहरों में बड़े लोगों की सुख-सुविधा पर खर्चे हो रहा है। गरीब का पैसा जो

अल्प-बचत में जमा किया था वह बम्बई को सुन्दर बनाने गुजरात को सुन्दर बनाने, मद्रास को सुन्दर बनाने, या दिल्ली को सुन्दर बनाने में खर्च कर दिया। जो कि गरीब को सुन्दर बनाने के लिए खर्च होना चाहिए था। जब गरीब को यह बात मालूम हो जाएगी तो वह गर्दन पर पैर रखकर खड़ा होगा और कहेगा कि तुमने हमारा शोषण किया है। यह बहुत निकट भविष्य में दिन आने वाला है।

आगे सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम बहुत सारे जिलों में चलाया गया। मैं आगरा को ही कहूंगा ले लें, वहां जब प्रधानी के चुनाव हुए तो लोगों ने अंगूठे लगाये हुए थे। इसी तरह वी0 डी0 सी0 के मेम्बरों और प्रमुखों ने अंगूठे लगाये थे। कहने को आगरा साक्षर हो गया करोड़ों रुपया सम्पूर्ण साक्षरता में खर्च हो गया। यही बात फिरोजाबाद और अन्य जगहों की भी है। तो सम्पूर्ण साक्षरता के लिए जो धन दिया जा रहा है उसका सदुपयोग हो। इसी तरह से निःशुल्क शिक्षा में पैसा खर्च हो रहा है।

हमें यह देखना है कि यह संकल्प पूरा हुआ है या नहीं। हर गांव में प्राइमरी पाठशाला की आज जरूरत है। हम इस विधान सभा की हीरक एक जयंती मना रहे हैं और आजादी की स्वर्ण जयंती मनाने जा रहे हैं उस समय यह और भी आवश्यक है कि हम उत्तर प्रदेश के दलितों, गरीबों के बच्चों को सुलभ शिक्षा की व्यवस्था करें। एक दलित की बेटी/ने मुख्य मंत्री के रूप में यह बजट रखा है और उन उपेक्षितों को रास्ता दिखाने का काम किया है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान दिया जाय। गांवों के बच्चों के लिये पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडियेट स्कूलों की आज बहुत आवश्यकता है। आज लड़के दाखिले के लिये मारे-मारे घूम रहे हैं स्कूलों में जगह नहीं है। इन सारी स्थितियों को ठीक करने के लिये हमें बजट में प्राविधान करने पड़ेगें। इसी के साथ मैं स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज भी देहाती क्षेत्रों जच्चा बच्चा धरों की सुविधा नहीं है जिसके कारण ग्रामीण स्त्रियों को बहत असुविधा का सामना करना पड़ता है।

आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य सुवधिाओं पर शुल्क लगा दिया गया है जिस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। मेरा यह कहना है कि यह जो शुल्क वृद्धि की गयी है इन बढ़ी दरों को वापस लिया जाये और आपरेशन, जांच आदि के लिये जो शुल्क लिया जाता है इसको माफ होना चाहिये। हर गांव के लिए स्वास्थय सुविधा मुहैया की जानी चाहिए इसी तरह से सड़को तथा पुलों की बहुत आवश्यकता है। हर नागरिक को सड़क चाहियें नदी नाले क्रास करने के लिये पुल चाहिये। मैं मांग करता हूं कि सड़कों के मामले में जो प्रदेश का पिछड़ापन है उसको दूर किया जाय और ग्रामीण जन को सड़क और पुलों की सुविधायें उपलब्ध करायीं जायं। अंत में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज

जो परिस्थितियां हैं पहले एक दल की सरकार की प्रथा रही फिर 1977 में एक दल की सरकार न होकर एक व्यक्ति की सरकार रही। फिर टूट-फूट हुयी और 2-3 दलों की सरकार रही। जब खटास और मिठास सरकार में होती है तो हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उनका एंगेल बदल जाता है और सिर्फ एक एंगिल उनका होता है कि कितनी जल्दी सरकार टूट जाय। मेरा कहना है कि अब टूट नहीं होने वाली है यह सरकार चलेगी। इन शब्दों के साथ में आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपने विचार रखने के लिये अवसर दिया।

श्री सुखपाल पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट का समर्थन करने का जो अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। यह बजट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है इस बजट के माध्यम से गरीबी को रेखा के नीचे,

श्री अधिष्ठाता-

यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि विभिन्न दलों के नेता अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। जो और सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं उनकी एक बहुत बड़ी सूची यहां पर है। इसलिये आप अपनी बात ऐसी योजना बनाकर कहें कि संक्षिप्त में सारी बात आ जाय।

श्री सुखपाल पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने समय पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग के छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाकर गरीब छात्रों को राहत देने का काम किया है, मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हम ऐसे क्षेत्र से चुन कर आए हैं जो घाघरा कटान से हमेशा पीड़ित रहता है इस साल भी कटान बहुत ज्यादा हो रहा है। वहां पर डैम्पर बनाने के लिये आदेश हुए थे लेकिन कटान जारी है और 84 लाख रुपया जो स्वीकृत हुआ था उसमें से 14 लाख रुपये अभी तक दिये गये हैं जिससे अभी तक कटान पर डैम्पर का कार्य नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार तत्काल कटान को रोकने के लिये उपाय करे। अस्पतालों के भवन के निर्माण के बारे में मान्यवर, ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। आज अस्पतालों की हालत वैसी ही है। अस्पताल जर्जर अवस्था में हैं वहां पर डाक्टरों के बैठने की जगह नहीं है। उच्च शिक्षा मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उच्च शिक्षा आयोग को समाप्त करके भ्रष्टाचार को समाप्त किया है उनके चेयरमैन 5-5 लाख रुपया लेकर प्रिंसिपल और अध्यापक की नियुक्ति करते थे। मथुरा में 4 फ्लैट चारों लड़कों के नाम बनवा रहे हैं। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसकी खुली जांच की जानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, विद्युत् स्टेशन 1989 में स्वीकृत हुआ था वह आज तक नहीं बना। आपके माध्यम से

सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उसे शीघ्र बनवाया जाय। माध्यमिक शिक्षा आयोग में शिक्षा मंत्री जी ने अच्छा काम किया है लेकिन चयन के लिये जो डिप्टी डायरेक्टर बनाये। मान्यवर, आपने इतनी जल्दी लाल बत्ती जला दी। मैं लाल बत्ती देखकर घबरा जाता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

पाण्डेय जी मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा कि आप संक्षेप में योजना बनाकर अपनी बात कहें ताकि मुख्य बिन्दु आ जाये।

श्री सुखपाल पाण्डेय-

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जो डिप्टी डायरेक्टर एसिस्टेंट डायरेक्टर और संयुक्त निदेशक की जो कमेटी बनाई है उसका नियुक्ति-पत्र प्रबन्धक देते हैं। उसको भी कमेटी में अधिकारी होना चाहिए। आपका ध्यान मान्यवर फैजाबाद, बस्ती जिले की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं वहां पर अनुसूचित जाति के पांच डाक्टर, 6 इंजीनियर और एक इनकम टैक्स आफिसर फर्जी बने हैं। मैं 14 सालों से इसके खिलाफ लड़ रहा हूं। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला कर दिया इसके बावजूद भी वह बने हुए हैं। मान्यवर, आपका ध्यान बस्ती जिले की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। सुनिश्चित रोजगार और जवाहर रोज़गार योजना के तहत एक अधिकारी थे देव सरण सिंह यादव (बड़े भ्रष्ट अधिकारी थे) करोड़ों रुपया इन योजनाओं के तहत कमाया और अब सुल्तानपुर में डी0 एम0 बन कर बैठे हुए हैं। आपसे कहना चाहता हूं कि उनके खिलाफ जांच कराई जाय। साक्षरता और अनौपचारिक शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपये का गोल माल जीपों और दीवारों पर लिखकर किया। इसकी मान्यवर, जांच कराई जाये।

श्री सुखपाल पाण्डेय-

आज अस्पतालों में

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री सुखपाल पाण्डेय-

मैं समाप्त नहीं कर रहा हूं। थोड़ा और निवेदन करना चाहता हूं। अस्पतालों में कुत्ता काटने की दवा का अभाव है वह लोगों को नहीं मिल रहा है मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार ने जब राष्ट्रपति शासनकाल था उस समय दवाओं के अस्पतालों में रेट बढ़ाये उसको समाप्त करें हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है सरकार उसको वापस लें ताकि प्रदेश के लोगों को राहत मिले। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार

फैला है उसको रोकने के लिए कठोर कदम सरकार को उठाने चाहिए। जो स्थिति आज पैदा हो रही है उस स्थिति से लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें।

श्री अधिष्ठाता-

आपने अपनी बात कर दी, अब समाप्त करें।

श्री सत्य प्रकाश सोनकर-

मान्यवर, 22-7-97 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1997-98 के बजट अनुमानों पर सदन में अपनी विस्तृत बात रखी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बजट अनुमानों पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय सदन के समक्ष राज्य की जर्जर अर्थ-व्यवस्था की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। कोई भी बजट सदन में रखा जाता है तो उसे सरकार की आख्या माना जाता है। जो बजट रखा गया है उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की कथनी करनी में अन्तर है उत्तर प्रदेश विभिन्न मापदण्डों में काफी पीछे है। शिक्षा में, अन्य सामाजिक सेवाओं में प्रदेश में शोचनीय स्थिति है। उत्तर प्रदेश के पुर्वी क्षेत्र में, सबसे ज्यादा शिकार पुर्वी उत्तर प्रदेश हैं। पुर्वी उत्तर प्रदेश की हालत अति चिन्ताजनक है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है माननीय मुख्य मंत्री जी ने पुर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक भी नई चीज की घोषणा नहीं की। यह शोचनीय और गम्भीर विषय है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1995-96 में 9,983 थी। जबकि सम्पूर्ण देश में 9,321 रुपया थी। राज्य में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1950-51 में तीन परसेन्ट के अन्दर थी वह निरन्तर बढ़ती जा रही है। 1995-96 में 35.8 हो गई।

माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं किसी प्रदेश में ऊर्जा, सिंचाई, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा का मूलभूत योगदान होता है। आप चिकित्सा स्वास्थ्य का बजट देखिये सब जाहिर होता है। आज मुख्य मंत्री जी दलितों पिछड़ों की बात करते हैं आप अस्पताल में जाएं वहां टी0बी0 के मरीज के लिए कौन-कौन सी दवाईयां उपलब्ध हैं देखिये। पूरे प्रदेश में हैप्टाइटिस-बी जो है इसके इंजेक्शन हम और आप तो खरीद सकते हैं लेकिन पिछड़े और दलित उसको नहीं खरीद सकते हैं। बजट में कहीं कोई प्राविधान नहीं है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि विकास हुआ है लेकिन कोई विकास नहीं हुआ है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्य मंत्री थे उन्होंने घोषणा की थी प्राइमरी बच्चे पेड़ के नीचे जो पढ़ते हैं उनके लिए भवन बनवायेंगे। मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उनकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं था। 80-85 फीसदी बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते थे। माननीय मुलायम सिंह जी ने स्कूल बनाने का प्राविधान किया था लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि

इस बजट में उन स्कूलों में जो टाट-पट्टी होता है, चाक होती है, ब्लैक बोर्ड होता है इसको कहीं भी इस बजट में मेन्सन नहीं किया गया है । एक तरफ यह सरकार गरीबों और दलितों की बात करती है दूसरी तरफ इस बजट में जो शिक्षा जगत है जो चिकित्सा है कहीं भी उनके लिए प्राविधान नहीं किया गया है ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शांति व्यवस्था के नाम पर यह है कि मैंने एक महीने के अन्दर माफिया गुण्डों को जेल में बन्द कर दिया । लेकिन अगर जेलों का सर्वेक्षण कराया जाए तो पता लगेगा कि माफिया के नाम पर खोमचे वालों को पटरी दुकानदारों को बन्द कर दिया गया है किसी के पास से अफीम दिखाकर बन्द कर दिया गया है किसी के पास गांजा दिखाकर बन्द कर दिया गया है राम प्रकाश पाण्डे, सुनील राय जो कि काशी विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के पदाधिकारी थे उनकी हत्या हो गयी । बचाऊ सिंह की हत्या चंदौली में हो गयी । कहीं है आपकी शांति-व्यवस्था । आज जोन बनाए जा रहे हैं, जिले बनाए जा रहे हैं मण्डल बनाए जा रहे हैं लेकिन कहीं भी बजट में यह प्राविधान नहीं है कि थानों पर कांस्टेबिलों की संख्या बढ़ाई जायेगी, एस0आई0 की संख्या बढ़ाई जायेगी । आप डी0आई0जी0 बढ़ाते जा रहे हैं, आई0 जी0 बढ़ाते जा रहे हैं, एस0पी0 बढ़ाते जा रहे हैं सी0ओ0 बढ़ाते जा रहे हैं यह कानून व्यवस्था के नाम पर धोखा है यह कोरा बजट है । आज विद्युत व्यवस्था के हालत क्या है आज विद्युतीकरण हो रहा है लेकिन मैं कहता हूं कि कही नहीं हो रहा है । 1994 में पूरे देश में विद्युत उपभोग 319 के0वी0 था जबकि उत्तर प्रदेश में यह 197 रहा । विद्युत की हालत यह है कि कहीं खम्भे गड़े हैं, कहीं बिजली के तार नहीं है कहीं तार टूटे पड़े हैं, कहीं पोल नहीं है । इस बजट में कहीं भी पूर्वांचल के लिए पैकेज की घोषणा नहीं की गई है जिससे पूर्वांचल का विकास हो । आज पूरे भारतवर्ष में एक लाख की जनसंख्या पर 65.7 कि0मी0 सड़क का औसत है जबकि उत्तर प्रदेश का सड़क औसत 53.6 कि0मी0 है । सड़कें टूटी हुई हैं, जी0टी0रोड जगह-जगह से टूटी हुई है । बनारस से मिर्जापुर अगर दूसरी कम्पनी न सड़क बनाती तो आप हालत देखते कि साईकिल चलाने लायक वह सड़क नहीं रह जाती ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप अपनी बात समाप्त करने की कृपा करें ।

श्री सत्य प्रकाश सोनकर-

अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यकों के लिये स्कालरशिप दुगुनी कर

दी है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1996-97 में अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति देने के लिए मुख्य मंत्री जी ने कहा था लेकिन किसी भी अल्पसंख्यक को छात्रवृत्ति नहीं दी गयी है । उन्होंने यह भी कहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को छात्रवृत्ति दुगुनी मिलेगी लेकिन पुराने रेट पर ही छात्रवृत्ति दी जा रही है । 1996-97 की एक किश्त छात्रवृत्ति की अभी नहीं मिली है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह बजट कोरा है, उत्तर प्रदेश विरोधी है, पूर्वांचल विरोधी है । मान्यवर, जहां तक बेरोजगारी की बात है पूरे बजट में देख लें कहीं भी बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने का कोई प्राविधान नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह कहते हैं कि सरकारी प्रतिष्ठानों में जगह नहीं है, नौकरी नहीं है तो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता-

सोनकर जी अब आप अपनी बात समाप्त करें । आप अपने समय का प्रयोग कर चुके हैं । अगर आत्म संयम नहीं रखेंगे तो उचित नहीं होगा । आप एक योजना बनाकर चलें और 5 मिनट में अपनी बात कह लें दूसरे का समय न चुरायें ।

श्री सत्य प्रकाश सोनकर-

माननीय अधिष्ठाता जी, चन्द बातों में ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सदस्य, मंत्री या मुख्यमंत्री जी के विधान सभा क्षेत्र के लड़के को आप एक लाख रुपया दे दीजिये, वह साबुन फैक्ट्री खोल लेता है लेकिन उसका साबुन नहीं बिकेगा क्योंकि शाम को जब टी0वी0 खोलते हैं तो उसमें जब आप लक्स का विज्ञापन देखेंगे उसमें हेमामालिनी, धर्मेन्द्र और मीनाक्षी जैसे लोग होंगे और खुशबू दार लक्स से नहाते मिलेंगे लेकिन इस साबुन में कोई नहीं होगा तो लोग इसको जानेंगे ही नहीं और उसका एक लाख रुपया भी डूब जायेगा । मान्यवर, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए । कुटीर उद्योगों का जाल बिछाना चाहिए । इसी के साथ आपने बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद ।

(श्री कैलाश सिंह राजपूत का नाम पुकारे जाने पर)

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिए आग्रह करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग बैठ जायें । विभिन्न दलों के सचेतकों की और से जो नाम आयें हैं मैं पहले उन्हें अवसर दूंगा । उसके बाद अन्य माननीय सदस्यों को सुनूंगा ।

श्री कैलाश सिंह राजपूत-

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया । इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं । मैं पहली बार विधायक चुनकर आया हूं और संयोग से पहली बार बोल रहा हूं और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सदन के सम्मानित सदस्य शांति और सहयोग देंगे । माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट रखा है उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधान मण्डल दल के उप नेता माननीय हरीश जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करते हुए अपने क्षेत्र की विकास के सम्बन्ध में और कुछ जिले के विकास के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा । बजट में पुलों के सम्बन्ध में जिक्र किया गया है हमारे विधान सभा क्षेत्र उमर्दा में जो फर्रुखाबाद जिले का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इशन नदी पर नेराघाट पुल बन जाने से ठठिया-कन्नौज तथा हरदोई-सीतापुर मार्ग खुल जायेगा तथा पांडो नदी पर औसेर घाट पुल बन जाने से तिर्वा-रसूलाबाद, कानपुर मार्ग खुल जायेगा और भदौसी झिंगा नाला पुल बन जाने से तिर्वा-बिल्हौर मार्ग अत्यन्त कम दूरी में सीधा आवागमन हो जायेगा । महसैयया नाला पुल के निर्माण से लगभग दो दर्जन से अधिक गांवों का मार्ग ठठिया से जुड़ जायेंगे । माननीय अधिष्ठाता महोदय बजट में नई सड़क के बारे में और पुरानी सड़कों के मरम्मत के बारे में जिक्र किया गया है । हमारे विधान सभा क्षेत्र में तिर्वा से सुर्सी वाया मकनपुर बिल्हौर मार्ग । ठठिया से औसेर वाया जनखत मार्ग । तिर्वा से औसेर वाया खरनगर मार्ग । कनौली से बैलामऊ सरैया मार्ग । हसेरन से सुखसेनपुर मार्ग । हसेरन से सकतपुर मार्ग । खड़िनी से हसेरन मार्ग । सौरिख से भावलपुर मार्ग । नादेमऊ से हसेरन नहर पटरी उमर्दा मार्ग । इन्दरगढ़ से तिर्वा मार्ग । इन्दरगढ़ से छिबरामऊ वाया तालग्राम मार्ग । मान्यवर, इन मार्गों पर प्राइवेट और रोडवेज की बसें चलती हैं लेकिन यह सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं इसलिए इनकी मरम्मत के संबंध में यदि बजट में प्राविधान किया जाता तो अच्छा होता ।

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र उमर्दा में शिक्षा की बहुत ही कमी है । इसलिए तिर्वा, ठठिया, सौरिख हसेरन में राजकीय कन्या इण्टरमीडिएट कालेज खोलने की बजट में व्यवस्था होती तो अच्छा होता । इसके साथ ही एक औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालय और एक राजकीय पालीटेक्नीक विद्यालय खोलने का बजट में प्रस्ताव किया गया होता तो अच्छा होता ।

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में जलभराव नहर के कटने से पानी एवं नहर की वजह से हो जाता है, जिससे हजारों एकड़ जमीन में पानी भरा रहता है जिससे किसानों की जिंदगी परेशानी में गुजरती है ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। काफी समय ले लिया है। आप बैठ जाएं।

श्री कैलाश सिंह राजपूत-

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसे नाले हैं जिनमें सफाई हो जाती तो वहां का विकास हो जाता, इसलिये निवदेन है कि लाख नाला, बिकूपुर नाला, रामपुर से बढरान नाला, बंधा नगरिया नाला, सिमरिया-धूरपुर नाला, सरैया नाला उमगरा नाला, ऐमा नाला, रसूलपुर झील से ईशन नही तक उमर्दा नाला, शाहनगर नाला और खामा सांडा नालों के सफाई की व्यवस्था कर दी जाती तो अच्छा होता। इससे निश्चित ही हमारे क्षेत्र का विकास हो जाता।

मान्यवर, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में कुछ नई सड़कें बना दी जाती तो अच्छा होता। यह सड़कें हैं इन्दरगढ़ से बहोसी मार्ग। इन्दरगढ़ से तिर्वा रजबहा पटरी मार्ग। तिर्वा रजबहा से ढ़वहा मार्ग। चन्दौली से श्यामपुर पटरी मार्ग। तिर्वा रजबहा से मझरेटा-परसरामऊ-तिर्वा इन्दरगढ़ रोड तक। पारसपुर से सिरसा वाया तुलापुर्वा पकरियापुर चन्दउआ मार्ग। इन्दरगढ़ तिर्वा मार्ग से बिजनापुर तक वाया हरी पुर्वा मार्ग। भदौसी-भुन्ना जनखत औसेर मार्ग। कनौली से बेलामऊ सरैया मार्ग। नौसारा से बेलामऊ सरैया वाया पुरौटिया मार्ग। खैरनगर से जनखत मार्ग। तिर्वा खैरनगर रोड से धारानगर कल्यानपुरवा फुरवारी से कड़ेरा मार्ग। उमर्दा से सुखी मार्ग। सिमरिया से बिहारीपुर मार्ग। ठठिया से नेराघाट मार्ग। इन मार्गों का बजट में प्राविधान कर दिया जाता जो अच्छा होता।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र के ग्राम ठठिया में पानी की टंकी का बजट में प्राविधान कर दिया जाता तो अच्छा होता। मान्यवर, दन्नापुरवा गांव में ऐसा पानी है जिसके पीने से लोगों की कमर टेढ़ी हो जाती है। इसलिये वहां पानी की टंकी की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी तरह से कनौसी मौजा सिंहपुर का पानी पीने के लायक नहीं है। गांव के बाहर टंकी बनाकर टंकी की व्यवस्था की जा सकती है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाए। मैंने दूसरे मा0 सदस्य का नाम पुकार लिया है। आप बैठ जाएं।

श्री कैलाश सिंह राजपूत-

मान्यवर, छिबरामऊ में सत्र न्यायालय खुलवाने का बजट में प्रस्ताव आ जाता तो अच्छा होता क्योंकि हमारे क्षेत्र की वादकारियों को 70 किलोमीटर दूर फर्रुखाबाद जाना पड़ता है।

मान्यवर, कन्नौज को जिला बना दिया जाता और इसका बजट में प्रस्ताव हो जाता तो अच्छा होता। मान्यवर, आलू की समस्या के संबंध में एक निवेदन करना चाहूंगा। हमारे जनपद फर्रुखाबाद में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के उत्पादन का पच्चीस प्रतिशत से अधिक आलू का उत्पादन होता है। यह सम्पूर्ण एशिया के उत्पादन का 1/8 वां भाग है। मान्यवर, इस बार आलू का उत्पादन अधिक होने से उसके कोल्ड स्टोरेज में रखने की बड़ी समस्या आई, बहुत कम लोगों का आलू कोल्डस्टोरेज में रखा जा सका। आलू की समस्या पर इस सदन में काफी चर्चा हुई है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि नये कोल्ड स्टोरेज स्थापित किये जायें और उसकी भण्डारण दरें नियंत्रित की जायें। बजट में अगर इसकी व्यवस्था कर दी जाती तो बहुत अच्छा होता।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य समाप्त करें, आप काफी समय ले चुके हैं।

श्री कैलाश सिंह राजपूत-

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि आलू पर आधारित चिप्स एवं आलू पर आधारित किसी उद्योग की व्यवस्था इस बजट में की जाती तो इससे वहां के किसानों की समस्या हल हो जाती, इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

* श्री चन्द्र नाथ सिंह-

मान्यवर, यहां पर कांग्रेस के एक माननीय सदस्य पाल जी थे, क्या वह दलबदल करके सत्ता पक्ष में चले गये हैं?

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं तो दोनों तरफ यहां से निगाह रख रहा हूं और आपकी तरफ भी मेरी निगाह है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

मैं आपकी इस हरकत पर निगाह रख रहा हूं।

* श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, अध्यक्ष जी ने तय किया था कि दो सदस्य इधर के तथा एक सदस्य उधर से बोलेगा।

श्री अधिष्ठाता-

मै वही करने जा रहा हूं, आप निश्चिंत रहें, किसी प्रकार से किसी के साथ अन्याय नहीं होने पायेगा।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, हम लोगों का समय 10 मिनट कर दिया जाये क्योंकि सत्ता पक्ष के पास तो कोई समस्या है नहीं।

* श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि दल-बदलुओं को 5 मिनट के बजाय ढाई मिनट का समय दिया जाय।

श्री जय नारायन तिवारी-

मान्यवर, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुये एक शेर के माध्यम से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि सुबह 11 बजे से लोग यहां बैठे हैं। शेर अर्ज है-

मुहब्बत की नज़र अहले वतन की शान पैदा कर,
बुलन्दी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर,
खुदा गवाह है कि आशियां सबका मुनहदिरम होगा,
जो जैसा रहेगा वैसा कहलाने का मुस्तहक होगा।

मान्यवर, जम्हूरियत की अपनी कुछ विशेषतायें हैं, प्रजातंत्र की अपनी कुछ विशेषतायें हैं और इन व्यवस्थाओं के माध्यम से सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के लोगों को भी कुछ सही मानक अपनाना चाहिये और सही बात की तरफ इंगित करना चाहिये। मैं बड़े ध्यान से माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी का भाषण सुन रहा था उन्होंने जिलों में अल्प बचत योजना की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात की है कि गिनती जो जितना इसमें बचत करें वह पैसा वहीं पर विकास के लिये लगाया जाय। मान्यवर यह बात तो बहुत ही उचित है। इस बात का मैं समर्थन करता हूं।

मान्यवर, कितनी मौलिक बात उन्होंने कही। अच्छा होता सदन एक मत से उस पर सहमति देता और उसको सदन के माध्यम से लागू करने की बात की जाती और यह हमारी सरकार ही है, इस बात को इन प्रतिपक्ष के लोगों को यह मान लेना चाहिए कि कार्य की संस्कृति का जो लगातार हास होता गया और लगातार यह व्यवस्था बिगड़ती गयी कार्य संस्कृति की। अधिकारी और कर्मचारी अपने को जनता का सेवक नहीं मानते थे वह अपने को मालिक मानने लगे थे लेकिन इस मौजूदा सरकार ने अपने 4 माह के शासनकाल में इस बात को पदस्थापित कर दिया कि तुम जनता के सेवक हो, मालिक नहीं हो। तो इतने अल्पकालीन समय में एक पदस्थापना की गयी और नेता सदन के कार्यकाल में एक नई संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ है। आज आप भी जानते हैं विरोध के लिए चाहे जो विरोध करें अगर आप अपने गिरेबान में झाककर देखे, बुद्धि के ऊपर विवेक को स्थान देकर सोचें तो आपको लगेगा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान इस प्रदेश की कानून व्यवस्था, अर्थ-व्यवस्था समाज की व्यवस्था यह सारी व्यवस्थाएं एक साथ चरमरा गई थीं, और इतनी व्यवस्थाओं को 4 माह के अल्पकाल में यह सारी की सारी व्यवस्थाएं चरमराने की स्थिति से उबारकर पटरी पर चलाने का काम इस सरकार ने किया है।

मान्यवर, आपकी कृपा से, इस सदन में कई विरोधी दल के नेताओं, माननीय स्वनामधन्य, प्रातः स्मरणीय तमाम विरोधपक्ष के लोगों का भाषण सुनने को मिला है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे प्रतिपक्ष के साथी हमारे मित्र हैं, शुभचिन्तक हैं अगर वह रोके होते आज हमने इशारा किया था और शुक्रवार को इशारा किया था कि सारे साथियों को नेता विरोधी दल के भाषण में कटौती करके अपने क्षेत्र और जिलों की समस्याओं को उजागर करना चाहिए किन्तु ऐसा नहीं हुआ। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा, मैं बहुत धैर्य के साथ उनके भाषण को सुन रहा था उन्होंने कहा कि नेता सदन वोट बैंक बढ़ाने के लिए तमाम ऐसी बातें करती जा रही हैं, जो नहीं करना चाहिए और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी नेता सदन ने वोट बैंक बढ़ाने के लिए अगर काम किया है तो रचनात्मक कार्य किया है और आपके नेता सदन ने तो विध्वंसक काम किया है इसके एक नहीं एक हजार प्रमाण हैं।

श्री इकबाल अहमद-

मान्यवर, यह चुनाव पर भाषण दे रहे हैं या बजट पर बोल रहे हैं।

श्री जय नारायन तिवारी-

आपको सही बात सुनने की आदत डालनी चाहिए मैं बजट पर बोल रहा हूं और समय सीमा के अन्दर बोलूंगा उसके बाहर नहीं बोलूंगा।

अभी मा0 हरीश जी ने कहा कि 43 फीसदी लोग, मेहनतकश लोग जो अपने हकों से सताये गये थे उनका हक छीना गया था, उन लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम इस सरकार ने किया है, उसको साधुवाद देना चाहिये। जरायम पेशों में लिप्त रहने वाले लोग आराम से घूमा करते थे, पुलिस उनके सामने कानून कसने का काम नहीं करती थी। आज वही पुलिस निर्भीकता के साथ ऐसे लोगों को सड़कों पर घूमने का मौका नहीं दे रही है, जेलों के सीखचों में डालने का काम कर रही है। मान्यवर, एक मिनट और लूंगा हमारे सुल्तानपुर में तीन-तीन सब स्टेशन स्वीकृत पड़े हुए हैं धनपतगंज, सुल्तानपुर कुंडावार और चांदा में भदैया में, इन रुके हुए कामों को सरकार पूरी करने पर ध्यान दे। धन्यवाद, धनपतगंज सब स्टेशन का कार्य शुरू होना चाहिये।

(विपक्ष के अधिकांश माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

जो नाम सचेतक द्वारा भेजे गये हैं, उनको प्राथमिकता मिलेगी, मौका सबको मिलेगा।

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह अपने आप में एक शब्द जाल है, कुछ भ्रम पैदा करने वाला है। बहुत सारी बातें उसमें कही गयी है कितना बड़ा डेफिसिट इसके अंदर है। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय नहीं है। किसी तरीके से अपने संसाधन को जुटाकर इन सारी बातों को पूरा करने की बात इसमें कही गयी है। मान्यवर सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर जो अम्बेडकर ग्रामों के विकास की तथाकथित महारत हासिल करने की बात की है, ।। हजार अम्बेडकर गांवों के विकास की बात इसमें कही गयी है, उनके विकास के लिये साढ़े तीन सौ करोड़ रू0 की धनराशि रखी गयी है।

(समय 8 बजकर 25 मिनट)

जब यह देखा जाय तो पार्कों के नाम पर-परिवर्तन चौक, अम्बेडकर पार्क व अन्य पार्कों के नाम पर जो धनराशि आवंटित की गई है, उसको आप जोड़ लें तो वह साढ़े तीन सौ करोड़ रूपए से ज्यादा होगी और यह सरकार ऐसे में ।। हजार अम्बेडकर गांवों के समग्र विकास की बात करती है। मान्यवर, यह अपने

आप में एक नमूना है। 9 वीं पंचवर्षीय योजना में जो सबसे महत्वाकांक्षा की बात कही गई है वह है 9 परसेन्ट ग्रोथ रेट की और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 6 परसेन्ट ग्रोथ रेट की बात कही गई परन्तु जब आज बजट के इस डाक्यूमेन्ट को देखें तो कहीं पर भी फाइनेन्शियल रिकान्सट्रक्शन की बात नहीं कही गई है, कहीं पर भी इण्डस्ट्रियलाइज़ेशन की बात नहीं कही गई है और न ही इन्फ्रास्ट्रेक्चर को डेवलप करने की बात कही गई है और अतिरिक्त संसाधन जुटाने की बात कहीं पर नहीं कही गई है तो फिर इस प्रदेश का विकास कैसे हो पायेगा और 6 परसेन्ट ग्रोथ रेट को कैसे एचीव किया जायेगा। दलितों की वकालत यह सरकार बहुत कर रही है।

मान्यवर, सरसरी तौर से उत्तर प्रदेश में जो दलितों और जनजातियों की आबादी है वह करीब 24 परसेन्ट से लेकर 26 परसेन्ट तक है। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान और ट्राईबल सब प्लान-इन दोनों की धनराशि को जोड़ दिया जाय तो वह कुल बजट का 2। परसेन्ट है। परकैपिटा एक्सपेन्डीचर के लिहाज से भी देखा जाय तो जो समाज के छोटे तबके के लोग हैं, अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोग हैं, उन पर प्रति व्यक्ति खर्च का जो लक्ष्य है, वह तो उतना भी नहीं रखा गया है जो कि प्रदेश की सामान्य आबादी के लोगों पर खर्च के लिए रखा गया है।

मान्यवर, उत्तराखण्ड के विकास की बात कही गई। उत्तराखण्ड के अन्दर, मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की पूरी हिमालयन बेल्ट यहां से लेकर अरूणांचल प्रदेश और नागालैण्ड तक है, उसके लिए जो विकास के मानक तय किये गये हैं और जो परिव्यय 677 करोड़ रूपए का रखा है, वह अपर्याप्त है। उत्तराखण्ड के त्वरित विकास के लिए इस बजट में विकास का एक ब्लू प्रिंट रखा जाता तो बात समझ में आती परन्तु जब मैंने इसे पढ़कर देखा तो वह मात्र कोरा चिट्ठा निकला और उत्तराखण्ड के विकास के लिए गोलमोल बातें कही गई हैं। मान्यवर, हम इस बात के गवाह हैं कि जब पहले 6 महीने के लिए वोट आन एकाउन्ट पारित किया गया था, केन्द्र सरकार द्वारा करवाया गया था और उस समय जो वित्तीय स्वीकृतियां वहां के विकास के लिए की गई थी, उन स्वीकृतियों को आज तक इस सरकार से जारी नहीं हुई हैं और अब जो छः महीने के लिए बजट अनुमान रखा गया है, उसके हश्र को आप भी मान्यवर, स्वयं समझ सकते हैं।

मान्यवर, बेसिक मिनिमम सर्विस के तहत 1573 करोड़ रूपए की बात कही गई है, इसमें अधिकांश हिस्सा केन्द्र सरकार के हिस्से में जाना है। मान्यवर, आप लाल बत्ती न जलायें। क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से विधायक हूं वहां से प्रतिपक्ष में दूसरा कोई विधायक नहीं है, इसलिए मान्यवर, आपसे विशेष अनुरोध है कि मुझे कुछ समय दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि पांच मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें। दो मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, विशेष परिस्थितियों की वजह से ही मैंने आपसे विशेष अनुरोध किया है। मान्यवर, सब प्रदेशों के बजाय इस प्रदेश में सर्वाधिक ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, उन्हें डेवलेप करने व उसके यूटीलाइजेशन के लिए इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है।

मान्यवर, पंचायती राज की बात खूब कही जा रही है। इस सरकार ने पंचायती संस्थाओं को अधिकार देने की बात कही है।

मान्यवर, यह जिला पंचायतों को अधिकार देने की बात करते हैं लेकिन क्या यह क्षेत्रीय पंचायत और ग्राम पंचायतों को भी अधिकार देंगे। मान्यवर, अब मैं उत्तराखंड का जिक्र करूंगा। ऐसा लगता है कि पूरे बजट को तैयार करते समय उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचने की कोशिश नहीं की गयी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वहां पर रेशम कीट पालकों के लिए कोई योजना का जिक्र नहीं किया गया है। उत्तराखंड इस देश में उन स्थानों में से एक है जहां पर पर्यटन के विकास की संभावनाएं अच्छी हैं लेकिन कोई योजना का जिक्र इसमें इस हेतु नहीं किया गया है। अभी सदन के अन्दर चर्चा हुई पर्वतीय क्षेत्रों की स्थिति के बारे में आज स्थिति इस तरह से है कि जल श्रोत सूखते जा रहे हैं। यहां हाइड्रोलाजी के इम्प्रूवमेंट की बात करनी हैं। उत्तराखंड के अन्दर विकास हो और ऐसा विकास हो जो चिरस्थायी हो। जो जल संसाधन हैं उसका उपयोग बढ़ाया जाय। ऐसा लगता है कि वैज्ञानिक तरीकों से इस सरकार को लेना-देना नहीं है। जो भू-गर्भ जल हैं उनको बढ़ाया जाय। मान्यवर, मैं इस प्रदेश के अन्दर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित पर्वतीय क्षेत्र की सीट से विपक्ष का एक मात्र प्रतिनिधि हूं। क्योंकि जल श्रोतों का डिसचार्ज बढ़ाने और भू-गर्भ जल को रिचार्ज करने की वैज्ञानिक विधियों को अमल में नहीं लाया गया तो सभी जलश्रोत सूख रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त करें आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, मैं इस दलित, अनुसूचित जाति और जनजाति की दुहाई देने वाली सरकार से एक सवाल करना चाहता हूं मान्यवर, मेरे क्षेत्र की 50 प्रतिशत

आबादी अनुसूचित जाति और जनजाति की है लेकिन एक भी योजना अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए इस सरकार ने नहीं बनायी है। पूरे प्रदेश की जन जातियों की लगभग 50% आबादी भी इसी क्षेत्र में हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। आपका भाषण नहीं लिखा जायेगा।

श्री मुन्ना चौहान- (× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

अब आपकी बात नहीं लिखी जायेगी। मैंने सीताराम निषाद जी को पुकार लिया है। निषाद जी आप अपना भाषण शुरू करें। अन्यथा मैं उधर के पक्ष को आमंत्रित करता हूं। श्री चौहान जी आप समाप्त करें यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है।

श्री मुन्ना चौहान- (× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

यह लिखा नहीं जायेगा। अब आप समाप्त करें। माननीय निषाद जी आप बोलें।

श्री मुन्ना चौहान- (× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

नहीं अब आपको समय नहीं मिलेगा।

श्री सीता राम निषाद-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, बजट को हमने बड़े ध्यान से पढ़ा। लगभग 300 करोड़ रूपये के घाटे का यह बजट पेश किया गया है और उसको पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो भी कार्यक्रम इसमें दिये गये हैं वह कोई कार्यक्रम पूरा होने वाला नहीं है। मान्यवर, अच्छे बजट की यह विशेषता होती है कि उसमें नियोजन होना चाहिए, क्रियान्वयन होना चाहिए और उसका अनुश्रवण होना चाहिए लेकिन इस पूरे बजट में न नियोजन है न क्रियान्वयन है और न ही अनुश्रवण ही है क्योंकि यह घाटे का बजट हैं और कोई भी योजना पूरी होने वाली नहीं है। मान्यवर, अनुसूचित जाति और जनजाति के सम्बन्ध में उनके समाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो योजनाएं हैं, मैं तो समझता था

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कि यह सरकार उत्तर प्रदेश में कोई नयी योजना इन गरीब समुदाय के लिए, शोषित पीड़ित समाज के लिए, पिछड़ी जाति के विकास के लिए लागू करेगी।

और यह उत्तर प्रदेश का कदम सारे देश के लिये आदर्श होगा, लेकिन जो भी योजनायें हैं, वह भारत सरकार की हैं, उनकों उत्तर प्रदेश में ही क्या सारे देश में लागू किया जा रहा है, लेकिन इस सरकार की कोई योजना नहीं है। यहां के विकास की जो भी योजनायें हैं, चाहे जवाहर रोजगार योजना हों, सुनिश्चित रोजगार योजना हो या अन्य कोई योजना हो, उनको अगर आप निकाल दें, तो कोई भी योजना इस सरकार की नहीं है।

मान्यवर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी जातियां हैं जो बहुत गरीब हैं और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों की श्रेणी में आती हैं, लेकिन उनको अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में रखा गया है। मान्यवर दूसरे राज्यों में इन जातियों को अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है (यह जातियां है केवट, राजभर, मल्लाह, विन्द, धीमा, इनको अन्य राज्यों में अनुसूचित जातियों या जनजातियों की सूची में रखा गया है) और उनको वह सुविधायें दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी यह मांग चली आ रही है कि इन जातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जातियों की सुविधायें दी जायें। जब मायावती जी पहले मुख्य मंत्री हुई थी तो 26 सितम्बर 1995 को जब वह बांदा जिले में निषाद महारैली को समबोधित किया था और जौनपुर में विन्द महारैली को सम्बोधित किया था, तो उनको ज्ञापन दिया गया था कि इन जातियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जातियों की सूची में सम्मिलित किया जाये, लेकिन जो उन्होंने बांदा में घोषणां की थी, उसको आज तक पूरा नहीं किया गया है और इस बजट में उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार की नीयत साफ नहीं है, यह सरकार घोषणा तो करती है लेकिन उनको पूरा नहीं करती है मान्यवर पिछड़े वर्गों के बारे में उनके उत्थान के लिये कोई योजना नहीं है। आजकल जो भी नौकरियों की वान्ट्स निकाली जाती है वह केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये निकाली जाती हैं, उनका कोटा भरने की बात कही जाती है, यह बात ठीक है, यदि उनका हक मारा गया है, तो दिया जाये, लेकिन जो 27 प्रतिशत का आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों के लिये किया गया है तो उनको भी स्थान मिलना चाहिये। इनके लिये पदोन्नति की व्यवस्था नहीं है, जिस प्रकार की पदोन्नति की व्यवस्था अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये है, किन्तु पिछड़े वर्गों को पदोन्नति में उनको कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है। उनकी पदोन्नति में भी आरक्षण मिलना चाहिये, जिससे वह पदोन्नति पाकर अपनी निष्ठा और इमानदारी का फल प्राप्त कर सकें और देश और समाज की सेवा कर सकें।

मान्यवर-

जो बिन्दु हमने उठाये हैं उनके बारे में अब माननीया मुख्यमंत्री उत्तर भाषण दें तो घोषणा करें कि जो बहुत ही पिछड़े हुए और गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ न्याय होगा।

मान्यवर चिकित्सा के क्षेत्र में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कुछ ही मण्डल ऐसे हैं जहां पर मेडिकल कालेज नहीं हैं फैजाबाद मण्डल में भी एक मेडिकल कालेज होना चाहिए। 1989 में 500 शैय्याओं का एक अस्पताल वहां के लिए स्वीकृत हुआ था जिसका शिलान्यास 20 जून, 1989 को किया गया था लेकिन आज तक उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। दूसरे लोगों को भी बोलना है।

श्री सीताराम निषाद-

फैजाबाद मण्डल में चिकित्सा सुविधाओं का बहुत आभाव है। मैं अपेक्षा करूंगा कि जब वह उत्तर भाषण दें तो घोषणा होनी चाहिए।

इसी तरह वहां की बिजली की जर्जर व्यवस्था है। धान की रोपाई का समय आ गया है बिजली के अभाव में पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है इसलिए रोपाई सुनिश्चित हो इसके लिए बिजली की व्यवस्था की जाय।

अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। मैंने जगदीश नारायण मुन्ना जी को बुला लिया है।

श्री जगदीश नारायण मुन्ना-

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का जोरदार समर्थन करता हूं।

सदन में कोरम के आभाव की सूचना

* अफजाल अहमद-

मान्यवर कोरम नहीं है इसलिए कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

कोरम की व्यवस्था कर रहे हैं। आप भाषण जारी रखें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अफजाल अहमद-

कोरम पूरा नहीं हो रहा है। मैं जा रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

कोरम पूरा है मैने सुनिश्चित कर लिया है।

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री जगदीश नारायण मुन्ना-

माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्रता की 50 वीं वर्षगांठ पर गरीब और बेसहारा जनता के लिए और प्रदेश के विकास के लिए बहुत ही क्रान्तिकारी बजट प्रस्तुत करके अपनी दृढ़ इच्छा का परिचय दिया है। इससे प्रदेश के विकास में क्रान्तिकारी परिवर्तन आएगा और गरीब एवं पिछड़े वर्ग का उत्थान होगा। उसकी मैं घोर प्रशंसा करता हूं। बजट के माध्यम से माननीय नेता सदन ने एक प्रतिबद्धता जारी की है कि अधिकारी लोग जनता के प्रति जवाबदेह होंगे। यह इतिहास में पहली बार हुआ है जब अधिकारियों को जवाबदेह बनाया गया है। इस बजट से कृषि और उद्योग को बराबर का दर्जा मिला है। यह पहली बार हुआ है जब कृषि के उत्थान के लिए यह बात की गई है। सरकारें बहुत सी आई हैं और बहुत सी गई हैं और बहुत से धरती पुत्र हुये हैं लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी ने पहली बार कृषि को उद्योग के बराबर स्थान देने की व्यवस्था की है।

इस बजट के माध्यम से सहकारिता के क्षेत्र में पर्याप्त बजट की व्यवस्था की है। सहकारिता के माध्यम से गरीब और पिछड़े लोगों का विकास हो सकता है। मैं सरकार का ध्यान सहकारिता में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर दिलाना चाहता हूं। सरकारी समितियों में अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत पद आरक्षित किए जायें।

इसी तरह महिलाओं के उत्थान के लिए भी बजट में प्राविधान किया गया है। यह पहली सरकार है जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार और बलात्कार के विरुद्ध मीसा का प्रयोग करने का दृढ़ संकल्प किया है।

सिंचाई के लिए अतिरिक्त क्षमता में वृद्धि के लिए 45 लाख का प्राविधान किया गया है। मैं अपने क्षेत्र में गोमती नदी पर बनने वाले पम्प कैनाल के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां धर्मापुर और भड़हरी में पम्प कैनाल का प्रस्ताव शासन के समक्ष प्रस्तुत है। इसे शीघ्र स्वीकृत किया जाय जिससे सिंचाई क्षमता बढ़ सके।

श्री जगदीश नारायण मुन्ना-

मान्यवर, बजट में 25 पुलों के निर्माण की व्यवस्था की गयी है मेरे यहां एक वेलाव घाट का पुल बनना चाहिये अच्छा होता है कि इसको भी इसमें शामिल कर लिया जाता। इस बजट में अम्बेडकर गांवों में 10 प्वाइंट पर जो विकास किया जा रहा है यह पहली बार हो रहा है। एक विधान सभा क्षेत्र में 10 गांवों का चयन हो रहा है और क्रमबद्ध रूप से विकास किया जा रहा है यह हमारी सरकार की एक अच्छी नीति है। दूसरी बात मैं न्याय के संबंध में कहना चाहता हूं। सरकार द्वारा पहली बार 50 नये अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के पद सृजित किये गये हैं जिससे बढ़ते हुये विवादों को निपटाने में सहायता मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय के अनुशासन का ध्यान रखा इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोहन सिंह रावत गॉववासी-

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट सदन के अंदर पेश किया है। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने प्रदेश की जनता के विकास के लिये बहुत ही अच्छे कदम उठाये गये हैं। एक अच्छे नियोजन के साथ यह बजट रखा गया है। परंतु मैं उसमें कुछ बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह प्रदेश बहुत विशालकाय प्रदेश है जनसंख्या के हिसाब से, यहां की 42 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे रहती है उनके विकास के लिये जो प्रयास किये जा रहे हैं उनमें 1-2 बातों को जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। जो गरीब लोग हैं उनके हाथों को काम देने के लिये कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना के लिये बजट में और अधिक प्राविधान करना अत्यंत आवश्यक है। मान्यवर, उत्तरांचल के बजट के लिये 600 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। जब हम उत्तरांचल की सड़कों की बात करते हैं तो वहां की सड़कों के रख-रखाव के लिये साढ़े 3 सौ करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है वहां की आवश्यकता के अनुसार वहां के लिये कम से कम 1300 करोड़ रुपयों का बजट रखा जाना चाहिये मैं यह कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर गांवों के अंतर्गत जो सड़कें वहां बननी है उसमें कमी हो रही है। 1-2 कि0 मीटर सड़क बनाने से लाभ नहीं पहुँचाया जा सकता है। भौगोलिक दृष्टि से वहां दूरस्थ क्षेत्रों में अम्बेडकर गांव हैं उनके जोड़ने के लिये एक अभियान की तरह सड़क बनाने के लिये बजट में प्राविधान रखना चाहिये जो नहीं रखा गया है। वहां पर जो चिकित्सालय खोले गये हैं उनके भवन कई वर्षों से बने नहीं हैं उनका बनाना अति आवश्यक है। वहां पर बेसिक पाठशालायों की हालत बहुत ही खराब है।

65 प्रतिशत जूनियर हाई स्कूल और बास.. विद्यालयों के भवन जर्जर हो गये हैं उनके लिये बजट का रखना अति आवश्यक था। अनौपचारिक शिक्षा जो पर्वतीय क्षेत्र में चल रही है वह फ्लाप हो गयी है उसके बजट को बेसिक शिक्षा के बजट में मिला देना चाहिये जिससे बेसिक शिक्षा विद्यालयों के भवन बन सकें और बच्चे भवनों के अंदर पढ़ सकें। इसी तरह से विद्युत व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं। आज पूरे प्रदेश में बिजली की कमी है। नयी योजनायें बनाना चाहिये था पहाड़ के लिये 26 बड़ी-बड़ी जल विद्युत योजनाओं के प्रस्तावों का सर्वे हो चुका है। इसमें टिहरी, विष्णुप्रयाग, लखवाड़, मनेरीभाली-।। आदि योजनायें बननी चाहिये थीं लेकिन उनका कोई प्राविधान नहीं रखा गया है। अगर वहां पर विद्युत के लिये डैम बनाने की योजना रखी जाती तो प्रदेश की विद्युत समस्या हल होती और प्रदेश विद्युत संकट से उबरता।

और वहां के लोगों को भी विद्युत की बहुत सारी सुविधाएं मिलतीं। आज पहाड़ में केवल 43 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हुआ है। पहाड़ में जो विभाग हैं उनकी क्षमता कम है चूंकि वहां रिक्तियां बहुत हैं। रिक्तियों पर नियुक्तियां की जाती तो क्षमता बढ़ती। वहां पर बेरोजगार इधर-उधर घूम रहा है। बेरोजगारी दूर करने के लिये भी कोई नियोजन किया जाता तो बहुत बड़ा लाभ वहां के लोगों को मिलता। स्कूल खोलने के लिये कुछ मानक सरकार ने तय किये हैं वहां के विकास के लिये स्कूल खोलने के लिये बाधक हो रहे हैं। इनको हटाना भी आवश्यक है। प्राइमरी स्कूल खोलने के लिये माइक्रो प्लान बनाया है जो वहां की परिस्थितियों को देखते हुए ठीक नहीं है। मैं अंत में यह कहूंगा कि वहां के जन-जीवन को अच्छी तरह से गरीबी की रेखा से दूर रखने के लिये वहां के विकास के लिये योजनाएं बनाई जायं और उनका नियोजन ठीक तरीके से बजट में रखा जाता तो बहुत ही अच्छा होता लेकिन फिर भी जिस तरीके से यह अच्छा बजट पेश किया गया है उसके लिये मैं श्रीमती मायावती जी को बधाई देता हूं, फिर से कह दूं नाम गलत कहा दिया कु0 मायावती जी को बधाई देता हूं।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपना बजट भाषण दिया है उसमें उन्होंने पूरे प्रदेश के दलितों के साथ धोखा किया है। जब यह सत्ता में नहीं थे तो दलितों की रक्षा की बात दलितों के विकास की बात करते थे लेकिन जब से सत्ता में आये हैं तब से दलितों का शोषण किया है। विकास के कार्यों का पैसा परिवर्तन चौक के नाम पर, अम्बेडकर पार्क के नाम पर, मेले के नाम पर खर्च किया जा रहा है। अम्बेडकर जी की भावनाओं को लेकर दलितों के गांवों में बिजली लगाई जाती, उनके लिये स्कूल खोले जाते, उनके लिये अस्पताल खोले

जाते तो मैं जानता कि आपके मन में उनके लिये कितनी पीड़ा है। यह सरकार अनुसूचित जाति के प्रति सम्वेदनशील है। पूर्वांचल निधि में जो हमारे मुलायम सिंह जी ने योजना चलाई थी जिससे वहां के जिलों का विकास होना चाहिए था। पूर्वांचल की जनता के साथ धोखा किया है बजट में 72 करोड़ रुपये देकर बहुत कम पैसा वहां के लिये दिया है। वहां के लिये 700 करोड़ रुपये देने चाहिए थे। आज आप देखिये उत्तर प्रदेश में जंगल राज फल-फूल रहा है। पुलिस मानमाने तरीके से गरीबों, दलितों का शोषण कर रही है। आपको लाल बत्ती में बैठकर मालूम नहीं होता है कि जनता का शोषण कैसे किया जा रहा है। आपने एक काम किया है तबादला उद्योग चलाकर अधिकारियों का शोषण किया है करोड़ों रुपये तबादला उद्योग से कमायें हैं।

अम्बेडकर पार्क के नाम पर करोड़ों रुपया कमाया है लेकिन दलितों के विकास के लिये आंख नहीं खोली। कहीं बिजली नहीं लगाई, स्कूल नहीं खोले गये। अम्बेडकर गांवों में जिन गांवों का चयन किया जाता है वास्तव में वहां के गरीब तबके के लोगों को इंदिरा आवास में चयनित नहीं किया जाता। पात्र व्यक्ति का शोषण किया जाता है और अपात्र व्यक्ति को उसका लाभ मिल रहा है। पूरे प्रदेश में अम्बेडकर गांव में पूर्ण रूप से सारी योजनाएं नहीं चलाई जा रही हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो गांव हैं उनमें न बिजली की व्यवस्था है न सड़क की, न स्कूल की व्यवस्था है न पंचायत भवन की न चिकित्सा की। इसके साथ के गांव में भी सड़क नहीं बनाई गई। गांधी गांवों की उपेक्षा की जा रही है। गांधी गांवों में विकास की योजनाएं चलाई जानी चाहिए।

उन गांव में विद्युतीकरण नहीं किया गया है। उन गांव में दलित तबके के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, कोई स्कूल उनके लिए नहीं खोले गए हैं। आज यह सरकार दलितों की दुहाई की बात करती है। मान्यवर, हमारे यहां एक जगह है, मसकनवा मोतीगंज फीडर/बगदर फीडर वहां पर पुराने तार लगे हुए हैं हल्की सी हवा चलती है तो तार टूट जाते हैं। विद्युत व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में चरमरा गई है लकड़ी के पोल लगे हैं वह टूट गये है मैंने कई बार निवेदन किया कि लकड़ी के पोल की जगह सीमेंट का पोल बदल दिया जाए लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। गन्ना किसानों के बारे में कहना चाहूंगा गन्ना किसानों का मिल के द्वारा शोषण किया जाता है गन्ना किसानों का जो बकाया है उसके भुगतान करने की बात कहीं नहीं कही गई है। भाषण में कहते हैं कि गन्ना बकायों का भुगतान कर देंगे लेकिन गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ है। सरकार से किसान ने अगर लोन ले रखा है तो उसकी लोन न देने पर कुर्की हो जाती है मिल की कुर्की नहीं की जाती है। पूरे गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान होना बाकी है।

मान्यवर, मेरे जनपद में नवाबगंज शुगर मिल हैं यहां गन्ना किसानों का बकाया पड़ा है वह नहीं मिला है। किसानों की स्थिति ऐसी है। मान्यवर, यह सरकार दलितों के उत्थान की बात करती है लेकिन कागज का दाम 25/- रूपये किलो हो गया। किताब का दाम बढ़ गया। गरीब और दलित लोगों के बच्चे कापी-किताब नहीं खरीद पा रहे हैं। यह सरकार संवेदनशील होती तो दलितों के लिए किताबों की कपड़ों की व्यवस्था करती यह सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। अनुसूचित जाति के बरवार जाति के विकास के लिए कोई योजना नहीं है, अनुसूचित जाति के बरवार के लोग जराक्रम का पेशा करते हैं इस सरकार ने उनके लिए कोई काम नहीं किया है अनुसूचित जातियों में भी सिर्फ दो जातियों का विकास किया है महार और जाटव और अनुसूचित जाति के लोगों का शोषण हो रहा है आज यह विकास की बात करते हैं जब से यह आए हैं पूरे प्रदेश में जातिवाद आ गया है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर ग्राम सभा अम्बरपुर में 1.56 एकड़ सीलिंग भूमि का पट्टा खेतिहर और भूमिहीन मजदूरों को न देकर अपात्र व्यक्तियों और एक ही परिवार के कई सदस्यों के तहसील अधिकारी द्वारा दे दिया गया है और इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मनकापुर तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट न होने से वादकारियों को काफी परेशानी हो रही है। इसलिए मैं वहां पर मंसिफ कोर्ट खोलने की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री राम विशुन आजाद-

देश 50 वीं स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहा है और गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

* श्री राजेन्द्र सिंह पटेल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जो बजट पेश किया गया है बजट में विकास के लिए शिक्षा के लिए और दलित दबे-कुचले लोगों के लिए धन की व्यवस्था की गई है वह बहुत ही सराहनीय है। मेरे जनपद फतेहपुर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तहसील के बारे में बताना चाहता हूं कानपुर इलाहाबाद के बीच में फतेहपुर बसा है इसकी स्थिति यह है कि 1989-90 में माननीय वी0पी0 सिंह जब प्रधानमंत्री थे और माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे वहां विकास के लिए करोड़ों रूपये की योजना चालू की गई लेकिन वी0पी0 सिंह प्रधानमंत्री पद से हटे तो मुलायम सिंह जी ने सारा धन अपने गृह जनपद में लगा दिया कोई विकास फतेहपुर जनपद का नहीं हुआ।

इसी तरह से जनपद फतेहपुर में पुलिस की भर्ती में 1989 में मुलायम सिंह जी के भाई ने करोड़ों रूपये पैदा करके पुलिस की भर्ती में इटावा के लोगों को भर्ती करवा दिया और हमारे जनपद के लोगों को पुलिस की सेवा से वंचित कर दिया। हमारा जनपद एक छोटा सा जनपद है। मैं अपने जनपद के विकास के सम्बंध में बताना चाहता हूं हमारे जनपद में टूटी हुई सड़के पड़ी है। गंगा के कटान में अनुसूचित जाति के दबे कुचले लोग रह रहे हैं। उन लोगों के लिए शिक्षा का अभाव है और कहीं पर प्राइमरी पाठशालायें दूर दराज तक नहीं हैं। एक दरियापुल है वहां पर एक छोटे से पुल की बात है। उस पुल का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में बिंदकी टिकरा पुल है। उसके पहले जिलाधिकारी ने टिकरा पुल का शिलान्यास किया था लेकिन अभी तक उसका कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। इसी तरह बिन्दकी विधान सभा में विद्युत व्यवस्था गांव में कम आ रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विकास कार्य के लिए हमारे यहां बिन्दकी विधान सभा में जहां एक लाख की आबादी है वहां पर एक महिला डिग्री कालेज होते हुए अनुसूचित जाति के लिए छात्रावास नहीं है मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर एक अनुसूचित जाति के लिए छात्रावास खोला जाए। इसी तरह से विद्युतीकरण गांवों में अभी तक नहीं हो पाया है। गांवों के विद्युतीकरण की व्यवस्था करवाई जाए। हमारे जनपद फतेहपुर छोटा जिला होने के कारण इसका विकास कार्य धीमा चल रहा है। इसके विकास के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाए।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट भाषण के समर्थन में बोलने के लिए अवसर दिया। साथ ही साथ मैं कुछ महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाएं जो इस बजट में प्रस्तावित हैं उन सबके लिए सरकार को बधाई देता हूं। गुण्डा राज माफिया राज की समाप्ति हुई है। इस प्रदेश के अन्दर नई शुरूआत हुई है और एक विकास का वातावरण तैयार हुआ है जो आगे चलकर प्रदेश के सौभाग्य के रूप में विकसित होगा। इस बजट में 1997-98 के लिए पर्वतीय क्षेत्र के लिए 677 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव है यह 9 फीसदी बढ़ाकर रखा गया है इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन पहाड़ की विषम भौगोलिक स्थिति है। इस पर्वतीय क्षेत्र ने देश के सर्वांगीण

विकास में महत्वपुर्ण भूमिका निभाई है । पहाड़ का एक परिवार से औसतन एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर इस देश की सेवा कर रहा है । देश की सीमाओं की पहली पंक्ति जहां पहाड़ के नौजवान प्राणों को हथेली पर रखकर देश की सेवा में तत्पर है दूसरी वहीं पंक्ति में वहां की माँ-बहिनें मध्य हिमालय की रक्षा में खड़ी हैं इस क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों में केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार का ध्यान देना चाहिए था उसकी उपेक्षा हुई है । अब यह सरकार उसकी उपेक्षा को दूर कर के इसके विकास के लिए संलग्न है ।

इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं । मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र की जो विषम भौगोलिक स्थिति है आज भी प्रतिवर्ष 45 से 50 हजार नवयुवक पलायन करने के लिए मजबूर होते हैं । 90 प्रतिशत महिलायें और 5-10 प्रतिशत बूढ़े या बच्चे घर पर रह जाते हैं । नौजवान दूर-दूर तक दिखायी नहीं देता । उद्योगों का नितान्त अभाव है उद्योगों की दृष्टि से पूरा पहाड़ शून्य घोषित है जबकि पर्यटन की वहां असीम सम्भावनायें थी । स्विटजरलैंड तो पहाड़ के सामने कुछ भी नहीं था, पंचवटी, पंचकेदार तथा फूलों की घाटी जैसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थान हैं और वहां पर पर्यटन की समग्र सम्भावनायें हैं । किन्तु नियोजित विकास नहीं हुआ है ।

जहां तक शिक्षा का बिन्दु हैं । "स्वं-स्वं चरित्रं शिक्षरेण, पृथिव्यां सर्वे मानवाः ।" की कहावत का सार्थक करने वाला मान्यवर, पहाड़ तो शिक्षा का सबसे बड़ा केन्द्र रहा है और वर्तमान में स्थिति यह है कि जितने भी हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट स्कूल के भवन हैं पूरे-के पूरे जीर्ण शीर्ण हैं कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है । पदों की रिक्तता के हिसाब से 16 हजार पद पर्वतीय क्षेत्र में खाली पड़े हैं 5-10 सालों से प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं, पदों की रिक्तता का सीधा असर उसके विकास पर पड़ रहा है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसको शीघ्र भरने की कोशिश की जाये । जो उत्तरांचल चयन आयोग गठन की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है उसका शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वयन होना चाहिए ताकि उसके अधीनस्थ तत्काल नियुक्तियां प्रारम्भ की जायें ।

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज भी महिलायें और पुरूष 60-62 किलोमीटर पैदल चलकर दम तोड़ने को मजबूर हैं । इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि तमाम मानकों को परिवर्तित करके विषम स्थिति और भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुये हर 5 किलोमीटर की परिधि में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना अवश्य होनी चाहिए । सब्जी और फल पट्टी की भी असीम सम्भावनायें हैं, वे मौसमी सब्जी का उत्पादन हो सकता है । भरसार एशिया का सबसे बड़ा बागीचा होने के बाद भी उसकी दुर्दशा है और वह उपेक्षा का केन्द्र बना हुआ है । मेरा अनुरोध है कि भरसार को शीतोष्ण अनुसंधान केन्द्र तत्काल बनावें तथा माली प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करें । हिमालय में दुर्लभ जड़ी-बूटियां हैं जो दुनिया के अन्दर कहीं भी

उपलब्ध नहीं है लेकिन उसका व्यवस्थित उत्पादन और दोहन नहीं हुआ है। उसका व्यवस्थित उत्पादन व दोहन करते हुये पहाड़ में दवाओं की छोटी-छोटी यूनिटें स्थापित की जायें।

विद्युत के बारे में तो क्या कहना कहां तो तय था चिराग हर एक घर के लिये, कहां चिराग मुय्यस्सर नहीं एक शहर के लिए चौथान थनपुर तथा स्यूंसी क्षेत्र विद्युत के अभाव में छटपटा रहें हैं, वहां तत्काल विद्युत की आपूर्ति की जाये। मान्यवर, पेयजल के लिए आज भी पहाड़ के लोग तड़प रहे हैं मेरे क्षेत्र के तमाम गांव में आज भी पेयजल के लिए त्राहि-त्राहि मची हुयी है। इसलिये मैं बल देना चाहता हूं कि पेयजल की भी समस्या का समाधान किया जाये।

अन्त में मैं यह कहना चहता हूं कि मुजफ्फरनगर का कांड हुआ है, हमारे कई मित्र उधर बैठे हुये हैं, मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में हृदय विदारक खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरनगर जैसे काण्ड हुये हैं उस काण्ड में लिप्त अधिकारियों में किसी की भी पदोन्नति नहीं होनी चाहिए बल्कि उनका निलम्बन होना चाहिये। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जितने मुकदमें अवशेष हैं उनको वापस कर दिया जाय माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी समान रूप से दोषी हैं, इसलिये मैं पुरजोर मांग करता हूं कि उनको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो उस काण्ड के दोषियों को मिले इस दिशा में तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए मां-बहनों का अपमान करने वालों को किसी कीमत पर वख्शा नहीं जाना चाहिये।

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, श्री पोखरियाल साहेब को मैं बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने मुजफ्फरनगर कांड में मा0 मुलायम सिंह यादव को निर्दोष साबित कर दिया है। सरकार को शर्म से झुक जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप बजट पर नहीं बोल रहें हैं, इसलिये आप बैठ जांए। विपक्ष से मैं समझता हूं कि कोई नहीं बोलना चाहता है इसलिये श्री महेन्द्र पाल निषाद जी आप बोलें।

* श्री महेन्द्र पाल निषाद-

अधिष्ठाता महोदय, बजट के समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस बजट के समर्थन में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बोलते हुए मान्यवर, बताना चाहता हूं कि इस सरकार के पहले जो अन्याय और अत्याचार इस दबे-कुचले समाज के साथ हो रहे थे उनको हमारी सरकार ने रोका और उन अपराधियों को जेल में बंद कराया जो इस समाज के दबे-कुचले लोगों के प्रति अपराध कर रहे थे।

मान्यवर, सरकार ने इस बजट में सिंचाई की वृद्धि के लिए उचित प्राविधान किया है, जिससे मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

मान्यवर, हमारी सरकार ने अम्बेदकर गांव योजना चलाकर गांवों को विकसित करने का काम किया है। जिन गाँवों में किसी भी सरकार ने विकास के काम नहीं किये हैं वहां हमारी सरकार ने विकास दीप जलाने का काम किया है जिन गांवों में दबे-कुचले और अनुसूचित जाति के लोगों की आबादी ज्यादा थी और सरकार ने विकास कार्य करने से उनको वंचित रखा था उन्हें हमारी सरकार ने विकास गति प्रदान कर विकास कार्य किये हैं और बजट में प्राविधान किया है।

मान्यवर, हमारी सरकार ने पिछड़े समाज के उत्थान के लिए, उनको शिक्षित बनाने के लिए जिन महापुरूषों ने त्याग और कुर्बानी दिया था जिसे कांग्रेस कल्चर ने दबा कर रखा था उन्हें हमारी सरकार ने याद किया है और ऐसे महापुरूषों की याद के लिए हमारी मुख्य मंत्री जी ने उद्यान बनवाकर उसके माध्यम से उन्हें याद करने का काम किया है इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, फतेहपुर में यमुना नदी में फतेहपुर और इछावर, बांदा, के विकास खण्ड जसपुरा में एक पैन्टून पुल बनवाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें जिससे इछावर और बांदा के बीच जो 7-8 किलोमीटर पड़ता है जनता की समस्या हल हो सकेगी। पुल न होने से जनता को 100-125 किलोमीटर घूम कर कटरा-जाफरगंज से इछावर जाना पड़ता है।

मान्यवर, विकास खंड जसपुरा में कोई मंडी नहीं है तो गल्ला के विक्रय के लिये बिन्दकी जाना पड़ता है। मान्यवर, इस संबंध में निवेदन यह है कि बिन्दकी फतेहपुर के बीच और इछावर-बांदा के बीच पैन्टून का पुल बनवा दिया जाय, इससे वहां के किसानों को बड़ी सुविधा होगी, इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल-

श्रीमान् मुझे कल अवसर दे दें तो अच्छा होगा।

श्री अधिष्ठाता-

आप आज ही अपनी बात कह लें तो उचित रहेगा क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य आपका विद्धतापूर्ण भाषण सुनना चाहते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं कोई विस्तार से बात नहीं कहूंगा। केवल कुछ बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। मान्यवर, यह हकीकत है कि हमारे माननीय सदस्यों की बड़ी जिज्ञासा है और मैं बाबूराम जी का भी बड़ा आदर करता हूं और मैं उन्हीं के आदेश के अनुसार बहुत अपनी बात को सीमित रखूंगा।

(श्री प्रमोद कुमार द्वारा टोकाटाकी किये जाने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय तिवारी जी, माननीय पाल जी का विद्वतापूर्ण भाषण आप तो कई बार सुन चुके हैं। अब आज कुछ नये सदस्य अपनी बात कहना वाहते हैं, इसलिये मैंने पाल साहब को अवसर दिया है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, पाल साहब नये सदस्य हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कांग्रेस में अब केवल दो ही सदस्य यहां मौजूद हैं एक तो आप दल के नेता हैं और दुसरे पाल साहब बचे हैं हम उनको भी सुनना चाहते हैं, इसलिए मैंने उनको अवसर दिया।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, पाल साहब केवल लोरी गा दें जिससे हम लोग यहीं सो जायें।

श्री अधिष्ठाता-

आपको अभी तक लोरी सुनने की आदत है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं जो बात कहने जा रहा हूं, उससे विपक्ष के लोगों का मुख्य लाभ होगा, साथ ही शासन के संबंध में जो कटु सत्य है, वह मैं कहने जा रहा हूं। मान्यवर, वर्ष 1997-98 का जो बजट रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि यह सरकार किसानों की बड़ी हितैषी है और बजट के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में रहने वाले गरीबों, दलितों का बड़ा हित करने जा रही है, इसके संबंध में एक बात कहना चाहता हूं कि आज इस सरकार में और प्रशासन में कितना विरोधाभास है। पिछले कई दिनों से निरन्तर इस सम्मनित सदन में चाहे इस पक्ष से हो, चाहे उस पक्ष से हो, गन्ना किसानों के मूल्य भुगतान का मामला उठाया जा रहा है। सभी ने किसी न किसी रूप में गन्ना मूल्य के भुगतान के बारे में आपका ध्यान आकर्षित कराया है। इस पर सरकार ने भी

अपनी वचनवद्धता दोहराई है। मान्यवर, वस्तुस्थिति यह है कि आज भी 432 करोड़ 45 लाख रूपया गन्ना मूल्य का बाकी है, इस संबंध में मैनें पूर्व में भी कहा है कि किसानों को उनके गन्ना मूल्य का भुगतान ब्याज सहित कराया जाय।

मान्यवर, आज तक इस सदन में माननीय मंत्री जी का या सरकार का कोई दृष्टिकोण नहीं आया कि किसानों को ब्याज मिलेगा या नहीं। मैं चाहता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर भाषण देंगी तो इसको अवश्य बतायेंगी। मान्यवर, दिनांक 8-7-97 को गन्ना आयुक्त की तरफ से प्रदेश के सभी जिला गन्ना अधिकारियों को एक आदेश गया है कि जिन चीनी मिलों पर किसानों का बकाया है उनसे उस मूल्य के साथ 15 फीसदी ब्याज भी गन्ना किसानों का वसूल करके दिलाया जाय। लेकिन इसमें कोई कार्यवाही नहीं हो रही है तो क्या यह आदेश वापिस हो चुका है यह बात शासन स्पष्ट कर दें कि ब्याज के साथ देंगे या नहीं देंगे।

मान्यवर, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज कानून व्यवस्था की प्राथमिकता की बात यह सरकार करती है। मान्यवर, हम सामान्य व्यक्तियों की रक्षा के लिए कोई बात नहीं कर रहें हैं लेकिन इस मंत्रिमण्डल के 2 मंत्रियों एक तो राजस्व राज्य मंत्री अशोक यादव ने कहा कि हमारी हत्या 50 लाख के लिए सुपाड़ी दी गयी है और दूसरी शिक्षा मंत्री बेसिक ने कहा कि उन्हें फोन पर धमकी मिली है उनकी हत्या के लिए 50 लाख पर सौदा हुआ है। मान्यवर, इस तरह से एक नहीं दो-दो मंत्रियों पर वक्तव्य आ चुका है कि उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा खतरे में हैं। मान्यवर, यह पहली सरकार होगी जिनके दो मंत्रियों के वक्तव्य आये हैं कि उनकी जिन्दगी को खतरा है और शासन की ओर से उनका खण्डन नहीं हुआ है। मान्यवर, प्रदेश की जनता में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गयी है। अगर मंत्रियों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो प्रदेश की जनता की वया सुरक्षा होगी?

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, प्रमोद जी कह आये और आपने लाल बत्ती जला दिया।

श्री अधिष्ठाता-

प्रमोद जी ने बिल्कुल इस प्रकार का संकेत नहीं दिया है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 चीजें हैं सिंचाई और ऊर्जा। मान्यवर, आठवीं पंचवर्षीय योजना में जिसमें पूर्व में भी यह सरकार रह चुकी है और अब नवीं पंचवर्षीय योजना है इसमें न हाइड्रो और न थर्मल किसी भी पावर के जनरेशन के संबंध में किसी प्लांट की बाबत कुछ नहीं कहा गया है। मान्यवर, कांग्रेस के जमाने में सरकार 20 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात करती थी उसके बाद की सरकारें 16 घंटे विद्युत आपूर्ति की बात करती थी। परन्तु अब आज यह सरकार मात्र 10 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात कर रही है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप उपसंहार करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, वर्ष 1996-97 में उत्पादन था 23,663 मिलियन यूनिट और अब 1997-98 में उत्पादन लक्ष्य रखा गया है 28,650 यूनिट लेकिन यह कैसे कर पायेंगे जबकि आनपारा, ओबरा और पारीक्षा की कई यूनिट बन्द हैं। वर्तमान समय में प्रदेश में 1018 मेगावाट की इकाईयां बन्द पड़ी हैं जिसके कारण 700 मेगावाट की अघोषित कटौती हो रही है। ओबरा बिजली घर में 268 मेगावाट की क्षमता की कुल 4 इकाइयां तेल की कमी के कारण बन्द हैं जुलाई के पहले हफ्ते से आनपारा की 210 मेगावाट की एक इकाइ कोयले की कमी के कारण 19 जुलाई से बन्द पड़ी है। हरदुआगंज की 60 मेगावाट क्षमता की 5 नं0 की इकाई भी बन्द बड़ी हैं इसी के कारण पूरे प्रदेश की फैक्ट्रियों में उत्पादन भी कम हो रहा है। आज वर्तमान समय में ओबरा, आनपारा में मात्र कुछ इकाइयों के लिए ही कोयला शेष है इसके बावजूद भी इस सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गयी है और न ही बजट में कोई प्राविधान किया गया है। जिसके नाते 1710 मेगावाट की कमी है आज अगर एन0टी0पी0सी0 से उधार नहीं ले रहे होते तो स्थिति और विकट होती। लखनऊ में हजरतगंज, अमीनाबाद में रोज विद्युत कटौती को लेकर जाम लगते हैं। किताबों में कीमतों की बात है जो ज्ञान भारती-1, 6 रुपये की थी वह 11 रुपये की है। 92 से 96 तक कीमत नही बढ़ी। स्कूल खुले एक महीने हो गये प्राइमरी, जूनियर और माध्यमिक की किताबें बाजार में उपलब्ध नहीं है। दूसरी और कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं जो लोग मजदूरी करते हैं वह लोग अपने मालिकों से 2 माह का उधार लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति ऐक्ट की बात आयी कि दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, राष्ट्रीय सहारा में प्रत्येक दिन प्रत्येक जनपदों से सूचना आ रही है कि किस-किस तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

1997-98 के आय-व्ययक पर चर्चा जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता-

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनायें प्राप्त हुई।

सम्पूर्ण प्रदेश में दस हजार से अधिक प्रसार संख्या वाले लघु मध्यम श्रेणी समाचार-पत्रों के लिए टेली प्रिन्टर लगाये जाने की अनिवार्यता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की सूचना वक्तव्य के लिए स्वीकृत हुई,

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भवनों का हुडकों के निर्देशों के विपरीत मूल्य बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अमित अग्रवाल की सूचना तथा प्रदेश के मेडिकल कालेजों की गिरती स्थिति को सुधारने के संबंध में डा0 राम बाबू हरित की सूचना केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित सदस्यों की उनके सम्मुख अंकित सूचनाओं पर श्री अधिष्ठाता द्वारा शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया।

श्री नारायण राम दास-

लखनऊ महानगर स्थित पार्क रोड विधायक निवास में दूषित पेय जलापूर्ति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्री रघुबर दयाल वर्मा-

ज़नपद फिरोजाबाद की जसराना तहसील के कतिपय ग्रामों में किये गये अवैध पट्टों के संबंध में।

श्री सौलत अली, श्री अब्दुल खालिक तथा श्री इकबाल महमूद-

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर आई0 एवं एच में पड़ी सीवर लाइन के सुचारू रूप से कार्य न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्रीमती कृष्णा राज-

जनपद खीरी के कस्बा जंगबहादुर गंज में शाहजहांपुर-सीतापुर जी0टी0 रोड पर सड़क के किनारे किये गये अवैध पट्टों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया-

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में स्थानान्तरण नीति का उल्लघंन कर की जा रही अनियमितताओं के संबंध में।

श्री सुधाकर सिंह तथा श्रीमती गौरी देवी-

जनपद मऊ में घाघरा नदी की बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

शेष सूचनायें अस्वीकृत हुई।

प्रदेश में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की मुद्रण व्यवस्था ठीक न होने से छात्रों एवं अभिभावकों को हो रही कठिनाई विषयक नियम 56 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

प्रदेश में बेसिक शिक्षा के

श्री बी0 आर0 वर्मा (संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री)

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

। क्षेत्र में 85 तथा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में 42 राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें हैं। राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को उचित दामों पर अच्छी क्वालिटी की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हो सकें। पूर्व में इन पुस्तकों हेतु भारत सरकार द्वारा रियायती दर पर कागज हेतु सब्सिडी दी जाती थी, जो वर्ष 1990 के पूर्व समाप्त कर दी गयी। भारत सरकार द्वारा सब्सिडी समाप्त करने के पश्चात् दो वर्ष तक राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी जारी रखी गयी। तदोपरान्त वित्तीय सीमितता के कारण इसे जारी रखना संभव नहीं हो सका।

2-विगत कई वर्षों से बेसिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं प्रकाशन की व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गयी थी जिसके कारण जहां एक ओर बाजार में फर्जी नकली पाठ्य पुस्तकों की भरमार रही, वहीं रायल्टी पिछले वर्षों में नाम मात्र को अदा की गई।

3-उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की मुद्रण एवं प्रकाशन की प्रक्रिया को व्यवस्थित तथा सुदृढ़ करने तथा बाजार में अच्छी गुणवत्ता की राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता समयान्तर्गत सुनिश्चित किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 द्वारा नीति का निर्धारण किया गया। इसके अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं प्रकाशन की प्रक्रिया को भी विकेन्द्रित करते हुए मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित मण्डलीय समिति से कराये जाने का निर्णय लिया गया।

नोटः-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मण्डलीय समिति का स्वरूप इस प्रकार रखा गया :-

1- मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2-मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक	सदस्य-सचिव
3-मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा0)	सदस्य
4-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0)	सदस्य
5-राजकीय मुद्रणालय के निदेशक द्वारा नामित एक अधिकारी जो उपनिदेशक स्तर से कम न हो।	सदस्य
6-संयुक्त निदेशक, उद्योग	सदस्य

4-मण्डलीय समिति को यह अधिकार दिया गया कि निर्धारित स्पेसिफिकेशन के कागज पर अपेक्षित मानक के अनुसार समय से राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण को सुनिश्चित करेंगे और इसके प्रकाशन कार्य को समयबद्ध करने हेतु प्रकाशकों से अनुबन्ध करेंगे। राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण हेतु कागज क्रय तथा प्रतिस्पर्धात्मक दरें निर्धारित किये जाने हेतु उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गयी जो निम्नवत् है :-

1- उद्योग निदेशक, उ0प्र0, कानपुर	अध्यक्ष
2- शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
3- शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य
4- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।	सदस्य
5- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 इलाहाबाद।	सदस्य-सचिव (माध्यमिक क्षेत्र)
6- पाठ्य पुस्तक अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य-सचिव (बेसिक क्षेत्र)

उपरोक्त राज्य स्तरीय समिति द्वारा पाठ्य-पुस्तकों के रिटेल मूल्य भी निर्धारित कर शासन को संस्तुति किये जाने का अधिकार दिया गया।

5-यद्यपि शासनादेश दिनांक 11-12-96 में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन निजी प्रकाशकों के माध्यम से निर्धारित गुणवत्ता की वाटर मार्क कागज पर किये जाने का निर्णय लिया गया किन्तु समय की संकीर्णता को देखते हुए वर्ष 1997-98 के शिक्षण सत्र के लिए छापी जाने वाली पाठ्य पुस्तकों के लिए वाटर मार्क कागज की अनिवार्यता की शर्त को शासनादेश दिनांक 1 मार्च 1997 द्वारा शिथिल किया गया। इन पुस्तकों के प्रकाशन के लिए कागज का स्पेसिफिकेशन निम्नवत् निर्धारित किया गया :-

(क) बेसिक शिक्षा की पाठ्य-पुस्तकों के लिए	60 जी0एस0एम0
(ख) माध्यमिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों के लिए	54 जी0एस0एम0
(ग) कवर पृष्ठ के लिए	175 जी0एस0एम0

6-उपरोक्त व्यवस्था के आधीन कागज की दरें निर्धारित किये जाने हेतु उद्योग निदेशालय द्वारा ओपेन टेण्डर आमंत्रित किया गया और उद्योग निदेशालय की अधिसूचना दिनांक 12-5-97 के अनुसार कागज की दरें हेतु 12 मिलों का निर्धारण किया गया। कागज की दरें निर्धारित किये जाने के पूर्व उद्योग निदेशालय द्वारा इस हेतु उपलब्ध कराई गई सैम्पुल कागज का निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार विधिवत जांच व परीक्षण भी किया गया। राज्य स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकों का रिटेल विक्रय मूल्य शासनादेश दिनांक 1-5-97 द्वारा निर्धारित किया गया जिसमें विगत कई वर्षों में भी विभिन्न मदों में मूल्य वृद्धि को देखते हुए इन पाठ्य पुस्तकों के मूल्य में केवल 25 प्रतिशत की ही वृद्धि की गयी।

7-राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण मण्डलीय स्तर पर किये जाने के फलस्वरूप विभिन्न मण्डलों में पाठ्य पुस्तकों का विधिवत् अनुबन्ध हुआ है और इस संबध में अच्छी रायल्टी राजकोष में प्राप्त हुई है। बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में मण्डलवार 693 अनुबन्ध हुए हैं तथा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अद्यावधिक इस हेतु कुल 550 अनुबन्ध हुए हैं। बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में जहां अधिकांश पाठ्य पुस्तकें छपकर बाजार में उपलब्ध होने लगी हैं, वहीं दूसरी और माध्यमिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तके छपकर बाजार में आना प्रारम्भ हो रही हैं। बेसिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों की मांग जुलाई में होने के कारण यह पुस्तकें पहले मुद्रित होकर बाजार में आना शुरू किया है। माध्यमिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों की मांग उसके बाद उत्पन्न होती है इसलिए प्रकाशकों द्वारा पहले बेसिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों को पहले बाजार में रिलीज किया है और इससे प्राप्त होने वाली धनराशि से माध्यमिक शिक्षा के पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन में लगाया जायेगा। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा की सभी पुस्तकें माह अगस्त, 1997 के प्रथम सप्ताह में आने की सम्भावना है।

8-राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की संशोधित नीति के अनुरूप पुस्तकें बाजार में छपकर बाजार में आने के पूर्व ही कुछ अनधिकृत प्रकाशकों/मुद्रकों द्वारा पूर्व वर्षो की भांति नकली पुस्तकों को बाजार में लाने का प्रयास किया। इसे रोकने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यवाही सुनिशिचत की गयी और शासन द्वारा समय-समय पर मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को टेलेक्स/फैक्स भेजकर विभिन्न जनपदों में छापे भी डाले गये। संशोधित नीति के अनुसार राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें बाजार में आने में विलम्ब होने का मुख्य कारण निर्धारित समय के भीतर निजी मुद्रकों/प्रकाशकों के साथ अनुबन्ध न होना रहा है। इस संबंध में निजी प्रकाशकों/मुद्रकों द्वारा कतिपय मामलों में जानबूझकर देरी की गयी जिससे येन-केन प्रकारेण उनके द्वारा फर्जी पुस्तकें बाजार में लाने का प्रयास रहा है किन्तु शासन द्वारा इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप अन्तोगत्वा माह जून, 1997 में विभिन्न

मण्डलों में अनुबन्ध हुए हैं और इस अनुबन्ध के फलस्वरूप अब पुस्तकें बाजार में उपलब्ध होने लगी हैं। इस संबंध में मण्डल का प्रतिबन्ध भी हटाये जाने के फलस्वरूप अब मण्डलों में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध होने में कठिनाई नहीं है।

9-मा0 सदस्यों को यह कथन कि इस संबंध में काला बाजारी होने तथा पुरानी पुस्तकों के प्रयोग की पाबन्दी से घोर असंतोष उत्पन्न हो गया है, सत्य से परे है। पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन और मुद्रण में सम्पूर्ण पारदर्शिता अपनाई गई है। जैसा कि उपरोक्त कथन से स्पष्ट किया गया है पुरानी पुस्तकों के प्रयोग में किसी प्रकार की पाबन्दी लगाये जाने का प्रश्न ही नहीं है। यह पाबन्दी अवश्य लगाई गयी है कि छात्र/छात्रायें नकली व फर्जी पाठ्य पुस्तकें न क्रय करें। जिससे ऐसे कार्य में लिप्त अवांछनीय तत्व हतोत्साहित हों।

10-मा0 सदस्य का यह कथन कि वर्तमान में जो पाठ्य-पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, वह घटिया किस्म की हैं, निराधार है। यदि विगत वर्ष की पाठ्य पुस्तकों से वर्तमान में बाजार में उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों का एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो निश्चय ही इस समय बाजार में उपलब्ध पाठ्य पुस्तकें निःसन्देह बेहतर हैं। यह सही है कि प्रत्येक मामलें में सुधार की गुंजाइश रहती है और राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों में सुधार लाये जाने हेतु वर्तमान सरकार कटिबद्ध है। यह कहना भी उचित नहीं है कि सम्पूर्ण कार्यवाही में किसी प्रकार का भी सौदा होने का इसलिए प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सरकार कोई कागज नहीं खरीदती है और न ही पैसा देती हे। प्रकाशक को मिलों से कैश एण्ड कैरी के आधार पर कागज खरीदता है। हमने तो कागज के मूल्य निर्धारित किये हैं ताकि कागज की गुणवत्ता बनी रहे और स्पेसिफिकेशन में अन्तर न आये। हमने किताबों के मूल्य नहीं बढ़ाये। वर्ष 1992 के बाद पहली बार राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों का मूल्य मात्र 25 प्रतिशत बढ़ाया गया है कि जबकि महंगाई इस अवधि में 70 प्रतिशत बढ़ी है। इसको देखते हुए मुल्य वृद्धि बहुत ही कम है। इसलिए किसी भी तरह की लेन-देन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जहां तक घटिया पेपर की तथा गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार कागज न बनने और सप्लाई करने का संबंध है इस संबंध में जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

11- अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्तमान में निर्धारित गुणवत्ता के बेसिक और माध्यमिक की राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें छपकर बाजार में उपलब्ध होने लगी हैं। इस संबंध में कतिपय अवांछनीय तत्वों द्वारा संशोधित नीति के अनुरूप पुस्तकें बाजार में उपलब्ध न होने का जो प्रयास किया गया था उसे विफल कर दिया गया है। इस संबंध में मा0 सदस्यों का यह कथन कि इस सम्पूर्ण कार्यवाही में किसी प्रकार की काला बाजारी अथवा अनियमित कार्यवाही की गयी, निराधार व असत्य है।।

श्री अधिष्ठाता-

अब हम उठते हैं कल ।। बजे पूर्वान्ह में पुनः बैठेंगे।

इसके बाद सदन रात्रि 9 बजकर 3। मिनट पर मंगलवार 29-8-1997 अगले दिन के ।। बजे तक के लिए स्थगित हो गया।

लखनऊ

दिनांक 28-7-1997

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 46 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर)

संलग्न सूची

	स्वीकृत वर्ष	मार्ग का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रु0 में)	व्यय की धनराशि (लाख रु0 में)	निर्माण कार्य की स्थिति
1-	1995-96	उतरौला पचपेड़वा से बभनी बुजुर्ग तक कार्य	4.820	4.820	कार्य पूर्ण
2-	1995-96	उतरौला पिपराघाट से तकीबा तक कार्य	2.350	2.350	कार्य पूर्ण
3-	1995-96	उतरौला डमरिया से पेड़रिया तक कार्य	4.660	4.660	कार्य पूर्ण
4-	1995-96	उतरौला धसवा से अम्बेकर बासपुर मार्ग	1.338	1.338	कार्य पूर्ण
5-	1995-96	उतरौला पिपरा रामचन्द्र से खपरैला परसपुर तक	6.870	6.870	कार्य पूर्ण
6-	1995-96	बरमहिया से धीरहारा तक कार्य	4.160	4.160	कार्य पूर्ण
7-	1995-96	महदेइया से मजहना तक कार्य	2.830	2.830	कार्य पूर्ण
8-	1995-96	चमरूपुर श्री दत्तगंज से डोमरागंज तक कार्य	4.050	4.050	कार्य पूर्ण
9-	1995-96	तिसाह से केशवगढ़ तक कार्य	2.230	2.230	कार्य पूर्ण
10-	1995-96	पुरैनिया अबसा देवरिया जोगीबीर, उतरौला तक	3.350	3.350	कार्य पूर्ण

	स्वीकृत वर्ष	मार्ग का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रु0 में)	व्यय की धनराशि (लाख रु0 में)	निर्माण कार्य की स्थिति
11-	1995-96	रानीपुर से बेलईबुजुर्ग नयानगर सहयापुर तक	5.560	3.050	कार्य प्रगति पर है।
12-	1995-96	आसाम रोड से बेलईजोत मानपुर तक	4.020	2.500	कार्य प्रगति पर है।
13-	1995-96	गजपुरग्रन्ट से भवनडीड लोहार डीह तक	3.110	2.100	कार्य प्रगति पर है।
14-	1995-96	गेण्डासबुजुर्ग से हमरिया तक	2.430	1.350	कार्य प्रगति पर है।
15-	1995-96	गेण्डासबुजुर्ग से मितयरिया तक कार्य	7.040	3.560	कार्य प्रगति पर है।
16-	1995-96	तहसील चौराहा से आसाम रोड चौराहा तक	6.910	4.050	कार्य प्रगति पर है।
17-	1995-96	कटहरी बाग से बलन्दडी इटई रामपुर सिद्धार्थ नगर बार्डर तक	9.720	7.150	कार्य प्रगति पर है।
18-	1995-96	आसाम रोड से कंचनपुर तक कार्य	1.910	0.500	भूमि विवाद के कारण अवरूद्ध।
19-	1995-96	चमरूपर मार्ग खालिखपुर से चहाई बुजुर्ग तक	2.980	1.500	कार्य प्रगति पर है।
20-	1995-96	पकड़ी रेकवार डसवापुर महवा इब्राहीम तक कार्य	5.000	2.500	कार्य प्रगति पर है।
21-	1995-96	श्री दत्तगंज से मुनियरिया तक कार्य	3.510	1.750	कार्य प्रगति पर है।
22-	1995-96	गुमड़ी श्रीदत्तगंज से खण्डरहवा तक कार्य	3.120	1.500	कार्य प्रगति पर है।

विधान सभा

	स्वीकृत वर्ष	मार्ग का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रु0 में)	व्यय की धनराशि (लाख रु0 में)	निर्माण कार्य की स्थिति
1-	1996-97	श्री दत्तगंज गुमड़ी मार्ग से मुनियरिया मार्ग तक	4.610	0.550	भूमि विवाद के कारण अवरूद्ध
2-	1996-97	गुमड़ी श्री दत्तगंज से परागडीह शिवदयालपुर (तक)	2.720	1.360	कार्य प्रगति पर है।
		योग रु0	99.298 लाख	70.078 लाख	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये अता0प्र0सं0 52 का उत्तर पीछे पृष्ठ 62 पर)

सूची

1- श्री मूल चन्द्र दुबे पुत्र श्री बद्रीनाथ दुबे, नि0 बलिभद्रपुर, थाना भदोही जनपद भदोही।
2- " रविन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री गणेश सिंह, नि0 शेरवा थाना भदोही, जनपद भदोही।
3- " दामोदर पाण्डेय पुत्र श्री परमानन्द पाण्डेय, नि0 सरोई, थाना भदोही, जनपद भंदोही।
4- " श्री घिनहू, निवासी कनकपुर, थाना सुरियावां, जनपद भदोही।
5- " मन्नी लाल पुत्र श्री भगेलू हरिजन, नि0 बारीपुर, थाना औराई, जनपद भदोही।
6- " बावन विन्द पुत्र श्री मुन्नी लाल, नि0 राजापुर, थाना औराई, जनपद भदोही।
7- " बलुरी पुत्र श्री बड़ेलाल विन्द, निवासी हीरापुर, थाना औराई, जनपद भदोही।
8- " श्री राम शिरोमणि दूबे, निवासी पिलखनी, थाना औराई, जनपद भदोही।
9- " सुश्री चिरजु देवी पुत्री श्री लक्ष्मण केवल, निवासी गुड़िया, थाना मिर्जामुराद, वाराणसी।
10- श्री माता दयाल शुक्ल, निवासी नटवा, थाना औराई, जनपद भदोही।
11- श्री जवाहर लाल पटेल, निवासी बिसापुर, थाना औराई, जनपद भदोही।
12- श्री दूधनाथ पटेल पुत्र श्री बाबू नन्दन पटेल, नि0 चन्द्रभानपुर, थाना बरसठी, भदोही।
13- श्री शिवशंकर मिश्र, पुत्र श्री रामजस मिश्र, नि0 गन्धौना, थाना रामपुर, जनपद भदोही।
14- श्री मेवा लाल पटेल सीकर, झनापुर, थाना रामपुर, जनपद भदोही।
15- श्री दशरथ पासी, साकिन चेकनाहु, थाना चौरी, जनपद भदोही।
16- एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही।
17- श्री अभयराज सिंह पुत्र श्री राजप्रताप सिंह, निवासी मझगवां, थाना कोईरौना, भदोही।

18- श्री पूर्णमासी पुत्र श्री दूखारन हरिजन, नि0 कूलमनपुर, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही।

19- श्री लक्ष्मण हरिजन पुत्र श्री नान्हू हरिजन, नि0 सोनखरी, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही।

मायावती,
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 । विधान सभा-21-5-98-(290)-813 प्रतियां-(आफ0)।